

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल-7 (1) प्रायोगिक कार्य निर्देशिका **Practical Manual**

बच्चों के आधिकार कानून, योजनाएँ
और व्यवस्था



समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (प्रथम वर्ष)
नेतृत्व विकास में विशेषज्ञता सहित
Bachelor of Social Work (First Year)
With Specialization in Community Leadership



महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका (Practical Work Manual)

अवधारणा एवं रूपरेखा :-

संस्करण 2017

बी.आर. नायडू, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव
जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव
अशोक शाह, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा :-

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्श :

डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति
जयश्री कियावत, आई.ए.एस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण
उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन-अभियान परिषद

संकलन एवं लेखन:-

सचिन कुमार जैन, विकास संवाद, भोपाल
राकेश कुमार मालवीय, विकास संवाद, भोपाल

संपादन

डॉ. अमरजीत सिंह
डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास

सहयोग

विकास संवाद, मध्यप्रदेश, स्पंदन)खंडवा(और यूनीसेफ

मुद्रक एवं प्रकाशक:-

ग्रामोदय प्रकाशन के लिए कुलसचिव
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला—सतना (मध्यप्रदेश) — 485334, दूरभाष— 07670—265411

सम्पर्क :

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)
ई—मेल— cmcldpcourse@gmail.com, मोबाइल— 9424356841
श्री आर. के. मिश्रा, राज्य सलाहकार (यूनिसेफ) सी.एम.सी.एल.डी.पी.
ई—मेल— rkmishraguna@gmail.com, मोबाइल— 9425171972
डॉ. प्रवीण शर्मा, टॉस्क मैनेजर म.प्र. जन अभियान परिषद
ई—मेल tmprajapbho@mp.gov.in मोबाइल— 9425301058

कॉपीराइट: © — महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

आभारः— इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। पाठ्यक्रम के परामर्शदाताओं का अनुभव और सुझाव भी इसमें शामिल है। सभी के प्रति आभार।

पुस्तिका की सामग्री

भाग— एक

- क. बच्चों के अधिकार का मतलब
- ख. क्षेत्रीय कार्य पुस्तिका – एक परिचय
- ग. सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) और बच्चों के अधिकार
- घ. मैदानी/प्रायोगिक कार्य की रिपोर्ट का स्वरूप
- ङ. बच्चों के नजरिए से भारत का संविधान
- च. संयुक्त राष्ट्र का बच्चों के अधिकार का घोषणा पत्र

भाग दो – बच्चों के संरक्षण से सम्बंधित कानून और योजनाएं

- 1) किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- 2) समेकित बाल संरक्षण योजना
- 3) अनैतिक मानव दुर्व्यापार कानून
- 4) सूचना प्रौद्योगिकी कानून
- 5) चाइल्ड लाइन (1098)
- 6) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
- 7) बाल—विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
- 8) लाडो अभियान
- 9) बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016
- 10) बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- 11) कारखाना अधिनियम, 1948
- 12) भारतीय दंड संहिता 1860 और बच्चों का संरक्षण का अधिकार
- 13) बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिनियम (पॉस्को)
- 14) गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
- 15) लाड़ली लक्ष्मी योजना
- 16) सुरक्षित पर्यटन के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक आचरण संहिता

मैदानी/प्रायोगिक कार्य की रिपोर्ट

भाग तीन – बच्चों के जीवन के अधिकार से सम्बंधित कानून और योजनाएं

- 17) डिब्बाबंद शिशु आहार का निषेध और कानूनी प्रावधान
- 18) किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण
- 19) किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित योजनाएं
- 20) मध्यान्ह भोजन योजना और सामुदायिक पहल
- 21) समेकित बाल विकास सेवाएं और कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन
- 22) नवजात शिशु का जीवन और सामुदायिक पहल
- 23) बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण
- 24) ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति

मैदानी/प्रायोगिक कार्य की रिपोर्ट

भाग चार – बच्चों के विकास का अधिकार

- 25) शिक्षा का अधिकार कानून, शाला प्रबंधन समिति और समुदाय
- 26) स्कूल चलें हम अभियान और सामुदायिक नेतृत्व
- 27) शिक्षा के अधिकार के लिए योजनाएं – साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति और छात्रावास
- 28) खेल का अधिकार और बच्चों का विकास
- 29) निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए योजनाएं

हमारी पहल और भूमिका

ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं !

मैदानी/प्रायोगिक कार्य की रिपोर्ट

बच्चों के अधिकार का मतलब

बच्चे वे व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र अठारह वर्ष से कम है।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत हमारी कोशिश है कि समाज और व्यवस्था में बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो और उन्हें एक सम्पूर्ण मानवीय इकाई माना जाए। पिछले 3 दशकों में बच्चों के अधिकारों, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर बहुत बहस भी हुई और कोशिशें भी की गयीं। सामान्य अनुभव यह बताता है कि “राज्य” यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ने कुछ अहम् कदम उठाए, कानून और नीतियां बनायीं किन्तु उनके क्रियान्वयन से जुड़े पहलू गंभीर होते गए।

असल बात यह भी है कि बच्चों के अधिकारों के हनन के मामले में कुछ बुनियादी कारण होते हैं। उन्हें हम हल नहीं कर पाते हैं, जिससे बच्चों के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाता। मसलन बच्चे मजदूरी करते हैं और कानून के जरिए बाल मजदूरी रोकने की पहल हुई, किन्तु यह समझना जरूरी है कि आर्थिक गरीबी और संसाधनों के अभाव में बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। यानी गरीबी हटाए बिना और संसाधनों का हक दिए बिना बाल मजदूरी को खत्म किया जा सकता है क्या? शायद नहीं।

सामुदायिक नेतृत्व के इस कार्यक्रम के जरिए हम बच्चों के अधिकारों पर समुदाय को एकजुट कर सकते हैं। हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिस अच्छी भावना और लक्ष्य से बाल अधिकारों पर कानून बने हैं, उन्हीं के अनुरूप उनका क्रियान्वयन हो। हमें व्यवस्था की जवाबदेहिता भी सुनिश्चित करना है और समाज में ऐसे व्यवहारों— तौर-तरीकों के विरुद्ध भी आवाज उठाना है, जो बच्चों के हितों में नहीं है।

बच्चों का अधिकार : एक नजरिया

बच्चों के अधिकारों को व्यापक सन्दर्भ में चार रूपों में देखा—समझा जाता है:

1. उत्तरजीविता का अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार, अच्छा खाना, पानी, इलाज, अच्छी सेहत रखने वाला वातावरण।
2. संरक्षण का अधिकार यानी अच्छे व्यवहार को हासिल करने, हिंसा, बचपन में मजदूरी और बाल विवाह से मुक्ति, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक शोषण से मुक्ति, किसी तरह का भेदभाव न होना।
3. सहभागिता का अधिकार यानी जिन मामलों से भी बच्चों के हित जुड़े हों या व्यापक समाज के हित जुड़े हों, उन पर निर्णय लेते समय बच्चों की बात भी सुनी जाए, उन्हें अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने का समान अवसर मिले, ऐसा नहीं हो कि बच्चों को उनकी बात कहने दी जाए, पर समाज—सरकार उसे सुने ही नहीं, अतः बच्चों की आवाज सुनी, समझी और लागू की जाना चाहिए।
4. विकास का अधिकार यानी गुणवत्तापूर्ण और समानता आधारित शिक्षा का अधिकार मिले, खेलने और मनोरंजन का अधिकार मिलना, अपना समूह बनाने और मित्रता निभाने, रिश्ते मजबूत करने का अधिकार।

बच्चों के लिए बुनियादी सेवाएं और ढांचा का मतलब क्या?

स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए जरूरी ढांचा खड़ा होना बाल केंद्रित व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। ऐसा नहीं हो कि स्कूल की केवल इमारत ही बने, उसमें प्रशिक्षित शिक्षक, पुस्तकालय, खेल

का मैदान, पीने का पानी, साफ शौचालय सरीखी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं का मामला है। अस्पताल, चिकित्सक, दवाएं, बच्चों के अनुकूल सहज वातावरण होना भी जरूरी है। इसी तरह बच्चों के संरक्षण के लिए बनी व्यवस्थाओं का बेहतर होना भी जरूरी है।

बाल केंद्रित नियोजन का मतलब क्या है ?

विकास और सामाजिक बदलाव की हर नीति और हर व्यवहार का असर बच्चों पर पड़ता है। यदि जंगलों का विनाश हो रहा है, तो इससे पैदा होने वाले पर्यावरण संकट का बच्चों के वर्तमान पर ही नहीं, उनके भविष्य पर भी गहरा असर पड़ता है। जब हम बड़ी विकास परियोजनाओं का निर्माण करते हैं, तब अक्सर उनमें बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं करते हैं। हमारे यहां ग्राम सभा की व्यवस्था है; लेकिन दूसरे अर्थ में देखें तो पता चलता है कि बच्चों (यानी 18 साल तक की जनसंख्या को हटाकर) ही सभी निर्णय लिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। क्या बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए ? इसी तरह शिक्षा का मौजूदा स्वरूप बच्चों पर कितना दबाव डाल रहा है, हर साल बड़ी संख्या में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे में हमें शिक्षा की व्यवस्था के पुनःनिर्माण की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करना चाहिए। हम यदि बच्चों को सवाल पूछने, अपनी बात कहने से रोकेंगे, तो यह बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। जब उन्हें अपनी बात कहने से रोका जाता है, तब वे चुपचाप शारीरिक—मानसिक शोषण सहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें समाज और सरकार की प्रक्रियाओं और निर्णय लेने की व्यवस्था में उनकी बात सुनने और शामिल करने की जरूरी पहल करना होगी।

बच्चों की सुरक्षा की जरूरत कब ?

बालविवाह, बाल मजदूरी, बच्चों को बंधुआ रखना, बच्चों से भीख मंगवाना, उन्हें प्रताड़ित करना, उनका लैंगिक उत्पीड़न, बच्चों का अकेले या अनाथ होना, उनका बेघर होना या घर से भाग जाना, बच्चों को शारीरिक—मानसिक दंड देना, बच्चों को खरीदना या बेचना, जिसे मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी दी गई हो, जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक—शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त हो, बच्चों से नशीले सामान का परिवहन करवाना, बच्चों को नशा करने के लिए प्रेरित या मजबूर करना आदि।

कानून तोड़ने वाले बच्चे मतलब ?

जब कोई भी व्यक्ति, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, चोरी, मारपीट, तस्करी, लैंगिक उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या या अन्य कोई ऐसे कामों में संलग्न पाया जाता है, जो हमारे कानून के हिसाब से अपराध की श्रेणी में आते हैं, उन बच्चों को कानून तोड़ने वाले बच्चे (विधि विवादित) माना जाता है। इस तरह के बच्चों के मामलों की सुनवाई बच्चों की अदालत (किशोर न्यायालय) या किशोर न्यायिक बोर्ड करता है। सिद्धांत यह कहता है कि ऐसे बच्चों को शुरू से ही आपराधिक प्रकृति का या असद्भावना का दोषी नहीं माना जाएगा।

बच्चों के संरक्षण और देखभाल की पहली जिम्मेदारी समाज की है। जब बच्चे वहां असुरक्षित हो जाते हैं, तब कानून की जरूरत पड़ती है। किसी भी गांव, बस्ती या शहर की परिस्थितियों में बच्चों की स्थिति सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है, किसी भी उतार—चढ़ाव से सबसे ज्यादा प्रभावित और असुरक्षित बच्चे होते हैं।

अक्सर हमें असुरक्षित स्थितियों में बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन हम इनकी क्या और कैसे मदद कर सकते हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। बच्चे हमें होटल में, मैकेनिक की दुकान, समारोहों में, शादियों में रोशनी का बोझ उठाए और रेल्वे स्टेशन सरीखी कई जगहों पर काम करते हुए दिखाई देते

हैं। शायद इन बच्चों और इनके परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति उन्हें बाल श्रम करने या शोषण के जाल में फँसने के लिए मजबूर करती है। इसी तरह हमारे गांवों, शहरों, बस्तियों में महाकुम्भ, इजितमा, शिवरात्रि मेले, स्थानीय सांस्कृतिक मेले, व्यावसायिक मेले सरीखे कई छोटे-बड़े आयोजन होते हैं। इनमें स्थानीय एवं अन्य बाहरी क्षेत्रों के लोग भागीदारी करते हैं। इनमें बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ शामिल होते हैं।

बच्चों के हकों से जुड़े व्यापक पहलू

मौजूदा समय में सामान्य तौर पर इन आयोजनों में भी कतिपय तत्वों के सक्रिय होने से बच्चों के भीख मांगने, बाल तस्करी, बाल शोषण, बाल मजदूरी, उत्पीड़न आदि समस्याओं के बढ़ने की भी आशंका होती है। ऐसे में समाज के सजग समूह के रूप में इन विपरीत परिस्थितियों में बच्चों के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारे गांव, शहर, बस्ती और समाज बाल अनुकूल बन सके।

सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में बच्चों की स्थिति संवेदनशील होती जा रही है। बच्चों के रूप की अश्लील प्रस्तुति लगातार बढ़ रही है। वहां भी शोषण की स्थितियां बनी हुई हैं।

इसी तरह कम उम्र में विवाह, यौन शोषण, गरीबी के कारण विकास और सम्मानजनक जीवन के अवसरों से वंचित रह जाना भी बच्चों के अधिकार के हनन से जुड़े विषय हैं। हमें बच्चों के संरक्षण के अधिकार को व्यापक रूप से देखना होगा।

मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या में लगभग 42 प्रतिशत लोगों की उम्र 18 वर्ष से कम है। यानी उनके जन्म के समय की देखभाल से लेकर, उनके पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक विकास की पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी समाज को निभाना होती है।

वर्तमान स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश में पांच साल से कम उम्र के लगभग 43 प्रतिशत बच्चे स्वास्थ्य मानकों के मुताबिक कम वजन के हैं। एक तिहाई बच्चों को पूरे टीके नहीं लगते हैं। प्रति 1000 जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से 50 बच्चे एक साल से पहले ही दम तोड़ देते हैं, यानी अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते। जरा देखिए कि क्या अपने आसपास के सभी बच्चे स्वस्थ और खुश हैं?

यह उम्र शारीरिक वृद्धि की भी और बदलाव की भीय इसी अवस्था में मानसिक और भावनात्मक व्यक्तित्व का भी विकास होता है। वास्तव में एक इंसान इसी उम्र में गढ़ा-रचा जाता है।

अतः हमारी अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत बच्चों के विकास, संरक्षण और सुरक्षा पर विशेष तब्जी दी जाए। यह पहल न केवल बच्चों के आज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, बल्कि भविष्य के समाज को भी एक भीतर स्वरूप प्रदान करेगी।

भारत और मध्यप्रदेश में बच्चों के संरक्षण के मकसद से चल रही योजनाओं और बने हुए कानून के परिणामदायक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व) के लिए बनाई गई इस पुस्तिका पहले भाग में महत्वपूर्ण बाल संरक्षण योजनाओं को क्षेत्रीय कार्य के रूप में समिलित किया गया है। हमें यह प्रयास करना है कि इन कानूनों के प्रावधानों एवं सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ बच्चों और समुदाय को प्राप्त हो।

इसी पुस्तिका के दूसरे भाग में हमने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के अधिकार से सम्बंधित और तीसरे भाग में बच्चों के विकास से सम्बंधित योजनाओं और कानूनों का विस्तार से उल्लेख है।

मैदानी/प्रायोगिक कार्य पुस्तिका – परिचय और स्वरूप

यह कार्य पुस्तिका मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर आधारित है –

पहला

बच्चों के अधिकारों पर काम करने से पहले हमें खुद अपने भीतर यह प्रतिबद्ध सहमति पैदा करना होगी कि वास्तव में सामाजिक बदलाव के लिए बच्चों के अधिकारों को लागू किया जाना और उनका संरक्षण बुनियादी शर्त है। यह एक संवेदनशील पहलू है, इसलिए इस पुस्तिका में कानूनों और योजनाओं के बारे में हमने दृष्टिकोण और सिद्धांत दर्ज करते हुए, सामग्री तैयार की है।

यदि हम महज कानूनी या योजनागत प्रावधानों का उल्लेख भर करते, तो शायद कुछ ही पन्नों में सभी बिंदु दर्ज हो जाते। यहां आपको यह नजरिया विस्तार से मिलेगा। हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के अधिकारों पर अपना खुद का एक नजरिया और दृष्टिकोण भी विकसित कर पाएं।

दूसरा

कानून और योजनाओं के बारे में अधिकृत जानकारियां दर्ज हैं। हमने कोशिश की है कि भाषा को सरल और सहज बनाया जा सके। इसके साथ ही हमने उन व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया है, जिनके माध्यम से कानून और योजनाएं लागू होंगे।

तीसरा

समाज ने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी व्यवस्थाएं बनाई हैं। उन्हें भी खारिज नहीं किया जा सकता है। हमें समझना होगा कि परिजन ही बच्चे के प्राकृतिक पालक होते हैं। कोई भी व्यवस्था किसी भी कानून के जरिए उनका स्थान नहीं ले सकती है। हर परिस्थिति में समाज को बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहिए और समाज अपनी उस जिम्मेदारी को वहन कर सके, इसके लिए “राज्य” को समाज की मदद करना चाहिए। समाज के स्तर पर पहल इस कार्य निर्देशिका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई ऐसे विषय हैं, जिन पर समुदाय को भी अपनी भूमिका जानने और उस पर कदम उठाने की जरूरत होती है। कानून और योजनाएं बनी हुई हैं, पर उनके क्रियान्वयन के लिए एकजुट समुदाय आधारित पहल भी जरूरी है। हम पाते हैं कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के सन्दर्भ में अपने नियमित व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत होगी।

अतः हमने बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित उन बिंदुओं पर जोर दिया है, जिन पर परिवार–समुदाय में व्यवहार बदलने की जरूरत है। स्वाभाविक है कि व्यवहार में बदलाव के लिए कुछ विषयों पर सही जानकारी देने की भी कोशिश की गयी है।

चौथा

इस पुस्तिका में बच्चों के अधिकारों को केंद्र में रखकर सामुदायिक नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे पहल की जा सकती है, इसके बारे में अलग–अलग स्थानों पर रणनीतिगत सुझाव दिए गए हैं।

मैदानी / प्रायोगिक कार्य का तरीका

- क्षेत्रीय कार्य की शुरुआत करने के लिए हमें कुछ समय इस बात पर विचार करने के लिए लगाना चाहिए कि हम जब अपने समुदाय, गांव या समाज को बेहतर बनाने की बातें करते हैं, तब हमारे सामने कैसे समाज और गांव का चित्र उभरता है, हम अपने परिवेश को किस रूप में देखना चाहते हैं ?
- हम जैसा समाज, गांव और शहर चाहते हैं, उसमें बच्चों की स्थिति कैसी होगी ? क्या उन्हें अपनी बात कहने और अपने हकों की मांग करने का अधिकार होगा ?
- क्या समुदाय और शासन व्यवस्था बच्चों के अधिकारों और जरूरतों के प्रति संवेदनशील और सजग होगी ?
- हम जिस गांव, बस्ती, समुदाय के बारे में विचार कर रहे हैं, वहां सबसे वंचित, शोषित और सबसे उपेक्षित कौन है और क्यों हैं ?
- जरा उन जानकारियों को इकट्ठा करें, जिससे यह पता चले कि वहां किन–किन लोगों के लिए, किस–किस तरह की योजनाएं कार्यक्रम और कानून मौजूद हैं।

मैदानी / प्रायोगिक कार्य के लिए खुद की तैयारी की जांच

- ▶ अपने से यह सवाल पूछिए कि क्या मुझे जानकारी है –
- ▶ समुदाय में सबसे वंचित लोगों के बारे में।
- ▶ उनके वंचितपन के कारणों के बारे में।
- ▶ इसके बारे में पंचायत में किन–किन लोगों के लिए कौन–कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं ?
- ▶ लोगों को कौन–कौन से हक कानूनों के जरिए मिले हुए हैं ?
- ▶ सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति क्या है ?
- ▶ हमने यह तय कर लिया है कि सामुदायिक नेतृत्व की प्रक्रिया से जुड़ने का मतलब है लोगों से, खास तौर पर सबसे वंचित तबके की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाना।
- ▶ क्या हम बच्चों की स्थिति और उनकी जरूरतों के बारे में जानते हैं ?
- ▶ क्या बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, पोषण, सहभागिता और विकास का अधिकार–सेवाएं मिल रही हैं ?
- ▶ क्या अपन उन विभागों और व्यक्तियों के बारे में जानते हैं, जो बच्चों के अधिकारों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं ?

इसके लिए हमें एक तरफ तो जानकारियों को इकट्ठा करना होगा, दूसरी तरफ लोगों को एकजुट करते हुए योजनाओं–कार्यक्रमों–कानून का सही रूप में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

मैदानी आंकलन के लिए कुछ सवालनुमा बिंदु

- क्षेत्रीय कार्य के प्रारंभ में हमें अपने विषय बच्चों के अधिकार, जिसमें विकास, संरक्षण, सहभागिता और उत्तरजीविता के अधिकार शामिल हैं, से संबंधित जानकारी एकत्रित करना होगी जैसे –

- जिस क्षेत्र में हम मैदानी /प्रायोगिक कार्य कर रहे हैं, वहां बच्चों की संख्या कितनी है ?
- कितने बच्चे 5 साल तक की उम्र के हैं और कितने 6 से 14 वर्ष के और कितने कुल 18 वर्ष तक की उम्र के हैं ? यह जानना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के अलग अलग उम्र में जरूरतें और अधिकार भी अलग—अलग होते हैं।
- क्या आंगनवाड़ी केंद्र है और उसका संचालन अच्छे से हो रहा है? वहां कौन—कौन सी सेवाएं मिलती हैं ? क्या सभी बच्चे उसमें दर्ज हैं ? कितने बच्चे कम वजन के हैं और क्यों ?
- क्या स्कूल है ? क्या उसका संचालन अच्छे से हो रहा है ? क्या सभी बच्चे स्कूल जाते हैं ? मध्यान्ह भोजन योजना की स्थिति क्या है?
- किन—किन स्तरों पर बाल संरक्षण समितियां गठित हुई हैं? क्या उनके सदस्यों को समिति और उसके काम के बारे में जानकारी है?
- क्या सभी बच्चे स्कूल जाते हैं?
- ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका नाम स्कूल में दर्ज नहीं है और क्यों ?
- ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई और क्यों ?
- बच्चों से संवाद करना और जानना कि वे क्या करते हैं? उनके साथ व्यक्तियों, परिवार और समुदाय का व्यवहार कैसा होता है?
- उन्हें सबसे अच्छा और प्रिय कौन लगता है और वे किससे दूर रहते हैं या कौन उन्हें अप्रिय लगता है और क्यों ?
- क्या किसी तरह का शोषण या भेदभाव होता है? यह जानने के लिए आपको बच्चों से बहुत करीबी रिश्ता बनाना होगा।
- क्या समुदाय में से कुछ परिवार पलायन पर जाते हैं? यदि हां, तो क्या बच्चे भी पलायन पर जाते हैं ? उनके अनुभव क्या होते हैं ?
- स्कूल में किसी तरह की सजा या दंड मिलता है ?
- क्या उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है या क्या वे स्कूल जाकर खुश होते हैं ? यदि हां तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों?
- क्या गांव/बस्ती/वार्ड से कोई बच्चा (18 साल से कम उम्र का) काम करने के लिए बाहर गया है? यदि हाँ, तो कहाँ और वह क्या कर रहा/रही है ?
- क्या बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं? यदि हाँ, तो किन कामों के लिए?
- क्या बच्चे नशे (तम्बाकू गुटखे, सलोशन, शराब, नशीली दवाओं आदि) का इस्तेमाल करते हैं?
- क्या बच्चियां स्कूल जाती हैं?
- क्या छोटे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी परिवार के अन्य बच्चे निभाते हैं?
- कहीं बच्चे किसी अपराध में तो शामिल नहीं हो रहे हैं ?

- क्या क्षेत्र में कहीं 14 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिका किसी खतरनाक कार्य या व्यवसाय में कार्यरत है, यदि हाँ तो कहाँ हैं व कितने हैं ?
- क्या क्षेत्र में बंधुआ मजदूर प्रथा प्रचलित है और मजदूर इसके जाल में फँसे हैं ? यदि हाँ, तो कहाँ व कितने ? क्या इनमें बच्चे भी शामिल हैं ?

बच्चों की स्थिति का अध्ययन/आंकलन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

- हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी जानकारियों को समूह चर्चा और खुले संवाद के माध्यम से समाज के लोगों के बीच में रखें और वहीं उसका विश्लेषण करें। कोशिश करें कि अपनी जानकारी ज्ञान और पूर्वाग्रहों से यह विश्लेषण प्रभावित न हो।
- क्षेत्रीय कार्य के लिए हमने जो विषय या मुद्दा तय किया है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है और हम उसमें क्या बदलाव लाना चाहते हैं ? हम अपनी प्रक्रिया कैसे चलाएंगे, यह अपनी डायरी में लिख लें।
- क्षेत्रीय कार्य के अंत में आपको यह जांचना है कि जब हमने शुरुआत की थी, तब क्या स्थिति थी और हमारी पहल के बाद हमने स्थितियों को कैसे और कितना बदला ?
- अपने काम, अनुभवों, समाज से बातचीत के दौरान उभर कर आ रहे बिन्दुओं को लगातार लिखते जाना उपयोगी होगा।
- यह जांचें कि हम जिस विषय/मुद्दे पर काम कर रहे हैं। उसका टिकाऊ विकास लक्ष्यों से क्या जुड़ाव है ?
- बच्चों के अधिकारों से जुड़े विभिन्न कानूनों और विभिन्न योजनाओं के संबंध में इस तथ्य की अवश्य जांच करें कि क्या सभी संबंधित व्यक्तियों अथवा हकधारकों को समुचित अधिकार अथवा लाभ प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं ?
- **कुछ तरीके, जिनका उपयोग किया जाए –**
 - समुदाय के साथ समूह चर्चा और उसका दस्तावेजीकरण करना।
 - योजना/कानून से संबंधित लोगों/परिवारों से सघन बातचीत।
 - योजना/कार्यक्रम से संबंधित स्थानों/दफतरों का भ्रमण और अवलोकन।
 - तथ्यों और जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए प्रश्नावली।
 - उपलब्ध हो रही जानकारियों/तथ्यों को ज्यों का त्यों लिखना।
 - उपलब्ध जानकारियों की पुनः जांच।
 - ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत या संबंधित विभाग से अपने विषय /गांव से संबंधित जानकारियों हासिल करना।
 - सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाना।
 - समुदाय के आवेदन बनवाना, लगवाना और फॉलोअप में उनकी मदद करना।

इस कार्यपुस्तिका में तीन भाग हैं। जब आप अपने मैदानी कार्य की योजना बनाएंगे, तब यह ध्यान रखिएगा कि आपका कार्य कौन से भाग से सम्बंधित है? इसके हिसाब से ही अपने कार्य की रूपरेखा और रिपोर्ट की तैयारी कीजिएगा।

सतत विकास लक्ष्य और बच्चों के अधिकार

यह उल्लेखनीय है कि दुनिया के स्तर पर वर्ष 2016 से सतत विकास लक्ष्यों (सर्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स—SDG) को मान्यता दी गयी है। इन विकास लक्ष्यों की कुल संख्या सत्रह है। इनमें से कुछ बच्चों और महिलाओं के जीवन पर सीधे असर डालते हैं। हम मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की मंशा के साथ जोड़ कर देखते हैं। समुदाय के स्तर पर और हमारे आसपास बच्चों की स्थिति को सुधारे बिना वैशिक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें सामुदायिक नेतृत्व की भूमिका को उस व्यापक सोच के साथ महसूस करने की जरूरत है, जो बच्चों से जुड़ाव रखते हैं, यहां वह बिंदु प्रस्तुत हैं—

लक्ष्य एक — पूरे विश्व से हर तरह की गरीबी की समाप्ति, चाहे वह किसी भी रूप में हो।

- वर्ष 2030 तक, हर जगह पर और सभी लोगों की गरीबी को खत्म करना। वर्तमान में इसे \$1.25¹ प्रतिदिन पर गुजारा करने वाले वालों के संदर्भ में आंका जाता है।
- राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुरूप गरीबी के सभी आयामों के मद्देनजर सभी आयु—वर्ग के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में व्याप्त गरीबी को वर्ष 2030 तक कम से कम आधा कर लेना।

लक्ष्य दो — भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलना।

- वर्ष 2030 तक, भूख की समाप्ति करना। साथ ही सभी लोगों, विशेषतः गरीब और कठिन (संवेदनशील) परिस्थितियों में रह रहे लोग, जिनमें शिशु शामिल हैं, की सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच पूरे वर्ष भर सुनिश्चित रहे।
- वर्ष 2030 तक, सभी तरह का कुपोषण खत्म करना। इसी क्रम में वर्ष 2025 तक 5 वर्ष आयु तक के बच्चों में नाटापन और दुर्बलता के कुपोषण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करना एवं किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं व बुजुर्ग लोगों की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

लक्ष्य तीन — सभी आयु के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और उनके स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना।

वर्ष 2030 तक, नवजात शिशुओं और 5 वर्ष आयु से कम के बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतों को विराम देना। सभी देश यह लक्ष्य रखेंगे कि नवजात शिशु मृत्यु दर कम से कम 12 प्रति 1000 जीवित जन्म तथा 5 वर्ष आयु से पूर्व बाल मृत्यु दर 25 प्रति 1000 जीवित जन्म के निचले स्तर पर आ जाए।

लक्ष्य चार — भूख समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता—युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सभी को जीवन भर सीखने के अवसर सुलभ करना।

¹ रुपये 60 प्रति डॉलर के मान से दैनिक आय रुपये 75/- प्रतिदिन

- वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी बालिकाएं और बालक निःशुल्क, न्यायसंगत तथा गुणवत्ता—युक्त प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पूरी कर सकें ताकि वे सार्थक और प्रभावी सीख हासिल कर सकें।
- वर्ष 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि गुणवत्ता—युक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल तथा पूर्व—प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सभी बालिकाओं और बालकों को उपलब्ध हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें।

लक्ष्य पांच — लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त करना।

- हर जगह पर सभी महिलाओं और बालिकाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त करना।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा, मानव—तस्करी, यौन तथा अन्य प्रकार के शोषणों को दूर करना।
- सभी प्रकार की अहितकारी प्रथाएं जैसे बाल विवाह, समय—पूर्व एवं जबरन विवाह, महिलाओं के खतने के व्यवहार को खत्म करना।

लक्ष्य आठ — सभी के लिए निरंतर, समावेशी, तथा सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त करना।

- बेगारी, आधुनिक गुलामी एवं मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए तात्कालिक एवं प्रभावी उपाय करना। बाल—श्रम को उसके सभी रूपों में वर्ष 2025 तक पूरी तरह प्रतिबंधित और समाप्त करना, बच्चों की बाल—सैनिक भरती और उनके इस्तेमाल सहित।

लक्ष्य ग्यारह —ऐसे शहर और मानव—बस्तियां बनाना जो समावेशी, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ हों।

- खासतौर पर महिलाओं, बच्चों, अशक्त लोगों और वृद्धजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार द्वारा, वर्ष 2030 तक, सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती, सुगम और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की पहुंच उपलब्ध कराना एवं सड़क सुरक्षा में सुधार लाना।
- वर्ष 2030 तक सभी के लिए, विशेषतः महिलाओं और बच्चों, वृद्धजनों तथा अशक्त लोगों के लिए सुरक्षित, समावेशी और पहुंच—योग्य हरित एवं सार्वजनिक खुले स्थलों की सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना।

लक्ष्य सोलह — सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाएं बनाना।

- हर तरह की हिंसा और संबंधित मृत्यु दर में सर्वत्र भारी कमी लाना।
- बच्चों के प्रति दुराचार, उनका शोषण, तस्करी, हिंसा और उत्पीड़न समाप्त करना।

मैदानी/प्रायोगिक कार्य की रिपोर्ट का स्वरूप

आपको अपने प्रायोगिक कार्य के तहत अंत में एक लिखित रूप में एक दस्तावेज जमा करना होगा। इसके लिए आप अभी ही तय कीजिए कि आप किस विषय/योजना/कानून अपर मैदानी कार्य करने वाले हैं? इसमें आपको निम्न बिंदुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी देना होगी?

बिंदु	अपेक्षा	शब्द संख्या	आपका उत्तर और विश्लेषण
मकसद	हमने जिस विषय/मुद्दे पर प्रायोगिक/जमीनी काम किया, वह विषय हमने क्यों और कैसे चुना? क्या हम बच्चों के विकास और संरक्षण की जरूरत के बारे में स्पष्ट सन्देश दे पाए?	200 शब्दों में	
परिस्थिति का आंकलन	जिस विषय/मुद्दे पर हमने प्रायोगिक/जमीनी काम किया, उस विषय की स्थिति काम की शुरूआत में क्या थी यानी परिस्थिति क्या थी? हमने परिस्थिति का आंकलन कैसे किया? यह देखिए कि बच्चों के सामने कौन-कौन से चुनौतियां हैं?	500 शब्दों में	
समुदाय की भूमिका और नेतृत्व	हमने जो काम किया उसमें समुदाय/उस विषय से प्रभावित लोगों की क्या भूमिका थी? क्या आपको लगता है कि समुदाय इस विषय से जुड़ पाया और इसमें नेतृत्व लिया? क्या बच्चों की सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, खेल के अधिकारों और बच्चों से जुड़ी योजनाओं—कानूनों के बारे में अब लगातार बातचीत होने लगी है?	500 शब्दों में	
प्रक्रिया	हमने जो प्रायोगिक/मैदानी काम किया, उसकी प्रक्रिया क्या थी? पंचायत से चर्चा, आवेदन, बैठक, सवाद, जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधियों से मिलना, समुदाय के साथ बैठकें, लिखा—पढ़ी आदि काम कब, क्यों और किस तरह से किए गए? और इन्हें करने की जरूरत क्यों पड़ी? यह जरूरी नहीं है कि बच्चों	1000 शब्दों में	

की स्थिति या अधिकारों के बारे में केवल
बच्चों या उनके परिजनों से ही संवाद
हो, हमें यह सुनिश्चित करना है कि
स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों, बच्चों,
युवाओं, महिला समूहों और बुनियादी
सेवाएं प्रदान करने वाले मैदानी
कार्यकर्ताओं से भी इसके बारे में खूब
बातचीत—चर्चा हो।

तैयारियां	इस प्रायोगिक / मैदानी कार्य को करने के लिए हमने क्या—क्या तैयारियां की थीं ? मसलन जानकारियां इकट्ठा करना, समूह बनाने के लिए लोगों की पहचान करना, सहयोगियों की पहचान करना आदि ।	500 शब्द
साझेदारी	इस काम में हमें किन व्यक्तियों ने— किस 200 शब्दों में तरह का सहयोग किया?	
चुनौतियां	इस काम में हमारे सामने किस तरह की चुनौतियां आईं और हमने उनका सामना कैसे किया ?	200 शब्दों में
बदलाव / प्रभाव	इस काम को करने से क्या बदलाव आया, क्या स्थिति में कोई सुधार हुआ ? यह जरूरी है कि आपकी व्याख्या में आपकी भूमिका और क्या बदलाव हुआ, वह स्पष्ट रूप से नजर आए।	500 शब्दों में
सीखें	इस काम के करने से हमने क्या सीखा ?	200 शब्दों में
संख्यात्मक स्थिति	हमने जो प्रायोगिक / मैदानी कार्य किया, उससे कितने लोगों / परिवारों को लाभ हुआ और किस तरह का लाभ हुआ ?	200 शब्दों में
कोई और बात, जो आप साझा करना चाहते हों		

बच्चों के नजरिए से भारत का संविधान

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान के अनुसार देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक सार्वभौमिक राष्ट्र का निर्माण जिसमें स्वतंत्रता, न्याय और बराबरी सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के हो। संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत पारित किए गए कई निर्णयों में बच्चों की सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा अधिकारों को विस्तार से बताया तथा स्थापित किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) में वर्ष 6 से 14 तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, इसी अनुच्छेद के परिपालन हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम को बनाया गया। (अनुच्छेद 24) 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के खतरनाक कामों में रखने से रोकता है।

अनुच्छेद 39 (इ) किसी भी व्यक्ति (बच्चे भी) को ऐसे किसी भी काम को जबरदस्ती करने (जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो) को रोकता है। अनुच्छेद 39 (एफ) हर बच्चे की स्वस्थ तथा अनुकूल वातावरण में परवरिश पर जोर देता है, साथ ही बच्चों की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा की रक्षा को भी प्राथमिकता देता है, साथ ही उसके शोषण का विरोध करता है।

इसके साथ ही सभी बच्चों को भारत के प्रत्येक नागरिक की तरह ही समानता का अधिकार, भेदभाव के विरोध में अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 15 (3) सरकार को बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और विकास आदि के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के इन अनुच्छेदों के विवरण से यह स्पष्ट है कि संविधान की मंशा बच्चों के हित एवं सर्वांगीण विकास की है, जिसे चरितार्थ करना सरकार एवं समाज का दायित्व है।

संविधान क्या है ?

हमारा देश किन सिद्धांतों का पालन करेगा ? हमारे यहां शासन व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत क्या होंगे ? हमारी व्यवस्था में कौन-कौन से हिस्से होंगे ? उनकी जिम्मेदारियां और दायित्व क्या होंगे ? यदि कहीं कोई सुधार की जरूरत है, तो वे सुधार कैसे किए जाएंगे ? इन सब बातों का उल्लेख एक किताब में है। उसी किताब को संविधान कहते हैं।

दूसरे अर्थों में संविधान एक अच्छी व्यवस्था को बनाने के लिए तय किए गए सिद्धांतों, नियमों, काम करने की प्रक्रिया, दायित्वों और अधिकारों को परिभाषित करने वाली किताब है। जिसका पालन करना हमारे समाज और सरकार दोनों के लिए जरूरी है।

भारत के संविधान की उद्देशिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें उन मूल्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें स्थापित करने के लिए संविधान बनाया गया है।

कैसा समाज बनाना चाहते हैं हम ? हमारे संविधान की किताब में सबसे पहले यही शब्द लिखे हुए हैं

—

“हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण
प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की
स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई।
को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

संयुक्त राष्ट्र का बच्चों के अधिकार का घोषणा पत्र

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सम्मेलन 1991 का सहभागी है। इसमें बच्चों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास के घोषणा पत्र को ग्राह्य किया है। भारत बच्चों के अधिकारों का घोषणापत्र कन्वेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992 का भी सदस्य है। इस घोषणापत्र के अनुसार समस्त हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों को बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र का यह अधिवेशन सम्बंधित राष्ट्रों के लिए एक बंधनकारी अधिवेशन है। बच्चों के अधिकारों को इसमें समग्रता से समाहित करते हुए, कई विशिष्ट दिशानिर्देश दिए गए थे।

हमें यह ध्यान रखना होगा कि बच्चों के लिए हर कानून नए रूप में शायद नहीं बनेगा, लेकिन जो भी कानून बने हुए हैं और लागू हैं, हमें उन सबमें बच्चों के पक्ष और उनके हितों को देखना—समझना होगा।

इस अधिवेशन के मुख्यतः चार सिद्धांत हैं: जीवन का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, भागीदारी का अधिकार।

साथ ही घोषणापत्र बच्चों की सुरक्षा तथा विकास एवं अधिकारों के लिए राष्ट्र द्वारा विशिष्ट कानूनों के निर्माण को भी महत्व देता है। इस घोषणा पत्र का हस्ताक्षरी होने के नाते भारत में भी इसके परिपालन हेतु कई कानून एवं दिशा निर्देश बनाए गए हैं।

बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए परामर्शी पत्र निम्नलिखित हैं:—

- दिनांक 14.07.2010 को जारी बच्चों के अपराध से संबंधित परामर्शी पत्र।
- दिनांक 04.01.2012 को जारी बच्चों के प्रति विभिन्न अपराधों की रोकथाम और उनका मुकाबला करने से संबंधित परामर्शी पत्र।
- लापता बच्चे—बच्चों की तस्करी पर अंकुश लगाने तथा बच्चों का पता लगाने के लिए आवश्यक उपाय विषयक परामर्शी पत्र दिनांक 31.01.2012 और 29.10.2012 को जारी किए गए।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2013 से संबंधित परामर्शी पत्र दिनांक 28.05.2013 को जारी किया गया।
- लापता बच्चों के मामलों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर आधारित परामर्शी पत्र दिनांक 25.06.2013 को जारी किया गया।

ये परामर्शी पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट http://www-mha-nic-in/national_adv पर उपलब्ध हैं।

बच्चों के प्रति अपराधों से संबंधित कई अन्य विशिष्ट विधान और योजनाएं यह हैं –

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
2. समेकित बाल संरक्षण योजना
3. अनैतिक मानव दुर्योगापार कानून
4. सूचना प्रौद्योगिकी कानून
5. चाइल्ड लाइन (1098)
6. बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
7. बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
8. लाडो अभियान
9. बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016
10. बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
11. भारतीय दंड संहिता 1860 और बच्चों का संरक्षण का अधिकार
12. बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिनियम (पॉस्को)
13. गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
14. लाडली लक्ष्मी योजना
15. सुरक्षित पर्यटन के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक आचरण संहिता

उल्लिखित विधानों में बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित सभी पहलू भी व्यापक रूप से शामिल हैं।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व)

सतत् विकास लक्ष्य पर केंद्रित मैदानी / प्रायोगिक
कार्य

बच्चों के संरक्षण का अधिकार
कानून और योजनाएं

भाग दो – बच्चों के संरक्षण से सम्बंधित कानून और योजनाएं

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

समेकित बाल संरक्षण योजना

अनैतिक मानव दुर्योगापार कानून

सूचना प्रौद्योगिकी कानून

चाइल्ड लाइन (1098)

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

बाल—विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

लाडो अभियान

बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

कारखाना अधिनियम, 1948

भारतीय दंड संहिता 1860 और बच्चों का संरक्षण का अधिकार

बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिनियम ()

गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

लाड़ली लक्ष्मी योजना

सुरक्षित पर्यटन के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक आचरण सहिंता

मैदानी / प्रायोगिक कार्य की रिपोर्ट

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण)

अधिनियम, 2015

विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों को संरक्षण की जरूरत होती है। इसके साथ ही विपरीत परिस्थितियों में फंसकर बच्चे गैर—कानूनी काम भी करने लगते हैं। जब ऐसे मामले सामने आते हैं, तब सवाल यह उठता है कि क्या उनके साथ कानून और कानूनी व्यवस्था को ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि वयस्कों के साथ किया जाता है या फिर बच्चों के साथ व्यवहार बदलना चाहिए। क्या उन्हें भी वही सजा मिलेगी, जैसी वयस्कों या आदतन अपराधियों को मिलती है ? इन सवालों का कानूनी जवाब हमें किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (2000 और 2015) में मिलता है।

- बच्चों के साथ अपराध होते हैं, उनका शोषण भी होता है।
- बच्चे किन्हीं परिस्थितियों में कानून विरोधी काम कर सकते हैं।
- बच्चे असंरक्षित होते हैं और आशंका होती है कि उनका शोषण हो।
- बच्चे ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, जहां वे अधिकारों से वंचित होते हैं।

इन बच्चों के लिए जो कानूनी व्यवस्था है, उसकी चर्चा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 पर आधारित इस मैदानी कार्यपुस्तिका में है।

1. कानून – मकसद और सिद्धांत

बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए सन् 2000 में यह कानून लाया गया था, जिसमें वर्ष 2015 में संशोधन किए गए और नया किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 अस्तित्व में आया।

ये कानून संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाल अधिकार घोषणा पत्र—1989 के परिपालन एवं उसके अनुशासित मानकों को ध्यान में रख कर लाया गया। इसका मकसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 39 (ई) तथा (एफ), 45 एवं 47 में वर्णित उद्देश्यों का परिपालन करना भी है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा तथा ऐसे बच्चे जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उनका पुनर्वास एवं संरक्षण करना रहा है। अधिनियम में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों द्वारा किए गए विधि विरुद्ध कार्यों को वयस्कों द्वारा किए गए अपराधों से भिन्न मानकर, उन्हें संवेदनापूर्वक तरीके से देखा जाए एवं निर्णय भी उसी आधार पर एवं बच्चे के उत्थान हेतु लिए जाएं।

बच्चों की देखरेख और संरक्षण के सिद्धांत

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में कुछ बुनियादी सिद्धांतों (अध्याय 2) का उल्लेख है, जो यह बताते हैं कि बच्चों से सम्बंधित किसी भी परिस्थिति में उन्हें शुरू से अपराधी या दोषी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बच्चों के साथ हमेशा यह संभावना है कि उन्हें स्थाई रूप से अपराधी बनने से बचाया जा सकता है और वे बेहतर नागरिक हो सकते हैं। इस कानून का मकसद

बच्चों को सजा देना नहीं बल्कि देखरेख और संरक्षण के लिए व्यवस्था बना कर उन्हें सकारात्मक दिशा देना है। ये हैं सिद्धांत –

1. **निर्दोषिता की उपधारणा** का सिद्धांत यानी 18 साल तक के व्यक्ति, जिसे यह कानून बच्चा मानता है, को असद्भावनापूर्ण या आपराधिक आशय का दोषी नहीं माना जाएगा।
2. **गरिमा और योग्यता का सिद्धांत** यानी सभी मनुष्यों के साथ गरिमा और अधिकारों में समान बर्ताव किया जाना चाहिए।
3. **भाग लेने (सहभागिता)** का सिद्धांत यानी हर बच्चे को अपनी बात कहने और उसके सुने जाने का, उसके हितों को प्रभावित करने वाली हर प्रक्रिया और निर्णयों में सहभागी होने का अधिकार है।
4. **सर्वोत्तम हित का सिद्धांत** यानी बच्चों से सम्बंधित हर प्रक्रिया इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कि वह प्रक्रिया बच्चों के सबसे ज्यादा हित में है और बेहतरी के लिए है।
5. **कौटुम्बिक जिम्मेदारी का सिद्धांत** यानी बच्चे की देखरेख, उसके पोषण, और उसकी सुरक्षा की सबसे पहली जिम्मेदारी उसके जैविक परिजनों–परिवार की है। इसके अलावा यह जिम्मेदारी उन पालकों की है, जिन्होंने उसे गोद लिया है या दत्तक ग्रहण किया है।
6. **सुरक्षा का सिद्धांत** यानी यह सुनिश्चित करना कि बच्चा सुरक्षित रहे। देखरेख और संरक्षण की प्रक्रिया में रहते हुए और उसके बाद भी उसे कोई हानि न पहुंचे, उसके साथ दुर्घटनाकाल न हो और बुरा बर्ताव न किया जाए। सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाएं।
7. **सकारात्मक उपाय का सिद्धांत** यानी बच्चे के कल्याण, बेहतरी, विकास के लिए और उसकी असुरक्षा को कम करने के लिए सभी स्रोतों (परिवार, समुदाय भी शामिल हैं) का उपयोग किया जाएगा। असुरक्षा को कम करने के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाने की कोशिश होगी, जिसमें उनकी सहभागिता बढ़े और वे समर्थ बने।
8. **गैर-कलंकीय शब्दार्थों का सिद्धांत** यानी बच्चों के सम्बन्ध में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो उन्हें अभियोगी बताते हों या उनके प्रतिकूल हों।
9. **अधिकारों का त्याग न किए जाने या छूट न दिए जाने का सिद्धांत** यानी बच्चों के अधिकारों का किसी भी परिस्थिति में अभित्यजन (सीमित) नहीं किया जाएगा।
10. **समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत** यानी किसी भी बच्चे के खिलाफ किसी भी आधार पर (लिंग, जाति, नस्ल, जन्मस्थान, निःशक्तता, या किए गए अपराध के कारण भी) भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर बच्चे को पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता का हक मिलेगा।
11. **एकान्तता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत** यानी हर बच्चे को सभी तरीकों से और पूरी न्यायिक प्रक्रिया में निजता और गोपनीयता की सुरक्षा का अधिकार मिलेगा।

12. संस्थागत संरक्षण का सिद्धांत यानी हर बच्चे को प्रकरण में जांच के बाद विनी किसी देरी के संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा।
13. परिवार, कुटुंब, समुदाय में फिर से मिलने-बसने का अधिकार यानी किशोर न्यायिक प्रक्रिया में हर बच्चे को जल्दी से जल्दी अपने परिवार, कुटुंब से फिर से मिलने और उसी सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक व्यवस्था में फिर से जाने, पुनः बसने का अधिकार है। इस हक को तभी सीमित किया जाएगा, जब तक कि उस माहौल/परिस्थिति में जाने से उसका अहित न होता हो।
14. नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत यानी इस कानून के तहत, कुछ परिस्थितियों को छोड़ कर, बच्चे के प्रकरण से सम्बंधित पिछले सभी कागज, अभिलेख नष्ट कर दिए जाने चाहिए।
15. अपयोजन का सिद्धांत यानी किसी कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे से सम्बंधित कार्यवाहियों को अविलम्ब निपटाया जाना चाहिए। इसके लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए।
16. नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत यानी सभी व्यक्तियों के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष प्रक्रिया के मानकों का (जैसे उचित सुनवाई का अधिकार, निष्पक्षता, समीक्षा आदि) पालन हो।

2. कानून में व्यवस्थाएं

बच्चे की परिभाषा

इस कानून में "बच्चा या किशोर" उसे माना गया है, जिसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है (धारा 2 (12))।

यह कानून तीन सन्दर्भों में बच्चों के अधिकार संरक्षित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है –

- क. जिन बच्चों को देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना।
- ख. जिन बच्चों ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, उसने संबंधित कानूनी कार्यवाही करना। यह कार्यवाही बाल अनुकूल हो।
- ग. जिन बच्चों के समाज में पुनर्वास की जरूरत है, उन्हें समाज से जोड़ना।

बाल विवाह – कानून कहता है कि ऐसे बच्चे जिनकी शादी निर्धारित से कम उम्र में किया जाने (लड़कियों की 18 वर्ष से कम और लड़कों की 21 वर्ष से कम में) का जोखिम हो, और जिसके परिजन या माता-पिता उसके शादी निर्धारित उम्र से पहले करवा रहे हों/करवा सकते हों, उन बच्चों को भी देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा माना जाएगा।

विधि विवादित बच्चों के लिए कानूनी और न्यायिक पहल

धारा 2 (13) के मुताबिक विधि विवादित बच्चे उन्हें माना जाता है, जिन्होंने अपराध के दिन तक 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और उन पर आरोप है कि उन्होंने कोई अपराध किया है या जिन पर कोई अपराध करने का आरोप है।

विधि विवादित (कानून का उल्लंघन करने वाले) बच्चों के लिए प्रक्रिया

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई विधि विरुद्ध कार्य किया हो, इस प्रक्रिया के दायरे में आएंगे। ऐसे बच्चों को पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेने के 24 घंटे के भीतर किशोर न्यायिक बोर्ड (Juvenile Justice Board) के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। तीन सदस्यीय किशोर न्यायिक बोर्ड में 1 प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिन्हें यह कानून प्रधान मजिस्ट्रेट कहता है) तथा 2 सामाजिक कार्यकर्ता (एक महिला आवश्यक) होते हैं।

बच्चों को जमानत पर छोड़कर घर भेजने का प्रावधान भी है, परन्तु अगर जमानत नहीं दी जाती है तो बच्चे को सम्प्रेषण गृह में रखा जाएगा और वहीं उससे परामर्श और आगे की कार्यवाही भी होगी। संप्रेक्षण गृह में अधिकतम 4 माह के लिए रखा जा सकता है।

किशोर न्यायिक बोर्ड द्वारा बच्चे की संरक्षण देखभाल के आदेश दिए जाते हैं। बच्चे से पूछताछ पूरी होने के बाद यदि यह लगता है कि बच्चे के द्वारा कोई गलत कार्य हुआ है जिसे हम विधि का उल्लंघन कह सकते हैं तो उसे विशेष गृह में रखा जाएगा।

देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए कानूनी और न्यायिक पहल

धारा 2 (14) के मुताबिक देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे वे हैं जिनका या जो –

- कोई घर नहीं हो या ऐसी जगह पर रह रहा हो, जहां गुजर-बसर के बुनियादी साधन न हों।
- जो भीख मांगता हो या सड़क पर रहता हो।
- जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहता हो जो उसे नुकसान पहुंचा सकता हो।
- किसी भी प्रकार की असमर्थता के कारण पालक या अन्य कोई, जिसके साथ बच्चा रह रहा हो, वह उसका पालन करने में असमर्थ हो।
- घर से भाग गया हो या गुम गया हो।
- जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा है, जो किसी अन्य बच्चे की हत्या कर चुका हो, शोषण कर चुका हो, उपेक्षा कर चुका हो।
- जिसे उसके पालक या अन्य कोई जिसके साथ बच्चा रह रहा हो, उसने छोड़ दिया हो।
- जिसे सताया या यातना दी जा रही हो या जो नशे की जगह पर हो।
- मानसिक, शारीरिक रूप से अक्षम हो या घातक या असाध्य रूप से ग्रस्त हो।
- किसी हथियारबंद संघर्ष, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक/नागरिक टकराव से प्रभावित/पीड़ित हो।

- जिसके साथ कोई शोषण होने, लैंगिक दुर्व्यवहार या चोट पहुंचाए जाने की आशंका हो। (इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि बच्चे के साथ कोई अपराध हो ही चुका हो, तब ही कानून कोई पहल करेगा। कानून कहता है कि यदि बच्चे के साथ कुछ गलत होने की आशंका है, तब भी कानून पहल करेगा और बच्चे के अधिकार सुनिश्चित करेगा।)
- जिसे उसके माता-पिता-पालक त्याग दिए हों।
- जिसके किसी भी कारण से बेचे जाने या शोषण किए जाने या नशे की लत/नशे से सम्बंधित कृत्य में फंसाए जाने या बच्चे का दुरुपयोग किए जाने की संभावना हो।
- जिसकी कम उम्र में शादी हो रही हो या शादी कर दिए जाने की संभावना हो।

देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए प्रक्रिया

1. देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे इस दायरे में आते हैं। ऐसे बच्चों की जानकारी मिलने के 24 घंटों के भीतर बच्चे को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। सीडब्ल्यूसी में 5 सदस्य होते हैं। जिनमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य (इनमें से एक महिला होना आवश्यक है) होंगे। बाल कल्याण समिति की बैठक सप्ताह में दो या तीन बार बालगृह या सरकार द्वारा नियत किसी स्थान पर होती है।
2. बाल कल्याण समिति खोए बच्चे को उसके परिवार को सौंपने या अन्य किसी उपयुक्त व्यक्ति या संस्था को सौंपने का कार्य करती है।
3. दो साल से कम उम्र के बच्चे को जिसके पालकों की तलाश नहीं हो पा रही है, बाल कल्याण समिति ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। वह उसे कानूनी रूप से गोद देने हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करती है। या किसी ऐसी संस्था को सौंपेगी जो गोद देने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिकृत हो।
4. सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट अनुसार 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जिसके पालक की तलाश हो गयी हो पर वे बच्चे को पालने में असमर्थ हो या बच्चा अपने परिवार में पुनः जाना नहीं चाहता है। ऐसे बच्चे को बाल गृह में रखा जाएगा तथा बाल कल्याण समिति आगे उसके बारे में फैसला करेगी।
5. सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार ऐसे बच्चे जिसके पालक उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, उन्हें बाल गृह में रखा जाएगा और उनके बारे में निर्णय बाल कल्याण समिति लेगी।

ढांचागत व्यवस्थाएं

राज्य बाल संरक्षण समिति – हर राज्य सरकार राज्य के स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति का गठन करेगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई – कानून के धारा 106 के तहत हर जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन किया जाए।

राज्य बाल संरक्षण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई, दोनों ही किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार इकाई हैं। बाल संरक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना, उनका रखरखाव, अन्य संस्थाओं से समन्वय आदि सुनिश्चित करना इनकी मुख्य भूमिकाएं हैं।

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी – धारा 107 के तहत हर पुलिस थाने में कम से कम एक पुलिस अधिकारी (सहायक उप निरीक्षक स्तर का) ऐसा होगा, जो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएगा, जो इस कानून के तहत बच्चों के संरक्षण के मामलों पर तय कार्यवाही करेगा।

विशेष किशोर पुलिस इकाई – राज्य सरकार बच्चों के संरक्षण से सम्बंधित मामलों पर समन्वयित कार्यवाही के लिए हर जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन करेगी। इसकी जिम्मेदारी पुलिस उप-अधीक्षक स्तर के अधिकारी को दी जाएगी। इसमें रेलवे पुलिस भी शामिल है।

प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन होना आवश्यक है। यह आम पुलिस से अलग बच्चों के लिए विशेष रूप से गठित इकाई है, जिसका कर्तव्य बच्चों को सहायता प्रदान करना एवं अधिनियम अनुसार बच्चों को सही जगह पहुँचाना है। इस इकाई को चाइल्डलाइन तथा ऐसी संस्थानों से जो बच्चों के हित में काम करती है, से भी संपर्क स्थापित करना आवश्यक है, ताकि उनकी अधिक से अधिक पहुँच बन पाए।

इसी इकाई के अंतर्गत प्रत्येक थाने में एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का होना भी आवश्यक है, जो इस अधिनियम के तहत आए मामलों में कार्य करेगा और वह विशेष किशोर पुलिस इकाई का सदस्य होगा एवं विधि विवादित बच्चों के किशोर न्यायिक बोर्ड और देखरेख व संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को बाल कल्याण समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। इस इकाई की भूमिका के तहत बच्चों द्वारा किए अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) लिखने की प्रक्रिया से जुड़ना या उन्हें दैनिक रजिस्टर में लिख कर उस पर कार्य करने की प्रक्रिया में शामिल रहना है, मामलों की विशेष जांच कर रिपोर्ट तैयार करना साथ ही देखभाल एवं जरूरतमंद बच्चों की मदद करना है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में कोई भी बच्चा मिले तो विशेष किशोर पुलिस इकाई से भी संपर्क किया जा सकता है।

चाइल्ड लाइन² सेवा – 1098 (टोल फ्री नम्बर) चाइल्डलाइन 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा है उन बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना है। इस हेतु 1098 टोल फ्री नम्बर के रूप में उपलब्ध है। 1098 किसी भी दूरभाष अथवा मोबाइल से मुफ्त डायल किया जा सकता है। वर्तमान में चाइल्डलाइन सेवा भारत के 366 शहरों में कार्यरत है। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसकी मदद ली जा सकती है। इस सेवा का उपयोग विपरीत परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की मदद के लिए किया जा सकता है। बाल विवाह की स्थिति में यानी निर्धारित उम्र से कम में विवाह की स्थिति में भी यह सेवा अपनी भूमिका निभाती है।

² धारा 2 (25) – चाइल्ड लाइन सेवाएं मतलब चौबीस घंटे उपलब्ध ऐसी आपातकालीन पंहुच सेवा, जिसका मकसद विपत्ति में फँसे बच्चों से संपर्क करना है या दीर्घावधि देखरेख और पुनर्वास की व्यवस्था करवाती है।

4. किशोर न्यायिक बोर्ड और बाल कल्याण समिति

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत दो महत्वपूर्ण वैधानिक संस्थाएं बनी हुई हैं। ये हैं किशोर न्यायिक बोर्ड और बाल कल्याण समिति।

किशोर न्यायिक बोर्ड मुख्य रूप से कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों में प्रक्रिया चलाने और कार्यवाही करने के लिए गठित है तो वही दूसरी और बाल कल्याण समिति की जिम्मेदारी है कि वह देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से सम्बंधित मामलों में प्रक्रिया चलाए और बाल केंद्रित कार्यवाही करे।

4. किशोर न्यायिक बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड)

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के मुताबिक राज्य सरकार हर जिले में एक या जरूरत पड़ने पर एक से अधिक किशोर न्यायिक बोर्ड स्थापित करेगी। यह बोर्ड मुख्य रूप से उन बच्चों के मामलों में अपने अधिकार का उपयोग करता है, जिन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है या जो किसी विधि के उल्लंघन के आरोपी हैं।

किशोर न्यायिक बोर्ड में एक महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न हो), जिनके पास तीन साल का अनुभव हो, होते हैं। इनके साथ दो सामाजिक कार्यकर्ता भी इस बोर्ड में होते हैं। बोर्ड के सदस्यों में एक महिला जरूर होना चाहिए।

बोर्ड की मुख्य भूमिकाएं

- क. किसी भी मामले की प्रक्रिया में बच्चे और उसके पालकों को सूचना देना और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना।
- ख. यह तय करना कि हर परिस्थिति में (गिरफ्तारी, जांच, पश्चातवर्ती देखरेख और पुनर्वास) में बच्चे के अधिकारों की रक्षा हो।
- ग. बच्चे को पूरी कानूनी सहायता मिले।
- घ. यदि बच्चे को भाषा समझ न आये, तो अनुवादक या दो भाषा जानने वाले का सहयोग ले।
- ङ. सामाजिक अन्वेषण करवाए।
- च. जरूरत पड़ने पर बाल कल्याण समिति से समन्वय करे।
- छ. यदि देखरेख व संरक्षण वाले बच्चों पर कोई अपराध होता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया चलाना।
- ज. यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को वयस्कों की जेल में न रखा जाए और उन्हें सम्रेक्षण गृह में स्थानांतरित किया जाए।

बाल कल्याण समिति

इसका गठन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 अंतर्गत किया गया है। प्रत्येक राज्य के हर जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। बाल कल्याण समिति का दायित्व देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनर्वास एवं उत्थान के लिए काम करने का है।

इस समिति में 5 लोग होंगे, इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला होना आवश्यक है।

समिति की बैठक सरकार द्वारा नियत किसी स्थान पर होती है। जिसके लिए हम महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर सकते हैं। हर बच्चा जिसे देखभाल की आवश्यकता है, उसे समिति के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

धारा 31 के अनुसार, समिति के समक्ष पुलिस, लोकसेवक, चाइल्डलाइन, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी भारत का सामान्य नागरिक, बच्चों के पक्ष में कार्यरत कोई भी संस्था, डॉक्टर या नर्स या फिर बच्चा स्वयं प्रस्तुत हो सकता है।

समिति का कार्य बच्चों की मूलभूत जरूरतें पूरी करना एवं बच्चे को संरक्षण के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना है।

समिति की मुख्य भूमिकाएं

- क. उसके सामने पेश किए गए बच्चों का संज्ञान लेना और उन्हें ग्रहण करना।
- ख. बच्चों की सुरक्षा और भलाई से सम्बंधित और उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच करना।
- ग. देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बच्चों की देखरेख करने के लिए योग्य व्यक्ति की घोषणा के लिए जांच करना।
- घ. पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) के लिए किसी बच्चे के स्थनन के लिए निर्देश देना।
- ङ. बच्चों के सही और उचित पुनर्वास और प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करना।
- च. बच्चे की जरूरत और स्थिति के मुताबिक रजिस्ट्रीकृत संस्था का चयन करना।
- छ. जिन आवासों में बच्चे रहते हैं, महीने में कम से कम दो बार वहां का भ्रमण करना।
- ज. खोए हुए या परित्यक्त बच्चों का परिवार में प्रत्यावर्तन करवाना।
- झ. ऐसे अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों को वैधानिक रूप से स्वतंत्र घोषित करना, जो गोद दिए जाने के लिए वैध हैं।
- अ. लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों के पुनर्वास की कार्यवाही करना।
- ट. पुलिस, श्रम विभाग और अभिकरणों के साथ समन्वय।
- ठ. बच्चों को पूरी कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना।
- ड. बच्चों की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट बनवाने की कार्यवाही करना।

5. बच्चों के लिए बनी संस्थाएं या गृह

देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए शिशु गृह : देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के मिलने पर उन बच्चों को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। बाल कल्याण समिति गुमे बच्चों को जांच की प्रक्रिया के बाद उसके परिवार को सौंपने या अन्य किसी उपयुक्त व्यक्ति को सौंपने का कार्य करती है। यदि बच्चा 6 साल से कम उम्र का है तो बाल कल्याण समिति ऐसे बच्चे को शिशु गृह में रख उसके अभिभावकों की तलाश करती है। पालक के मिलने पर जांच के बाद बच्चे को उन्हे सौंप दिया जाता है। यदि पालक नहीं मिलते हैं तो बाल कल्याण समिति उस बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया का पालन करती है।

देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए बाल गृह : सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, जिसके पालक की तलाश हो गई हो पर वे किन्हीं कारणों से बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं, बच्चे के पालक का पता नहीं चल पा रहा है या फिर बच्चा अपने घर नहीं जाना चाहता है। ऐसी हालत में बच्चे को बाल कल्याण समिति बाल गृह में रखकर उसकी सारी मूलभूत जरूरतों को पूरा करती है। यहां पर यह बच्चा 18 वर्ष की उम्र तक रहेगा।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के लिए संप्रेक्षण गृह : जिन बच्चों ने किसी कानून का उल्लंघन किया है, ऐसे बच्चे को किशोर न्यायिक बोर्ड अस्थायी रूप से तब तक संप्रेक्षण गृह में रखेगा, जब तक कि उस बच्चे से संबंधित कोई जांच लंबित रहती है या फिर उसकी जमानत नहीं हो जाती।

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के लिए विशेष गृह : जांच के दौरान यह सिद्ध होता है कि बच्चे से कोई ऐसी गलती हुई है जो कानून के विरुद्ध है उन हालातों में किशोर न्यायिक बोर्ड के आदेश पर बच्चे को देखरेख, उपचार एवं पुनर्वास के लिए विशेष गृह भेज दिया जाएगा।

देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए पश्चातवर्ती गृह : विशेष गृह और बाल गृह में रह रहे बच्चों के इन गृहों के छोड़ने या बच्चे की उम्र 18 साल हो जाने पर यदि कोई परिवार लेने नहीं आता है तो ऐसे बच्चों की देखरेख के लिए पश्चातवर्ती गृह भेज दिया जाता है। यहां पर बच्चों को सशक्त बनाने और संस्थागत जीवन से समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रशिक्षण एवं परामर्श दिया जाता है।

खुला आश्रय : इस कानून की धारा 43 के अंतर्गत राज्य सरकार खुद या फिर स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से खुले आश्रय स्थापित कर सकती है। इन आश्रयों में ऐसे जरूरतमंद बच्चों को अल्पकालिक समय के लिए रखा जाएगा, जिन्हें आश्रय या आवास की जरूरत है। ये आश्रय मुख्य रूप से समुदाय आधारित पद्धति से संचालित होंगे। जिन बच्चों के साथ दुर्घटनाकालीन स्थिति में जोड़ दिया गया है या जो बाल आहार/पोषण-भोजन से वंचित हैं।

मानवीय मूल्य और कानून, दोनों यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी स्थिति में बच्चों को गृहों-संस्थाओं में प्रताड़ित, अपमानित नहीं किया जाएगा।

6. बच्चे और पुलिस

पुलिस की भूमिका

सन्दर्भ – विधि का उल्लंघन करने वाले
बच्चे

सन्दर्भ – देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत
वाले बच्चे

किसी भी स्थिति में यह आवश्यक है कि पुलिस बच्चे के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाए रखें। ऐसे किसी भी अपराध में जिसमें वयस्कों के लिए 7 वर्ष से अधिक की सजा है, में ही पुलिस कार्यवाही कर सकती है उससे छोटे अपराध में नहीं।

भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 7 वर्ष से कम हो पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

किसी भी पुलिस द्वारा अगर बच्चे को अभिरक्षा में लिया जाता है तो उसे तुरंत विशेष किशोर पुलिस इकाई या इस काम के लिए पदस्थ विशेष पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करना आवश्यक है, साथ ही उसके पालक को इसकी खबर देना भी। उसके बाद बच्चे पर लगे आरोपों को आसान भाषा में बच्चे को समझाना आवश्यक है। सम्बंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचना देना भी आवश्यक है ताकि वह बच्चे की संपूर्ण पृष्ठभूमि जानकर जरूरी तथ्य जुगाड़ सके, इसमें बच्चे को किसी भी प्रकार की यातना देना मना है।

यह भी आवश्यक है कि पुलिस सादे कपड़ों में रहे, बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाए और अगर बच्चा किसी को फोन कर जानकारी देना चाहे तो उसे देने दें। साथ ही बच्चे के इलाज एवं भोजन की उचित व्यवस्था भी करें।

किसी लड़की को रात में पुलिस इकाई में नहीं रख सकती और अगर ऐसी जरूरत हो तो उसे एक महिला पुलिस के साथ रखा जाए।

ऐसे किसी भी बच्चे को जिसे पुलिस ने कहीं से छुड़वाया हो या वह कहीं से पुलिस के पास आया हो, उसे आगे की कार्यवाही के लिए विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी को सौंपना आवश्यक है।

अगर बाल कल्याण समिति की बैठक नहीं हो रही हो तो बच्चे को थाने में नहीं रखकर आश्रय गृह में रखना होगा या विशेष किशोर पुलिस इकाई व चाइल्डलाइन से संपर्क कर मदद लेनी होगी।

जब तक बच्चा विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी के पास है, तब तक उसके भोजन तथा मूलभूत सुविधाओं आदि जरूरतों की जवाबदारी उस अधिकारी की है।

किसी ऐसे बच्चे, जिसे छोड़ दिया गया हो, को विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करनी होगी।

बुनियादी काम होने के बाद विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार कर उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बाल कल्याण समिति द्वारा आगे निर्णय लिया जाएगा।

केवल गंभीर प्रकृति के अपराधों में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो सकेगी, मतलब ऐसे मामले जिनमें वयस्कों के लिए 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है। अन्य मामलों में सिर्फ दैनिक डायरी में जानकारी दर्ज किया जाएगा।

7. विधि विवादित बच्चों के लिए व्यवस्था – कानूनी व्यवस्थाएं

किसी भी विधि विवादित बच्चे यानी ऐसा बच्चा जिसने किसी कानून का उल्लंघन किया है या कानून विरोधी काम किया है, उसे अभिरक्षा में लिए जाने के 24 घंटे के भीतर किशोर न्यायिक बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

बाल केंद्रित नजरिए से न्याय की प्रक्रिया चले, इसके लिए सबसे पहले बोर्ड यह जानकारी लेकर संतुष्टि सुनिश्चित करेगा कि बच्चे के साथ पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया है। यदि ऐसा हुआ है, तो बोर्ड इस पर सुनिश्चित कार्यवाही करेगा।

सुनवाई की प्रक्रिया एक सहज वातावरण में संचालित होगी।

हर बच्चे, जिसके खिलाफ सुनवाई हो रही है, को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही जांच की प्रक्रिया में उसकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

छोटे अपराधों की स्थिति में

धारा 14 (5) के तहत छोटे अपराधों की स्थिति में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत प्रक्रिया चला कर किशोर न्यायिक बोर्ड विधि सम्मत और बाल अनुकूल निर्णय ले सकता है।

जघन्य अपराध की स्थिति में

जघन्य अपराध उसे माना गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य प्रचलित कानून में कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है।

ऐसे अपराध की स्थिति में यदि बच्चे की उम्र 16 साल से कम है, तब उसके बारे में पूरी प्रक्रिया चलाने और निर्णय लेने का अधिकार किशोर न्यायिक बोर्ड को दिया गया है।

धारा 15 के तहत यदि किसी जघन्य अपराध की स्थिति में विधि विवादित बच्चे यानी कानून तोड़ने वाले बच्चे की उम्र 16 से ज्यादा किन्तु 18 साल से कम है, तब किशोर न्यायिक बोर्ड बच्चे की ऐसा अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता को मापने के लिए एक प्राथमिक मूल्यांकन करेगा। इस मूल्यांकन में यह भी जांचने की कोशिश की जाएगी कि क्या बच्चा उस अपराध के परिणामों को समझा पा रहा था या नहीं, साथ ही उन परिस्थितियों को भी जांचा जाएगा, जिनमें वह अपराध किया गया। इस मूल्यांकन के लिए बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद ले सकता है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस प्राथमिक मूल्यांकन का मतलब जांच-परीक्षण नहीं है। यह मूल्यांकन 3 माह की अवधि में पूरा हो जाना चाहिए।

यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट होता है कि मौजूदा परिस्थितियों और मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर प्रकरण का निराकरण उसे ही (बोर्ड को) करना चाहिए, तब आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया चला सकता है।

जघन्य अपराध की स्थिति में किशोर न्यायिक बोर्ड के द्वारा कराए गए प्राथमिक मूल्यांकन की रिपोर्ट आने के बाद विशेष बाल अदालत (जिसे नियुक्त किए जाने का प्रावधान बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून, 2005 या यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 में किया गया है। यदि इन्हें नियुक्त नहीं किया गया है तो सत्र न्यायालयों को इस कानून के तहत परीक्षण करने का अधिकार है।) उस प्रकरण में भूमिका निभाएगी। बाल अदालत यह देखेगी कि क्या उस बच्चे के प्रकरण में उस तरह के "परीक्षण" की जरूरत है, जिस तरह का परीक्षण वयस्कों के द्वारा किए गए अपराध की स्थिति में किया जाता है तब अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत बाल अनुकूल माहौल में परीक्षण के उपरान्त आदेश पारित करेगी।

यदि अदालत को यह महसूस होता है कि उस प्रकरण में वयस्कों की तरह परीक्षण की जरूरत नहीं है और किशोर न्यायिक बोर्ड ही जांच के लिए उपयुक्त है, तब वह जरूरत के मुताबिक आदेश पारित करेगी।

यदि अदालत में बच्चे के प्रकरण का परीक्षण होता है, तब अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि उसके आदेश में बच्चे के व्यक्तिगत पुनर्वास की कार्ययोजना भी शामिल हो। जिसकी निगरानी जिला बाल संरक्षण इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया और आदेश के उपरान्त बच्चे की सुरक्षा और बेहतर माहौल देने की व्यवस्था की जाएगी।

किसी भी स्थिति में बच्चे के प्रकरण में अदालती प्रक्रिया किसी वयस्क के साथ संचालित नहीं होगी।

सजा – किसी भी बच्चे को किसी भी अपराध के लिए मृत्यु दंड और आजीवन कारवास की सजा नहीं दी जा सकती है।

कौन सुनवाई करेगा ?

1. ऐसे अपराध में, जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, वहां अपराध को संज्ञेय, गैर-जमानती और बाल अदालत (किशोर न्यायालय) द्वारा परीक्षण योग्य माना जाएगा।
2. ऐसे अपराध जिनमें 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, वहां अपराध को संज्ञेय, गैर-जमानती और प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी द्वारा परीक्षण योग्य माना जाएगा।
3. ऐसे अपराध जिनमें 3 साल से कम की सजा या आर्थिक दंड का प्रावधान है वहां अपराध को असंज्ञेय, जमानत योग्य और किसी भी दंडाधिकारी द्वारा परीक्षण योग्य माना जाएगा।

ध्यान में रखने के लिए कुछ बिंदु

1. हिरासत में लेने की शक्ति का उपयोग केवल ऐसे अपराधों में ही किया जाएगा, जिनमें वयस्कों के अपराधी होने पर सात वर्ष से ज्यादा के कारावास का प्रावधान होता है, या जिन्हें जघन्य

अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यानी ऐसे प्रकरण, जिनमें सात वर्ष तक या इससे कम सजा के प्रावधान हैं, जहाँ हिरासत में लिए जाने की जरूरत नहीं होती, वहाँ विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उस विषय से सम्बन्धी जानकारियों को किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष भेज देगा।

2. यदि कहीं कोई बच्चे के विधि विवादित होने का कोई मामला आता है, तो बाल कल्याण अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई उस बच्चे के माता-पिता/पालकों को तत्काल सूचित करेगी। जब विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण अधिकारी बच्चे को हिरासत में लिए जाने के चौबीस घंटे के भीतर किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा, तब किसी मान्यता प्राप्त या पंजीकृत संस्था का कोई सामाजिक या बाल कल्याण कार्यकर्ता बाल कल्याण अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई के साथ उपस्थित होगा।
3. किसी भी बच्चे को जेल या लॉक-अप में या वयस्कों के साथ लॉक-अप में नहीं रखा जाएगा।
4. उसे किसी चैन, रस्सी, हथकड़ी या बंधन से नहीं बांधा जाएगा।
5. बच्चे को अपराध करना स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
6. उसके साथ बातचीत या साक्षात्कार विशेष किशोर पुलिस इकाई में ही या ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जो बच्चे को पुलिस थाने में होने का अहसास न करवाएं।
7. यदि किसी बच्चे को हिरासत में लिए जाता है तो तत्काल जिला विधिक सहायता प्राधिकरण को सूचना दी जाना चाहिए ताकि उसे पूरी कानूनी सहायता मिल सके।
8. हर पुलिस थाने में एक सूची प्रदर्शित होना चाहिए, जिसमें बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, पैरा-लीगल कार्यकर्ता, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण, पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं, मुख्य दंडाधिकारी और किशोर न्यायिक बोर्ड के सदस्यों, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के नाम और उनके संपर्क सूत्रों की जानकारी दर्ज हो।

8. देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए व्यवस्था – कानूनी व्यवस्थाएं

(बच्चों के खिलाफ होने वाले कुछ अन्य अपराध और कानूनी प्रावधान)

नियोक्ता द्वारा शोषण – यदि किसी बच्चे को काम करवाने के लिए बंधुआ के रूप में रखा जाता है और उसका पारिश्रमिक या वेतन नियोक्ता द्वारा अपने पास रखा जाता है या नियोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है, उस स्थिति में शोषण करने वाले व्यक्ति को 5 साल तक की जेल और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

देखरेखकर्ता द्वारा शोषण – यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो बच्चे को अपने नियंत्रण में रखता है, उसके द्वारा उस बच्चे के साथ किसी भी तरह का शोषण किया जाता है, जिससे उसकी शारीरिक-मानसिक

प्रताड़ना होती है, उस व्यवहार को अपराध माना गया है। ऐसे मामलों में 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यदि ऐसे में बच्चे के साथ इतना गंभीर शोषण हो कि उसकी कोई क्षमता खो जाए, तब 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

भीख मंगवाना – यदि कोई किसी बच्चे को भीख मंगवाने के लिए रखता है, तब 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि भीख मंगवाने के लिए बच्चे का अंग काट दिया जाता है या विकलांग बना दिया जाता है, तब 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

बच्चे को नशा देना – यदि कोई किसी बच्चे को नशा (शराब, तम्बाकू नशीले पदार्थ या नशीली दवाएं) देता है या दिलवाता है या बिना चिकित्सक के मार्गदर्शन में मानसिक अवस्था के प्रभावित करने वाली दवाएं देता है, उस स्थिति में 7 साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

नशीले पदार्थों, शराब आदि की तस्करी–परिवहन के लिए बच्चों का इस्तेमाल – यदि नशीले सामान की तस्करी के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, तब सात साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

बच्चों की पहचान का गोपनीय रहना – कोई भी अखबार, मीडिया, पत्रिका, दृश्य–शृंखला माध्यम या संचार के किसी भी साधन के जरिए किसी भी ऐसे बच्चे की पहचान या जांच की प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं की जाएगी, जो देखरेख और संरक्षण या फिर विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे की श्रेणी में आता है। उसका नाम, पता, स्कूल का नाम या कोई ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, जिससे उसकी पहचान उजागर होती हो। ऐसा होने पर 6 महीने की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

बच्चों पर क्रूरता करना – यदि कोई किसी बच्चे के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है तब 3 वर्ष तक की सजा और 3 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। यदि यह अपराध ऐसी संस्था द्वारा किया जाता है जो बच्चों की देखरेख व संरक्षण का कार्य करती है, तब 5 वर्ष तक की सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। यदि इस क्रूरता के कारण बालक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, तब 10 वर्ष तक की सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

बच्चे का अवैधानिक रूप से दत्तक ग्रहण – यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी बालक को अवैधानिक रूप से दत्तक ग्रहण हेतु देता है या प्राप्त करता है, तब 3 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

बच्चों का क्रय–विक्रय करना – यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को खरीदता या बेचता है तब 5 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

शारीरिक दण्ड – बच्चों की देखरेख संस्था में कार्यरत कोई व्यक्ति किसी बालक को शारीरिक दण्ड देगा, वहां 10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति की जाती है तो 3 माह तक के कारावास का प्रावधान है।

उग्रवादी समूह या आंतकवादी गतिविधियों में बच्चों का उपयोग – यदि कोई भी बच्चों का उपयोग आंतकवादी गतिविधियों में करता है तो उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

यदि कोई बालक उपरोक्त अपराधों में से कोई अपराधिक कार्य करता है तो वह विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जाएगा।

9. पुनर्वास और सामाजिक व्यवस्थापन

दत्तक ग्रहण (एडॉप्शन)

बच्चे को गोद लिए जाने की प्रक्रिया को दत्तक ग्रहण कहते हैं। जब बच्चा अपने जैविक माता-पिता यानी जिनसे उसका जन्म हुआ है, उनसे स्थायी रूप से अलग हो जाता है। तब वह उसे गोद लेने वाले पालकों की कानून सम्मत संतान हो जाता है। उसे वह सारे अधिकार, सुविधाएं और संरक्षण मिलते हैं, जो किन्हीं भी जैविक बच्चों यानी अपने कुदरती माता-पिता से जन्मे बच्चों को मिलना चाहिए।

बच्चों को गोद दिए जाने और गोद लिए जाने की एक गंभीर और संवेदनशील कानूनी प्रक्रिया होती है। जिसे पूरा किया बिना दत्तक ग्रहण संभव नहीं है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 56 के मुताबिक दत्तक ग्रहण की अवधारणा वास्तव में हर बच्चे (अनाथ, त्याग दिए गए, या समर्पित कर दिए गए) के परिवार में और परिवार के साथ रहने के अधिकार से जुड़ी हुई है। कोई भी परिवार कानून की प्रक्रिया का पालन करके अपने रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले सकता है, किसी भी धर्म के बच्चे को गोद लिया जा सकता है।

बिना कानून प्रक्रिया के किसी बच्चे को विदेश भेजना या वहां से बच्चे को देश में लाना गंभीर कानूनी अपराध है।

कानून के मुताबिक बच्चे को गोद लेने के लिए पालकों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से सक्रिय और स्वस्थ होना जरूरी है।

यदि कोई युगल बच्चे को गोद ले रहा है, तब दोनों यानी पति-पत्नी का सहमत होना जरूरी है।

कोई एकल व्यक्ति या तलाकशुदा व्यक्ति भी बच्चे को गोद ले सकता है।

कोई एकल पुरुष बच्ची को गोद नहीं ले सकता है।

गोद लेने की प्रक्रिया

- किसी भी बच्चे को गोद दिए जाने से पहले बाल कल्याण समिति, उसे गोद दिए जाने के लिए वैधानिक रूप से स्वतंत्र घोषित करती है।
- भारत में रहने वाला कोई भी परिवार अनाथ, त्याग दिए गए, या समर्पित कर दिए गए बच्चे को गोद ले सकता है। इसमें धर्म की कोई बाध्यता नहीं है। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित दत्तक ग्रहण संस्था को आवेदन दिया जाना होगा।

- राज्य सरकारें एक या एक से अधिक दत्तक ग्रहण संस्था का पंजीयन करती हैं और केन्द्रीय प्राधिकरण को उनके बारे में सूचित करती हैं।
- आवेदन मिलने के पश्चात दत्तक ग्रहण संस्था आवेदक के घर का अध्ययन करती है।
- यदि वह परिवार सक्षम और पात्र होता है तब कानूनी प्रक्रिया से मुक्त किए गए बच्चों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है।
- सहमति हो जाने के बाद बच्चे को संभावित पालकों को दत्तक ग्रहण पूर्व देखरेख के लिए दिया जाता है और गोद दिए जाने का आदेश पाने के लिए प्रकरण अदालत में दाखिल किया जाता है। अदालत का आदेश मिलने के बाद ही बच्चे को स्थाई रूप से गोद दिया जाता है।
- गोद दिए जाने के बाद भी दत्तक ग्रहण संस्था और केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से सम्बंधित संस्था यह निगरानी करती रहती है कि बच्चे की देखभाल सही तरीके से हो रही है।
- दूसरे देश के परिवार भी बच्चे को कानूनी प्रक्रिया पूरी करके गोद ले सकते हैं।
- कानूनी प्रक्रिया होने के बाद गोद लेने वाले पालक बच्चे के कानूनी माता-पिता हो जाते हैं और बच्चा उनकी कानूनी संतान।
- यदि गोद दिए गए बच्चे के नाम पर कोई संपत्ति होती है, तो वह गोद दिए जाने के बाद भी उसी के नाम रहती है।

पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर)

- जो बच्चे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले हैं, उन्हें पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) के लिए किसी परिवार के साथ रखा जा सकता है।
- पोषण देखरेख के लिए बच्चे या बच्चों के समूह को किस परिवार में रखा जाएगा, इसका निर्णय एक प्रक्रिया के बाद बाल संरक्षण समिति करती है।
- जिन परिवारों में बच्चों को पोषण देखरेख के लिए रखा जाता है, उनका निर्धारण परिवार की क्षमता, उनकी मंशा, पात्रता और बच्चों की देखभाल के अनुभव के आधार पर किया जाता है।
- गोद दिए जाने की दशा में या किसी अन्य बच्चे की स्थिति में पोषण देखरेख के लिए बच्चे को उसके जैविक माता-पिता या गोद लेने वाले संभावित पालकों के परिवार के साथ नहीं रखा जाता है।
- यदि बच्चे भाई-बहन हैं या एक ही परिवार के हैं, तब यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें पोषण देखरेख के लिए एक ही परिवार में रखा जाए।
- जब कोई परिवार अपने बच्चे को रख नहीं पाता है और उन्हें पालने में सक्षम नहीं होता है, उस स्थिति में पोषण देखरेख में भेजे गए बच्चे को देखने और मिलने का अधिकार उसके माता-पिता को होता है।
- पोषण देखरेख करने वाले परिवार की जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और हर तरह के विकास को सुनिश्चित करे।
- बाल कल्याण समिति पोषण देखरेख करने वाले परिवार का हर महीने निरीक्षण करती है।

निराश्रित, बेसहारा, परित्यक्त, बच्चों की देखरेख करने वाले व्यक्ति/समूह को बच्चों के पालन, पोषण के लिए, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए प्रति बच्चा 2000 हजार रुपए प्रति माह की सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

प्रवर्तकता (स्पांसरशिप)

बच्चों के जीवन को सुरक्षित बनाने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन बच्चों के परिवारों को मदद करने के मकसद से प्रवर्तकता (स्पांसरशिप) की व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति, समूह या समुदाय बच्चों के संरक्षण के लिए प्रवर्तक हो सकता है। यानी वह सम्बंधित परिवार, बाल गृह, विशेष गृह में रहने वाले बच्चों की स्वास्थ्य, पोषणयुक्त भोजन, शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए जरूरी बच्चों की अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।

प्रवर्तकता के पात्र और अवधि

- 1) जब बच्चे की माँ एकल महिला हो, परित्यक्ता हो या तलाकशुदा हो।
- 2) जब बच्चा या बच्चे अनाथ हों और किसी विस्तारित परिवार में रह रहे हों।
- 3) यदि बच्चे के पालक किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हों।
- 4) यदि किसी दुर्घटनावश माता-पिता अक्षम हो गए हों या शारीरिक और आर्थिक रूप से बच्चे के पालन में असमर्थ हों;
- 5) प्रवर्तकता की अवधि उतनी ही होगी, जितनी तय की जाएगी।

ऐसे परिवारों को प्रवर्तकता योजना के तहत प्रति बच्चा 2000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता दो बच्चों के संरक्षण के लिए मिलती है। यह सहायता 3 वर्ष के लिए या 18 साल की उम्र (जो भी पहले हो) होने तक दिए जाने का प्रावधान है।

पश्चात्‌वर्ती या अनुवर्ती देखरेख संगठन

जब कोई बच्चा 18 साल की उम्र पूरी होने पर किसी बाल गृह या बाल संरक्षण गृह को छोड़ कर बाहर निकलता है, तब समाज में उसे शामिल होने के लिए मदद करने के मकसद से सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।

ऐसे बच्चों को समाज के अनुकूल समर्थ बनाने और संस्था आधारित जीवन से दूर हटाने के लिए 6–8 युवाओं के समूह को 3 साल तक प्रति बच्चा 2000 रुपए प्रतिमाह की राशि की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इससे उनकी भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य, सामान्य देखभाल, आवास, शिक्षण-प्रशिक्षण आदि की जरूरत पूरी की जाती है।

1. मैदानी कार्य

मुख्य बिंदु

कार्यवाही क्या हो?

बच्चों की स्थिति को जानना
और देखना

समुदाय से चर्चा करके, संवाद करके, अपने आसपास की स्थितियों
और माहौल को देखते-भांपते हुए यह जानने की कोशिश करें कि
बच्चों की स्थिति क्या है ? मसलन क्या सभी बच्चे स्कूल जाते हैं?
क्या बच्चे श्रम कर रहे हैं? क्या बच्चे भीख मांग रहे हैं ? क्या बच्चे
दुकानों में, ढाबों में, किसी संपन्न परिवार के यहां, कारखाने में, सड़क
या इमारत के निर्माण में या कहीं भी श्रम कर रहे हैं ? जरा यह
जानने की कोशिश कीजिए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

बच्चों की देखरेख और संरक्षण
से सम्बंधित सिद्धांत

बच्चों की देखरेख और उनका संरक्षण एक संवेदनशील और सैद्धांतिक
मसला है। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम में
दर्ज इन सिद्धांतों के बारे में हमें खुद की समझ बनाते हुए समुदाय में
चर्चा करने और लोक शिक्षण की प्रक्रिया चलाने की जरूरत है।
बेहतर होगा कि बाल संरक्षण के सन्दर्भ में इन सिद्धांतों का
क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसे बार-बार जांचा और परखा जाए।

बच्चों की सुरक्षा का नजरिया
और

दृष्टिकोण विकसित करना

बच्चों के संरक्षण के लिए कोई भी कोशिश एक समयबद्ध कार्यक्रम
नहीं हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार और
समुदाय निरंतरता के साथ यह देखता रहे कि कहीं बच्चों के साथ
कोई गलत कृत्य तो नहीं हो रहा है।

बच्चों की सुनें, उनकी बात पर
विश्वास करें और तभी शोषण
रुकेगा !

कई बार यह भी होता है कि बच्चे अपने साथ घट रही घटनाओं के
बारे में बताते हैं या बताना चाहते हैं, किन्तु परिवार के वयस्क सदस्य
या अन्य लोग उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, नजरंदाज कर देते हैं
और बच्चों को खारिज करके चुप करा दिया जाता है। अक्सर शोषण
परिचित व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है, तब परिवार के अन्य सदस्य
बच्चों को समझा देते हैं कि वह परिचित व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं
सकते हैं या वे तो तुम्हे यूं ही छेड़ रहे होंगे आदि— आदि ! हमें
सबसे पहले बच्चों के साथ जिम्मेदार सम्बन्ध बनाना होंगे ताकि वे
अपनी बात हमसे साझा कर सकें। इसके बाद उनके परिजनों से
मिल—बैठ—बात करके उन्हें यह समझने के लिए तैयार करना होगा

कि बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है। उसकी बात सुनी जाना चाहिए और उसका निराकरण होना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो शोषण करने वाले व्यक्ति के हौसले और बुलंद होंगे और शोषण बढ़ता जाएगा।

देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को पहचानना

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन से बच्चे देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं हम अपने समुदाय और क्षेत्र में उन्हें पहचानने की कोशिश करें।

समुदाय और ग्राम सभा में चर्चा करना

देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के बारे में आपने जो देखा और जाना, उन तथ्यात्मक जानकारियों के आधार पर ग्रामसभा और समुदाय के साथ बैठक करके बच्चों की स्थिति के कारणों को जानने की कोशिश करें। हमें कोई तत्काल कोई आक्षेप नहीं लगाना है हमें पहल करने से पहले सच्चाई को जानना और समझना है।

विधि विवादित या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में यह स्पष्ट किया गया है कि कौन से बच्चे विधि विवादित या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं; हम अपने समुदाय और क्षेत्र में उन्हें पहचानने की कोशिश करें।

समुदाय और ग्राम सभा में चर्चा करना

विधि विवादित या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के बारे में आपने जो देखा और जाना, उन तथ्यात्मक जानकारियों के आधार पर ग्रामसभा और समुदाय के साथ बैठक करके बच्चों की स्थिति के कारणों को जानने की कोशिश करें। हमें कोई तत्काल कोई आक्षेप नहीं लगाना है, हमें पहल करने से पहले सच्चाई को जानना और समझना है।

बच्चों के संरक्षण के लिए बनी व्यवस्थाओं और कानूनी प्रावधानों में बारे में समुदाय और ग्राम सभा में चर्चा करना

एक व्यापक अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि बच्चों के संरक्षण के बारे में समुदाय/गांव/बस्ती में कौन से वास्तविक चुनौतियां हैं? अब सामाजिक, आर्थिक और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रख कर यह पहल करें कि बच्चों के संरक्षण की कोशिशों की जाएं और उन्हें सफलता के साथ लागू किया जा सके।

यह देखें कि गांव/बस्ती/समुदाय में सबसे गरीब परिवार कौन से हैं, और उन परिवारों में बच्चों की स्थिति क्या है?

स्कूल से बाहर के बच्चे

इनमें एकल महिला, विकलांगता से प्रभावित महिला, परित्यक्त महिला, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर या भूमिहीन परिवार हो सकता है। इन चुने और पहचाने हुए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और शोषण से मुक्ति के लिए समुदाय के साथ मिलकर एक व्यवस्था बनाएं।

यह देखें कि कहीं कोई बच्चे स्कूल से बाहर तो नहीं हैं, कोई बच्चे भीख मांगने का काम तो नहीं करते हैं, बच्चे बाल श्रम में तो नहीं लगे हुए हैं।

ऐसे बच्चों को पहचानते हुए उनके परिवारों से संवाद करें और यह जानकर कि बच्चों के इन स्थितियों में होने के क्या कारण हैं, समुदाय के साथ उन चुने हुए बच्चों के संरक्षण की पहल करें।

बच्चों से संवाद और कार्यवाही

बाल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियमपर स्थानीय स्कूलों में बच्चों के साथ संवाद करें।

यह जानने की कोशिश करें कि कहीं बच्चों के साथ शारीरिक शोषण तो नहीं होता है?

कहीं बच्चे बंधुआ मजदूरी में तो नहीं हैं ?

यह भी देखें कि कौन से बच्चे स्कूल से बाहर हैं ? ऐसे बच्चे शोषण के ज्यादा शिकार होते हैं। उनके साथ सहदय संवाद करें।

ब्लाक और जिला स्तर के प्रशासन से संवाद

आपने अपने मैदानी काम से जो जाना और समझा, उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाइए और ब्लाक-जिला स्तर पर बाल संरक्षण अधिकारियों/प्रशासन से संवाद कीजिये। हमें किसी बच्चे या परिवार की शिकायत करने से पहले बहुत सोच-विचार कर लेना होगा कि उसके क्या परिणाम होंगे ?

बच्चों के संरक्षण से सम्बंधित कानूनी संस्थाओं से संवाद

अपने जिले के किशोर न्यायिक बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई और चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उनसे मिलें, और मैदानी वास्तविकताओं से उन्हें अवगत करवाएं।

समेकित बाल संरक्षण योजना

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 (3) बच्चों को भी संरक्षण तथा विकास के लिए विशेष कानूनों के निर्माण का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए भारत में कई विशेष कानूनों का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना को सर्वप्रथम वर्ष 2006 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाया गया था, जिसे सन् 2009 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। यह समेकित योजना बच्चों को संरक्षण एवं जरूरी वातावरण देने तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए लाई गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान करना एवं उनके शोषण तथा उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकना है।

व्यावहारिक सन्दर्भों में देखा जाए तो हम यह मान सकते हैं कि किशोर न्याय अधिनियम के जमीनी क्रियान्वयन में समेकित बाल संरक्षण योजना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य यह हैं –

1. बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच और उनकी बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
2. बाल संरक्षण के स्पष्ट दायित्व और जवाबेहिता की बाध्यता।
3. कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के वैधानिक और सहायक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सभी सरकारी स्तरों पर संस्थागत कार्यशैली स्थापित करना।
4. बच्चों के संरक्षण हेतु मौजूदा ढांचे को मजबूती प्रदान करना।
5. बच्चों की सुरक्षा हेतु उचित जानकारियां प्रदान करना।
6. सरकारी एवं गैरसरकारी संगठनों में सामंजस्य स्थापित करना।
7. बच्चों के अधिकारों एवं उन पर होने वाले अत्याचारों के लिए जन-जागृति लाना।
8. बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं में मानक स्थापित करना।
9. बच्चों के अधिकारों एवं संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को उचित जानकारी एवं प्रशिक्षण देना।
10. साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन

योजना के मूल-सिद्धांत :–

1. बच्चों की सुरक्षा सर्वप्रथम परिवार की जिम्मेदारी है जिसमें समाज तथा सरकारों का योगदान जरूरी है।
2. बच्चों के लिए सबसे सुखद जगह प्यार एवं देखभाल करने वाला परिवार ही है।
3. बच्चों के निजता एवं गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए।

4. भेदभाव रहित बचपन।
5. बच्चों के अनुरूप योजनाएं बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना।
6. बाल अधिकारों हेतु लचीली कार्यप्रणाली का निर्माण।
7. बाल अधिकारों हेतु जवाबदार बनाना।

उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों पर तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस योजना का निर्माण किया गया जिसमें बच्चों के हितों को संरक्षित करने वाले विभिन्न कानूनों को समाविष्ट किया गया। साथ ही विभिन्न भागीदारियों जैसे सरकार-समाज, समाज-व्यक्ति को भी महत्व दिया गया ताकि बच्चों के संरक्षण एवं सर्वांगीण विकास में मदद मिल सके। इस योजना में बच्चों से जुड़े सभी कानूनों एवं मुद्दों को साथ लाकर एक पूर्ण सारगर्भित नीति बनाने का प्रयास भी किया गया ताकि बच्चों से जुड़े मुद्दों को समझा जा सके।

मैदानी कार्य

मुख्य बिंदु

कार्यवाही क्या हो?

समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन क्या बच्चों के संरक्षण के मुद्दों, बाल विवाह, बाल मजदूरी, शारीरिक शोषण, गरीबी के अमानवीय प्रभावों के सन्दर्भ में बाल संरक्षण की व्यवस्थाएं सक्रिय हैं ?

क्या सभी स्तरों पर बाल संरक्षण समितियां बनी हुई हैं ? यदि समितियां या समूह नहीं बने हैं, तो उनका गठन करवाना।

संवाद-प्रशिक्षण

ग्राम सभा, पंचायत की समितियों, शाला प्रबंधन समिति, महिला समूहों, किशोरी बालिकाओं के समूह के साथ बाल संरक्षण के मुद्दों और समेकित बाल संरक्षण योजना पर संवाद करना और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।

बच्चों की स्थिति को जानना, देखना और समझना

समुदाय से चर्चा करके, संवाद करके, अपने आसपास की स्थितियों और माहौल को देखते-भाँपते हुए यह जानने की कोशिश करें कि बच्चों की स्थिति क्या है ? मसलन क्या सभी बच्चे स्कूल जाते हैं ? क्या बच्चे श्रम कर रहे हैं ? क्या बच्चे भीख मांग रहे हैं ? क्या बच्चे दुकानों में, ढाबों में, किसी संपन्न परिवार के यहां, कारखाने में, सड़क या इमारत के निर्माण में या कहीं भी श्रम कर रहे हैं ? जरा यह जानने की कोशिश कीजिए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

बच्चों की सुरक्षा का नजरिया और दृष्टिकोण विकसित करना

स्कूल से बाहर के बच्चे

ब्लॉक और जिला स्तर के प्रशासन से संवाद

बच्चों के संरक्षण से सम्बंधित कानूनी संस्थाओं से संवाद

बच्चों के संरक्षण से संबंधित कोई भी कोशिश एक समयबद्ध कार्यक्रम नहीं हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार और समुदाय निरंतरता के साथ यह देखता रहे कि कहीं बच्चों के साथ कोई गलत कृत्य तो नहीं हो रहा है।

यह देखें कि कहीं कोई बच्चे स्कूल से बाहर तो नहीं हैं, कोई बच्चे भीख मांगने का काम तो नहीं करते हैं, बच्चे बाल श्रम में तो नहीं लगे हुए हैं।

ऐसे बच्चों को पहचानते हुए उनके परिवारों से संवाद करें और यह जानकर कि बच्चों के इन स्थितियों में होने के क्या कारण हैं, समुदाय के साथ उन चुने हुए बच्चों के संरक्षण की पहल करें।

आपने अपने मैदानी काम से जो जाना और समझा, उसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाइए और ब्लॉक-जिला स्तर पर बाल संरक्षण अधिकारियों/प्रशासन से संवाद कीजिए। लेकिन, हमें किसी बच्चे या परिवार की शिकायत करने से पहले बहुत सोच-विचार कर लेना होगा कि उसके क्या परिणाम होंगे ?

अपने जिले के किशोर न्यायिक बोर्ड, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई और चाइल्डलाइन के बारे में जानकारी इकठ्ठा करें, उनसे मिलें, और मैदानी वास्तविकताओं से उन्हें अवगत करवाएं।

अनैतिक मानव दुर्व्यापार कानून

यह अधिनियम मुख्यतः वेश्यावृत्ति और दैहिक-आर्थिक-मानसिक शोषण के लिए मनुष्यों के व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया है।

स्पष्ट और सरल शब्दों में बात की जाए तो इसका आशय है कि वेश्यावृत्ति, भीख मंगवाने, शारीरिक शोषण, शरीर के किसी अंग को निकालने के लिए किसी व्यक्ति, बच्चे के एवज में कोई व्यक्ति कोई सेवा या धन प्राप्त करता है।

यह अधिनियम वयस्कों एवं अवयस्कों दोनों के ही दुर्व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा है, बच्चे का अर्थ लड़का एवं लड़की दोनों से ही है।

अधिनियम घरेलू कार्यों, बाल मजदूरी या अंगों के व्यापार आदि के लिए मनुष्यों के व्यापार पर कोई बात नहीं करता है।

इस अधिनियम में बाल वेश्यावृत्ति से जुड़े विभिन्न अपराधों के लिए भिन्न-भिन्न सजा का प्रावधान है जैसे : –

1. अधिनियम की धारा 4 के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, और वह जानबूझकर या अनजाने में बाल वेश्यावृत्ति से कमा रहा हो दोषी है और उसे 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
2. अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी बच्चे को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना या खरीदने का प्रयास करना, या वेश्यावृत्ति हेतु किसी भी बच्चे के साथ जाने पर, या वेश्यावृत्ति हेतु बच्चे को लेकर जाने पर कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
3. धारा 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि देह व्यापार के जगह से पकड़ा जाता है उसके बारे में यह माना जाएगा कि वह इस अपराध में संलिप्त है, जब तक की वह इसे झूठा नहीं साबित कर देता। और अगर कोई बच्चा देह व्यापार की जगह में पाया जाता है और चिकित्सकीय परीक्षण के बाद यह साबित होता है कि बच्चे के साथ लैंगिक अपराध किया गया है तो उस लैंगिक अपराध को व्यापार हेतु किया गया है, यही माना जाएगा।
4. अधिनियम की धारा 7 कुछ चिन्हित जगहों (जगहों का चयन राज्य सरकारें करेंगी) पर देह व्यापार करने पर लागू होगी, और यही अपराध अगर बच्चों के साथ किया गया हो तो उसके लिए कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही इस धारा का अपराध बच्चे के साथ किसी होटल में किया गया हो तो उस होटल की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है।

इस अधिनियम की धारा 16 में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिए गए हैं कि पुलिस या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर देह व्यापार चलने का

संदेह हो, वह उसे रोकने के लिए कार्यवाही का आदेश दे सकता है। अधिनियम धारा 17 के अनुसार धारा 16 में वर्णित जगह से अगर किसी बच्चे को बचाया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में भेज सकता है।

यह कानून केवल देह व्यापार में मनुष्यों के उपयोग को रोकने हेतु बनाया गया है, और इसमें कुछ विशेष प्रावधान बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों की सजा निर्धारित करते हैं।

मैदानी कार्य

मुख्य बिंदु	कार्यवाही क्या हो?
अवलोकन करना	हमारे आसपास बच्चों का शोषण तो नहीं होता है ? क्या क्षेत्र में या आसपास के इलाकों में बच्चे वेश्यावृत्ति या शारीरिक शोषण की गिरफ्त में तो नहीं हैं ?
अनैतिक व्यापार	कहीं देह व्यापार या बंधुआ मजदूरी या शोषण या किसी भी अन्य काम के लिए मानव व्यापार या बच्चों का व्यापार तो नहीं हो रहा है ?
समुदाय में संवाद	समुदाय में चर्चा—संवाद सत्र आयोजित करके सबके बताएं कि किस तरह से झूठी बातें कह कर या प्रलोभन देकर हमारे क्षेत्र से बच्चों, युवाओं, महिलाओं या किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे क्षेत्र/शहर ले जाया जाता है। जहां उनसे देह व्यापार करवाया जा सकता है, भीख मंगवाई जाती है या उनके किसी अंग को निकलवा कर बेचा जा सकता है।
काम के लिए या पलायन के लिए जाने वाले व्यक्तियों से संपर्कध्यसंवाद की व्यवस्था करना	गाँव/बस्ती/क्षेत्र से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहना और जानना कि वे लोग किन स्थितियों में हैं?
पंचायत को सक्रिय करना	कई क्षेत्रों में इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। अतः जरूरी है कि ग्राम पंचायत और नगरीय वार्डों को इस तरह के पहलुओं/मामलों पर नजर रखने के लिए प्रेरित किया जाए।

सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 और केबल टीवी

नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995

इस अधिनियम के अनुसार बच्चा वह माना जाएगा जो कि 18 वर्ष से कम उम्र का हो। इस अधिनियम की दो धाराओं में विशेष रूप से बच्चों से जुड़े अपराध का जिक्र किया गया है।

धारा 67 (बी) के अनुसार बच्चों से जुड़ी किसी भी यौन सामग्री (वीडियो, ऑडियो या लिखित सन्देश) के प्रसारण या वितरण पर सम्बंधित व्यक्ति को 5 साल तक का कारावास तथा 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और यही अपराध दोहराने पर 7 साल तक का कारावास तथा 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही इंटरनेट पर बच्चों के यौन संबंधों को दिखाने या जोड़ने पर भी इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा।

परन्तु यह धारा केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तक ही सीमित है। विज्ञान, साहित्य या सिखाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रकाशन इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।

धारा 77 (ए) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध किए गए किसी भी अपराध में समझौता करना वर्जित है और कोई भी न्यायालय इसमें समझौता नहीं करा सकती ना ही ऐसा कोई आदेश पारित कर सकती है।

केबल टीवी नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995

इसका मकसद है केबल टेलीविजन पर प्रसारित कार्यक्रमों का नियमन करना, जिससे बच्चों को संरक्षण मिलता रहे। इसमें प्रावधान है कि केबल सेवा (टेलीविजन) पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का अपमान हो।

ऐसा कोई विज्ञापन केबल सेवा पर नहीं दिखाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़े या उनमें अस्वस्थ तरीकों के बारे में दिलचस्पी पैदा हो या उन्हें भीख मांगने के लिए लिय मजबूर करे या उन्हें अमर्यादित या अभद्र रूप में दिखाए।

इसमें पांच साल तक की सजा और जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।

मुख्य बिंदु

कार्यवाही क्या हो?

सामुदायिक प्रशिक्षण सत्र

समुदाय के बीच इंटरनेट या सूचना प्रौद्योगिकी के सही उपयोग के बारे में संवाद करना। समुदाय में यह चर्चा हो कि इंटरनेट पर गलत सामग्री भी उपलब्ध है, हमें उसके उपयोग को समाप्त करना है। साथ ही यह भी बताया जाए कि यदि हम बच्चों से संबंधित गलत सामग्री इंटरनेट पर देखते हैं, तो उसकी रिपोर्ट भी की जा सकती है। हमें पहल करना चाहिए। इस तरह के सत्र स्कूलों में भी आयोजित हों।

अवलोकन करना / नजर रखना

हमारे क्षेत्र में इंटरनेट/सूचना प्रौद्योगिकी का गलत उपयोग तो नहीं होता है ? क्या क्षेत्र में या आसपास के इलाकों में इंटरनेट के कारण शोषण तो नहीं हो रहा है ?

कार्यवाई करना

यदि हम देखें या पाएं कि कहीं बच्चों का गलत रूप में प्रस्तुतीकरण हो रहा है, अश्लील प्रस्तुति हो रही है या यौन सामग्री/चित्रण में उनका उपयोग हो रहा है, तो इसकी रिपोर्ट जरूर करवाई जाए। यदि यह भी पता चले कि किन्हीं बच्चों का स्थानीय स्तर पर मोबाइल फोन आदि से तस्वीकर अथवा वीडियो का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उससे संबंधित कार्रवाई भी करनी चाहिए।

चाइल्ड लाइन (1098)

चाइल्ड लाइन भारत की जरूरतमंद बच्चों के लिए प्रथम 24 घंटे मुफ्त सहायता सेवा है। इसका उपयोग टोल फ्री नंबर 1098 लगा कर किया जा सकता है। इसकी पहुंच फिलहाल भारत के 81 शहरों तक है। इसकी मदद 0–18 वर्ष तक के बच्चे और अगर बहुत जरूरत हो तो 25 वर्ष तक के युवा ले सकते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण बातें : –

1. 1098 पर संपर्क करने के 1 घंटे के अन्दर चाइल्ड लाइन की टीम जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचती है।
2. जरूरत हो तो चाइल्ड लाइन पुलिस या अस्पताल या बाल संरक्षण इकाई से सम्पर्क करती है।
3. बच्चों के पुनर्वास में मदद करती है।
4. बच्चों को काम करने वाली जगह से रेस्क्यू करती है।
5. शोषित बच्चों की मदद करती है, उस जगह से मुक्त करने में एवं आगे की कानूनी कार्यवाई में भी।
6. घर से भागे बच्चों को घर भेजने में मदद करती है।
7. खो गए बच्चों को घर भेजने में मदद करती है।
8. जरूरत हो तो आसरा भी प्रदान करती है।

मैदानी / प्रायोगिक कार्य

मुख्य बिंदु	कार्यवाही क्या हो?
सामुदायिक प्रशिक्षण सत्र	बस्ती/समुदाय/गांव में हर स्तर पर यह जानकारी दी जाए कि चाइल्ड लाइन (1098) की व्यवस्था क्या है? बहरहाल अभी इसका दायरा सीमित है, किन्तु यह दायरा तेजी से बढ़ भी रहा है।
पंचायत/नगरीय निकायों को सक्रिय करना	कई क्षेत्रों में बच्चों को संरक्षण की जरूरत हो सकती है। अतः जरूरी है कि ग्राम पंचायत और नगरीय वार्डों को इस तरह के पहलुओं/मामलों पर नजर रखने और चाइल्ड लाइन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए।

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम,

2005

इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग एवं राज्यों में राज्य आयोगों के गठन के साथ ही बाल न्यायालयों का गठन भी है, जिसके द्वारा बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों के मामलों में त्वरित सुनवाई की जा सके।

इस अधिनियम में बाल अधिकारों की परिभाषा को विस्तृत किया है। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बाल अधिकार वह है जो कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मलेन 1989 (United Nation Convention on the Rights of the Child, 1989) में वर्णित किए गए हैं, तथा जिसे भारत द्वारा सन् 1992 में मंजूर किया गया है।

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। यह आयोग में एक अध्यक्ष (प्रबुद्ध नागरिक जिसने बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट काम किए हों) एवं छः सदस्यों (जिनमें से 2 महिला सदस्य अवश्य रूप से हों) द्वारा गठित होगा। अधिनियम की इस धारा के परिपालन हेतु बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम, 2006 बनाए गए।

बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग के कार्य : –

अधिनियम की धारा 13 में बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग के कार्यों को विस्तृत रूप से समझाया गया है, जिसका सार निम्नानुसार है : –

1. विभिन्न कानूनों में उल्लेखित बच्चों की सुरक्षा आदि मुद्दों से जुड़े प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल करना एवं इस हेतु जरूरी सुझाव के साथ रिपोर्ट तैयार कर सम्बंधित सरकारों को भेजना।
2. बच्चों के अधिकार के हनन के मामलों में जांच पड़ताल करना।
3. घरेलू हिंसा, आतंकवाद, दंगे, प्राकृतिक आपदाए, शोषण, वेश्यावृत्ति, पोर्नोग्राफी आदि मामले जिससे कि बच्चों के अधिकारों का हनन होता है, की जांच पड़ताल करना एवं उसके सुधार के लिए सुझाव प्रेषित करना।
4. जरूरतमंद एवं विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बच्चों के सुधार हेतु गठित किए गए विभिन्न संस्थाओं कि जांच पड़ताल करना एवं उसके सुधार के लिए सुझाव प्रेषित करना।
5. अन्तराष्ट्रीय संधियों एवं अन्य अन्तराष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों आदि का अध्ययन करना एवं उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव प्रेषित करना।
6. बच्चों के अधिकारों के संबंध में होने वाले अध्ययनों को प्रोत्साहन देना।

- बच्चों के अधिकारों के संबंध में विभिन्न माध्यमों द्वारा जागरूकता लाना।
- स्व-संज्ञान लेकर अथवा शिकायत मिलने पर बच्चों के अधिकारों के हनन के मामलों में एवं बच्चों से जुड़े कानूनों के ठीक से क्रियान्वयित न होने के मामलों में जांच करना।

बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग की शक्तियाँ

धारा 13 में वर्णित कार्यों के निष्पादन हेतु अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत आयोग को दीवानी न्यायालयों जैसे अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

जांच पड़ताल पूर्ण होने के पश्चात् अगर बच्चों के अधिकारों का हनन होना पाया जाता है तो आयोग इस हेतु निम्न प्रक्रियाएं अपना सकता है : –

- इस हेतु सम्बंधित सरकार को उचित कार्यवाही करने हेतु सुझाव देना।
- सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में इस हेतु उचित दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकता है।
- सम्बंधित सरकार के समक्ष पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के लिए अंतरिम सहायता देने का सुझाव दे सकता है।

राज्यों के लिए बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, कार्य एवं शक्तियाँ

इसी तरह अधिनियम की धारा 17 में राज्य स्तरीय आयोगों के गठन का प्रावधान है, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी धारा 3 में वर्णित शर्तों अनुसार ही होगी। अधिनियम की धारा 24 के अनुसार राज्य आयोगों के भी वही कार्य एवं शक्तियाँ हैं जो कि राष्ट्रीय आयोग के हैं।

बच्चों के लिए विशेष अदालतों का गठन

अधिनियम की धारा 25 में बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों एवं बच्चों के अधिकारों के हनन के मामलों को सुनने के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है जिसका गठन राज्यों द्वारा जरुरत के आधार पर किया जा सकता है। साथ ही इन विशेष न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति का भी प्रावधान है।

मैदानी / प्रायोगिक कार्य

मुख्य बिंदु

कार्यवाही क्या हो?

आयोगों के उद्देश्य

राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वास्तव में बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने के मकसद से गठित किए गए हैं। आप अपने क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा, या उनके हित के किसी भी विषय पर आयोग को लिख सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं।

सामुदायिक प्रशिक्षण सत्र

बस्ती/समुदाय/गाँव में हर स्तर पर यह जानकारी दी जाए कि राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की भूमिका और महत्व क्या है ?

पंचायत/नगरीय निकायों को सक्रिय करना

कई क्षेत्रों में बच्चों को संरक्षण की जरूरत हो सकती है। अतः जरूरी है कि ग्राम पंचायत और नगरीय वार्डों को इस तरह के पहलुओं/मामलों पर नजर रखने और राज्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के शक्तियों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए।

कहाँ संपर्क कर सकते हैं ?

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 59, चौथी मंजिल,
नर्मदा, भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (0755
2559900 / 2559903 / 2559904)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पांचवी मंजिल,
चंद्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली
—110001 / फोन / 011—23478200

बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

बाल—विवाह भारत की विकराल समस्याओं में से एक है। इसका कारण यहां का सामाजिक एवं आर्थिक ताना—बाना है। बाल विवाह तो अपने आप में एक समस्या है ही, इससे जुड़े कई और पक्ष भी हैं, बाल—विधवा, अशिक्षा, कम उम्र में माँ बन जाना, बदतर स्वास्थ्य, कम उम्र में तलाक आदि। देश में बाल विवाह रोकने के लिए 2006 में कानून बनाया गया। इसे बाल—विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का नाम दिया गया है। इस कानून के पहले बाल—विवाह रोकने के लिए भारत में बाल—विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 सक्रिय था। नए अधिनियम में बाल—विवाह को अपराध मानते हुए इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा का भी प्रावधान है।

अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति एवं 18 वर्ष से कम उम्र की महिला को बालक (चाइल्ड) माना गया है (यहां बालक का अर्थ बालक एवं बालिका दोनों से है)। अधिनियम की धारा 2—ब में बाल—विवाह को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ऐसा विवाह जिसमें से दोनों में से कोई एक पक्ष बालक हो।

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बाल—विवाह, विवाह के समय जो पक्ष बालक था उसकी इच्छानुसार शून्य या खत्म कराया जा सकता है, परन्तु इसके लिए याचिका बालक के वयस्क होने के दो वर्ष के अंदर ही दायर की जा सकती है। अगर बालक वयस्क नहीं है तो याचिका में बालक के संरक्षक या वाद—मित्र एवं बाल विवाह संरक्षक अधिकारी का होना आवश्यक है।

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार ऐसे अवयस्क बालक का विवाह शून्य है जिसे बहला—फुसलाकर या बलपूर्वक उनके पालक/संरक्षक से दूर कर विवाह कराया जाता है। इसके साथ ही ऐसे भी विवाह शून्य माने जाएंगे जिसमें किसी बालक या बालिका को खरीद कर विवाह कराया जाता है।

धारा 4 में न्यायालय को महिला के भरण—पोषण एवं निवास के लिए उचित आदेश पारित करने का अधिकार है। अगर पुरुष बालक है तो महिला उसके संरक्षक या पालक से भरण—पोषण पाने की अधिकारी होगी। बाल—विवाह से उत्पन्न बच्चे को वैधानिक बच्चा माना गया है तथा न्यायालय को उसके भरण—पोषण एवं संरक्षण के लिए उचित आदेश पारित करने का अधिकार है। साथ ही परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय अपने निर्णय को बदल भी सकता है।

अधिनियम के अंतर्गत सजा के यह प्रावधान है –

1. अगर वयस्क पुरुष (18 वर्ष से अधिक उम्र का) बाल—विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए का अर्थदंड हो सकता है।
2. किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर बाल—विवाह करने/कराने में सहयोग किया जाता है तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास के साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
3. किसी भी पालक या संरक्षक द्वारा अगर बाल—विवाह को बढ़ावा या उसके लिए स्वीकृति दी जाती है तो अधिनियम के अंतर्गत यह भी अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष तक के कारावास के

साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस अपराध के लिए किसी भी महिला को दण्डित नहीं किया जा सकता।

4. किसी भी संस्था या उसके सदस्य द्वारा अगर बाल—विवाह को बढ़ावा या उसके लिए स्वीकृति दी जाती है तो अधिनियम के अंतर्गत यह भी अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष तक के कारावास के साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, परन्तु इस अपराध के लिए किसी भी महिला को दण्डित नहीं किया जा सकता।

सक्षम न्यायालय एवं उनकी शक्तियां

1. इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों को सुनाने का अधिकार कुटुंब न्यायालय (फैमिली कोर्ट) को है।
2. अगर कहीं कुटुंब न्यायालय नहीं है तो वह न्यायालय जिसे अधिसूचना द्वारा इन मामलों पर न्याय करने का अधिकार दिया हो।

यह शक्तियां दी गई हैं –

1. बाल—विवाह होने वाला है या होने की आशंका है तो उसे रोकने के लिए आदेश पारित कर सकता है।
2. सामूहिक बाल—विवाह को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट को बाल—विवाह प्रतिषेध अधिकारी माना जाता है, और उसे उचित बल प्रयोग द्वारा भी सामूहिक बाल—विवाह रोकने का अधिकार होता है।
3. बाल—विवाह को शून्य घोषित करना का अधिकार।
4. बाल—विवाह करने वाली महिला के भरण—पोषण का आदेश पारित कर सकते हैं।
5. बाल—विवाह से उत्पन्न संतान के भरण—पोषण, अभिरक्षा देने का अधिकार।

बाल—विवाह प्रतिषेध अधिकारी

सरकार द्वारा बाल—विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। समाज के प्रतिष्ठित लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि द्वारा बाल—विवाह प्रतिषेध अधिकारी को कानून के पालन में मदद की जाने का भी प्रावधान है।

कार्य : –

1. बाल—विवाह को रोकना
2. इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना
3. बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता लाना
4. बाल—विवाह के सम्बन्ध में जरूरी आंकड़े रखना

लाडो अभियान

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के समाज के साथ मिलकर क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है। इसे लाडो अभियान नाम दिया गया है।

बुनियादी सोच और मान्यता यह है कि बाल विवाह जैसे व्यवहार को केवल कानून की मदद से नहीं बदला जा सकता है। इसमें शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शादी में सेवाएं देने वाले लोग और समूह, कार्ड का मुद्रण करने वाले, टेंट हाउस वाले, धार्मिक गुरु, समाज के मुख्य, हलवाई समेत कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

लाडो अभियान एक साझा पहल है, जिसमें समाज और विवाह से जुड़ी संस्थाओं के कोई भी व्यक्ति नेतृत्व और सहयोगकर्ता की भूमिका निभा सकते हैं।

इसका अहम पक्ष यह है कि लाडो अभियान बच्चों के बीच भी बाल विवाह की सामाजिक विसंगति पर संवाद करने की परंपरा को प्रोत्साहित करता है, ताकि बच्चे खुद इस विषय पर नेतृत्व ले सकें और अपने परिवार-समुदाय में बदलाव के लिए ब्रांड एम्बेसेडर की भूमिका निभा सकें।

इस अभियान में यूं तो वर्ष भर पहल किए जाने की व्यवस्था है, किन्तु, अक्षय तृतीया जैसे मौकों पर खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इस समय अधिक शादियां होती हैं।

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

1. लाडो अभियान को स्कूल चलें हम अभियान और स्वागतम लक्ष्मी योजना से भी जोड़ा गया है।
2. वर्ष के उन महीनों/समय पर खास पहल की जाती है, जब सबसे ज्यादा विवाह होते हैं। हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया, देव उठनी ग्यारस, बसंत पंचमी के अवसर पर बाल विवाह ज्यादा होते हैं। अतः इन मौकों पर सघन अभियान चलाया जाता है। यह कोशिश की जाती है कि विभाग और सामाजिक संस्थाओं के सदस्य सक्रिय रहें, ताकि किसी भी वक्त बाल विवाह की सोचना आने पर जरूरी कार्यवाही की जा सके।
3. समुदाय या संस्थाओं या व्यक्तिगत स्तर पर को भी लोग इस पहल से जुड़ते हैं, उन्हें बाल विवाह के कारणों और उसके गहरे प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता है। इस तरह की कोशिशें आंगनवाड़ी, शौर्य दल, सामाजिक संस्थाओं, सरकारी विभागों के कार्यक्रमों के जरिए की जाती हैं। इसमें सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।
4. यह एक मिशन आधारित पहल है। यह प्रयास किया जाता है कि उन क्षेत्रों की पहचान की जाए, जहां बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं, ताकि जरूरत के मुताबिक रणनीति और योजना बनाई जा सके।
5. बाल विवाह की घटना में महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है – उम्र का प्रमाण पत्र। यह देखा गया है कि समुदाय के कुछ परिवार बाल विवाह के लिए बहुत तत्पर होते हैं। वे गलत चिकित्सा आयु प्रमाणपत्र भी बनवा लेते हैं। ऐसे में यह तय किया गया है कि उम्र चिकित्सा प्रमाण पत्र के

सन्दर्भ में भी अनिवार्य होगा कि स्कूल की अंक सूची, जन्म का प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी का रिकार्ड को आधार बनाया जाए। अतः आयु का चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रति परीक्षण किया जाना होगा।

6. सामूहिक विवाह सम्मेलनों में भी बाल विवाह होते हैं। अब यह तय कर दिया गया है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने वाली समितियां और सामुदायिक संस्थाएं यह शपथ पत्र दें कि सम्मेलन में कैसे किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जिसकी उम्र विवाह की कानूनी उम्र से कम है।

मैदानी कार्य

मुख्य बिंदु	कार्यवाही क्या हो?
बाल विवाह के कारणों और स्थिति का अध्ययन करना	समुदाय में कम उम्र में विवाह करने की सोच और व्यवहार के पीछे कुछ कारण होते हैं। हमें सबसे पहले उन कारणों को जानने और समझने की कोशिश करना चाहिए।
बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में प्रशिक्षण सत्र	कम उम्र में विवाह यानी बाल विवाह के बच्चों और समाज पर क्या असर पड़ते हैं, इनके बारे में समुदाय के बीच प्रशिक्षण सत्र या संवाद सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।
बाल विवाह के मामलों की निगरानी	अपने क्षेत्र/गांव/वार्ड या समुदाय में बाल विवाह न हो, इसके लिए समुदाय को तैयार करना चाहिए। हमें सजग रहना चाहिए कि कहीं बाल विवाह तो नहीं हो रहे हैं ?
बाल विवाह होने की स्थिति में	बाल विवाह होने की स्थिति में निकायों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारियों, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों को जानकारी देकर, विवाह को रोकने में उनकी मदद लेना चाहिए।

बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016

बालश्रम एक बड़ा मुद्दा है। हम सभी अपने आसपास होटलों में, कारखानों में, दुकानों में बच्चों का बचपन छिनते देखते हैं। यह उतना ही दुखद है कि हमारा समाज बच्चों को महफूज बचपन उपलब्ध करवा पाने में लगभग अक्षम साबित हुआ है। यह सीधे—सीधे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करता नजर आता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि पढ़ने—लिखने, पलने—बढ़ने और खेलने—कूदने की उम्र में बच्चे हाड़तोड़ मेहनत करने पर मजबूर हैं?

बालश्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संविधान ने केन्द्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने की जिम्मेदारी दी है। इसे दूर करने के लिए कानून बनाए भी गए, लेकिन कुछ सामाजिक—आर्थिक—राजनीतिक कारक हैं कि बालश्रम की चुनौती हल होती दिखाई नहीं देती। नीतियों—प्रावधानों और जमीनी हकीकत में कोसों का फासला नजर आता है।

लगभग तीस साल पहले भारत सरकार ने बाल मजदूरी दूर करने के लिए गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया था। समिति ने लंबे अध्ययन के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। उन्होंने कहा कि जब तक गरीबी बनी रहेगी तब तक बाल मजदूरी हटाना संभव नहीं होगा। समिति ने सुझाव दिया था कि जोखिम भरे उद्योगों और कामों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए जाएं। समिति ने यह भी सिफारिश की कि बच्चों की समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी नीति बनाए जाने की जरूरत है।

गुरुपाद समिति की सिफारिशों को बाल मजदूरी (प्रतिबंध एवं नियमन) अधिनियम के रूप में 1986 में लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशेष और खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई गई और अन्य शर्तों का निर्धारण किया गया।

हाल ही में इस कानून में संशोधन किया गया और देखा जाए तो इसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की आयु से जोड़ने का भी काम किया गया है। हालांकि इस सब के बावजूद कुछ मामले मसलन परंपरागत व्यवसाय, टेलीविजन सीरियल, फ़िल्म, विज्ञापन और खेल की गतिविधियों (सर्कस को छोड़कर) गुरु—शिष्य संबंधों के तहत काम करने वाले बच्चे कानून में प्रतिबंधित कामों की सूची में शामिल नहीं होंगे, मगर इनका भी स्कूल जाना अनिवार्य होगा।

सरकार ने चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लेकर प्रतिबंध लगाने वाले कानून एवं किशोर की नई परिभाषा के अंतर्गत जोखिमपूर्ण रोजगार में 14–18 साल के बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध पर सैद्धांतिक सहमति तो दे दी है।

हम मानते हैं कि देश में किसी भी तरह का बालश्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन बालश्रम कानून में ही देखें तो यह एक स्तर पर जाकर छह घंटे काम करने की बात भी कहता रहा है। इस तरह के विरोधाभासों के बीच समाज में बच्चों का शोषण रोक पाना और उनको एक बेहतर जिंदगी दे पाना कहां तक संभव हो पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। जाहिर है कि ऐसे दौर में जबकि देश के अलग/अलग

कानून बच्चे की उम्र को लेकर अलग—अलग बात कहते हों, तब बच्चों की बेहतरी के लिए एक बेहद रणनीतिक लड़ाई की जरूरत है।

बालश्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) अधिनियम में सबसे हालिया संशोधन जुलाई, 2016 में हुए। कानून में हुए व्यापक संशोधनों को समझना जरूरी है।

1. बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के मुताबिक –

किशोरवय उसे माना गया है, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किन्तु 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

बच्चा उसे माना गया है, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यह परिभाषा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के कानून (2009) से जोड़ कर रखी गयी है।

बच्चों के लिए श्रम का मतलब (जो 14 साल से कम उम्र के हैं);

2. कानून के मुताबिक कोई भी बच्चा श्रम/मजदूरी के काम में संलग्न नहीं होगाय लेकिन बच्चे परिवार की या पारिवारिक ऐसी इकाई में काम कर सकते हैं, जो खतरनाक उद्योगों/उपक्रम की श्रेणी में न आते हों। अपने परिवार के उपक्रमों में भी बच्चे स्कूली शिक्षा के समय के बाद या छुट्टियों में श्रम कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हो।
3. परिवार का मतलब है बच्चे के माता, पिता, भाई, बहन, पिता के भाई, पिता की बहन, माता के भाई, माता की बहन।
4. परिवार के उपक्रम/उद्यम का मतलब है ऐसा काम, पेशा, निर्माण और व्यापार, जो परिवार के सदस्यों के द्वारा अन्य लोगों के सहभाग से किया जाता हो।
5. कला के क्षेत्र में काम करने का मतलब है बच्चे का कलाकार, गायक, खेल समेत मनोरंजन और खेल से सम्बंधित काम।
6. इस कानून के मुताबिक बच्चे टेलिविजन, फिल्म्स, विज्ञापन सहित मनोरंजन उद्योग और खेल की गतिविधियों में काम कर सकते हैं। वे सर्कस में काम नहीं करेंगे। कानून में उल्लिखित क्षेत्रों में जहाँ भी काम करेंगे वहाँ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए।

किशोरवय के लिए श्रम का मतलब (जो 14 से 18 साल से कम उम्र के हैं);

7. कोई भी किशोरवय व्यक्ति को ऐसे श्रम में नहीं लगाया जाएगा, जिसे खतरनाक उद्धम की श्रेणी में रखा गया है। जैसे – खनन, ज्वलनशील वस्तुएं/पदार्थ और विस्फोटक, और खतरनाक प्रक्रियाएं;

सजा का प्रावधान

8. इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर, सम्बंधित व्यक्ति को 6 महीने से 2 साल तक की सजा और 25 से 50 हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। कानून के प्रावधानों

का उल्लंघन होने की दशा में यदि यह पता चलता है कि माता-पिता/पालकों ने ऐसा करने की अनुमति दी है, तो उन्हें भी सजा दी जा सकेगी।

9. किशोरवय को ऐसे कामों में संलग्न करवाने की दशा में, जिनका इस कानून में प्रतिबन्ध है, नियोक्ता के लिए 6 महीने से 2 साल तक की सजा और 25 से 50 हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में यदि यह पता चलता है कि माता-पिता/पालकों ने ऐसा करने की अनुमति दी है, तो उन्हें भी सजा दी जा सकेगी।
10. किसी व्यक्ति द्वारा दोबारा यही अपराध किए जाने की दशा में एक साल से तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

बाल और किशोर श्रम पुनर्वास फंड

11. सम्बंधित सरकार हर जिले, या दो जिलों या ज्यादा जिलों के स्तर पर बाल और किशोर श्रम पुनर्वास फंड का निर्माण करेगी। इसमें नियोक्ताओं से वसूला जाने वाला जुर्माना जमा किया जाएगा।
12. इसमें सरकार भी 15 हजार रुपए प्रति बच्चे के मान से राशि जमा करेगी।
13. इस कानून के प्रावधानों को लागू करने करने के अधिकार जिला कलेक्टर को होंगे। जिला कलेक्टर इस काम को करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए किसी अन्य अधिकारी को पाबन्द कर सकता है।
14. जिन क्षेत्रों/उद्यमों में बाल श्रम प्रतिबंधित है, वहां सरकार नियमित निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

कानून के मुख्य प्रावधान

- बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदान और खतरनाक रोजगारों में काम करने से रोकता है एवं जिन कार्यों में बाल श्रम पर रोक नहीं लगी है, वहां पर उनकी कार्य स्थिति को नियंत्रित करवाता है। कानून का उल्लंघन होने सम्बंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाना।
- कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या इंस्पेक्टर इस अधिनियम के तहत शिकायत कर सकता है। इस प्रकरण में किसी भी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट इस पर कार्यवाही कर सकता है।
- बाल मजदूरों को किसी हानिकारक काम में लगाने वाले को जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है।
- केंद्र सरकार बच्चों के हित में इन कार्यों को प्रतिबंधित करने एवं उन्हें नियंत्रित करने हेतु किसी भी प्रकार नियम बना सकती है।

- सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2006 को 1986 के बालश्रम अधिनियम में संशोधन कर पारित किया था कि घरों, होटलों व ढाबे पर बच्चों से कार्य करवाना अपराध है, इसका उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड भी हो सकता है, लेकिन इस कठोर कानून के बाद भी देश में बालश्रम बढ़ता ही जा रहा है।
- जो भी बच्चों को रोजगार देगा उन्हें एक रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होना जरूरी है, कार्यस्थल पर कार्य करने वाले हर बच्चे का नाम और जन्म तिथि, बच्चे ने कितने घंटे कार्य किया, किस समय से कितने घंटे के लिए आराम का समय दिया गया, बच्चे को किस तरह का काम दिया गया, अन्य विषय।
- जो भी बच्चे काम कर रहे हैं, उनसे किसी भी स्थिति में 1 दिन में 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। इन 6 घंटों में से कम से कम 1 घंटा आराम का जरूर होना चाहिए। इन बच्चों से सुबह 7 के पहले और शाम 8 बजे के बाद काम करवाने की इजाजत नहीं। साथ ही हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होगी। यह छुट्टी तीन माह में एक बार से ज्यादा नहीं बदली जा सकेगी, और न ही बच्चों से ओवरटाइम करवाया जाएगा।
- बाल मजदूर जहां भी काम कर रहे हैं वहां उनके बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित इंतजाम किए जाएंगे— कार्यस्थल पर साफ—सफाई, धुएं या धूल से निपटने के लिए व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पीने के पानी, शौचालय, चलती हुई मशीनों से निकट सुरक्षा, हवादार वातावरण, विस्फोटक गैस—धुएं सम्बन्धी सुरक्षा, खतरनाक मशीनों से सुरक्षा, स्वचालित मशीनों से सुरक्षा, आग लगने की स्थिति में सुरक्षा इत्यादि सम्बन्धी नियम।
- अगर बाल मजदूर की उम्र को लेकर कोई विवाद इंस्पेक्टर और नियोक्ता के बीच होता है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित—अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र अनुसार उम्र तय की जाएगी। चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही अंतिम प्रमाण के रूप में मान्य होगा।
- इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेबर इंस्पेक्टर / निरीक्षक की होगी। ये विभिन्न औद्योगिक संस्थापनाओं में निरीक्षण का कार्य करेंगे।

भारत में बहुत सी सामाजिक—आर्थिक बुराइयों में से एक बंधुआ मजदूरी भी है। ये हमारे समाज में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। बंधुआ मजदूरी के अन्तर्गत, एक व्यक्ति को उसके श्रम के बदले में नाममात्र या बिल्कुल भी मजदूरी या वेतन नहीं मिलता है। कई बार व्यक्ति के कर्ज न चुकाने पर उसे बंधक बना लिया जाता है और उससे मजदूरी करवाई जाती है। इस अमानवीय प्रथा को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम समाज के कुछ शक्तिशाली वर्गों ने कमज़ोर वर्गों का शोषण करने के लिए तैयार किया था।

इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज के गरीब दलित या कमज़ोर वर्ग का कोई व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के उद्देश्य से साहूकार या जर्मीदारों से कर्ज ले तो उसके बदले में कर्ज लेने वाले के पास जो भी कुछ चल—अचल संपत्ति है, उसे साहूकार या जर्मीदार, बंधक के रूप में अपने पास रख लेता है। जिसके चलते कर्ज लेने वाले को बिना किसी मजदूरी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये साहूकार कर्ज की ब्याज दरों को इतना ऊँचा रखते हैं कि कर्ज लेने वाला व्यक्ति कभी मूलधन ही नहीं चुका पाता। इसकी वजह से कर्ज लेने वाला व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज चुकाता रहता है।

बंधुआ मजदूरी केवल कृषि के ही क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि शहरों में बहुत से क्षेत्रों में जैसे खनन, माचिस का निर्माण कार्य और भट्टे (जहां ईटों का निर्माण होता है) आदि में ये व्यापक रूप से फैली हुई है। शहरों में प्रवासी मजदूरों को अपने श्रम को बहुत कम, नाममात्र के वेतन या बिना वेतन के बेचने पर मजबूर होना पड़ता है।

इस अमानवीय व्यवस्था प्रणाली में बच्चों को भी शोषित किया जाता है विशेष रूप से छोटे स्तर की कम्पनियों, जैसे— पटाखे निर्माण की इकाईयां, माचिस निर्माण की इकाईयां, टेक्सटाइल, चमड़े से वस्तु निर्माण के कार्यों आदि में, वो चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों आदि में भी सुबह से लेकर शाम तक काम करने के लिए मजबूर किए जाते हैं।

अलग—अलग क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों को अलग—अलग नामों से जाना जाता है जैसे कि— बारहमसीया, कमिया, कुठिया, भगेला, मुँझी, नितमजुर, सेवक, सेरी, वेण्टी, कामदार आदि।

इस प्रकार मूल रूप से ये एक शोषणकारी व्यवस्था है, जिसकी जड़ें भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं में मौजूद विशाल असमानताओं और भेदभाव के रूप में मौजूद हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार — मानव का दुर्योगार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो कानून के अनुसार दंडनीय होगा।

इस प्रथा पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णय देते हुए बंधुआ मजदूरी को बेगार के रूप में मान कर इसे अनुच्छेद-23 के अन्तर्गत असंवैधानिक घोषित किया है। अनुच्छेद-23 को प्रभाव में

लाने के लिए संसद ने बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया है। अधिनियम बंधुआ मजदूरी करवाने वाले के लिए दंडनीय अपराध की व्यवस्था करता है।

समाजिक और आर्थिक कारणों से बंधुआ मजदूरी की प्रथा और व्यवहार को खत्म करना जरूरी है। जब हम इसके बारे में पहल करेंगे तो यह भी देखना जरूरी होगा कि श्रमिकों को उनके पूरे हक मिलें और किसी भी रूप में उनका शोषण न हो, वहीं, दूसरी ओर यह देखा जाता है कि इस प्रथा से बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनसे मजदूरी और श्रम करवाया जाता और उन्हें पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है। बच्चों से मजदूरी करवाना भी सामाजिक-आर्थिक और कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। हम इस पुस्तिका में बंधुआ मजदूरी का जिक बच्चों के हकों के संदर्भ में कर रहे हैं। इसके बारे में आपको एक अध्याय दूसरे साल की पुस्तिका महत्वपूर्ण श्रम कानून और मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल एवं विभिन्न विभागों की योजनाओं पुस्तिका में भी मिलेगा। यहां हमारी अपेक्षा है कि बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के पहल को बच्चों के नजरिए से देखा और महसूस किया जाए।

बंधक मजदूर कौन हो सकता है?

केवल मारपीट या बांधकर रखे जाने पर ही कोई बंधुआ मजदूर नहीं कहलाता बल्कि कई अन्य स्थितियों में कार्य करने वाला व्यक्ति भी बंधक मजदूर माना जाता है। जैसे –

- किसी कारणवश या जरूरत को पूरा करने के लिए (जैसे अनाज लेना, बीज, खाद, कीटनाशक, बीमारी के इलाज, शादी, मृत्यु भोज आदि) हासिल किए गए कर्ज (ऋण) का अपने श्रम द्वारा भुगतान करने हेतु बाध्य मजदूर।
- गिरवी रखे भूखण्ड को छुड़ाने के लिए बाध्य श्रम करता हुआ व्यक्ति।
- आवश्यकता पड़ने पर अनाज के उधार को मजदूरी से चुकाने हेतु बाध्य व्यक्ति।
- किसी जाति विशेष के होने के कारण जबरन श्रम करता व्यक्ति।
- किसी कार्य विशेष हेतु अग्रिम भुगतान (एडवांस) के बदले में बाध्य श्रम करता हुआ व्यक्ति।
- माता-पिता अथवा पूर्वजों द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी के बदले मजदूरी करने वाला।
- अधिक मजदूरी के लालच में बिना सोच विचार के काम की शर्तों का स्वीकार करने पर बाद में आवाजाही प्रतिबंधित कर जबरन श्रम कराने पर।
- निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी प्राप्त कर मजदूरी हेतु बाध्य किया गया व्यक्ति।
- यह भी देखा गया है कि जब मजदूर को अपने गांव/बसाहट के आसपास काम/मजदूरी नहीं मिलती है, तब उसे जीवनयापन के लिए दूसरे शहर या दूसरे राज्य को जाना पड़ता है। वहां ठेकेदारों द्वारा उनसे अमानवीय परिस्थितियों में कम मजदूरी पर काम करवाया जाता है और उनकी आवाजाही पर रोक लगाई जाती है।

कानून के मुख्य प्रावधान

- इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के बंधक श्रम अथवा बंधुआ मजदूरी को गैर-कानूनी माना गया है तथा यह एक दण्डनीय अपराध है।

- इस कानून के लागू होने पर सभी बंधुआ मजदूर स्वतंत्र एवं मुक्त घोषित किए गए हैं। वे सभी ऐसे कार्यों से मुक्त हैं जिनके लिए उन्हें बंधुआ मजदूर रखा गया था।
- वे उन सभी परंपराओं, ऋण/कर्जे, अग्रिम भुगतान के पालन/अदायगी से भी मुक्त हैं जिनके कारण उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा था।
- बंधुआ मजदूरी से संबंधित लंबित सारे मुकदमों से भी उन श्रमिकों को मुक्त घोषित किया गया। ऐसा कोई भी समझौता/करार/अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा, जो किसी भी व्यक्ति से बंधुआ/जबरिया मजदूरी करवाता हो। ऐसा करने पर जर्मीदार/ठेकेदार को अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास और रूपए 2000/- तक के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति, उपरोक्त वर्णित में से या अन्य किसी कारण से, बंधुआ मजदूरी के जाल में फँस गया हो तो उसे मुक्त कराना, उनके नियोजकों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना शासन की जिम्मेदारी है।

शिकायत

- बंधुआ मजदूर होने की जानकारी होने पर तत्काल संबंधित तहसीलदार, थाना प्रभारी, जिला मजिस्ट्रेट को इस संबंध में शिकायत की जाना चाहिए, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से अपने शोषण, नियोजन, मजदूरी आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाए। यथासंभव समूह में शिकायत करें तथा जान जाने की आशंका हो तो पुलिस को शिकायत करें। अपने परिजनों एवं मित्रों को भी इस संबंध में अवगत कराएं।
- बेहतर होगा कि संगठित होकर शिकायत करें।

जिम्मेदारी

- ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी बंधक मजदूर प्रकरण की जांच कर पीड़ित श्रमिकों की तत्काल मुक्ति की व्यवस्था करेगा। ऐसे समस्त मुक्त कराए गए श्रमिकों को विमुक्ति/रिहाई प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे तथा कार्य स्थल से मूल निवास स्थान तक यात्रा की व्यवस्था की जाएगी और पुनर्वास योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इस अधिनियम के अंतर्गत कोई बंधुआ मजदूरी करने की मजबूरी से स्वतंत्र और मुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को उसके घर या अन्यक आवासीय परिसर जिसमें वह रह रहा/रही हो, बेदखल नहीं किया जाएगा।
- इस अधिनियम के लागू होने के बाद, कोई व्यक्ति यदि किसी को बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश करता है तो उसे कारावास और जुर्माने का दण्डी भुगतना होगा। इसी प्रकार, यदि कोई बंधुआ ऋण अग्रिम में देता है, वह भी दण्ड का भागी होगा।

सरकार की जिम्मेदारी

- राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती है और ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हो कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उचित अनुपालन हो।
- इस प्रकार प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी, ऐसे बंधुआ मजदूरों के आर्थिक हितों की सुरक्षा और संरक्षण करके मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के कल्याकण का संवर्धन करेंगे।
- प्रत्येक राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के जरिए प्रत्येक जिले और प्रत्येक उपमण्डल में सतर्कता समितियां, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, गठित करेगी।

प्रत्येक सतर्कता समिति के कार्य इस प्रकार है : –

- ✓ इस अधिनियम के प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए किसी नियम का उपयुक्त ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों और कार्रवाई के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी को सलाह देना;
- ✓ मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करना;
- ✓ मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों के कार्य को समन्वित कोशिश करना;
- ✓ उन अपराधों की संख्या पर नजर रखना, जिसका संज्ञान इस अधिनियम के तहत किया गया है,
- ✓ एक सर्वेक्षण करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है;

मुक्त बंधुआ श्रमिकों हेतु पुनर्वास योजना

भारत सरकार द्वारा पूर्व योजना को संशोधित करते हुए दिनांक 17 मई 2016 से बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु नवीन योजना लागू की है जिसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं –

- योजना के अंतर्गत अब सम्पूर्ण राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
- केंद्र सरकार द्वारा बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में संशोधन कर वित्तीय सहायता राशि को 20000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है।
- सर्वाधिक वंचित, हाशिए पर खड़े व्यक्ति जैसे दिव्यांगों, तस्करी एवं यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर को तीन लाख रुपए मिलेंगे।
- वहीं इस क्रम में दूसरे स्थान पर आने वाली महिलाओं एवं नाबालिगों की विशेष श्रेणी को अब 2 लाख रुपए मिलेंगे।
- सामान्य व्यस्क पुरुष बंधुआ मजदूर को आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए मिलेंगे।
- इस नई योजना के तहत एक निश्चित रकम को एक वार्षिकी खाते में रखा जाएगा, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियंत्रित होगा। शेष रकम सीधे हितग्राही को दी जाएगी जिससे कि वह अपने जीविका के लिए कोई स्थायी साधन निर्मित कर सके।

- इस नई योजना की विशेषता यह है कि इसके जरिए किसी गिरोह द्वारा संगठित तरीके से भीख मंगवाया जाना, जबरन वेश्यावृत्ति, बालश्रम को बंधुआ मजदूरी के नए स्वरूपों में करवाई जाने वाली बेगारी और बंधुआ मजदूरी को भी सम्मिलित किया गया है।
- घोर अमानवीय एवं गैर कानूनी कार्यों (जैसे वेश्यावृत्ति, बूचढ़ खाना, मसाज पार्लर, नशीले पदार्थों की तस्करी आदि तथा ऐसे अन्य कार्य जो कि जिला मजिस्ट्रेट इस संबंध में उचित समझे) में लगाए गए बंधुआ अथवा बलात मजदूरों की विमुक्ति पर उन्हें रुपए तीन लाख की राशि पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी।
- इन लाभों के अतिरिक्त मूल योजना के अनुसार शासन की किसी कल्याणकारी योजना में भी पात्रतानुसार लाभ भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ववत प्रदान किए जाएंगे। जैसे –
 - ✓ शासन की कल्याणकारी योजनाओं में पात्रतानुसार विमुक्त बंधक मजदूर व परिवार के सदस्यों को लाभ देना।
 - ✓ आवासीय भूमि एवं कृषि भूमि का आवंटन
 - ✓ भूमि विकास
 - ✓ पशुपालन एवं दूध डेरी, मुर्गी पालन आदि
 - ✓ रोजगार के अवसर तथा न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाना
 - ✓ वनोपज का संग्रहण एवं प्रोसेसिंग
 - ✓ बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था
 - ✓ आवश्यक खाद्य सामग्री उवित मूल्य पर उपलब्ध करवाना

उक्त योजना के अन्तर्गत प्रकरण के प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट/संबंधित विभाग द्वारा बनाकर भेजे जाएंगे।

व्यवस्था को बदलने की पहल

बंधुआ मजदूरी से मुक्ति के लिए जरूरी है कि हमारे यहां व्यवस्था में बदलाव हो। अपने गांव/बस्ती/समुदाय में श्रम और शमिकों से सम्बंधित कानून पर जागरूकता/लोक शिक्षण के कार्यक्रम किए जाने चाहिए। हमारे यहां इससे सम्बंधित बहुत सारे कानून बने हुए हैं, किन्तु जब तक उनका क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक उनका होना बेमानी है।

जब भी मजदूरी के लिए किसी अन्य राज्य की तरफ जाएँ तो स्थानीय पंचायत/नगरीय निकाय और श्रम कार्यालय को सूचित करके जाएं।

यह जरूरी है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून/योजना, वन अधिकार कानून, कृषि विकास-सहायता की योजनाओं, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का श्रेष्ठ क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जरूरी है।

कारखाना अधिनियम, 1948

कारखाना अधिनियम श्रमिकों के हक्कों की सुरक्षा के नजरिए से बनाया गया है। आपको इस कानून का एक अध्याय दूसरे वर्ष की पुस्तिका महत्वपूर्ण श्रम कानून और मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल एवं विभिन्न विभागों की योजनाएं पुस्तिका में भी मिलेगा। यहां हमारी अपेक्षा है कि कारखाना अधिनियम बच्चों के अधिकारों के नजरिए से भी देखा जाए। सामाजिक और आर्थिक कारणों से बंधुआ मजदूरी की प्रभा और व्यवहार को खत्म करना जरूरी है। जब हम इसके बारे में पहल करेंगे तो यह भी देखना जरूरी होगा कि श्रमिकों को उनके पूरे हम मिलें, और किसी भी रूप में उनका शोषण न हो, वहीं दूसरी ओर यह देखा जाता है कि श्रम के संदर्भ में बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं।

भारत में कारखाना अधिनियम एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून है जो विस्तृत रूप से कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के अधिकारों एवं काम करने के लिए अनुकूल वातावरण की रूपरेखा बताता है। इस अधिनियम में बच्चे और किशोर को अलग—अलग परिभाषित किया है। अधिनियम की धारा 2 (बी) के अनुसार किशोर (Adolescent) वह है जिसकी उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच की हो। धारा 2 (सी) के अनुसार बच्चा (Child) वह है जिसने 15 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। धारा 2 (डी) के अनुसार युवा व्यक्ति (Young Person) वह है जो या तो अधिनियम के अनुसार बच्चा है अथवा किशोर है।

युवा व्यक्तियों के लिए निषेध —

1. कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो कारखाने में काम नहीं कर सकता। (धारा 67)
2. 14 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा सिर्फ फिटनेस का प्रमाण पत्र मिलने की स्थिति में ही कारखाने में काम कर सकता है।
3. किशोर से दिन में सिर्फ 4—5 घंटे ही काम करवाया जा सकता है, वो भी रात में नहीं करवाया जा सकता। (धारा 71)
4. किशोर को किसी भी तरह के खतरनाक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। (धारा 23)
5. किसी भी बच्चे या किशोर को किसी भी तरह के खतरनाक वातावरण में काम नहीं करवाया जा सकता।

बच्चों का रजिस्ट्रेशन

जो भी बच्चा कारखाने में काम कर रहा हो उसकी पूर्ण जानकारी मैनेजर को रजिस्टर में दर्ज करनी चाहिए, जिसमें उसका नाम, पता, जो काम कर रहा है उसका विवरण फिटनेस प्रमाण पत्र का विवरण अवश्य होना चाहिए।

सहायता

इस अधिनियम की किसी भी धारा का उल्लंघन होने पर उसकी जानकारी श्रम आयुक्त को अथवा सम्बन्धित थाने में लिखित रूप से दी जा सकती है।

भारतीय दंड संहिता—1860 और बच्चों का संरक्षण का अधिकार

भारतीय दंड संहिता, भारत की सबसे महत्वपूर्ण आपराधिक संहिता है। यह संहिता सन् 1862 में अस्तित्व में आई। इस संहिता में भी बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए अलग प्रावधान है साथ ही बच्चों के द्वारा किए गए विधि विरुद्ध कार्यकलापों के लिए भी अलग से विभिन्न प्रावधान हैं।

बच्चों के द्वारा किए गए विधि विरुद्ध कार्यकलापों के लिए विशेष प्रावधान

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 6 एवं धारा 82 (साधारण अपराध) के अनुसार इस संहिता के अंतर्गत किया गया कोई भी अपराध अगर 7 वर्ष की उम्र से कम आयु वाले बच्चे ने किया है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, अर्थात् 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी विधि विरुद्ध कार्य इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय नहीं है।
2. संहिता की धारा 83 के अनुसार 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों द्वारा इस संहिता के अनुसार किए गए विधि विरुद्ध कार्य भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे (अगर बच्चे को उस विधि विरुद्ध कार्य के परिणाम की समझ नहीं हो तो।)

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराधों का वर्गीकरण निम्न है

1. संहिता की धारा 305 के अनुसार यदि किसी भी बच्चे द्वारा आत्महत्या कर ली गयी हो, उसे जिसने भी आत्महत्या करने के लिए उकसाया हो वह व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराधी है। उसे मृत्यु—दंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास के साथ ही अर्थदंड लगाया जाएगा।
2. धारा 316 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जानते समझते हुए ऐसा कोई कार्य करता है जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह इस धारा के अधीन दोषी पाया जाएगा, और उसे 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
3. धारा 317 के अनुसार माता—पिता या बच्चे का पालन—पोषण करने वाला कोई अन्य व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ देने के आशय से किसी भी असुरक्षित स्थान पर छोड़ देता है तो इस धारा के अधीन अपराधी होगा। इस धारा में किए गए अपराध की सजा 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हैं।
4. अधिनियम की धारा 361 किसी भी बच्चे (लड़का 16 वर्ष से कम और लड़की 18 वर्ष से कम) का अपहरण करने पर लागू होगी। इस धारा के अधीन किए गए अपराध के लिए 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। (धारा 363 के अनुसार)
5. धारा 363—ए सन् 1959 में इस संहिता में सम्मिलित की गई इसके अनुसार : —

- ✓ बच्चों का अपहरण भीख मंगवाने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, या
 - ✓ बच्चे का कानूनी रूप से संरक्षक नहीं होने वाले व्यक्ति द्वारा बच्चे का संरक्षण इसलिए करेगा कि उस बच्चे से भीख मंगवा सके,
6. इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है तथा उसके लिए 10 वर्ष तक का कारावास के साथ ही जुर्माने का प्रावधान है।
7. भारतीय दंड संहिता की धारा 366—ए के अनुसार नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए उसे किसी और व्यक्ति के पास भेजना या भेजने का प्रयास करना अपराध है, जिसकी सजा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। यह धारा नाबालिग बालिकाओं को वेश्यावृत्ति में लगाने वालों पर भी लागू है। साथ ही धारा 366—बी किसी भी विदेशी लड़की को (21 वर्ष से कम आयु) को भारतीय दंड संहिता की धारा 366—ए में वर्णित अपराध करवाने के उद्देश्य से भारत लाने पर लागू होती है, इस धारा के अधीन भी 10 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।
8. धारा 372 किसी भी नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति या अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध बनाने हेतु खरीदने/बेचने पर लागू होती है। इस अपराध के लिए वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।
9. भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में वर्णित बलात्कार अगर किसी ऐसी लड़की के साथ किया जाता है जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो धारा 376 (2) के अनुसार इस अपराध के लिए कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास के साथ ही दंड का प्रावधान है।

बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिनियम (POCSO)

भारत में इस कानून के बनने से पहले बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था। यह एक व्यापक कानून है जो की लैंगिक अपराधों, लैंगिक उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य से बच्चों के संरक्षण के साथ ही विशिष्ट न्यायालयों का गठन एवं सरल प्रक्रिया प्रदान करता है। कानून के द्वारा अलग-अलग लैंगिक अपराधों को परिभाषित किया गया है साथ ही इसका दायरा विस्तृत किया है।

भारत में बच्चों के ऊपर हो रहे अत्याचार/ शोषण (मानसिक तथा शारीरिक) को समझाने एवं परिभाषित करने के लिए तथा इन समस्याओं के निदान के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था, बच्चों से जुड़े अपराध भारतीय दंड संहिता, किशोर न्याय अधिनियम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून आदि के अंतर्गत आते थे, इसलिए इस नए कानून की आवश्यकता पड़ी। भारत "कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन" का हस्ताक्षरी भी है, यह कानून उसे पूरा करने की ओर के कदम है।

अपराधों का वर्गीकरण

1. **प्रवेशन लैंगिक हमला** (penetrative sexual offence) – धारा 3 में वर्णित इस अपराध का अर्थ किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चे के मुंह, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग में अपने शरीर के किसी भाग को डालना या बच्चे द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर में ऐसी क्रिया करवाना। इस अपराध की सजा 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास एवं हर्जाना है।
2. **गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला** (aggravated penetrative sexual offence)- धारा 3 में वर्णित अपराध का किसी भी पुलिस अधिकारी या लोक सेवक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में करना। इस अपराध की सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास एवं हर्जाना है।
3. **लैंगिक हमला** (sexual assault) – लैंगिक हमला, प्रवेशन लैंगिक हमला से इस मायने में भिन्न है कि लैंगिक हमले में व्यक्ति के किसी भी भाग का प्रवेश बच्चे में नहीं होता वरन् बदनीयती से बच्चे के साथ छेड़-छाड़ करना होता है। इस अपराध की सजा 3 से 5 वर्ष कारावास एवं हर्जाना है।
4. **गुरुत्तर लैंगिक हमला** (aggravated sexual assault) – धारा 7 में वर्णित अपराध का किसी भी पुलिस अधिकारी या लोक सेवक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में करना। इसकी सजा 5 से 7 वर्ष कारावास एवं हर्जाना है।
5. **लैंगिक उत्पीड़न** (sexual harassment) – धारा 11 में लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ किसी भी बच्चे को अश्लील सामग्री दिखाना, अश्लील संकेत देना, अश्लील आवाज निकलना, अश्लील फिल्म या तस्वीरें दिखाना आदि है। इस अपराध की सजा 3 वर्ष तक का कारावास एवं हर्जाना है।
6. **बच्चों को अश्लील फिल्मों** (pornography) के लिए उपयोग करना, इस अपराध की सजा 5 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना है।
7. **बच्चों की अश्लील फिल्मों** का संग्रह करने पर 3 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।
- 8.

मामलों की रिपोर्ट करना

धारा 19 के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति (अवयस्क भी) जिसे इस कानून के अंतर्गत हो रहे किसी भी अपराध की जानकारी है, उसकी सूचना चाइल्ड वेलफेर ऑफिसर (जो कि हर पुलिस थाने में पदस्थ होना चाहिए) या स्थानीय पुलिस को देना आवश्यक है।

ऐसी दी गई हर जानकारी को एक विशिष्ट क्रमांक अंकित कर रजिस्टर में सामान्य भाषा में दर्ज करना आवश्यक है। साथ ही उसे सामान्य भाषा में बच्चे को समझाना भी आवश्यक है। ऐसे सभी मामलों की जानकारी 24 घंटे में विशिष्ट न्यायालय में एवं बाल कल्याण समिति (सीडब्यूसी) में देना जरूरी है।

मीडिया – धारा 25 के अनुसार किसी भी प्रकरण में बच्चे का नाम, पता, फोटो जैसी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा खबरों में करना अपराध है, साथ ही अधूरी या अपुष्ट खबरों का प्रकाशन भी। यदि इसका उल्लंघन होना पाया जाता है तो 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पोक्सो और किशोर न्याय अधिनियम

इस कानून के अंतर्गत दायर होने वाले समस्त प्रकरणों की जानकारी बाल कल्याण समिति CWC को देना आवश्यक है, तथा निम्नलिखित प्रकरणों में बच्चे को CWC के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है रु—

1. अगर बच्चे के साथ अपराध एक ही या साझे घर में रहने वाले व्यक्ति ने किया हो।
2. बाल गृह आश्रय गृह या ऐसे गृह जो कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आते हों अथवा सामाजिक न्याय विभाग की ओर से संचालित होते हों, में रहता हो।
3. बच्चा माँ—पिता के साथ नहीं रहता हो।

इन मामलों में बाल कल्याण समिति की यह जवाबदारी है कि वह यह तय करे कि क्या बच्चा घर में सुरक्षित है ? अगर नहीं तो क्या बच्चे को आश्रय गृह में रखना चाहिए ?

बच्चे के बयान लेना

बच्चे के बयान लेने में CRPC की धारा 157 का उपयोग होगा।

CRPC की धारा 164 के अंतर्गत बयान बच्चे के पालक या अन्य किसी व्यक्ति (जिस पर बच्चा भरोसा करता हो) की उपस्थिति में ही लिए जा सकते हैं, तथा जरूरत पड़ने पर उसकी रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है।

बयान के वक्त पुलिस अधिकारी गणवेश में नहीं होना चाहिए। बच्चे को अपराधी से दूर रखना होगा एवं किसी भी प्रकार से उसके संपर्क में नहीं आने देना होगा।

विशिष्ट न्यायालय

विशिष्ट न्यायालयों का गठन राज्य सरकारों द्वारा गजट नोटिफिकेशन द्वारा होगा, एवं जहाँ विशिष्ट न्यायालय नहीं हो वहां मामलों की सुनवाई वह न्यायालय करेगी, जिसे इसका अधिकार दिया हो।

चिकित्सीय परामर्श

सीआरपीसी की धारा 164 अ के अनुसार होगा।

चिकित्सकीय परामर्श एफआईआर लिखे जाने के पूर्व भी हो सकता है।

महिला चिकित्सक द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

चिकित्सीय परामर्श के समय बच्चे के पालक या ऐसे व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता हो का होना आवश्यक है।

बढ़ रहे हैं बच्चों के प्रति अपराध

देश में बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में बताया गया है कि साल 2012 और 2013 में बच्चों के प्रति अपराधों के क्रमशः कुल 38,172 मामले और 58,224 मामले दर्ज किए गए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत अधिक है।

सरकार ने इस बढ़ोत्तरी के पीछे जो तर्क प्रस्तुत किए उसमें कहा गया कि वर्ष 2013 के दौरान दर्ज हुए मामलों में अत्यधिक वृद्धि, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के लागू किए जाने के कारण हो सकती है, जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा मामलों को दर्ज न करना भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने दिनांक 25/06/2013 को, लापता बच्चों के मामलों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज किए जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी पत्र जारी किया है।

इसका आशय यह भी है कि इन निर्णयों के पहले तक बच्चों के प्रति अपराध तो होते थे, लेकिन उन्हें दर्ज नहीं किया जाता था। हालांकि बच्चों के प्रति अपराधों को संविधान का हवाला देते हुए राज्य का विषय अधिक बताया गया। जवाब में कहा गया कि संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए, बच्चों के प्रति अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाना, उन्हें दर्ज करना, उनकी जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारोंसंघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, केन्द्र सरकार बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामले को अत्यधिक महत्व देती है और विभिन्न योजनाओं, परामर्शी पत्रों आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का संवर्धन करती है।

गृह मंत्रालय ने बच्चों के प्रति अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विधान एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए भी अनेक उपाय किए हैं। दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 दिनांक 03 फरवरी, 2013 से लागू है। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं को संशोधित किया है। इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करने, घूरने, तेजाब से हमलों, शब्दों और अनुचित स्पर्श आदि जैसे अभद्र व्यवहार के अपराधों के लिए अधिक दंड का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों में तेजाब से होने वाले हमलों, पीछा करने और घूरने जैसे अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त बलात्कार के दोषियों के लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड सहित अधिक दंड का प्रावधान मौजूद है। दिनांक 14 नवम्बर, 2012 से लागू यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम, 2012, यौन उत्पीड़न और शोषण से बच्चों की सुरक्षा के बारे में एक विशेष कानून है।

गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

जन्म लेने का अधिकार और लिंग परीक्षण — इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हमारे समाज में बेटियों को बराबरी का स्थान नहीं दिया गया। लड़कों को समाज में संसाधन माना जाता है जबकि लड़कियों को संपत्ति उन्हें खुद के जीवन, शरीर, सोच और व्यक्तित्व पर पूरा अधिकार नहीं मिलता है। पिछले 30–40 सालों में एक नई व्यवस्था, नए व्यवहार ने जन्म लिया है; वह व्यवहार है यह पता करने का कि गर्भ में जो भ्रूण, (गर्भ में रहने वाला बच्चा) है, उसका लिंग क्या है? जो बच्चा जन्म लेने वाला है वह लड़का है या लड़की ! इसे जन्म से पहले ही लिंग परीक्षण कहा जाता है। लिंग परीक्षण करने वाली तकनीक को अल्ट्रासाउंड–सोनोग्राफी कहा जाता है। अपने आप में यह तकनीक गलत नहीं है। वास्तव में इसका उपयोग गर्भवती महिला और उसके बच्चे की सुरक्षा और बेहतरी के लिए किया जाना थाय किन्तु लैंगिक भेदभाव की सामाजिक विसंगति कई विशेषज्ञों के लिए "व्यापार का अवसर" बन गयी। वे इस तकनीक का उपयोग लिंग परीक्षण के लिए करने लगे।

जब अल्ट्रासाउंड– सोनोग्राफी तकनीक का उपयोग गर्भ में रहने वाले बच्चे के लिए किया जाने लगा, तो संकट और बढ़ गया। कई परिवारों में जैसे ही पता चलता कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है, उसे गर्भ में ही मारा जाने लगा। इसे लिंग परीक्षण आधारित गर्भपात कह सकते हैं।

जरा सोचिए कि गर्भ में बच्चे के लिंग की पहचान करके लड़की होने पर उसे मार देना, क्या एक सभ्य समाज का सूचक है ? भारत में लिंग परीक्षण और लिंग परीक्षण आधारित गर्भपात को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्थाएं हैं, किन्तु ये कानूनी व्यवस्थाएं पूरी तरह से लागू हो न सकीं, क्योंकि इस अपराध में समाज का भी एक तबका शामिल है। प्रायोगिक / मैदानी काम की श्रृंखला में हमें यह पहल करना है कि लड़कियों के अस्तित्व, स्वतंत्रता, गरिमा और सम्मान पर गांव / बस्ती / वार्ड में गंभीर चर्चाएं हों, बहस हो और ग्राम सभा–पंचायत के जरिए यह सुनिश्चित किया जाए कि समुदाय में किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव न हो।

वहां यह चर्चा हो कि गर्भ में बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना या जन्म के बाद नवजात लड़की के साथ दुर्व्यवहार करना या उसकी हत्या करना या उसके जीवन के साथ प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से खिलवाड़ करना अमानवीय काम है, यह सामाजिक और कानूनी तौर पर अपराध है। हमें केवल चर्चा नहीं करना है, बल्कि यह नजर भी रखना है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी घर, परिवार या समुदाय में लड़कियों के साथ भेदभाव–दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है! अच्छे से यह चर्चा हो कि लैंगिक भेदभाव को रोकने के

लिए कड़े कानून तो हैं ही, साथ में गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 भी लागू है। हमें इस कानून को लागू करने और करवाने के लिए सामाजिक माहौल बनाना है।

कुछ महत्वपूर्ण कानून और उनके प्रावधान

- भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के अनुसार किसी भी गर्भवती महिला का स्वेच्छा से गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के प्रयोजन से न किया जाए तो इसमें तीन साल की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार यदि महिला की सहमति और इच्छा के बिना गर्भपात कराया जाता है, तो आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अनुसार किसी के द्वारा किसी महिला का गर्भपात करने के मकसद से किए गए कार्यों से यदि किसी महिला की मौत हो जाए, तो इसके लिए 10 साल की जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 315 के अनुसार शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु सुनिश्चित करके लिए किए गए कार्य के 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
- गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के अनुसार गर्भ धारण करने और प्रसव से पहले लिंग परीक्षण करना और करवाना (दोनों कार्य) कानूनी अपराध है।
- लिंग चयन या परीक्षण के लिए किसी भी रूप में मदद करना या विज्ञापन के जरिए उसका प्रचार करना भी कानूनी अपराध है। इसके लिए 3 से 5 साल तक की कैद और 10 हजार से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

लड़के और लड़कियों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक गैरबराबरी और भेदभाव को दर्शाता है हमारे देश का लिंग अनुपात। भारत में हालिया जनगणना (2011) के मुताबिक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। लेकिन 6 साल से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या में लिंग अनुपात 919 है, यानी बच्चियों की संख्या कम हो रही है।

यह हमारी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था की चरित्र ही है जो लड़कियों के साथ केवल भेदभाव ही नहीं करता है, बल्कि उन्हें जन्म लेने भी रोक देता है। कई इलाकों में लड़कियां अगर जन्म ले भी लें, तो बहुत छोटी उम्र में उनकी हत्या ही कर दी जाती है। कारण – लैंगिक भेदभाव से पानी यह अमानवीय सोच और व्यवहार की पुरुष से ही परिवार, समाज और जीवन चलता है। उसी से सम्मान भी है और उसी से सम्पन्नता भी।

स्वास्थ्य विज्ञान के तहत सुरक्षित प्रसव के लिए महिला और गर्भ में रहे बच्चे की जांच के लिए अल्ट्रा साउंड-सोनोग्राफी की तकनीक आई। इसी तकनीक का उपयोग गर्भ में ही बच्चे के लिंग की पहचान के लिए किया जाने लगा। विशेषज्ञ समाज – परिवार – सम्बंधित सदस्य को जांच करके यह बताने लगे कि गर्भ में लड़का है या लड़की, इसी के आधार पर जब यह पता चलने लगा कि गर्भ में लड़की है, तो उसकी गर्भ में ही हत्या की जाने लगी। इसी को कन्या भ्रूण, हत्या कहते हैं। यह माना जाता है कि जन्म के पहले लिंग परीक्षण करने और कन्या भ्रूण हत्या के मामले सबसे पहले 1970 के दशक में सामने आए। शुरुआत में इनका दायरा बड़े शहरों और संपन्न परिवारों तक सीमित रहा। इसके बाद सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर आवाज बुलांद की। वर्ष 1988 में महाराष्ट्र जन्म पूर्व जांच तकनीकी प्रयोग अधिनियम–1988 बना। इसके बाद देश में कन्या भ्रूण, हत्या के मामले को बहुत साफतौर पर देखा जाने लगा। आंकड़े यह साबित कर रहे थे कि लड़कियों के साथ कोई गंभीर अपराध हो रहा है।

तब केंद्र सरकार ने जन्म पूर्व तकनीकी दुरुपयोग (विनियम एवं रोकथाम) अधिनियम 1994 बनाया और लागू किया। इस कानून का मकसद था कि अनुवांशिक बीमारियों या जन्मजात विकृतियों-विकलांगता और लिंग सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने या उनके उपचार में जन्म पूर्व तकनीक के प्रयोग के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाना और यह सुनिश्चित करना कि लिंग परीक्षण के लिए इन तकनीकों का दुरुपयोग न हो।

इस कानून का क्रियान्वयन बहुत तत्परता के साथ नहीं हुआ। जिसके कारण जन्मपूर्व लिंग परीक्षण होते रहे और कन्या भ्रूण, हत्याएं भी होती रहीं। एक तरफ तो समाज में बच्चियों के खिलाफ व्यवहार हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग और संस्थाएं मिलकर यह कोशिश कर रहे थे कि इस कानून और कड़ा बनाया जाए और उसका पालन भी हो।

यह भी देखा गया कि कई लोग पहले से यह जांचें करवाने लगे हैं कि यदि महिला गर्भधारण करे तो गर्भ में लड़का अस्तित्व में आएगा या लड़की। यह जांच पुरुष के वीर्य में मौजूद क्रोमोसोम्स की पड़ताल करके की जाती है। इससे लोग यह तय करने लगे कि वे कोई ऐसा उपचार करवाएं जिससे लड़के का जन्म हो जाए। यह भी होने लगा कि समाज का एक तबका लड़के के जन्म के लिए भाँति-भाँति के उपचार करवाने लगा।

इसके बाद 1994 के कानून को गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम का रूप दिया गया। इस कानून में गर्भ-धारण के पहले ही लिंग की पहचान के लिए की जाने वाली कोशिशों को शामिल किया गया। इस कानून के तहत किसी भी तकनीक के माध्यम से गर्भ-धारण के पूर्व या जन्म पूर्व लिंग परीक्षण और लिंग की जानकारी की घोषणा करने पर प्रतिबन्ध है। इतना ही नहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे सम्बंधित किसी भी तरह का विज्ञापन करना प्रतिबंधित है और दड़नीय भी है।

1. कोई व्यक्ति, जिसमें कोई फर्टिलिटी क्षेत्र का विशेषज्ञ या विशेषज्ञों की टीम सम्मिलित है, किसी महिला या पुरुष या दोनों या उन दोनों या उनमें से किसी एक के कोई भी ऊतक, गर्भस्थ भ्रूण, कान्स्ट्रक्ट्स, फ्ल्यूड या गैमेट का न तो प्रबंध करेगा, न उसमें सहायता करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से करवाएगा। (धारा 3—क)
2. ऐसे व्यक्ति, प्रयोग शालाएं तथा विलनिक, जो इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, को अल्ट्रासाउंड मशीन आदि बेचने का प्रतिषेध है। (धारा 3—ख)
3. प्रसूति पूर्व तकनीक निम्नलिखित उद्देश्यों के अलावा उपयोग में नहीं लाई जाएगी—
 - गुणसूत्री अनियमितताओं में,
 - अनुवांशिक उपापचयी विकारों,
 - हीमोग्लोबीनोपैथी,
 - लिंग सम्बन्धी विकारों में,
 - जन्मजात विषमता में,
 - अन्य कोई अनियमितता या बीमारी जैसा कि केन्द्रीय पर्यवेक्षणीय मंडल द्वारा निर्दिष्ट की जाए। धारा 4 (2)
4. इन स्थितियों में ही महिला का प्रसूति पूर्व परीक्षण किया जाएगा —
 - गर्भवती महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक हो,
 - गर्भवती महिला के दो या अधिक तात्क्षणिक गर्भपात या गर्भस्थ भ्रूण, हानि हो चुकी हो,
 - गर्भवती महिला ड्रग्स, विकिरण, इन्फेक्शन या केमिकल्स जैसे पोटेंशियली टेराटोजेनिक एजेंट्स के संपर्क में आई हो,
 - गर्भवती महिला या उसके पति के परिवार में मानसिक मंदता या शारीरिक कुरचना जैसे स्पैस्टीसिटी या कोई अन्य अनुवांशिक बीमारी का इतिहास हो,
 - अन्य कोई शर्त जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए, धारा 4 (3)
5. कोई भी व्यक्ति, जो किसी गर्भवती महिला की अल्ट्रा सोनोग्राफी करता है, वह अपने क्लीनिक में कानून में बताए गए सभी दस्तावेज सुरक्षित रखेगा तथा कोई कमी या अपूर्णता पाए जाने पर धारा 5 या धारा 6 का उल्लंघन माना जाएगा, जब तक वह व्यक्ति, जिसने अल्ट्रा सोनोग्राफी की है, उसे अन्यथा साबित न कर दे। धारा 4 (3)
6. बच्चे के जन्म से पहले कोई भी व्यक्ति प्रसूति पूर्व तकनीक प्रक्रिया का संचालन गर्भवती महिला की लिखित सहमति के बिना नहीं करेगा। इसके साथ ही महिला को इसके सभी ज्ञात पक्षों के बारे में जानकारी दी जानी होगी। इसके साथ ही महिला के भाषा में ही इस प्रक्रिया के सञ्चालन के लिए लिखित सहमति लेना होगी। (धारा 5)
7. कोई भी व्यक्ति प्रसूति पूर्व निदान तकनीकी, जिसमें अल्ट्रा सोनोग्राफी सम्मिलित है, का सञ्चालन भ्रूण, के लिंग निर्धारण हेतु नहीं करेगा या करने का कारक बनेगा। कोई भी व्यक्ति,

किसी भी प्रकार या कारण से गर्भधारण पूर्व या पश्चात लिंग चयन नहीं कर सकेगा। (धारा 6 (क और ख))

8. इस कानून के तहत राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन होगा, जो इस कानून के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और प्राधिकारियों की कामों का पुनरीक्षण करेगा और उपयुक्त कार्यवाही के सुझाव देगा। इसकी बैठक हर चार महीने में होना चाहिए। (धारा 16)
9. हर राज्य में समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति की नियुक्त करना। ये प्राधिकारी इस कानून उल्लंघन की सूचना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को समन कर सकती है। यदि कहीं लिंग चयन होने की सूचना है तो उसके लिए तलाशी वारंट जारी कर सकती है।

अपराध और सजा

1. कोई भी विशेषज्ञ या सेवा देने वाला, तकनीकी या व्यावसायिक मदद देने वाला इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा। पश्चातवर्ती दोष सिद्ध होने पर 5 साल की जेल और 50 हजार रुपए का जुर्माना होगा।
2. गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण से सम्बंधित विज्ञापन करने पर 3 साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना हो सकेगा।
3. राज्य चिकित्सा परिषद के जरिए कार्यवाही करके प्रकरण के निपटारे तक उस पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (डाक्टर) का पंजीयन निलंबित किया जाएगा। पहली बार दोष साबित होने पर 5 साल के लिए और फिर से अपराध किए जाने पर हमेशा के लिए उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। (धारा 23)
4. लिंग चयन के काम में मदद लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 3 से 5 साल की जेल और 50 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। (धारा 23)
5. इसमें महिला का पति या अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। यदि यह साबित नहीं होता है कि गर्भवती महिला को इसके लिए मजबूर किया गया था (यानी महिला की भी इच्छा थी कि लिंग परीक्षण कराया जाए) तो यह प्रावधान उसे पर भी लागू होंगे। (धारा 24)
6. यदि महिला के परिजन लिंग चयन के लिए महिला को मजबूर करते हैं, तो उन्हें भी सजा दिए जाने का प्रावधान है।
7. इस कानून के तहत हर अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और अशमनीय होगा।

प्रायोगिक / मैदानी कार्य

मुख्य बिंदु	क्या कार्यवाही / कोशिश हो?
सामुदायिक संवाद	समुदाय में लिंग परीक्षण और लैंगिक भेदभाव के बारे में चर्चा करना।
अवलोकन और अध्ययन	यह जानना कि गर्भवती महिलाओं के प्रति समुदाय में कैसा व्यवहार है? समुदाय में लड़कियों/बच्चियों की क्या स्थिति है?
गर्भवती महिलाओं की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं	<p>1. हम सब जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान हर महिला की कम से कम चार बार जांचे होती हैं। जरूरत पड़ने पर इससे ज्यादा बार भी स्वास्थ्य/स्थिति जांच हो सकती है।</p> <p>2. हमें यह देखना है कि गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कहाँ हो रही है – सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में।</p>
अल्ट्रा साउंड–सोनोग्राफी जांच	<ul style="list-style-type: none"> • पिछले एक साल में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच की स्थिति का अध्ययन करने से कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे – हम उनसे जानें कि क्या गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड–सोनोग्राफी हुई? अल्ट्रा साउंड या सोनोग्राफी कराने की जरूरत क्यों पड़ी? • उन्हें इसके लिए किसने सुझाव दिया था? • क्या अल्ट्रा साउंड–सोनोग्राफी के लिए उन्हें अपनी तरफ से भुगतान करना पड़ा? यदि हाँ, तो कितनी राशि खर्च हुई? • जब वे अल्ट्रा साउंड–सोनोग्राफी करवाने के लिए गए थे, तब उनसे क्या–क्या बात की गयी? मसलन यह जांच क्यों की जा रही है? क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा गया कि वे चाहें तो गर्भस्थ बच्चे का लिंग परीक्षण भी करा सकते हैं? • क्या समुदाय में इस तरह की कभी कोई बात हुई है कि लिंग परीक्षण कराया जा सकता है?

सेवा की उपलब्धता और हमारे क्षेत्र में या हमारे विकास खंड में या जिले में उपयोग अल्ट्रासाउंड-सोनोग्राफी जांच की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हाँ, तो कहाँ और किनके पास है ?

क्या गांव/बस्ती/वार्ड के लोग वहाँ जांच के लिए जाते हैं ?

यह जानें कि क्या उस केंद्र/अस्पताल/डाक्टर के पास अल्ट्रासाउंड-सोनोग्राफी तकनीक के उपयोग की अनुमति है ?

क्या उस केंद्र की नियमित रूप से निगरानी होती है ?

क्या हर गर्भवती महिला से जांच के लिए अनुमति/सहमति ली जाती है?

क्या कानून के मुताबिक सभी दस्तावेज संधारित किए जाते हैं ?

यह भी पता कर सकते हैं कि क्याक अपरोक्ष रूप से या इशारों में तो लिंग की जानकारी नहीं दी जाती, जैसी कि बेटी होने पर जय माता की या बेटा होने पर जय श्री राम आदि ।

स्वास्थ्य विभाग को शामिल करना अल्ट्रासाउंड-सोनोग्राफी के सन्दर्भ यदि संभव हो तो हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला चिकित्सालय के जिम्मेदारी स्वास्थ्य अधिकारी से आग्रह करें कि वे समुदाय में आकर लोगों से इस विषय पर चर्चा करें और नियम—कानूनों के बारे में बताएं ।

ग्राम सभा—पंचायत की बैठक करना लिंग परीक्षण या कन्या भ्रूण हत्या और अल्ट्रासाउंड-सोनोग्राफी की तकनीक के बारे में ग्राम सभा—पंचायत की बैठक में खास तौर पर बातचीत करना और यह शपथ लेना कि हमारे समुदाय में कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

लाडली लक्ष्मी योजना

हम जानते हैं कि लिंग भेद और कन्या भ्रूण हत्या की सामाजिक अपराध में आर्थिक गरीबी भी एक अहम् भूमिका निभाती है। जाति आधारित व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विपन्नता के कारण बच्चियों और उनके परिवारों को अपनी गरिमा से भी समझौता करना पड़ता है। यह सही है कि भारत में लिंग परीक्षण पर रोक लगाने की कानूनी पहल हुई है, किन्तु लिंग भेद के आर्थिक पक्षों को भी नजरंदाज नहीं किया जा सकता है।

इसी पहलू पर मध्यप्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2007 से लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत चार पहलू महत्वपूर्ण हैं –

1. इसमें आर्थिक लाभ मिलेगा, जब बच्ची की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी। (आर्थिक मदद)
2. इसमें भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका विवाह 18 साल से कम उम्र में न हुआ हो। (बाल विवाह की रोक और स्वास्थ्य का अधिकार)
3. बच्ची को 12 वीं तक शिक्षा पूरी करना चाहिए। (लड़की का शिक्षा का अधिकार)
4. इसमें दो बच्चियों को ही लाभ दिया जाता है और दूसरी बच्ची के आवेदन के साथ यह प्रमाण देना होता है कि माता–पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया है। (परिवार की व्यवस्था और नियोजन)

किन्हें मिलेगा लाभ ?

1. जनवरी 2006 या फिर उसके बाद जन्मी बालिका को।
2. बच्ची के माता–पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
3. माता–पिता आयकर दाता न हों।
4. दो बच्चे हों और दो बच्चे के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपना किया हो।
5. अनाथालय/संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 साल के अंदर तथा बालिका की आयु 6 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता पिता द्वारा दत्तक लेने के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा।

आवेदन एवं पंजीकरण

आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/रजिस्ट्रेशन कर सकेगा।

प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा। तत्पश्चात् प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा। प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,18,000 रुपए का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

राशि का दिया जाना

1. पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षों तक रुपए 6—6 हजार मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किए जाएंगे अर्थात् कुल राशि रुपए 30000 बालिका के नाम से जमा किए जाएंगे
2. बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000 रुपए
3. कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए
4. कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 6000 रुपए तथा
5. 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6000 रुपए ई—पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा।
6. अंतिम भुगतान रुपए 1 लाख बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जाएगी, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

सुरक्षित पर्यटन के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक आचरण संहिता

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2010 में पर्यटन उद्योग के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक आचरण संहिता (सेफ एंड आनरेबल टूरिज्म कोड) का अनुमोदन किया। इस कोड में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति के अधिकार का पर्यटन गतिविधियों में सम्मान किया जाए व इन्हें सुनिश्चित किया जाए। इसके क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि पर्यटन उद्योग को स्थानीय लोगों व पर्यटकों, विशेष तौर पर बच्चों व महिलाओं कि सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इस दिशा में पर्यटन द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देशों व श्रेणियों का संशोधन करना और इन्हें अनिवार्य बनाया गया है।

- होटलों के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के लिए सुविधाओं का पुनरीक्षण
- मान्यता –प्राप्त एडवेंचर टूर ऑपरेटर की मान्यता/नवीकरण अथवा विस्तारण संबंधी दिशा-निर्देश
- मान्यता –प्राप्त घरेलू टूर ऑपरेटर की मान्यता/नवीकरण अथवा विस्तारण संबंधी दिशा-निर्देश
- मान्यता प्राप्त अंतरगामी टूर ऑपरेटर की मान्यता/नवीकरण अथवा विस्तारण संबंधी दिशा-निर्देश
- मान्यता प्राप्त पर्यटन परिवहन ऑपरेटर की मान्यता/नवीकरण अथवा विस्तारण संबंधी दिशा-निर्देश
- मान्यता – प्राप्त ट्रेवल एजेंसी ऑपरेटर की मान्यता/नवीकरण अथवा विस्तारण संबंधी दिशा-निर्देश

इन दिशा-निर्देश का एक बिंदु यह है कि इस कोड को स्वीकार करने वाले पक्षों को इसके प्रावधानों के क्रियान्वयन को दिखाने के लिए अपने कार्यालय में एक रजिस्टर रखना होगा और नवीकरण के लिए जांच के समय समिति के समक्ष इसे प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा निम्न शर्तों को पूरा करना होगा –

- इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन आचार संहिता पर प्रतिबद्धता को घोषित करते हुए हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा।
- किसी भी स्टाफ की नियुक्ति के समय उसे भी इसके पालन की शपथ लेनी होगी और यह शपथ उसकी नियुक्ति पत्र के साथ संल्यान होगा।
- मान्यता के लिए आवेदन देते समय जिन फर्मों में 25 से कम कर्मचारी हों उन्हें एक और 25 से ज्यादा कर्मचारी होने पर दो फोकल बिंदु नामांकित किए जाएंगे।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान किए गए सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- इस आचार संहिता को सेवा प्रदाता के कार्यालय में प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।
- पर्यटन मंत्रालय ने टूर ऑपरेटरों और आतिथ्य प्रदाताओं के लिए "क्राइटरिया एंड इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म का विकास किया है।

इसमें बाल शोषण और बाल मजदूरी की भर्त्सना की गई है।

इन पहलकदमियों का उद्देश्य बेशक सही दिशा में है, लेकिन इनके अनुपालन के लिए जरूरी है कि केंद्र व राज्य सरकारें जरूरी व्यवस्थाएं व प्रक्रियाओं का भी विकास करें।

ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं !

परिस्थिति एक : प्लेटफार्म—बस स्टैंड पर कोई बच्चा लावारिस हालात में मिला है।

बच्ची सामान्य न हो। बदहवास या भयभीत लगे। या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लगे जो उसके साथ परिजनों सा व्यवहार न कर रहा हो तो आरपीएफ या आरपीएफ को सूचना दें। चाइल्ड लाइन के नंबर 1098 पर भी खबर कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति के सदस्यों को सूचित करें इसके बाद संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह ऐसे मामलों की तफ्तीश करे और बच्ची को उचित संरक्षण दे।

परिस्थिति दो : किसी बच्ची के साथ एक बड़े व्यक्ति ने यौनिक दुर्घट्यवहार किया है।

मामले का पता चलने पर सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जा सकती है। पुलिस यदि मामले की सुनवाई न कर रही हो तो बाल कल्याण समिति के सामने जाया जा सकता है। बाल कल्याण समिति इस मामले में पॉक्सो के तहत कार्रवाई करवा सकती है। संबंधित बच्ची की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इसके साथ ही बच्ची को उचित संरक्षण गृह में पहुंचाया जाएगा। बच्ची को स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

परिस्थिति तीन : एक नाबालिंग लड़के—लड़की की जबरन शादी करवाई जा रही है।

बाल विवाह के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रोटेक्शन अधिकारी से संपर्क साधा जा सकता है। संरक्षण अधिकारी ऐसे मामलों की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। यदि उनका संपर्क उपलब्ध न हो तो गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या चाइल्ड लाइन में भी जा सकते हैं।

परिस्थिति चार : एक बच्ची की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उसे अश्लील बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया गया है।

पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस यदि शिकायत की सुनवाई नहीं कर रही हो तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साइबर सेल में जाकर भी इस मामले की शिकायत कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी शिकायत न सुने तो बाल कल्याण समिति में भी जा सकते हैं।

परिस्थिति पांच : किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है।

ऐसे मामलों को श्रम विभाग देखता है। सबसे पहले बाल मजदूरी की शिकायत श्रम विभाग में की जा सकती है। या फिर चाइल्ड लाइन को सूचित किया जा सकता है। बाल कल्याण समिति भी ऐसे मामलों में सुनवाई करती है। इन तीनों इकाईयों की यह जिम्मेदारी है कि वह बाल मजदूरी में लगे बच्चों को छुड़ाएगी और उन्हें उचित संरक्षण और पुनर्वास देगी।

परिस्थिति छह : घर में बच्ची को बंधक बनाकर जबरन काम लिया जा रहा है।

ऐसी परिस्थिति में पांचवीं परिस्थिति के अनुसार ही कार्रवाई की जा सकती है। इस परिस्थिति में मानव तस्करी का मामला और जुड़ जाता है। आईसीपीएस के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई के पास भी जाया जा सकता है इसका चौयरपर्सन कलेक्टर होता है। चाइल्ड लाइन को भी सूचित कर सकते हैं।

परिस्थिति सात : एक बच्ची को किसी प्रयोजन के लिए तस्करी कर ले जाया जा रहा है।

मानव तस्करी के मामले को रुकवाने के लिए सबसे पहले पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। इस तरह के मामलों में जेजे एकट के सेवान 23, 24, 25, 26 के तहत भी कार्रवाई करवाई जा सकती है।

परिस्थिति आठ : बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चे का नामांकन उसकी उम्र के हिसाब से करवा सकते हैं। शिक्षा का अधिकार 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। कोई भी स्कूल ऐसे बच्चों के नामांकन के लिए मना नहीं कर सकता है।

परिस्थिति नौ : स्कूल में बच्चे को शारीरिक दंड दिया गया है, इससे उसकी मानसिक, शारीरिक दशा प्रभावित हुई है।

स्कूल शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम समन्वय अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। यदि वहां सुनवाई न हो तो राज्य बाल संरक्षण आयोग के समक्ष भी जाया जा सकता है।

परिस्थिति दस : टूरिज्म क्षेत्र में बच्चों का शारीरिक/मानसिक शोषण किया जा रहा है।

बच्चों से संबंधित उपरोक्त बिंदुओं के तहत किसी भी बच्चे को संरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे टूरिज्म क्षेत्रों में पुलिस विभाग ने टूरिज्म पुलिस की विशेष व्यवस्था की है। ऐसे मामलों को विशेष पर्यटक पुलिस के पास भी जा सकते हैं।

परिस्थिति ग्यारह : एक किशोर बालक किसी वजह से ऐसे कार्य में आ गया है जो विधि विरुद्ध है।

ऐसे बच्चे के साथ पुलिस बुरा बर्ताव नहीं कर सकती है। उसे हथकड़ी लगाकर अभिरक्षा में नहीं ले सकती। इस दौरान पुलिस अपनी वर्दी में भी नहीं हो सकती है। ऐसे बालक को जब जेजे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हैं उस वक्त भी उसे कोई हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। जेजे बोर्ड के सामने सबसे पहले उसकी जमानत की कार्रवाई बिना शर्त की जानी चाहिए। जमानत एक बच्चे का अधिकार है। ऐसे मामलों की सुनवाई अधिकतम चार माह की समयावधि में हो जानी चाहिए।

विशेष – बच्चों के साथ अपराध के सम्बन्ध में किसी भी मामले में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत सभी जिलोंए ब्लाक या ग्राम पंचायत स्तर की समिति के पास जाया जा सकता है, जिला स्तर पर जिला दंडाधिकारी ब्लाक स्तर पर ब्लाक अधिकारी और पंचायत स्तर पर ग्राम सरपंच इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। यह समिति अपने क्षेत्र में होने वाले ऐसे सभी अपराधों के लिए बच्चों का संरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है।

प्रायोगिक / मैदानी कार्य की रिपोर्ट

अब तक यह स्पष्ट हो चुका होगा कि बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उनके लिए कुछ अहम् कानून भी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने कार्यक्षेत्र में इसे समुचित रूप में लागू करवाएं तथा प्रायोगिक / मैदानी कार्य पर एक रिपोर्ट तैयार करें जिसका प्रारूप गतिविधियों के रूप में दिया गया है।

कानून और विषय—मुद्दे से सम्बंधित योजना का नाम	आपके मैदानी कार्य की शुरुआत में स्थिति क्या थी?	आपकी पहल का लाभ	इस योजना पर/के लिए काम करते हुए आपके क्या अनुभव रहे ?
किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015			
समेकित बाल संरक्षण योजना			
अनैतिक मानव दुर्व्यापार कानून			
सूचना प्रौद्योगिकी कानून			
चाइल्ड लाइन (1098)			
बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005			
बाल—विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006			
लाडो अभियान			
बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016			
बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976			

भारतीय दंड संहिता 1860 और बच्चों का संरक्षण का अधिकार			
बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिनियम (POCSO)			
गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994			
लाडली लक्ष्मी योजना			
सुरक्षित पर्यटन के लिए सुरक्षित व सम्मानजनक आचरण सहिता			
किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015			
समेकित बाल संरक्षण योजना			
अनैतिक मानव दुर्व्यापार कानून			
सूचना प्रौद्योगिकी कानून			
चाइल्ड लाइन (1098)			
बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005			
बाल—विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006			
लाडो अभियान			
बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016			

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम
समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व)

सतत विकास लक्ष्य पर केन्द्रित मैदानी / प्रायोगिक कार्य

बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण
कानून और योजनाएं

भाग तीन – बच्चों के संरक्षण के अधिकार से सम्बंधित कानून और योजनाएं

डिब्बाबंद शिशु आहार का निषेध और कानूनी प्रावधान

किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण

किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित योजनाएं

मध्यान्ह भोजन योजना और सामुदायिक पहल

समेकित बाल विकास सेवाएं और कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन

नवजात शिशु का जीवन और सामुदायिक पहल

बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति

मैदानी/प्रायोगिक कार्य की रिपोर्ट

डिब्बाबंद शिशु आहार का निषेध और कानूनी प्रावधान

जन्म के बाद से छः महीने तक बच्चे को केवल और केवल मां का दूध ही मिलना चाहिए। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक छोटे बच्चों-शिशुओं के लिए मां का दूध ही सबसे बेहतर भोजन है।

दिशानिर्देशों के मुताबिक स्तनपान के कारण बच्चे और माँ के बीच गहरा रिश्ता बनता है। स्तनपान उसके पांचों बोधों – देखना, सूंघना, सुनना, चखना, छूना, को उत्प्रेरित करता है। स्तनपान बच्चे के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक विकास पर आजीवन प्रभाव के साथ-साथ उसमें सुरक्षा एवं अनुराग विकसित करता है। माँ के दूध में मौजूद विशिष्ट फैटी एसिड बच्चे के बौद्धिक स्तर में वृद्धि करते हैं तथा बेहतर दृष्टि तीक्ष्णता प्रदान करते हैं। स्तनपान करने वाले बच्चे का बौद्धिक स्तर, स्तनपान न करने वाले बच्चे की तुलना में 8 अंक अधिक होता है। स्तनपान छोटे बच्चे की उत्तरांगीविता, स्वास्थ्य, पोषण, बच्चे में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना के विकास को ही नहीं, अपितु मस्तिष्क विकास और सीखने की शक्ति में वृद्धि करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययनों में यह अनुसान लगाया गया है कि पहले छः माह के दौरान केवल मां का दूध पिलाया जाए तो शिशु मृत्यु दर में में 4 गुनी कमी हो सकती है।

भारत सरकार मानती है कि छोटे बच्चों यानी शिशुओं के लिए शिशु दुग्ध पाउडर तथा शिशु आहार बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के धुंआधार प्रचार अभियान के कारण स्तनपान के महत्वपूर्ण व्यवहार बहुत नुकसान पहुंचा।

70 के दशक के अंत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्तनपान की प्रवृत्ति में आ रही कमी की गम्भीरता को पहचाना और स्तनपान के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय कोड जारी किया।

भारत सरकार ने भी 1983 में स्तनपान के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय कोड बना कर लागू किया।

वर्ष 1993 से महिला एवं बाल विकास द्वारा शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने वाली बोतलें तथा शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कुछ स्थितियों में यह भी देखा गया कि मुनाफा कमाने के लिए कंपनियों ने 3 महीने या इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए ही शिशु आहार और डिब्बाबंद आहार बनाना और बेचना शुरू कर दिया। इसके कारण बच्चों में बीमारी और कुपोषण की समस्या बहुत तेजी से बढ़ी।

दिशानिर्देशों के अनुसार स्तनपान के कुछ महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार हैं –

1. शिशुओं के लिए मां का दूध सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार है।
2. मां का दूध सदैव स्वच्छ होता है।
3. मां का दूध बच्चे को बीमारियों से बचाता है।
4. मां का दूध बच्चे को अधिक बुद्धिमान बनाता है।
5. मां का दूध 24 घंटे उपलब्ध होता है और इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती।

6. मां का दूध बच्चे के लिए प्रकृति का उपहार है और इसे खरीदने की आवश्यकता नहीं होती।
7. स्तनपान से शिशु एवं मां के बीच विशेष संबंध स्थापित होता है।
8. स्तनपान से माता—पिता को अपने बच्चों के जन्म के बीच अंतर रखने में सहायता मिलती है।
9. स्तनपान से मां को गर्भावस्था के दौरान बढ़ा अपना वजन कम करने में सहायता मिलती है।

शिशुओं को मां के दूध के अलावा अन्य सामग्री देने का मतलब है –

1. बच्चे का बार—बार बीमार होना।
2. बौद्धिक विकास कम होना।
3. उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होना।
4. परिवार पर बहुत आर्थिक बोझ बढ़ना।
5. मां के स्तनों का भारी होना और असहनीय दर्द होना।
6. मां और बच्चे के बीच विशेष सम्बन्ध स्थापित होने में बाधा।
7. प्रसव के बाद मां का वजन (जो गर्भावस्था के दौरान बढ़ता है) कम न होना।

ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों को शिशु आहार और डिब्बाबंद आहार न देने के लिए बहुत कोशिशें हो रही हैं। माँ के दूध के महत्व को कम करके, डिब्बा बंद बाल आहार बेचने की कोशिशों को नियंत्रित करने के लिए शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने वाली बोतलें तथा शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 बनाया गया। इसमें वर्ष 2003 में कुछ संशोधन भी किए गए।

शिशु दुग्ध अनुकल्प, दूध पिलाने वाली बोतलें तथा शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992

कानून के अनुसार शिशु दुग्ध अनुकल्प का मतलब है ऐसा कोई भी खाना जिसके वितरण या विपणन (प्रचार) के कारण वह खाना माँ के दूध का आंशिक या पूरा विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता हो। (स्पष्ट रूप से बात करें तो ऐसी कोई भी खाना, जिसके बारे में यह कहा जाए कि माँ के दूध के स्थान पर इसे खाने की सामग्री को दिया जा सकता है)।

इसमें शिशुओं को दूध पिलाने के लिए बोतलों के उपयोग पर भी रोक है।

धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति शिशु आहार की बिक्री, आपूर्ति या शिशु आहार के विकल्प के प्रचार या प्रकाशन में शामिल नहीं होगा।

ऐसा कोई सन्देश नहीं दिया जाएगा, जिससे ऐसा लगता हो कि डिब्बा बंद आहार माँ के दूध के बराबर प्रभावी या उससे बेहतर होता है।

धारा 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति शिशु आहार या डिब्बा बंद आहार के नमूने (सेम्पल) वितरित नहीं करेगा। वह इस आहार के उपयोग के प्रोत्साहन के लिए गर्भवती महिलाओं या बच्चे की माँ से संपर्क नहीं करेगा।

धारा 5 कहती है कि केवल अनाथालय में या आधिकारिक शैक्षणिक सत्र के दौरान बच्चों के लिए वैकल्पिक शिशु आहार या दूध पिलाने की बोतलें उपयोग में लाई जा सकती हैं।

धारा 6 के अनुसार शिशु आहार के हर पैकेट-डिब्बे पर यह लिखा जाएगा कि "आपके बच्चे के लिए माँ का दूध की सर्वोत्तम आहार है। डिब्बाबंद बाल आहार बच्चे के लिए जरूरी सभी पोषण तत्वों की जरूरत को पूरा नहीं करता है। डिब्बे पर शिशु या माँ या दोनों के चित्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

धारा 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य संस्थाओं (अस्पताल आदि) में डिब्बा बंद शिशु आहार के प्रचार, बिक्री और वितरण के सम्बंधित सूचना पत्र या प्ले कार्ड या पोस्टर आदि नहीं लगाएगा।

जो व्यक्ति (कंपनी) डिब्बाबंद बाल शिशु आहार के निर्माण, वितरण, आपूर्ति में संलग्न है, वह इस तरह की सामग्री को प्रोत्साहित करने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य संस्थाओं के लोगों को किसी भी किस्म का भुगतान नहीं करेगी।

धारा 9 के अनुसार जो व्यक्ति (कंपनी) डिब्बाबंद बाल शिशु आहार के निर्माण, वितरण, आपूर्ति में संलग्न है, वह किसी भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डाक्टर या उनके परिवारजनों को किसी भी किस्म की भेंट या आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाएंगे।

धारा 12 के अनुसार इस कानून से सम्बंधित मामलों में खाद्य निरीक्षक को कार्यवाही करने के अधिकार है।

इस कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर छः महीने से तीन साल तक की सजा और जुर्माने या दोनों दण्डों का प्रावधान है।

मैदानी / प्रायोगिक कार्य

बिंदु	क्या कार्यवाही हो सकती है ?
संवाद और फालो अप	समुदाय में बार-बार यह सन्देश दिए जाने की जरूरत है कि शिशुओं को डिब्बाबंद आहार नहीं दिया जाना चाहिए। छः महीने तक केवल माँ का दूध मिले और इसके बाद स्तनपान के साथ साथ ऊपरी आहार दिया जाना चाहिए।
निगरानी	यह देखने की कोशिश करें कि कहीं बाजार में या फिर अस्पतालों में या किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता/नर्स/डाक्टर के द्वारा डिब्बा बंद शिशु आहार का प्रचार या प्रोत्साहन तो नहीं किया जा रहा है?
स्कूलों, पंचायत/शहरी निकाय प्रतिनिधियों और महिला समूहों में इस कानून के बारे में चर्चा और कार्यवाही	हमारा मकसद यह है कि हर बच्चे को जन्म के बाद छः महीने तक माँ का दूध मिले और वह डिब्बाबंद शिशु आहार के नुकसानों से बचा रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम विभिन्न स्तरों पर संवाद, चर्चा और कार्यवाही करते रहे। यदि कहीं इस कानून का उल्लंघन होता दिखाई दे तो खाद्य निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी या जिला कलेक्टर को इसके बारे में सूचना दी जाना चाहिए।

किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण

टिकाऊ विकास लक्ष्यों में एक लक्ष्य यह है कि हर जगह पर सभी महिलाओं और बालिकाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त करना करना है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में किशोर अवस्था में (लड़के और लड़कियों दोनों में) आने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों पर बात करने और समस्याओं को सुलझाने की कोई सहज व्यवस्था नहीं है। यह एक ऐसा दौर होता है जबकि किशोरी बालिकाओं में प्राकृतिक रूप से माहवारी की शुरुआत होती है, किन्तु उसके बारे में बहुत सारी मिथ्या धारणाएं समाज में व्याप्त हैं। दुविधाओं का समाधान न होने से किशोरी बालिकाओं की यह उम्र बहुत पीड़ादायक हो जाती है।

परिवार और समुदाय के भीतर लैंगिक समानता लाने के लिए किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और उनकी शारीरिक, मानसिक बदलावों पर बात करने और जिम्मेदार पहल करने की जरूरत है। प्रायोगिक कार्य मैदानी कार्य की श्रृंखला में यह अध्याय किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य पर सामुदायिक पहल करने और इससे जुड़ी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर केंद्रित है।

लड़कियों में भौतिक बदलाव	लड़कों में भौतिक बदलाव
<p>लड़कियों में आमतौर पर 10 से 11 साल की उम्र से बदलाव होने लगते हैं। इसी सन्दर्भ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव जल्दी (8 साल में) भी शरू हो सकते हैं और इनमें देरी (13 साल तक) भी हो सकती है।</p>	<p>लड़कों में आम तौर पर 11 से 12 साल की उम्र से बदलाव होने लगते हैं। इसी सन्दर्भ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव जल्दी (9 साल में) भी शरू हो सकते हैं और इनमें देरी (14 साल तक) भी हो सकती है।</p>
<p>बदलाव का मतलब</p> <ul style="list-style-type: none">स्तनों का विकासशरीर के आकार—स्वरूप और लम्बाई में बदलावनिजी अंगों और शरीर के अन्य हिस्सों में बालों का ऊगनामासिक धर्म की शुरुआतशरीर के अंगों, फेफड़ों के काम और हड्डियों की मोटाई में वृद्धिश्रोणि या पेढ़ू या कोख और नितंबों का विस्तार होना	<p>बदलाव का मतलब</p> <ul style="list-style-type: none">लिंग और अंडकोष में वृद्धिशरीर के आकार—स्वरूप और लम्बाई में बदलाववीर्य का निर्माण और स्खलन होनाशरीर और चेहरे पर बालों का आना शुरू होनाआवाज में बदलाव होनाशरीर के अंगों, फेफड़ों के काम और हड्डियों की मोटाई में वृद्धिसीने और कम्फों का विस्तार होना

यह अध्याय दो हिस्सों में है –

एक) किशोर अवस्था क्या है और किशोरियों के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संवेदनशील पहलू कौन से है ?

दो) किशोरी सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाएं कौन सी हैं और उनका क्रियान्वयन कैसे हो ?

किशोरावस्था (9 से 18 वर्ष) क्यों महत्वपूर्ण है?

किशोर अवस्था यानी 9 साल की उम्र से शुरू होने वाली अवस्था। इसमें बच्चों के भीतर बहुत अहम बदलाव, तेज गति से होते हैं। एक मायने में इन बदलावों के कारण लड़के और लड़कियों, दोनों में उथल-पुथल की स्थिति बनती है। यह जरूरी हो जाता है कि परिवार और समाज उनकी स्थिति को समझे और उनसे अपने रिश्तों को मजबूत करे। इस समय शरीर में पसीना पैदा करने वाली ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इससे कांख (बगल) और पेट-जांघ के बीच के हिस्से (ऊसन्धि) में ज्यादा पसीना आता है और सफाई न होने पर दुर्गन्ध आने लगती है। यानी स्वच्छता रखना अब अनिवार्यता है।

इस उम्र को दो भागों में बाँट कर देखा जाता है –

- किशोर पूर्व अवस्था – 9 से 13 वर्ष
- किशोर अवस्था – 14 से 18 वर्ष

सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव

किशोर अवस्था में आप देखेंगे कि बच्चों के व्यवहार में कुछ बदलाव आता है। परिवार, दोस्तों और समान उम्र के समूह से उनकी बातचीत और दूरी-करीबी में स्पष्टता नजर आती है। हर बच्चे में सामाजिक और भावनात्मक बदलाव अलग-अलग होता है। उनके परिवार की पृष्ठभूमि, संस्कृति, पारिवारिक व्यवहार, पर्यावरण, सामाजिक स्थिति, बचपन में उन्हें मिले विकास के अवसर और देखरेख से यह तय होता है कि उनकी किशोर अवस्था में क्या और कैसे बदलाव आएंगे।

- **पहचान की तलाश** – किशोर अवस्था में पहुंचते हुए बच्चे अपनी पहचान खोजने और समझने लगते हैं। वे कौन और, कहाँ उन्हें ज्यादा स्थान मिलता है और कहाँ वे अपने आप को सामने रख सकते हैं, इसी आधार पर वे अपना दायरा बनाते हैं। उनका दायरा बनाने में उनकी लैंगिक पहचान, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक ढांचा और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- **स्वतंत्रता की खोज** – वे कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, घर और मित्र समूह में लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करने के स्थान चाहते हैं।
- **जिम्मेदारी की तलाश** – घर हो या स्कूल या समुदाय, आप पाएंगे कि वे जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। उन्हें जिम्मेदारी लेने देना चाहिए। वे अपने माता-पिता की स्थिति और सीमाओं को समझने की कोशिश करते हैं और अपने लिए स्थान तलाशते हुए जिम्मेदारी लेना चाहते हैं।

- **नए अनुभवों की तलाश** – इस उम्र में दिमाग के विकास की प्रकृति ऐसी होती है कि उनमें नए अनुभव पाने की चाहत बढ़ती है। उनके साथ यदि अच्छे रिश्ते न रखें जाएं, तो वे बुरे अनुभव से गुजारते हैं। इसी अवस्था में वे "जोखिम" भी उठाना चाहते हैं।
- **सही और गलत के बारे में सोचना** – अपने बच्चे अब अपने खुद के मूल्य और नैतिक मापदंड गढ़ते हैं, वे केवल दूसरों के निर्देशों का पालन करने के लिए मन से तैयार नहीं होते हैं। वे सवाल करते हैं। उन्हें यह भी पता चलने लगता है कि वे अपने किए के लिए जिम्मेदार भी होंगे, उनके निर्णयों के गहरे असर होंगे, ऐसे में परिवार और समुदाय को उनसे आँख मूँद कर निर्देशों के पालन करने की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। उनसे बात करना और उन्हें कुछ समझाने से पहले, उन्हें और उनकी बातों को समझाना बहुत जरूरी होता है।
- **गरिमा का अहसास**— वे अपने मित्रों और समान उम्र वालों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अकेला नहीं समझना चाहिए। उन्हें "मैं" और "मेरी गरिमा" का अहसास होने लगता है।
- **लैंगिक पहचान का अहसास**— 11–13 साल की उम्र में उन्हें अपनी लैंगिक पहचान का अहसास हो जाता है और उनमें रोमानी भावनाएं आना शुरू हो जाती हैं। यह जरूरी नहीं है कि उन्हें ये अहसास बहुत गहरे हों, पर उम्र के इस दौर के बदलावों से इसका जुड़ाव तो है।
- **नए दौर से संचार के तरीके**— मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया उनकी सोच और व्यवहार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है।
- **भावुकता का प्रदर्शन**— अब वे अपनी भावुकता को प्रदर्शित करते हैं। वे ज्यादा भावुक होते भी हैं। भावनाओं के उतार–चढ़ाव से टकरावों में वृद्धि हो सकती है।
- **मनोभाव**— वे दूसरों के मनोभावों और शरीर की भाषा को पढ़ने की कोशिश करते हैं।
- **खुद के प्रति सजग**— वे खुद के प्रति बहुत सजग होते हैं। वे अक्सर सोचते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ/दिख रही हूँ लोग या उसे दोस्त उनके बारे में क्या सोचते हैं आदि बातें मन में चलती रहती हैं।
- **कौशल का विकास**— इस उम्र में निर्णय लेने का कौशल विकसित होता है, इसलिए उन्हें पारिवारिक, सामुदायिक प्रक्रियाओं में शामिल करना चाहिए।
- **निजता की चाह**— वे परिवार के साथ कम और मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। वे ज्यादा स्वतंत्रता और निजता चाहते हैं। जब परिवार उन्हें ये नहीं देता है, तब बच्चों के साथ टकराव शुरू हो जाता है। कई बार परिजन दबाव डाल कर बच्चों को कुछ मानने के लिए मजबूर करते हैं, बच्चे शायद मान भी लें, किन्तु उनके मन में परिजनों से कुछ दूरी का निर्माण भी हो जाता है। इन बच्चों के लड़कर हम सही दिशा में नहीं बढ़ते हैं।
- **आत्म विश्वास बढ़ेगा**— उनकी स्वतंत्रता, जिम्मेदारी लेने की कोशिशों, उनकी निजता और मित्रों के साथ समय बिताने की इच्छा का सम्मान करना चाहिए ताकि वे अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व में ढल सकें। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा।

अध्ययन बताते हैं कि किशोर अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य, असामाजिक कृत्य और गलत दिशा में भटकने का जोखिम ज्यादा होता है। उनसे लड़ कर नहीं, उनसे दोस्ती गांठ कर ही उनके विकास को सही दिशा दी जा सकती है।

किशोर अवस्था से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत और बातें

जीवन में इस पड़ाव पर पहुंचने का मतलब है एक सुरक्षित और मनमाफिक जीवन काल से जटिल, प्रतिस्पर्धा और वास्तविकता से प्रभावित जीवन काल में प्रवेश। इस काल में वे इन चार चुनौतियों का सामना कर सकते हैं –

- **अवसाद से प्रभावित होना** – अब वे अपने परिवार को दो नजरियों से देखने लगते हैं – खुद के नजरिए से और बाहर की दुनिया (जैसे स्कूल के साथ, आस-पड़ोस के दोस्त, वे वयस्कों की बातों को समझ पाते हैं आदि) उन्हें परिवार के भीतर होने वाली आपसी व्यवहार का मतलब समझ आता है। वे तनाव और टकराव को महसूस कर पाते हैं। अब चूंकि वे स्कूल में या स्कूल के बाहर भी प्रतिस्पर्धा और आगे होने का मतलब जान रहे होते हैं, इसलिए परिवार के भीतर घट रही घटनाएं उन्हें गहरे तक प्रभावित करती हैं। जब वे पढ़ नहीं पाते हैं, या अपनी बात साझा नहीं कर पाते हैं तो उनके अवसाद से भर जाने की आशंका होती है। यह अवसाद उनके अपनी दोस्तों से बने रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है।
- **संगत – किशोरावस्था में मिलने वाले सहयोग, सही वातावरण, अपनी बात खुल कर कह पाने की स्वतंत्रता से तय होता है कि बच्चे किस तरह की आदतें पालेंगे। यदि वे तनाव में रहेंगे, यदि उन्हें अपनी दुविधाओं के बारे में बात करने का मौका नहीं मिलेगा तो वे बुरी संगत में पड़ सकते हैं। यह भी संभव है कि लड़कियां अपने साथ हो रहे किसी दुर्व्यवहार के दुःख को साझा ही न करें। बुरी संगत में बहुत संभव होता है कि वे नशे का सेवन करने लगे या आपराधिक काम करने की इच्छा पालने लगें।**
- **खंडित मानस की मासिक समस्या का विकसित होना** – जब बच्चों को घर में हिंसा और दुर्व्यवहार दीखता है या वे स्कूल में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं या उन्हें पाठ याद करने में दिक्कत हो रही होती है और उनसे कोई अच्छे से बात करने वाला नहीं होता है तो वे इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें साफ-साफ सोचने में या कुछ भी तय करने में दिक्कत होती है, उन्हें लगता है कि परिवार में या बाहर कोई लोग उनके खिलाफ हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। किशोर अवस्था के बच्चों को इस स्थिति में लगने लगता है कि अब उनकी समस्या का हल नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं उनमें जीवन के प्रति उत्साह कम हो सकता है और वे दैनिक या सामान्य गतिविधियों में रुचि नहीं लेते हैं।
- **भेदभाव की भावना** – इस दौर में लड़कों को पुरुष होने और लड़कियों को महिला होने का पूरा अहसास हो जाता है। सामाजिक व्यवहार से ही यह तय होता है कि उनमें लैंगिक समानता की भावना का विकास होगा या असमानता का। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि समाज में लड़के और लड़कियों की खास जरूरतों के प्रति सजग रहते हुए उनके साथ समानता का व्यवहार हो और उन्हें बराबरी के अवसर मिले।

- **आत्मसम्मान और आत्मविश्वास** – बहुत जरूरी होता है कि समाज और परिवार किशोर अवस्था के बच्चों को उनके होने, उनके अस्तित्व को महसूस करने दें। उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करें और उनकी मांगों को बिना-सोचे समझे “अपने ज्ञान के आधार पर” खारिज न करें। इनके उपलब्धियां बड़ी हों या छोटी, उनका सम्मान करें और उन्हें भी अहसास करवाएं कि उनका काम बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है। यदि उन्हें केवल गलतियों का ही अहसास करवाया जाएगा और उनकी अच्छाईयों को नहीं उभारा जाएगा, तो वे भीतर से टूट जाएंगे और उनमें ये भावना बैठ जाएगी कि वे कुछ अच्छा, बड़ा या महत्वपूर्ण नहीं कर सकते हैं।
- **संवाद करने, बात कहने की प्रेरणा** – यह भी जरूरी है कि उन्हें अप्रनी बात, समस्या या दुविधा के बारे में मन की बात कहने के लिए प्रेरित किया जाए। याद रखिए कि किशोर अवस्था के बच्चे अपने हमउम्र और दोस्तों के साथ ज्यादा खुलते हैं और बात करते हैं। उनकी मित्रताओं और बातचीत का सम्मान कीजिए। उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, तो वे भी आपसे मित्रवत व्यवहार करेंगे।

माहवारी की अवस्था के विशेष सन्दर्भ में

दस वर्ष की आयु से लड़कियों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आना शुरू होते हैं जैसे स्तनों का विकास होना। आमतौर पर यह माना जाता है कि 10–13 साल की उम्र में किशोरियों के जीवन में माहवारी यानी मासिक धर्म की शुरुआत होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें इस उम्र में अंडाशय विकसित डिम्ब/अंडाणु का उत्पादन करते हैं। यह अंडाणु एक नाली के जरिए गर्भाशय तक पहुंचता है। वहां पहुंच कर उसका स्त्र खून और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। नैसर्गिक रूप से यह इसलिए होता है कि अंडाणु सक्रिय या जन्म (प्रजनन) देने लायक हो जाए, वह बढ़ सके। इससे ही बच्चे के जन्म यानी उनके गर्भवती होने की संभावना स्थापित हो जाती है।

किशोरी में ये डिम्ब या अंडाणु पुरुष के शुक्राणु से नहीं मिल पाते हैं, तो वे तरल पदार्थ में बदल जाते हैं। तब यह तरल पदार्थ नियमित रूप से योनी से बाहर निकलता है। इसे ही मासिक धर्म, रजोधर्म या माहवारी कहते हैं।

जब ये अंडाणु पुरुष के शुक्राणु से मिल जाते हैं, तब महिला गर्भवती हो जाती है और माहवारी रुक जाती है।

यह एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो दस साल की उम्र के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। इस अवस्था का मतलब यह कर्तई नहीं है कि माहवारी के दौरान शरीर का अशुद्ध या गन्दा रक्त बाहर निकलता है। वास्तव में सही समय पर माहवारी होना किशोरी के स्वस्थ होने का प्रमाण होता है। वास्तव में इसके साथ जो सोच और धारणाएं जोड़ दी गई हैं, उससे किशोरी बालिकाओं को कमजोर और दोयम दर्जे का होने का अहसास होने लगता है।

जैसे कि पहले उल्लेख किया गया कि 10–13 साल की उम्र में माहवारी की शुरुआत होती है।

इसकी अवधि 2 से 7 दिन तक हो सकती है।

जब जीवन में माहवारी की शुरुआत होती है, उसके लगभग छह महीने पहले से अंडे की सफेदी जैसा तरल द्रव निकलता है। यह भी स्वाभाविक स्थिति है, यह कोई बीमारी नहीं है। किशोरियों के शरीर में जब अंडाणु बनना शुरू होता है, तब सफेद स्त्राव होता है। यह माहवारी के शुरू होने का संकेत होता है। इसमें कोई गंध नहीं होती है और इससे संक्रमण भी नहीं होता है। किन्तु यदि इस द्रव में झाग हो, इसका रंग पीलापन लिए हो, इसमें बदबू या गंध हो और इसमें लाल रंग हो, तब डॉक्टर को जल्दी दिखाया जाना चाहिए।

हम यह देखते हैं कि अपने समाज में किशोर अवस्था आने पर लड़कियों पर प्रतिबन्ध कड़े कर दिए जाते हैं। आस—पास के वातावरण से लड़कियों को अहसास होता है कि उनके साथ कुछ "गलत" हो रहा है। वे चुप रहती हैं और उनका तनाव बढ़ता जाता है। ऐसे में जो सलाह और सावधानियां बरतने की जानकारी उन्हें मिलना चाहिए, वह मिल नहीं पाती है। तब जनन अंगों की सफाई न होने, सही अन्तः वस्त्र न मिलने, अकेलेपन, व्यवहार में दूरी के कारण उन्हें यौन संक्रमण भी हो सकता है।

इस दौरान अंतःवस्त्रों की अच्छे से सफाई होना चाहिए। संक्रमण तभी होगा, जब स्वच्छता नहीं रखी जाएगी।

- यह स्थिति यानी माहवारी 21 से 24 दिन के अंतराल पर आती है।
- शुरू के दो सालों में, यानी माहवारी का चक्र शुरू होने पर, माहवारी नियमित नहीं होती है। हो सकता है कि तब अंतराल दो महीने का हो या फिर 5 महीने में।
- जिस दिन माहवारी आती है, उस दिन या उसके एक दिन पहले से किशोरी के पेट में दर्द होता है। जैसे कि माहवारी आती है, एक से 2 घंटे के भीतर वह दर्द बंद हो जाता है।
- ऐसे में गरम पानी की थैली से पेट के निचले हिस्से की सिकाई की जाना चाहिए।
- यदि दर्द बहुत असहनीय हो या ज्यादा समय तक बना रहे तो, स्वास्थ्य केंद्र की सेवा लेना चाहिए।
- कभी—कभी माहवारी में तरल रक्त की जगह पर थक्के के रूप में रक्त स्त्राव होता है। यह किशोरियों को पीड़ा देता है। इस स्थिति में भी स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए।
- आमतौर पर माहवारी के दौरान 50 से 80 मिलीलीटर रक्त का बहाव होता है। इससे ज्यादा रक्त स्त्राव होता है तो इससे भी किशोरियों में खून की कमी हो जाती है।

पीड़ादायक माहवारी होने पर

- यह सही है कि जब भी माहवारी शुरू होती है, तब किशोरियों को दर्द का सामना करना पड़ता है। जब भी ऐसा हो तब नाभि के नीचे के हिस्से का गरम सेंक किया जा सकता है। गरम पानी से नहाएं और गरम पेय पिएं।
- पेट के निचले हिस्से पर अपनी ही उंगलियों से हल्के—हल्के मालिश करें। यदि नियमित रूप से टहलें तो भी उन्हें बेहतर लगेगा।

- खान—पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान साबुत अनाज, फल—सब्जियां, दूध आदि का सेवन जरूर करना चाहिए। नमक, शक्कर का उपयोग कम करना चाहिए।
- सफेद पानी (ल्यूकोरिया) — यदि किशोरी बालिका के शरीर से लगातार सफेद पानी का बहाव हो रहा है। वह पानी बदबूदार है, तो स्वास्थ्य केंद्र की उचित सेवाएं लेना चाहिए।

खून की कमी एक बड़ी चुनौती

दस में से सात किशोरी बालिकाओं में खून की कमी पाई जाती है। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सक्रियता के नजरिए से एनीमिया को दूर किए जाने की पहल होना चाहिए। यह उनके भोजन और पोषण के अधिकार से जुड़ा हुआ पहलू भी है।

एनीमिया के लक्षण

- कमजोरी महसूस होना
- पढ़ाई में ध्यान न लगना, रोज के कार्य में थकान महसूस करना या सांस फूलना
- भूख कम हो जाना, बीमार महसूस करना

एनीमिया की पहचान

- खून की कमी (अल्पता) या एनीमिया की पहचान कैसे की जाती है ?
- भूख न लगना, जल्दी थक जाना, सांस फूलना
- आँखों की निचली पलक के हिस्से का सफेद या फीका पड़ना
- नाखूनों का सफेद या फीका पड़ना

एनीमिया से बचाव कैसे करें

- एनीमिया से बचाव के प्रमुख तरीके —
- पर्याप्त मात्र में आयरनयुक्त खाद्य पदर्थों को भोजन में शामिल करना
- प्रति सप्ताह आयरन आईएफए के एक गोली का सेवन निश्चित दिन पर करना
- स्वास्थ्य के पर्याप्त देखभाल करना जैसे मलेरिया से बचकर रहना
- पेट के कीड़ों से बचाव के लिए हर 6 माह में पेट के कीड़े खत्म करने की दवा खाना, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना और साफ पानी पीना आदि व्यवहार

क्या आयरनयुक्त खाद्य पदार्थ खाने से एनीमिया से बचाव किया जा सकता है ?

- हां, खाद्य पदार्थ खाने से एनीमिया से बचाव किया जा सकता है।

आयरनयुक्त खाद्य पदार्थ कौन—कौन से हैं ?

शाकाहारी

- हरे पत्ते वाली सब्जियां — सरसों, चने का साग, मैथी, सहजन, मुनगा, पालक आदि
- अनाज—गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल आदि
- दूध — गाय, भैंस, बकरी

मांस, मछली, अंडे

खाना खाने के एक घंटा पहले और एक घंटा बाद तक चाय, कॉपी आदि नहीं पियें क्योंकि यह शरीर द्वारा आयरन ग्रहण करने में बाधा पहुंचाते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

- किशोरी बालिका से सामान्य और सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ छुआछूत या भेदभाव उपयुक्त नहीं है।
- वैसे तो यह व्यवस्था की जा रही है कि किशोरावस्था स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों को सेनिटरी पैड्स दिए जाने की व्यवस्था बनाने की पहल हो रही है। जब तक यह व्यवस्था न बने, तब तक स्थानीय व्यवस्था बनना चाहिए।
- माहवारी के दौरान सूती के कपड़े के अस्तर (पेड) का उपयोग करना चाहिए।
- एक दिन में तीन से चार बार यह कपड़ा बदलना चाहिए।
- इस कपड़े को हर बार साबुन से धोकर धूप में सुखाया जाना चाहिए। हमारे यहां ये कपड़े यूँ ही धोकर अँधेरे में सुखाए जाते हैं। अगली बार की माहवारी में नए कपड़ों का उपयोग करना चाहिए।
- माहवारी के दौरान किशोरियों को आयरन फोलिक एसिड की गोलियां खाना चाहिए। इससे उनमें खून की कमी नहीं होगी।
- इस अवधि में निजी अंगों में साफ-स्वच्छता रखना बहुत जरूरी होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि शौच धोते समय हाथ योनी या मूत्र मार्ग से न छुए, इससे संक्रमण हो सकता है।
- किशोरियों के शरीर में खून की कमी होने के कारण वे मिट्टी खाने लगती हैं। इससे उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। पेट में कीड़े खून की कमी पैदा करते हैं। मिट्टी हो या बाल, सभी शरीर के लिए अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर हैं।
- उन्हें पौष्टिक भोजन और आयरन-फोलिक एसिड की गोलियां दी जाने की ओर भी जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही पेट में कीड़े खत्म करने का उपचार भी करना जरूरी होता है।
- किशोरी बालिकाओं के दुर्व्यवहार, उन्हें अपमानित करना या उन्हें अपनी मर्जी से काम न करने देना भी एक किस्म की हिंसा ही है। हम उन्हें ऐसा बनाएं कि वे अपनी सुरक्षा भी खुद कर सकें, उन्हें सामान्य और बराबर होने का अहसास हो। और वे आत्मनिर्भर हो सकें।

सही व्यवहार

- मासिक धर्म की दिनों में भी सामान्य दिनों की तरह गतिविधियां करते रहे। इसे बीमारी न मानें।
- अपने निजी अंगों/जनन अंगों के आसपास सफाई करते रहना।
- मासिक धर्म के दिनों में भी नहाना जरूर चाहिए।
- जब लेट्रिन जाएं और मल उत्सर्जन की जगह को साफ करें, तब ध्यान रखें कि सफाई आगे से पीछे की तरफ करें, पीछे से आगे की तरफ कभी नहीं! इससे संक्रमण की आशंका होती है।

- जांघिए या अन्तःवस्त्र साफ ही पहनना चाहिए।
- मासिक धर्म एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस स्थिति में सूती कपड़े के सेनेटरी नेपकिन पहनना ही सबसे सही है। नेपकिन मांगने या खरीदने या लेने में संकोच न करें।
- मासिक धर्म के दौरान पहने जाने वाले अंतःवस्त्रों या सेनेटरी नेपकिन को अँधेरे में न सुखाएं। इसे धूप में सुखाएं।

परिवार और समाज का दायित्व है कि वे किशोरियों की मनःस्थिति को महसूस करें। उन्हें यह अहसास न होने दें कि उसका लड़की होना कोई अपराध है। किशोरावस्था जीवन का प्राकृतिक पड़ाव भर है, और माहवारी किसी अपराध या गलती का परिणाम नहीं है।

मैदानी / प्रायोगिक कार्य

गतिविधि	किस रूप में हो ?
समुदाय में संवाद	समुदाय के स्तर पर किशोर अवस्था की जरूरतों और संवेदनशीलता के बारे में संवाद किया जाना चाहिए। बेहतर होगा कि युवाओं, महिला समूहों और पुरुषों से भी किशोर अवस्था में आने वाले बदलाव और जरूरतों के बारे में संवाद किया जाए।
स्कूलों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ के साथ संवाद	कोशिश अवस्था से जुड़े पहलुओं पर स्कूलों में बच्चों, शिक्षकों और पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया जाना चाहिए।

किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित योजनाएं

यूं तो किशोर अवस्था के व्यक्तियों (बच्चों की परिभाषा के अनुसार ये बच्चे माने जाते हैं;) के लिए समुदाय के स्तर पर सहज और समावेशी माहौल बनाने की जरूरत होती है। उनकी उम्र, उसमें आने वाले शारीरिक—मानसिक—भावनात्मक बदलावों को समझना और महसूस करना जरूरी होता है। इसकी साथ ही दूसरे स्तर पर सरकार द्वारा भी कुछ योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लक्ष्य किशोरी बालिकाओं का संरक्षण और सशक्त करना है। यहां हम उन्हीं योजनाओं को समझने की कोशिश करेंगे।

किशोरी शक्ति योजना

मध्यप्रदेश में किशोरियों के बहु आयामी विकास के लिए किशोरी शक्ति योजना चलाई जा रही है। यह योजना 35 ज़िलों में चल रही है। इसमें विकास के कई अलग—अलग पहलुओं को शामिल किया गया है। ये योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

- किशोरी शक्ति योजना में 11 से 18 साल तक की लड़कियों के लिए कुछ अहम प्रावधान हैं –
- किशोरी बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य के स्तर में बेहतरी लाना।
- अनौपचारिक शिक्षा के जरिए उनमें साक्षरता और गणित के कौशल को हासिल करने की लालसा पैदा करना।
- अलग—अलग परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना।
- प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें घरेलू और व्यावसायिक कार्यों सम्बन्धी कौशल को बढ़ाना। यह उनकी इच्छा और निर्णय पर निर्भर करता है कि वे किस तरह का कौशल हासिल करना चाहती हैं।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पोषण, प्रबंधन और बाल देखरेख जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाना।
- शादी की सही उम्र, परिवार नियोजन, प्रजनन के अधिकार, निर्णय लेने की क्षमता सरीखे विषयों पर जानकारी दी जाना।
- समाज के मुद्दों पर जानकारी देकर और चर्चा करके उनकी समझ को विकसित करने में मदद करना।
- किशोरी बालिकाओं में समाज के एक अभिन्न और बर्बर का हिस्सेदार होने की भावना को विकसित करने में मदद करना, उसे यह अहसास करवाना कि वह समाज की एक उपयोगी सदस्य है और उसकी भागीदारी महत्वपूर्ण है।

गतिविधियाँ

- आयरन—फोलिक एसिड की गोलियों का उपयोग और कृमिनाशक दवा का वितरण।
- स्कूल से बाहर सभी किशोरियों को हर मंगलवार को आयरन—फोलिक एसिड के नीले रंग की गोली दी जाती है।
- साल में दो बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कृमिनाशक दवा का वितरण किया जाता है।

स्वास्थ्य जांच और सन्दर्भ सेवाएं

हर साल अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता दिवस पर गांव/समुदाय की सभी किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, उनके कद, वजन और बीएआई (बाड़ी मॉस इंडेक्स—ऊँचाई के मान से वजन) की माप की जाती है ताकि उनके विकास की गति और स्थिति को जांचा जा सके।

पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा

- पोषण और संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी जाना
- महीने के चौथे मंगलवार को (जिसे मंगल किशोरी दिवस) कुछ खास विषयों पर परामर्श सत्र किए जाते हैं।
- परिवार कल्याण/किशोरी प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, बच्चों की देखरेख से सम्बंधित परामर्श
- इस गतिविधि में मुख्य रूप से 14 से 18 साल की उम्र की किशोरियों को शामिल किया जाता है।
- परिवार कल्याण और किशोरी प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाना।
- अर्श क्लीनिक की सेवाओं के बारे में जानकारी, परामर्श सत्रों का आयोजन और स्वास्थ्य जांच कैम्प।

जीवन कौशल शिक्षा

- जीवन कौशल शिक्षा सत्रों का आयोजन हर शनिवार को दोपहर के समय किया जाता है।

गतिविधियों का संचालन

- किशोरी शक्ति योजना की गतिविधियों का संचालन हर आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। इस काम में किशोरी समूह/किशोरी क्लब के किशोरियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें स्कूल छोड़ने वाले किशोरियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं।
- इसमें तीन दिन का सखी सहेली प्रशिक्षण होता है।
- किशोरियों के समूह में माहवारी स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां की जाती हैं।
- वार्षिक किशोरी बालिका दिवस का आयोजन।
- राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन।

राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना—सबला

सबला योजना का क्रियान्वयन वर्तमान में मध्यप्रदेश के 15 जिलों में किया जा रहा है। ये जिले हैं— जबलपुर, बालाघाट, दमोह, सागर, टीकमगढ़, भोपाल, राजगढ़, बैतूल, इंदौर, झावुआ, नीमच, भिंड, श्योपुर, रीवा और सीधी।

यह योजना 11 से 18 साल की सभी किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित है।

इसमें मुख्य जोर उन बालिकाओं पर है, जो स्कूल शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं।

योजना के मुख्य उद्देश्य

- किशोरी बालिकाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना और उनका सशक्तिकरण करना।
- उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में बेहतरी लाना।
- प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें घरेलू और व्यावसायिक कार्यों सम्बन्धी कौशल को बढ़ाना। यह उनकी इच्छा और निर्णय पर निर्भर करता है कि वे किस तरह का कौशल हासिल करना चाहती हैं।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पोषण, प्रबंधन और बाल देखरेख जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाना।
- शादी की सही उम्र, परिवार नियोजन, प्रजनन के अधिकार, निर्णय लेने की क्षमता सरीखे विषयों पर जानकारी दी जाना।
- समाज के मुद्दों पर जानकारी देकर और चर्चा करके उनकी समझ को विकसित करने में मदद करना।
- उपलब्ध सार्वजनिक सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, डाकघर, बैंक, पुलिस थाना आदि के बारे में जानकारी देना और इससे सम्बंधित मार्गदर्शन देना।

मुख्य गतिविधियाँ

पोषण गतिविधि

- सबला योजना के तहत सभी किशोरी बालिकाओं को हर मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्र से घर ले जाने योग्य (टेक होम राशन) राशन दिया जाता है। इसमें एक दिन के लिए 600 कैलोरी ऊर्जा, 18–20 ग्राम प्रोटीन होता है।
- आयरन—फोलिक एसिड की गोलियों का उपयोग और कृमिनाशक दवा का वितरण
- स्कूल से बाहर सभी किशोरियों को हर मंगलवार को आयरन—फोलिक एसिड के नीले रंग की गोली दी जाती है।
- साल में दो बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा कृमिनाशक दवा का वितरण किया जाता है।

स्वास्थ्य जांच और सन्दर्भ सेवाएं

- हर तीन माह में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता दिवस पर गांव की सभी किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य की जांच की जाती है, उनके कद, वजन और बीएमआई (बाड़ी मॉस इंडेक्स—जँचाई के मान से वजन) की माप की जाती है ताकि उनके विकास की गति और स्थिति को जांचा जा सके। यह जानकारी किशोरी कार्ड में दर्ज की जाती है।
 - किशोरी क्लीनिक का आयोजन होता है।
- पोषण और जीवन—स्वास्थ्य शिक्षा**
- पोषण और संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी जाना।

- महीने के चौथे मंगलवार को (जिसे मंगल किशोरी दिवस) कुछ खास विषयों पर परामर्श सत्र किए जाते हैं।
- इस गतिविधि में मुख्य रूप से 14 से 18 साल की उम्र की किशोरियों को शामिल किया जाता है।
- परिवार कल्याण और किशोरी प्रजनन और यौन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाना।
- अर्श क्लीनिक की सेवाओं के बारे में जानकारी, परामर्श सत्रों का आयोजन और स्वास्थ्य जांच कैम्प।

जीवन कौशल शिक्षा

- जीवन कौशल शिक्षा सत्रों का आयोजन हर शनिवार को दोपहर के समय किया जाता है। इस गतिविधि में सत्र का संचालन सबला योजना के तहत दी गई सबला किट "मेरी सखी" पुस्तिका के माध्यम से किया जाता है।

सार्वजनिक सेवाओं पर भ्रमण

- किशोरी बालिकाओं को सार्वजनिक सेवाओं के काम करने के तौर-तरीकों और उनके उपयोग के बारे में जागरूक करने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सेवाओं पर भ्रमण कराने का प्रावधान है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

- शाला त्यागी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है।

सखी सहेली प्रशिक्षण

- सबला योजना में किशोरी समूह गतिविधि का बहुत महत्व है। इसमें सखी सहेलियों की भूमिका पर किशोरी समूह की गतिविधियां निर्भर करती हैं। इस समूह में एक लीडर होती है। इस समूह को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है।

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड कार्यक्रम

- किशोरी बालिकाओं में खून के कमी को रोकने हतु साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम मध्यप्रदेश के सभी 51 जिलों में चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग की सहभागिता से चलाया जा रहा है।
- 10 से 19 वर्षीय समस्त शालेय किशोरवय बच्चों को शासकीय/अशासकीय शालाओं के माध्यम से हर मंगलवार को आईएएफ की नीली गोली शिक्षकों के समक्ष खिलाई जाती हैं।
- यह गोली पूर्णतः सुरक्षित है और आमतौर पर सेवन से कोई गंभीर प्रतिकूल लक्षण नहीं होते हैं।
- कभी-कभी हल्का पेट दर्द, कब्ज आदि जिनसे लक्षण हो सकते हैं जो स्वाभाविक और सामान्य होते हैं।

राष्ट्रीय कृमि दिवस

- प्रति वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके तहत 1 से 19 वर्षीय समस्त बच्चों को कृमि यानी पेट के कीड़ों की गोली खिलाई जाती है।
- यह कार्यक्रम, शिक्षा, एकीकृत बाल विकास सेवाओं व आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा समन्वित रूप से आयोजित किया जाता है।

प्रायोगिक / मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
कुछ व्यक्तियों/महिलाओं/किशोरियों से चर्चा—संवाद करके यह जानने की कोशिश करें कि समुदाय में किशोरी बालिकाओं की स्थिति क्या है? यह करना इसलिए जरूरी है कि हमारे समाज के अलग—अलग समूहों में इस स्थिति में बहुत भिन्नताएं हैं। जैसे आदिवासी समाज में किशोरी बालिकाओं को ज्यादा स्वतंत्रता होती है।	छोटे समूह में चर्चा करें। यह ध्यान रखना होगा कि हम कोई धारणा या अपने पूर्वाग्रह के आधार पर बातचीत न करें। समुदाय की बात सबसे अहम होगी।
गांव/समुदाय, जहाँ हम यह प्रायोगिक या मैदानी काम कर रहे हैं, वहाँ कौन—कौन से समुदाय है ? उनमें किशोरी बालिकाओं की संख्या कितनी है ? उनमें से कितनी स्कूल के बाहर हैं और क्यों हैं ? उनकी जानकारियों के स्रोत क्या हैं ?	समुदाय से, उन परिवारों और किशोरी बालिकाओं के समूह से सघन चर्चा करें।
जो बालिकाएं स्कूल से बाहर हैं, उनके स्वारथ्य की स्थिति क्या है ? उन्हें सेवाएं मिलती हैं या नहीं ? वे स्कूल से बाहर क्यों हैं ?	समुदाय से और किशोरी बालिकाओं के समूह से सघन चर्चा करें।
किशोरी बालिकाओं के लिए कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं ? उनके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है ?	समुदाय से और किशोरी बालिकाओं के समूह से सघन चर्चा करें।
जो बालिकाएं स्कूल से बाहर हैं, उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ने की पहल करना है।	इसके लिए परिवार और स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय करके प्रयास करना होगा।
छात्रवृत्ति कार्यक्रम की स्थिति क्या है ?	मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा या प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक, कई तरह की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। उन कार्यक्रमों का उपयोग करके किशोरियों को शिक्षा से जोड़ना।

किशोरी शक्ति योजना या सबला योजना का क्रियान्वयन	किशोरी बालिकाओं, आंगनवाड़ी केंद्र और महिला एवं बाल विकास विभाग से चर्चा करके यह देखें कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन उद्देश्यों के अनुरूप हो रहा है ? इनके क्रियान्वयन में कहाँ कमियां हैं और उन्हें दूर करने की पहल कीजिए। इसके लिए आपको समुदाय के साथ संगठित पहल करना होगी।
समुदाय में महिलाओं के साथ संवाद	यह एक साझा पहल होगी, जिसमें समुदाय की महिलाओं के साथ किशोरियों के स्वास्थ्य के मुद्दे पर जानकारी का आदान—प्रदान तो हो ही, साथ में उस धारणा में बदलाव भी लाया जाए, जिसमें इस विषय पर चर्चा करना या स्वास्थ्य सेवा लेना अनैतिक माना जाता है।
स्कूल में किशोरी बालिकाओं से संवाद	यह प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, पर इसके साथ ही आप वहां ऐसी व्यवस्था बनवाएं, जिससे वे अपनी समस्या या अपना सवाल बिना पहचान सामने लाए पूछ सकें। जैसे वहां प्रश्न के लिए डिब्बा रखवाना। उन प्रश्नों के आधार पर उनसे बात करें।
कई अध्ययन बताते हैं कि लैंगिक असमानता के कारण बच्चियां अपने साथ होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार को छिपाने के लिए मजबूर होती हैं।	संवाद की यह पहल ऐसे आगे बढ़ाएं, जिससे किशोरी बालिकाएं अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकें और उसका विरोध भी कर सकें। समुदाय के साथ इस विषय पर बात करें।
बाकी अन्य कई पहलू जिन्हें आप इसमें शामिल कर सकते हैं।	समुदाय के अनुभवों के आधार पर।

मध्यान्ह भोजन योजना और सामुदायिक पहल

सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों (आठवीं कक्षा) के सभी बच्चों के लिए यह योजना है। अब यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून–2013 में शामिल है। इस हिसाब से मध्यान्ह भोजन बच्चों का कानूनी अधिकार भी है।

- **क्या है यह योजना** – प्राथमिक शिक्षा के साथ पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्यान्ह भोजन योजना) की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई। दो सालों में सभी सरकारी प्राथमिक शालाओं में पका मध्यान्ह भोजन देना शुरू होना था। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों और सरकार से सहायता प्राप्त सभी स्कूलों के आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को दोपहर का भोजन दिए जाने का कानूनी प्रावधान है।
- **इसके दो मकसद थे, एक** – बुनियादी शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना, दो— स्कूल जाने वाले बच्चों के सही विकास के लिए पोषण स्तर को ऊपर उठाना। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक भारत में लगभग 20 करोड़ लोग रोज भूखे रह जाते हैं। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में 19 प्रतिशत जनसंख्या 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों की है। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि उन 20 करोड़ लोगों में से लगभग 4 करोड़ इस उम्र के बच्चे होते हैं। क्या ये बच्चे भूखे रहते हुए शिक्षा हासिल कर सकते हैं? इन बच्चों को भूखे न रहते हुए, शिक्षा का अधिकार भी मिल सके, यही लक्ष्य हासिल करना मध्यान्ह भोजन योजना का लक्ष्य है।
- **योजना के केंद्र** – यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शालाओं में यह योजना लागू है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसे, मकतब या सरकार से सहायता प्राप्त सभी स्कूल भी शामिल हैं।
- आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन योजना ही एक मात्र ऐसी योजना है जिसमें बच्चों की पोषण सम्बन्धी जरूरतों को सीधे ध्यान में रखा गया है। यह माना गया है कि कुपोषण की स्थिति में बच्चों की सीखने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और वे स्कूली प्रक्रिया में पूरी क्षमता के साथ अपनी उपरिथिति दर्ज नहीं करा पाते हैं और अंततः स्कूल से बाहर आ जाते हैं।

जिम्मेदार विभाग – भारत सरकार के स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। अलग-अलग राज्यों में इसके क्रियान्वयन की व्यवस्था अलग-अलग है। उड़ीसा में महिला एवं बाल विकास विभाग इसे संचालित करता है तो मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय निकाय विभाग इसका क्रियान्वयन करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए अलग विभाग खड़ा किया है।

प्राथमिक शाला के बच्चों के भोजन में 450 कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए एवं माध्यमिक शाला के बच्चों के भोजन में 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए।

सूखाग्रस्त इलाकों में मध्यान्ह भोजन गर्मी के अवकाश के दौरान भी उपलब्ध करवाया जाए। (20 अप्रैल 2004 का आदेश)

हर स्कूल में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अलग से रसोई घर बनाने की व्यवस्था की गई है जिसके लिए भारत सरकार आर्थिक मदद देती है।

- ✓ **कितने बच्चे?** – मध्यान्ह भोजन योजना के तहत मध्यप्रदेश में 1 लाख 17 हजार स्कूलों में 76 लाख 62 हजार बच्चों को हर रोज मध्यान्ह भोजन दिया जाता है।
- ✓ **हकधारिता क्या है?** – वर्तमान स्थिति में प्रावधानों के मुताबिक बच्चों को पका हुआ भोजन देने के लिए निम्न सामग्री का प्रावधान है –

प्राथमिक शाला के लिए (लागत – 3.59 रुपए)		माध्यमिक शाला के लिए (लागत – 5.38 रुपए)	
सामग्री	मात्रा	समग्री	मात्रा
अनाज (यह राशन की दुकान से मुफ्त मिलता है।)	100 ग्राम	अनाज (यह राशन की दुकान से मुफ्त मिलता है।)	150 ग्राम
दाल	20 ग्राम	दाल	30 ग्राम
सब्जियां	50 ग्राम	सब्जियां	75 ग्राम
खाने का तेल / वसा	5 ग्राम	खाने का तेल / वसा	साढ़े सात ग्राम
नमक और मसाले	जरूरत के मुताबिक	नमक और मसाले	जरूरत के मुताबिक
ईधन	जरूरत के मुताबिक	ईधन	जरूरत के मुताबिक

भोजन पकाने की व्यवस्था – इसके अलावा जुलाई 2010 से सरकार द्वारा खाना बनाने वाली महिला को 1000 रुपए की राशि मानदेय के रूप में दी जाएगी। यह राशि 1 से लेकर 25 बच्चों के भोजन बनाने के लिए है। यदि किसी शाला में 25 से 100 बच्चे हैं तो ऐसी स्थिति में 2 रसोईयों को खाना बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी जिसमें दोनों को रुपए 1000/- प्रतिव्यक्ति के मान से दिया जाएगा। इसके बाद हर 100 बच्चों पर एक अतिरिक्त रसोईये की नियुक्ति होगी।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन पकाने की जिम्मेदारी सांझा चूल्हा के तहत स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को दी गयी है।

शहरों/नगरों में व्यवस्था है कि मध्यान्ह भोजन पकाने और उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी केंद्रीयकृत रसोई घरों (जिनका संचालन अशासकीय संस्थाएं या सामाजिक समूह कर सकते हैं) या शाला प्रबंधन समिति को दी जा सकती है।

दिन	ग्रामीण और शहरी क्षेत्र	केंद्रीयकृत रसोई
सोमवार	चपाती / चावल-दाल (तुअर/अरहर) और काबुली चने-टमाटर की सब्जी	सब्जी पुलाव और पकोड़ा कड़ी
मंगलवार	पूरी / खीर के साथ पुलाव / हलवा और आलू टमाटर के साथ मूंग बड़ी की सब्जी	खीर/हलवे के साथ खीर और छोले-मटर की सब्जी
बुधवार	चपाती / चना दाल के साथ चावल और मिश्रित सब्जी	जीरा चावल, मिश्रित सब्जी और तुअर दाल
गुरुवार	सब्जी पुलाव और पकोड़ा कड़ी	सोया चंग के साथ चपाती/आलू के साथ मूंग या चना बड़ी और तुअर दाल
शुक्रवार	चपाती/मूंग दाल के साथ चावल और सूखे चने या हरे मटर की सब्जी	मूंग दाल के साथ खिचड़ी और आलू टमाटर सब्जी के साथ मटर
शनिवार	पराठा/मिश्रित दाल के साथ मसाला चावल और हरी सब्जी	चपाती और हरी मिश्रित सब्जी और मिश्रित दाल

भोजन माने क्या ?

मध्यप्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत बच्चों के लिए साप्ताहिक भोजन सूची बनाई गई है ताकि उन्हें हर रोज एक जैसा ही भोजन भी न करना पड़े और पोषक तत्वों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके। ये सूची इस आधार पर बनायी गई है कि जहाँ चावल ज्यादा खाया जाता है, वहाँ बच्चों को ज्यादा चावल मिले और जहाँ गेहूं का उपयोग होता है, वहाँ बच्चों को चपाती प्रमुखता से मिले।

मध्यान्ह भोजन योजना केवल भोजन वितरण की योजना नहीं है !

अगर आप सोचते हैं कि प्राथमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध करवाना ‘समय की बर्बादी’ है, तो फिर से सोचिए। पौष्टिक मध्यान्ह भोजन के तमाम फायदे हो सकते हैं।

स्कूलों में भागीदारी बढ़ेगी — मध्यान्ह भोजन का स्कूलों में भागीदारी पर भारी असर पड़ता है। इससे न केवल अधिक बच्चों का नामांकन संभव होता है बल्कि बच्चों की नियमित उपस्थिति भी सुनिश्चित होती है।

कक्षा में भूख से बचाव — कई बच्चे खाली पेट स्कूल आ जाते हैं और अक्सर कुछ घंटे बाद वे भूखे हो जाते हैं। इससे उनकी ध्यान देने की क्षमता कम हो जाती है और सीखने की प्रक्रिया भी धीमी होती है। दोपहर का खाना कक्षा में बच्चों के भूखे होने की समस्या से भी बचाता है।

बच्चों की स्वास्थ्य वृद्धि में मदद — मध्यान्ह भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण का नियमित स्रोत बन सकता है और इस तरह उनकी सही बढ़त में मददगार बन सकता है। उदाहरण के लिए अगर मध्यान्ह भोजन में लोहे की मात्रा अधिक हो तो बच्चों को खून की कमी (एनीमिया) से बचाया जा सकता है। खून की कमी से बच्चों में कमजोरी बढ़ती है और उनकी सही बढ़त भी नहीं हो पाती।

शैक्षणिक महत्व — सुव्यवस्थित मध्यान्ह भोजन का उपयोग बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए किया जा सकता है। (जैसे — खाने के पहले और बाद में हाथ धोना)। उन्हें स्वच्छ पानी, साफ—सफाई का महत्व व अन्य बातों की शिक्षा भी दी जा सकती है।

सामाजिक समानता की भावना को मजबूत करना — मध्यान्ह भोजन द्वारा स्कूलों में समता की भावना का प्रसार किया जा सकता है। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इससे वर्ग और जाति के बंधन टूटते हैं। दलित समुदाय के लोगों को रसोइयों के रूप में चुनने से भी जातिगत पूर्वाग्रह तोड़े जा सकते हैं।

लैंगिक समानता को बढ़ावा — स्कूलों में आने वाले बच्चों में लड़के—लड़कियों की संख्या में अंतर नजर आता है, अर्थात् लड़कियों की संख्या अमूमन लड़कों से कम होती है। मध्यान्ह भोजन प्रारंभ करने पर लड़के—लड़कियों की संख्या में यह अंतर कम हो जाता है। मध्यान्ह भोजन महिलाओं के लिए रोजगार का साधन बनते हैं, साथ ही बच्चों को दोपहर में घर पर खाना उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी से भी स्त्रियां बच जाती हैं। इस अर्थ में स्त्रियों और बालिकाओं का मध्यान्ह भोजन में बहुत कुछ दांव पर लगा है।

पका हुआ खाना ही क्यों बेहतर है ?

पका भोजन कई तरह से अधिक फायदेमंद होता है। यह सच है कि अनाज उपलब्ध करवाने से स्कूलों के नामांकन में बढ़ोत्तरी होती है, परन्तु नियमित उपस्थिति इससे सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस अर्थ में पका हुआ मध्यान्ह भोजन ही अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। इसके कारण बच्चे स्वयं स्कूल आते हैं और उन्हें हर दिन माता—पिता द्वारा समझाने—बुझाने की दरकार नहीं पड़ती। साथ ही मध्यान्ह भोजन देने से खाने की घंटी के बाद भी बच्चे स्कूल में टिके रहते हैं और दोपहर बाद की कक्षाएं लगाना

अधिक आसान होता है। इसके विपरीत अगर बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते हैं तो वे हमेशा लौटकर वापस नहीं आते। यह सब मात्र अनाज उपलब्ध करवाने से संभव नहीं होता। साथ ही, मध्यान्ह भोजन “कक्षा में भूखे” रहने की समस्या को खत्म करता है, जिसे सूखा राशन नहीं मिटा सकता।

मध्यान्ह भोजन योजना पर सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश

- पका भोजन बनाने में आने वाला कोई भी खर्च किसी भी स्थिति में अभिभावकों या बच्चों से नहीं वसूला जाएगा।
- रसोइये व उसके सहायक के चयन में दलित/आदिवासी को प्राथमिकता दी जाए।
- सभी प्राथमिक शालाओं में रसोई घर बनाने और पका भोजन बनाने का खर्च भारत सरकार वहन करे।
- सभी सूखाग्रस्त इलाकों में, गर्मी की छुट्टियों में भी मध्यान्ह भोजन दिया जाए।
- योजना को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएं— जैसे कि अच्छे भवन, बेहतर सुविधाएं, गहन निरीक्षण, गुणवत्ता की अतिरिक्त सुरक्षा और भोजन के पोषक तत्वों में सुधार जिससे कि प्राथमिक शालाओं के बच्चों को पोषक आहार मिल सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बनाई गई व्यवस्था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट नियम जारी किए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक भोजन केवल स्कूल में ही परोसा जाएगा। और भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, मानकों और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं।

नियम कहते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में शाला प्रबंधन समिति को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी, भोजन की गुणवत्ता साफ-सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय निरीक्षण करती रहेगी। इसी व्यवस्था को कानून मान्यता देता है।

योजना बाधित न हो — यह कानून कहता है कि मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन बाधित नहीं होना चाहिए। स्कूल के प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका को सशक्त अधिकार होगा कि वह स्कूल में खाद्यान्न, पकाने की लागत आदि अरथायी तौर पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्कूल के खाते में उपलब्ध निधि (धन) का उपयोग करे और बच्चों के भोजन की व्यवस्था करे। जब मध्यान्ह भोजन योजना की राशि प्राप्त हो जाएगी, तब स्कूल की निधि/राशि वापस खाते में जमा कर दी जाएगी।

खाद्य सुरक्षा भत्ता — यदि किसी कारण से बच्चों को मध्यान भोजन नहीं मिलता है, तो उन्हें खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने का अधिकार है। इस भत्ते में उन्हें अपनी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न और पकाने की लागत अगले महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध करवाई जाएगी।

कार्यवाही — यदि स्कूल में तीन दिन लगातार या एक महीने में 5 दिन मध्यान्ह भोजन नहीं मिलता है तो राज्य सरकार जिम्मेदार संस्थाओं/समूहों/व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करेगी और कार्यवाही करेगी।

सामाजिक अंकेक्षण – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी खाद्य कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है। यदि मध्यप्रदेश की बात करें, तो हम पाते हैं कि मध्यप्रदेश राज्य सामाजिक संपरीक्षा समिति (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत पंजीकृत संस्था) की जिम्मेदारी है कि वह मध्यान्ह भोजन योजना का नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण करवाएं।

निगरानी और प्रबंधन की व्यवस्था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर विकास खंड, जिला और राज्य स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया गया है। यदि इस योजना से सम्बंधित कोई समस्या है, तो उसे इन स्तरों पर उठाएं।
2. इसी कानून के तहत हर जिले के स्तर पर “जिला शिकायत निवारण अधिकारी” की नियुक्ति की गई है। इनकी जिम्मेदारी है कि योजना से सम्बंधित शिकायत का 30 दिन के भीतर निराकरण करें।
3. राज्य स्तर पर “राज्य खाद्य आयोग” का भी प्रावधान है।

मध्यान्ह भोजन योजना की अपनी व्यवस्था

स्कूल स्तर पर

1. मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्कूल के स्तर पर शाला प्रबंधन समिति को निगरानी के अधिकार दिए गए हैं।
2. इसके साथ ही स्कूल के शिक्षक और अन्त्योदय राशन कार्ड धारी व्यक्ति को भी निगरानी के लिए अधिकार दिए गए हैं।
3. हर स्कूल में पके हुए भोजन की जांच/चखने के लिए रोस्टर बनाया जाता है, ताकि अलग अलग लोग हर रोज भोजन की चख कर जांच करें।
4. ग्राम स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता समिति भी योजना की निगरानी करेंगी।

विकासखंड स्तर पर

1. विकासखंड स्तर पर शिक्षा विभाग के विकासखंड स्रोत समन्वयक, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) को निगरानी की जिम्मेदारी दी गयी है।

जिला स्तर पर

1. जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वे नियमित रूप से योजना की निगरानी करें।
2. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे नियमित रूप से योजना की निगरानी करें।

3. जिला कार्यक्रम समन्वयक की जिम्मेदारी है कि वे नियमित रूप से कार्यक्रम की निगरानी करें।
4. हर जिले में योजना प्रभारी अधिकारी, और गुणवत्ता निगरानी प्रबंधक की नियुक्ति की गयी है। इनकी जिम्मेदारी है कि हर महीने कम से कम 150 स्कूलों की जांच-निगरानी करें।

जरूरी बुनियादी ढांचा

मध्यान्ह भोजन योजना के लिए जिन मूलभूत ढांचों की आवश्यकता होती है, वे हैं –

रसोईघर व गोदाम की सुविधा – खाना पकाने के लिए अगर रसोईघर अलग से नहीं होगी तो सीखने-सिखाने की प्रक्रिया बाधित होगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी रसोईघर की जगह अलग होनी चाहिए। अन्यथा आग लगने, दुर्घटना घटने या खाना दूषित होने का डर भी रहता है। धुएं से बचाव के पर्याप्त उपाय भी किए जाने चाहिए – जैसे चिमनी, धुआं रहित चूल्हे, एकजास्ट पंखे आदि यंत्र। गोदाम की सही व्यवस्था भी जरूरी है ताकि अनाज को चूहों व फफूंद आदि से बचाया जा सके। आदर्श स्थितियों में यह एक अलग ताला बंद कक्षा होना चाहिए। खाद्यान्न को बोरियों के बदले बंद डिब्बों में ही रखना ज्यादा उचित होगा।

साफ पानी – स्कूल परिसर में साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए। पीने के लिए और हाथ धोने व साफ-सफाई के लिए भी साफ पानी की जरूरत होती है। बच्चों को यह सिखाना भी जरूरी है कि वे खाने के पहले और बाद में हाथ धोएं। यह भी तभी किया जा सकेगा जब स्कूल में साफ पानी उपलब्ध हो।

पकाने के बर्तन व दूसरे उपकरण – पूरी सफाई से और बिना झंझट के खाना पकाने के लिए सुविधाजनक चूल्हे से लेकर कई दूसरे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। चपटी पैंदे वाले बड़े भगोने होने चाहिए ताकि बड़ी मात्रा में खाना पकाया जा सके। इसके अलावा लंबे हथ्ये वाली कलछियां होनी चाहिए, मसाले, अनाज आदि नापने-तौलने के औजार, धारदार छुरियां, फट्टे, अच्छी तरह से बंद होने वाला मसालादान आदि भी जरूरी है।

ईंधन – राज्यों से अलग-अलग तरह के ईंधन की व्यवस्था है। जैसे कहीं स्कूलों को गैस के चूल्हे दिए जा सकते हैं तो कहीं स्थानीय रूप से उपलब्ध लकड़ी खरीदी जा सकती है। अक्सर ईंधन की माकूल व्यवस्था नहीं की जाती जिससे मध्यान्ह भोजन पकाने व खिलाने में परेशानी आती हैं अगली बार जब आप स्थानीय प्राथमिक स्कूल जाएं, तो यह देखें कि वह ईंधन की कैसी व्यवस्था हैं?

मध्यान्ह भोजन योजना में सुरक्षा के पहलू

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए सुरक्षा और साफ-सफाई बेहद महत्वपूर्ण है। सफाई का पूरा ख्याल न रखा जाए तो खाना बिगड़ सकता है। और खराब खाने से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इससे शिक्षक और माता-पिता भी इस कार्यक्रम का विरोध करने की स्थिति में आ सकते हैं इस स्थिति से बचाव करना मुश्किल काम नहीं है परन्तु इसके लिए सुरक्षा और स्वच्छता पर हमेशा कड़ी नजर रखनी होगी। खाना पकाने वालों और उनके सहायकों की इस संदर्भ में खास जिम्मेदारी है। जो भी

व्यक्ति भोजन पकाने की प्रक्रिया से जुड़े हैं उन्हें अपनी निजी साफ-सफाई और सुरक्षा सावधानियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

1. **रसोई घर** – खाना रसोई घर में पकाना चाहिए, जो कक्षाओं से सुरक्षित दूरी पर बना हो। रसोई हमेशा साफ होनी चाहिए। खाना पकाने की और कचरा फेंकने की उचित व्यवस्थाएं की जानी चाहिए।
2. **सामग्री का भण्डारण** – पकाने में काम में आने वाली सभी वस्तुओं को सही डिब्बों में रखा जाना चाहिए ताकि वे सूखी रहें व उसमें कीड़े न लगें। भोजन पकाने के लिए बाजार से खुली हुई सामग्री नहीं खरीदी जाएगी। एगमार्क और अच्छी गुणवत्ता का तेल, मसाले ही उपयोग में लाए जाएंगे। आयोडीन नमक का ही इस्तेमाल होगा।
3. **ईधन का गोदाम** – ईधन को सुरक्षित व रसोई से अलग रखा जाना चाहिए ताकि आग लगने के खतरों से बचा जा सके। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मध्यान्ह भोजन पकाने के लिए समूह/रसोईयों को गैस कनेक्शन मिले।
4. **धुआं** – जहां तक सम्भव हो “धुआं रहित चूल्हों” का प्रयोग करना चाहिए। साधारण चूल्हों से निकलने वाला धुआं फेफड़ों और आंखों को नुकसान पहुंचाता है। बारिश के दिनों के लिए ईधन को साफ और सूखा रखने की व्यवस्था होना चाहिए।
5. **स्वच्छता** – जो भी लोग मध्यान्ह भोजन की सामग्री देख-रेख में या भोजन पकाने और खिलाने से जुड़े हों, उन्हें अपनी निजी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। (जैसे, नियमित रूप से नाखून काटना, रसाईघर में आने वालों को अपने बालों को बांधे रखना, खाना पकाने व खिलाने के पहले हांथ—पैर साबुन से अच्छी तरह साफ रखना।
6. **खाने की गुणवत्ता** – पकाने के काम में आने वाली सभी चीजें (जैसे— अनाज, दालें, सब्जियाँ, तेल, मसाले आदि) मिलावट व कीड़े—फफूंद रहित आदि होनी चाहिए और उनका उपयोग अच्छी तरह से साफ करने, धोने आदि के बाद ही करना चाहिए।
7. **पका हुआ खाना**— खाना पकाने के बाद उसे ढक कर और कीड़ों से बचाकर रखना चाहिए।
8. **स्वास्थ्य जांच**— इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि रसोई बनाने वाले व उनके सहायक किसी प्रकार के संक्रामक रोग से पीड़ित तो नहीं हैं।
9. **खाना खाने के बर्तन**— योजना के अनुसार हर स्कूल में बच्चों की संख्या के मुताबिक खाना खाने के बर्तन उपलब्ध कराए गए हैं। बच्चों को अपने घर से बर्तन लाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।
10. **बर्तनों की सफाई**— पकाने और परोसने वाले सभी बर्तनों को हर दिन खाना पकाने के और परोसने वाले सभी बर्तनों को हर दिन खाना पकाने के बाद अच्छी तरह मांज—धो और सुखाकर रखना चाहिए।
11. **कचरा का निपटारा**— कचरे के निपटारों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उसे यूं ही खुले में नहीं फेंकना चाहिए।

12. **गुणवत्ता की जांच की नियमित व्यवस्था** – भोजन की नियमित रूप से चख कर जांच की जाना चाहिए। इसे चखने का काम शिक्षकों, शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों या समुदाय के अन्य लोगों द्वारा किया जाना चाहिए।
13. **निगरानी** – मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की जांच की व्यवस्थाएं भी बनी हुई हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यालय इस जांच के लिए अधिकृत हैं। साथ ही केंद्रीयकृत रसोई में बनने वाले भोजन की जांच अधिकृत प्रयोगशाला में करवाई जाएगी।

मध्यान्ह भोजन योजना और सामुदायिक पहल

प्रायोगिक / मैदानी कार्य

कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
योजना की स्थिति को जानना	अपने गांव/बस्ती के स्कूलों का भ्रमण करें और बच्चों से बात करके जानें कि मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन किस ढंग से हो रहा है ?
बच्चों की खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ साथ मध्यान्ह भोजन योजना पर समुदाय से बातचीत	समुदाय से यह बात जरूर की जाना चाहिए कि बच्चों की खाद्य सुरक्षा की स्थिति क्या है ?
नियमितता की स्थिति	यह पता करें कि पिछले एक शिक्षा सत्र (यानी स्कूल लगने वाले दिनों में) में कितने दिन मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन हुआ ?
भोजन का रुचिकर होना	क्या बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना में प्राप्त होने वाला भोजन पसंद आता है ? उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है ?
समुदाय का नजरिया	समुदाय से यह सघन रूप से बात करना कि उनका मध्यान्ह भोजन योजना के बारे में नजरिया क्या है ? इसे और बेहतर करने की जरूरत है क्या ? इसे बेहतर करने के लिए वे क्या कर सकते हैं?
मध्यान्ह भोजन से बुरे प्रभाव जानना	मध्यान्ह भोजन योजना में खाना खाने के बाद पिछले कुछ महीनों में कोई बच्चा बीमार तो नहीं हुआ ?
शाला प्रबंधन समिति की भूमिका	स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित कर मध्यान्ह भोजन

	योजना की निगरानी की स्थाई व्यवस्था बनाना।
ग्राम सभा और पंचायत	मध्यान्ह भोजन योजना के विषय में ग्राम सभा और पंचायत की बैठक में चर्चा करना और बेहतरी के लिए व्यवस्था बनाने की पैरवी करना।
स्वयं सहायता समूहों से संवाद	मध्यान्ह भोजन पकाने वाले स्वयं सहायता समूह और रसोईये से संघन और निरंतर संवाद करना। यह जानना कि वे इस योजना का क्रियान्वयन कैसे करते हैं? उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आती है?
	जहां भोजन पकता है, क्या वह स्थान/रसोई सुरक्षित है, वहां स्वच्छता है?
एक साथ भोजन करने की व्यवस्था और खाना खाने के बर्तन	क्या सभी बच्चे एक साथ बैठ कर भोजन करते हैं? क्या ऐसा होता है कि कुछ बच्चे मध्यान्ह भोजन योजना में भोजन नहीं करते हैं? क्या कोई बच्चे भोजन करने घर चले जाते हैं? ऐसा क्यों होता है, यह जांचा जाना चाहिए। क्या सभी बच्चों के लिए स्कूल में खाना खाने के बर्तन उपलब्ध हैं?
भोजन पकाने की सामग्री	भोजन पकाने की सामग्री कहां से खरीदी जाती है? क्या उन सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है?
राशन व्यवस्था से अनाज मिलना	क्या नियमित रूप से राशन के दुकान से जरूरत के मान से अनाज मिल जाता है? उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है?
साप्ताहिक भोजन सूची	क्या बच्चों को नियमित रूप से साप्ताहिक भोजन सूची (मेनू) के अनुसार भोजन मिलता है?
समुदाय का योगदान	भोजन को बेहतर बनाने में समुदाय अपनी तरफ से अंडे, सब्जियां या कोई अन्य खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवा सकता है। शाला प्रबंधन समिति उन सामग्रियों की गुणवत्ता को जांच सकती है और संतुष्ट होने पर उसके उपयोग का निर्णय ले सकती है।
मध्यान्ह भोजन की मानकों मुताबिक व्यवस्था बनाना	अब हम जानते हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना के मानक क्या है? इन मानकों के हिसाब से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चलाएं।
सामाजिक अंकेक्षण	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और मध्यान्ह भोजन योजना के अपने दिशा निर्देशों के मुताबिक ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया चलाएं।

सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने की प्रक्रिया

मुख्य चरण / स्तर	मुख्य कार्यवाहियां और उनकी तकनीक
मुख्य जिम्मेदारी तय करना	<p>सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को संचालित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ग्राम सभा की होती है। जब हम मध्यान्ह भोजन योजना के सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बात करते हैं, तब शाला प्रबंधन समिति और ग्राम सभा के द्वारा नामांकित सदस्यों के द्वारा सामूहिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया संचालित की जा सकती है।</p> <p>सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी/जानकारी इकट्ठा करने का काम सामाजिक अंकेक्षक सहजकर्ता (सामाजिक अंकेक्षण समिति, मध्यप्रदेश) के सहयोग से शाला प्रबंधन समिति और ग्राम सभा के द्वारा नामांकित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। इस काम में स्थानीय स्तर पर काम कर रही सामाजिक संस्थाधसंगठन को जोड़ा जा सकता है।</p> <p>इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम में शामिल युवाओं की भूमिका अहम हो सकती है।</p>
सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के मुख्य चरण	<ol style="list-style-type: none"> 1. सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया अंकेक्षण के दिन से कम से कम 30 दिन पहले शुरू कर दी जाना चाहिए। अंकेक्षण की तारीख तय करके एक महीने पहले समुदाय को बता दी जाना चाहिए। 2. सबको योजना और सामाजिक अंकेक्षण के बारे में पूरी जानकारी देना। 3. योजना के अलग अलग हिस्सेदारों/भूमिका निभाने वालों से जानकारियां इकट्ठा करना। 4. बच्चों से संवाद करके योजना के बारे में उनके मन की बात को जानना और उन्हें यह अहसास दिलाना कि उनके द्वारा कही गई सच्ची बातों के लिए उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। 5. जो भी जानकारियां (तथ्यात्मक और सूचनात्मक) इकट्ठा होती हैं, उनमें से चुनिन्दा जानकारियों को ड्राइंग शीट या बड़े कागज या बड़े कपड़े पर लिखना और उनका सामाजिक अंकेक्षण स्थल पर प्रदर्शन करना।

समुदाय के साथ संवाद और उन्हें मध्यान्ह भोजन योजना की जानकारी देते हुए सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बताना	गांव/बस्ती/वार्ड में समुदाय (मुख्य रूप से वे लोग, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और मध्यान्ह भोजन योजना में खाद्य सुरक्षा के हक के पात्र हैं) के साथ संवाद करना। हर व्यक्ति को यह बताया जाना चाहिए कि मध्यान्ह भोजन योजना एक कानूनी हक आधारित योजना है और इसके तहत आठवीं कक्षा तक के हर बच्चे को मध्यान्ह भोजन पाने का हक है। कानून के अनुसार समुदाय को यह अधिकार है कि वह इस कानूनी योजना के हर पहलू का अंकेक्षण करे।
मूल जानकारियां इकट्ठा करना और मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन की स्थिति को जांचना इस प्रक्रिया में हमें सतर्कता से मध्यान्ह भोजन योजना के बारे में आने वाली जानकारियों को परखना होगा। जो भी तथ्य और अनुभव हमारे सामने रखे जाएँ, उनमें से हमें यह जरूर देखना होगा कि जो दिक्कतें बतायी गयीं, वे क्रियान्वयन से सम्बंधित हैं या योजना के मूल विचार और सोच के बारे में।}	<p>इस चरण में हम कुछ बुनियादी जानकारियां इकट्ठा करेंगे—</p> <p>स्कूल से (बातचीत करके और आधिकारिक दस्तावेजों से जानकारी लेना)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● स्कूल में प्राथमिक/माध्यमिक कक्षा में कुल कितने बच्चे पंजीकृत हैं? ● स्कूल में सत्र के हर माह में औसतन उपस्थिति कितनी होती है? — कुछ खास तारीखों पर स्कूल में कक्षावार उपस्थिति (उदाहरण के रूप में) की जानकारी जरूर लें? ● स्कूल में शौचालय की उपलब्धता और उपयोगिता की स्थिति क्या है? ● स्कूल में पीने के साफ पानी के स्रोत की उपलब्धता और उपयोगिता क्या है? ● स्कूल भ्रमण पर आने वाले अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के द्वारा रजिस्टर में लिखी गयी टीपों का अवलोकन। ● रसोई घर के रखरखाव की व्यवस्था क्या है? ● स्वयं सहायता समूह/रसोईयों से (बातचीत करके और समूह के रजिस्टर/दस्तावेजों से जानकारी लेना) ● यह जानकारी इकट्ठा करें कि स्कूल के सत्र के हर माह में औसतन कितने बच्चों के मध्यान भोजन योजना में भाग लिया? — जिन दिनों की कक्षा वार उपस्थिति की जानकारी हमने ली है, उन्हीं दिनों के भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या की जानकारी लें। ● स्वयं सहायता समूहों को मध्यान भोजन के लिए कितनी राशि का भुगतान होता है? इसके लिए समूह के द्वारा प्रस्तुत किये गए हर माह के बिल की प्रति हासिल करें। उनके बैंक खाते

- की पासबुक से देखें कि उन्हें कब—कब भुगतान हुआ है?
- समूह/रसोईये भोजन के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से लाते हैं? एक बार में कितनी लाते हैं? उन सामग्रियों को रखने/भण्डारण की व्यवस्था क्या है?
- समूह के सदस्य कौन—कौन हैं? वे किन सामाजिक समूहों से सम्बन्ध रहते हैं? रसोईये कौन हैं? वे किस सामाजिक समूह से सम्बन्ध रखती हैं? समूह के सदस्य की रसोईये की भूमिका में हैं या नहीं?
- क्या उन्हें नियमित रूप से राशन की दुकान से अनाज मिल जाता है?
- राशन की दुकान से अनाज परिवहन की व्यवस्था क्या है ?
- क्या अनाज मिलने में कभी देरी होती है? यदि हाँ, तब क्या व्यवस्था की जाती है ?
- रसोई घर की स्थिति क्या है?
- खाना पकाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है या गैस या धुआं रहित चूल्हा?
- शाला प्रबंधन समिति से (बातचीत करके और बैठक विवरण रजिस्टर से)
- क्या शाला प्रबंधन समिति की बैठक होती है? क्या उन बैठकों में मध्यान्ह भोजन योजना पर कभी कोई चर्चा की गयी? क्या चर्चा की गयी ? क्या कोई निर्णय लिए गया? क्या समिति ने समुदायों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई पहल की? क्या समिति के सदस्य को भोजन को चख कर जांचते हैं ?
- ग्राम पंचायत से (बातचीत करके और पंचायत बैठक के विवरण से)
- क्या ग्राम पंचायत की समिति मध्यान्ह भोजन की निगरानी करती है? किस तरह करती है? मध्यान्ह भोजन योजना को बेहतर बनाने के लिए पंचायत ने क्या—क्या कोशिशें कीं?

समुदाय से

गांव/बस्ती/वार्ड के आम लोगों से मध्यान्ह भोजन योजना के बारे में चर्चा करके उनके अनुभव जानना और यह समझने की कोशिश करना को वे इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं?

<p>मध्यान्ह भोजन योजना के प्रावधानों के मुताबिक स्पष्ट जानकारी इकट्ठा करना</p>	<ul style="list-style-type: none"> • क्या स्कूल खुलने वाले हर दिन भोजन मिलता है ? • क्या मेनू/सप्ताह के दिन के लिए तय भोजन के मुताबिक भोजन मिलता है ? • सभी बच्चे एक साथ बैठ कर खाना खाते हैं? किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है ? • क्या स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो मध्यान्ह भोजन योजना में खाना खाने के बजाये खाना खाने के लिए हर दिन घर जाते हैं? यदि हाँ तो क्यों ? • सभी बच्चों के लिए खाना खाने के बर्तन उपलब्ध हैं ? • यदि क्षेत्र सूखा प्रभावित है, तो क्या गर्मियों की छुट्टी में भी भोजन मिलता है ? • भोजन की गुणवत्ता कैसे होती है ? • बच्चों को भोजन रुचिकर लगाता है ?
<p>बच्चों से सघन संवाद करना</p>	<p>मध्यान्ह भोजन योजना का मकसद बच्चों की पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है।</p>
<p>सामुदायिक समीकरणों/आपसी रिश्तों में टकराव आदि के बारे में जानकारी रखते हुए सजग रहना</p>	<p>इन बातों की संभावना बहुत कम हो सकती है, किन्तु फिर भी हमें सजग रहते हुए यह देखना होगा कि कहीं स्थानीय स्तर पर समुदाय में कहीं कोई आपसी मन-मुटाव तो नहीं है? इसी तरह स्वयं सहायता समूह के परिप्रेक्ष्य में भी हमें यह जानना होगा कि उनका चुनाव कैसे हुआ ? कहीं कोई उनके काम में बाधा तो उत्पन्न नहीं करता है ? क्या समूह के बारे में कभी कोई शिकायत की गयी? शिकायत किसने की थी और उस शिकायत का क्या हुआ? सामाजिक अंकेक्षण के सन्दर्भ में ये सजगता जरूरी है, ताकि कोई टकराव की स्थिति न बने।</p>
<p>जानकारियों को एक बड़े कागज / ड्राइंग शीट पर लिखना</p>	<p>अब हमारे पास मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी है। अब हमें मुख्य-मुख्य जानकारी को किसी शीट या बोर्ड या कपड़े पर लिखना है ताकि सामाजिक अंकेक्षण की जगह पर उनका प्रदर्शन किया जा सके। हम इन जानकारियों का प्रदर्शन करें –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्कूल में दर्ज बच्चों की कुल संख्या 2. स्कूल में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बच्चों की औसत उपस्थिति

- | | |
|--|---|
| | <p>3. स्कूल में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मध्यान्ह भोजन कितने दिन दिया गया?</p> <p>4. स्कूल में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में औसतन कितने बच्चों के भोजन पाया ?</p> <p>5. मेनू के मुताबिक भोजन मिल रहा है? मेनू क्या है ?</p> <p>6. समुदाय के द्वारा बताए गए 5 बिंदु (एक शीट)</p> <p>7. शिक्षकों के द्वारा बताए गए 5 बिंदु (एक शीट)</p> <p>8. बच्चों के द्वारा बताए गए 5 बिंदु (एक शीट)</p> <p>9. शाला प्रबंधन समिति द्वारा बताए गए 5 बिंदु (एक शीट)</p> <p>10. पंचायत द्वारा बताए गए 5 बिंदु (एक शीट)</p> <p>11. स्वयं सहायता समूह द्वारा बताए गए 5 बिंदु (एक शीट)</p> <p>12. मध्यान्ह भोजन योजना से हुए 5 लाभ (एक शीट)</p> <p>13. मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में आ रही 5 चुनौतियां (एक शीट)</p> <p>14. मध्यान्ह भोजन योजना को बेहतर बनाए के लिए 5 सुझाव (एक शीट)</p> |
|--|---|

समेकित बाल विकास सेवाएं और कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन

हम सभी जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कुपोषण (बच्चों का कम वजन का होना, ठिगना होना और दुबला होना) एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने रहा है। वास्तव में कुपोषण का सबसे ज्यादा सम्बन्ध पोषण युक्त भोजन, साफ-सफाई, संक्रामक बीमारियों से बचाव और सही इलाज से है।

यह कोई बीमारी नहीं है, किन्तु इसके कारण बच्चों को बीमारियां हो सकती हैं और कुछ बीमारियां बच्चों को कुपोषित कर सकती हैं। इस प्रायोगिक/मैदानी कार्य में आपका लक्ष्य है कि कुपोषण के बारे में समाज मुख्य भूमिका ले। यह केवल आंगनवाड़ी केंद्र या दवाइयों से निपटने वाली चुनौती नहीं है। वास्तव में हमें बाल्यावस्था की प्रारंभिक देखरेख और विकास के नजरिए से काम करने की जरूरत है।

जरूरी है कि कुपोषण समुदाय का मुद्दा बने और गर्भावस्था से 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उनकी पहल अपनी प्रेरणा से हो। हमें यह याद रखना होगा कि जीवन के सबसे पहले पांच साल शारीरिक और मानसिक विकास के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं।

जीवन के पहले पांच सालों में ही हमारे 90 प्रतिशत शारीरिक-मानसिक विकास की नींव पड़ जाती है। यदि बच्चों को सही परवरिश, पोषण, प्यार और देखरेख न मिले, तो इसका उन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सभी उम्र के लोगों का जीवन स्वस्थ हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर छह साल से कम उम्र के बच्चे को बाल्यावस्था में प्रारंभिक देखरेख और विकास का अधिकार मिले।

इसी मकसद से हमें कोशिश करना है कि

1. पोषण और कुपोषण पर समुदाय में चर्चा हो। भोजन में विविधता और समानता लाने की कोशिश की जाए।
2. इसके असर क्या होते हैं, इस पर बात हो।
3. इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, उन विकल्प पर चर्चा हो।
4. आंगनवाड़ी केंद्र, समुदाय का केंद्र बने।
5. स्वास्थ्य सेवाएं (टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, सन्दर्भ सेवाओं और जरूरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं) की निगरानी समुदाय करे।
6. अपने गांव/बस्ती/समुदाय में या इसके आसपास खाने की सामग्री के स्रोत कौन-कौन से रहे हैं? उनमें कितनी विविधता रही है? क्या उन्हें फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है?
7. एक साल की पहल के लिए यह तय करें कि गांव में एक भी बच्चे का वजन कम नहीं होगा और हर बच्चे का पूर्ण टीकाकरण होगा।

8. गर्भवती महिलाओं की चार प्रसव पूर्व जांचें होंगी और उन्हें पोषण वाली पूरी खुराक मिलेगी।

बच्चों में कुपोषण का मतलब

1. उम्र के हिसाब से वजन कम होना (कम वजन)
2. लम्बाई या ऊँचाई के हिसाब से वजन कम होना (दुबलापन)
3. उम्र के हिसाब से लम्बाई/ऊँचाई का कम होना (ठिगनापन)

आमतौर पर पांच साल की उम्र तक इन पैमानों का उपयोग किया जाता है।

किशोर और वयस्क अवस्था में कुपोषण का मतलब

किशोर अवस्था और वयस्कों में कुपोषण मापने के लिए लम्बाई के मान से वजन (बाड़ी मॉस इडेक्स—बीएमआई) का उपयोग किया जाता है।

इसे ऐसे मापते हैं – बीएमआई = वजन / लम्बाई वर्ग (मीटर में)

क्यों होता है ?

1. कुपोषण बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी। बच्चों में होने वाला कुपोषण उनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है।
2. इसी तरह किशोरियों और महिलाओं में होने वाला कुपोषण भी गंभीर परिणाम देता है, क्योंकि इससे न केवल वे कमजोर होती हैं, बल्कि बच्चों के कुपोषित होने की आशंका भी बढ़ जाती है।
3. शरीर के लिए आवश्यक सन्तुलित आहार का लम्बे समय तक न मिलने से जो स्थिति बनती है, वह कुपोषण की स्थिति है। संतुलित आहार मतलब केवल अनाज नहीं, बल्कि साथ में कोई भी दाल, सब्जी, खाने का तेल, दूध, कोई भी फल, यदि परिवार अंडे खाता हो तो वह भी साथ में दे सकते हैं।

कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं का शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता है और वे आसानी से कई तरह की बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बच्चों और महिलाओं के अधिकांश रोगों की जड़ में कुपोषण ही होता है। महिलाओं में खून की कमी, धूंधा रोग, कमजोरी, चक्कर आना तथा बच्चे में डायरिया, खसरा, निमोनिया, रत्तौंधी की समस्या होती है और कहीं-कहीं तो अंधापन भी कुपोषण के कारण ही होता है।

कुपोषित यानी बच्चे के कम वजन का होना, दुबला-पतला होना या कोई भी साधारण बीमारी के कारण शरीर पर सूजन आना। बच्चा कुपोषित तो नहीं है, यह आपको आंगनवाड़ी से पता चल जाएगा।

बचाव के कुछ जरूरी उपाय

किशोर अवस्था में (जब उम्र 9 से 18 साल की हो)

- किशोरावस्था के शुरूआती सालों (9 से 13 साल) तक लड़कियों को भावनात्मक सहयोग और गरिमामय व्यवहार की बहुत जरूरत होती है। उनसे बात करें और जानें कि कहीं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। कई बार बच्चियां लैंगिक-यौन शोषण की शिकार होती हैं, किन्तु वे कह नहीं पाती हैं क्योंकि उनके बोलने की मनाही होती है।
- घर में सभी बच्चियों का बिना लिंगभेद के खान-पान का ध्यान दिया जाए। उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हो और उनके स्वास्थ्य जांच और इलाज की व्यवस्था हो।
- शारीरिक स्वच्छता को महत्व दें। इससे कई तरह के संक्रमण से बचाव होगा।
- पेशाब को लंबे समय तक रोके रखने से गंभीर संक्रमण होता है।
- लड़कियों की शादी 18 साल के बाद ही हो तथा शादी के बाद बच्चों में कम से कम 3 साल का अन्तर अवश्य होना चाहिए।

किशोरियों के साथ लिंगभेद और उन्हें भोजन कम देना यानी सबमें कुपोषण की शुरूआत

गर्भावस्था में

- हर गर्भवती महिला मां मातृ-शिशु रक्षा कार्ड बने और उसके मुताबिक देखभाल हो।
- घर में गर्भवती महिला को पूरा भोजन समय से मिले।
- गर्भवती महिला की गर्भावस्था के दौरान चार बार स्वास्थ्य की जांच हो। देखभाल एवं सम्पूर्ण इलाज की व्यवस्था हो। गर्भवती महिला को आयरन की 100 गोली जरूर खानी चाहिए तथा कैल्शियम की एक गोली नियमित खानी चाहिए।
- गर्भावस्था के दौरान महिला को टिटनेस के दो टीके अवश्य लगवाना चाहिए। (स्वास्थ्य जांच, आयरन व कैल्शियम की गोली देना व टिटनेस का टीका लगाना यह परिवार की जिम्मेदारी है। ये सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं।)
- गर्भावस्था के दौरान महिला को दिन भर मे कम से कम दो घंटे जरूर आराम करना चाहिए। इससे गर्भ में शिशु की वृद्धि होती है और महिला को ऊर्जा मिलती है।
- प्रसव के बाद 4 स्वास्थ्य जांचे (पहले दिन, तीसरे दिन, सातवें दिन और छठवें सप्ताह के बाद) जरूर होना चाहिए।

शिशु अवस्था में (जन्म से छह महीने तक)

- जन्म लेते ही शिशु को एक घण्टे के अन्दर मां का पहला गाढ़ा पीला दूध मिलना बहुत जरूरी है। मां के गाढ़े पीले दूध मे विटामिन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा मे होता है, जो बच्चों की रोगों से रक्षा करता है। यह दूध बच्चे का पहला टीका होता है। जितना जल्दी बच्चा मां का दूध पीना शुरू करेगा मां के शरीर मे उतना ही ज्यादा दूध बनेगा जो बच्चे के लिए अच्छा होगा। यह सही है

कि शुरूआती एक घण्टे में मां का दूध बहुत कम मात्रा (एक चम्मच या लगभग 16 बूंद) में आता है पर तब ये कुछ बूंदें ही बच्चे के लिए बहुत उपयोगी और पर्याप्त होती हैं।

- सभी बच्चों को जन्म के बाद छः माह तक केवल मां का दूध ही देना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं देना चाहिए, यहां तक कि पानी भी नहीं, क्योंकि मां के दूध में ही बच्चे की जरूरत के अनुसार पर्याप्त पानी होता है। जब ऐसा लगे कि बच्चे को प्यास लग रही है, तब भी स्तनपान ही कराना चाहिए।
- इसमें बच्चे के लिए जरूरी पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी कोई भी चीज देने से बच्चे को नुकसान या संक्रमण भी हो सकता है।
- चौबीस घण्टे में बच्चे को 8 से 10 बार मां का दूध मिलना चाहिए।

शिशु अवस्था में (छह महीने के बाद से)

- छः माह के बाद से ही बच्चे को मां के दूध के साथ ऊपरी आहार दिया जाना चाहिए।
- छः माह के बाद शिशु का शरीर बढ़ने लगता है। तब मां के दूध से बच्चे के शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। अब उसे दूध के साथ—साथ ऊपरी आहार की जरूरत होती है।
- बच्चों को शुरू में छोटे चम्मच से कुछ चम्मच खाना देना चाहिए। धीरे—धीरे भोजन की मात्रा बढ़ाना चाहिए।
- बच्चों को डिब्बाबंद आहार, बोतल का दूध नहीं देना चाहिए। उसे चूसनी भी नहीं देनी है।

बाल्यावस्था (छः माह के बाद से दो वर्ष तक)

बच्चे के सही ऊपरी आहार का मतलब क्या है?

- छह माह की उम्र होते ही ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए, ऊपरी आहार न मिलने पर बच्चा भूखा रहता है और कुपोषित होने लगता है।
- बच्चे को हर दो से तीन घंटे में आहार दिया जाना चाहिए।
- हमेशा याद रखिए कि बच्चे को हम वही खिलाएं, जो अपने आस—पास मिलता है। इसमें विविधता हो।
- उसे एक बार में एक से डेढ़ कटोरी खाना (खिचड़ी, दलिया, दाल चावल या सूजी का हलवा जिसमें धी या तेल मिला हो और वही इतना गीला हो कि थाली में बहे नहीं) खिलाना चाहिए और यह भोजन बच्चे को 3—5 बार कराया जाना चाहिए।
- बिना पानी मिले दूध में गलाई हुई रोटी जिसमें थोड़ी शक्कर या गुड़ मिला हो।
- गाढ़ी दाल में मसली हुई रोटी या चावल तथा इसमें उबली हुई सब्जी मिलाकर खिलाना।
- दूध में पकी हुई दलिया, सेवई, आटे या सूजी का हलवा या खीर खिलाना।
- मसले हुए आलू, केला, आम, पपीता खिलाना।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे को खाना बदल—बदल कर दिया जाए।

सावधानियां

- चाहे माँ बच्चे को दूध पिलाएं या भोजन कराएं या कोई अन्य व्यक्ति भोजन करवाएं, यह जरूरी है कि उसके हाथ अच्छी तरह धुले हों।
- बर्तन भी साफ पानी से धुले होने चाहिए।
- सब्जियां काटने के बाद कभी नहीं धोना चाहिए।
- बच्चे को पानी या दूध बोतल से नहीं पिलाना चाहिए।
- सदैव आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए।
- खाना खिलाने की जगह भी साफ होना चाहिए।

जरूरी है कि

- हर बच्चा आंगनवाड़ी में दर्ज हो और नियमित रूप से उसकी वृद्धि निगरानी या यानी उसके वजन की जांच हो।
- बच्चे का नियमित टीकाकरण हो और बीमारी की स्थिति में योग्य चिकित्सक से ही उसका इलाज कराया जाए।
- बच्चे की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान होना चाहिए तथा पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए।
- उपरोक्त विधियों को अपनाकर हम बच्चों को कुपोषण से बचा सकते हैं।
- बच्चों के पहनने, बिछाने और उपयोग के कपड़े भी साफ और धूप में सुखाना बेहतर है।

यह सूत्र ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने की थाली में तीन से चार रंग का खाना हो, जैसे भाजी हरे

रंग की है, चावल, दूध सफेद, दाल पीले रंग की और टमाटर लाल रंग का।

तीन साल से कम के बच्चों का ज्यादा ध्यान जरूरी

इस कड़वी सच्चाई को सामने लाना जरूरी है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। उन्हें जिस खास तरह के खाने की जरूरत होती है, उन्हे वह नहीं खिलाया जा रहा है। ज्यादातर बच्चे हर रोज भूखे ही सोते हैं और चूँकि हम उनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वे धीरे-धीरे कुपोषण के जाल में फँसते चले जाते हैं। यही उम्र उन्हें बीमारी की तरफ भी धकेलती है। इस दौरान सही स्वास्थ्य सेवाएँ और देखभाल न मिल पाने से कुपोषण का संकट गहरा होता जाता है। इस पहल में जमीनी संस्थाओं और समुदाय आधारित संगठनों की इसलिए अहम् भूमिका होती है, क्योंकि वे समुदाय के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं, उन्हे संगठित और संवेदित कर सकते हैं और निरपेक्ष तरीके से निगरानी का काम कर सकते हैं। हम लगातार खेती, उत्पादन, पीने के पानी, मजदूरी, पलायन, विस्थापन, लघु वन उपज, पर्यावरण जैसे व्यापक पहलुओं के साथ कुपोषण और बीमारियों के जुड़ाव जैसे विषयों पर बात करते रहें। यदि ऐसा नहीं होगा तो कुपोषण की पूरी बहस केवल आंगनवाड़ी के आसपास आकर अटकती रहेगी।

कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन – मायने, सिद्धांत और प्रक्रिया

समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन का मतलब ?

- संभवतः समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन एक नया प्रचलित शब्द है। जिसका अर्थ है – कुपोषण के उपचार और रोकथाम के लिए ऐसे बुनियादी और स्थानीय कदम उठाना जिसमें समुदाय की बाहरी निर्भरता कम से कम हो। यानि कुपोषण के कारण वहीं यानी अपने आसपास, खोजे जाएं और उनका समाधान भी।
- इसके लिए हमें देखना है कि बच्चों को अच्छा पोषण युक्त भोजन मिले, यदि बच्चे या महिलाएं बीमार हों तो तत्काल इलाज हो, पीने का साफ पानी मिले, हमारे आसपास गाँव में, खेतों में, जंगल में, नदी या तालाब में, जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उन्हें पहचानें और उससे कुपोषण को मिटाएं।
- यह भी कि समाज की निगरानी में स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं बच्चों को मिलें, उनकी वृद्धि निगरानी का काम जिम्मेदारी से हो और संसाधनों का पर्याप्त आवंटन हो,
- समुदाय यह निगरानी करे कि व्यवस्थाएं सही ढंग से काम करें और उनकी शिकायतों पर सरकार कार्यवाही करने के लिए बाध्य हो,
- इस काम को केवल तकनीकी मत मानिए, बस यह तय करना होगा कि क्या वास्तव में हमें बाहरी समूहों या व्यवस्थाओं पर निर्भर होने की जरूरत है ?
- बीमारी और कुपोषण की रोकथाम करने लायक व्यवस्था का निर्माण।

कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन

कुपोषण एक खाद्य असुरक्षा और इससे जुड़े व्यवहार की गड़बड़ियों के कारण उपजने वाला परिणाम है। इस समस्या से निपटने में समुदाय, यानी उन परिवारों को, जिनके बच्चे कुपोषित हैं और उन परिवारों को, जिनके बच्चे कुपोषित नहीं हैं, एक साथ कुछ भूमिकाएं निभानी होंगी।

समुदाय को यह बताना होगा कि कुपोषण को खत्म करने के लिए साधन घर में ही मौजूद हो सकते हैं और सरकार को साबित करना होगा कि वह समुदाय की खाद्य सुरक्षा के लिए सही नीतिगत कदम उठाएगी।

यह मानते हुए कि जाति प्रथा और लैंगिक असमानता भी कुपोषण के मूल कारणों में शामिल हैं। इस स्थिति में जरूरी है कि लोग, भले ही वे किसी भी जाति से सम्बन्ध रखते हों, उन्हें असमानता और भेदभाव को खत्म करने के लिए पहल करनी ही होगी। यह काम समाज के भीतर समाज के लोग ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं, यही कोशिश स्थायी बदलाव भी लाएगी।

बच्चे के जन्म के बाद के पहले छह वर्ष का उसके पूरे जीवन पर बहुत गहरा और प्रभावी असर होता है। यहीं से शारीरिक और मानसिक विकास की दिशा, गति और जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। इन छह वर्षों में भी पहले 2 वर्ष अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं।

इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, देखभाल और विकास के लिए उपलब्ध करवाए गए अवसरों से ही उसके स्वरथ रहने, एक सक्षम और बेहतर व्यक्ति के रूप में विकसित होने का आधार बनता है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधित एक व्यावहारिक रणनीति की तैयारी हेतु बच्चों को उनकी उम्र के मान से 3 वर्गों में रखा जा सकता है –

गर्भवती महिलाओं की देखभाल यानी स्वास्थ्य – पोषण सुरक्षा,

1. शून्य से छह माह तक के बच्चे, जिन्हें इस अवधि में केवल मां का दूध पिलाए जाने का सिद्धांत है,
2. छह माह से 24 माह तक के बच्चे, जिन्हे माँ के दूध के साथ–साथ ऊपरी आहार दिए जाने का सिद्धांत है। साथ में यह देखा जाता है कि वे स्कूल पूर्व शिक्षा की उम्र में सहजता के साथ प्रवेश कर जाएं,
3. 2 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष तक की उम्र (जिसे हम स्कूल पूर्व शिक्षा की उम्र भी मानते हैं) के संबंध में यह देखा जाना जरूरी है कि स्कूल में प्रवेश के उपरान्त भी बच्चों को वहाँ 1 वर्ष की स्कूल पूर्व शिक्षा का अवसर मिले और इसके बाद ही वे पहली कक्षा में प्रवेश करें।

समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन–रणनीतिक पहलू

1. बच्चों के पोषण के अधिकारों के लिए एक व्यवस्था – यह सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को प्रतिदिन पर्याप्त और निर्धारित मात्र में पोषण युक्त खाना मिले। इसमें केवल मात्रा ही नहीं बल्कि भोजन की सामाजिक स्वीकार्यता, विविधता, गुणवत्ता और मानवीय सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
2. बच्चों की देखभाल के लिए एक व्यवस्था – परिवार और मां के द्वारा की जाने वाली देखभाल के अलावा संस्थान की तरफ से कौशलपूर्ण देखभाल उपलब्ध करवाना। यह भी देखना होगा कि पुरुष भी बच्चों की देखभाल में भूमिका निभाए। इसके लिए प्रशिक्षण से लेकर इमारतें बनाने, साफ पानी की व्यवस्था करने तक के काम शामिल होंगे।
3. स्वास्थ्य के लिए एक व्यवस्था – यह नजर रखना कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, किस तरह की समस्याएं हैं और उनका तत्काल स्थानीय स्तर या निकटतम स्तर पर निराकरण करना और सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह पहल कुपोषण के प्रबंधन और उसके रोकथाम दोनों के लिए बेहद जरूरी है।
4. कुपोषण से जुड़े पक्षों पर दखल देना— रोजगार और आजीवका के साधनों की सुरक्षा से पारिवारिक और सामुदायिक खाद्य सुरक्षा जुड़ी हुई है, अतरु इन्हें कुपोषण के स्थायी समाधान के रूप में देखना होगा। इसके साथ ही सरकार के दूसरे महकमों की भूमिका को जवाबदेहिता के साथ स्थापित करना और यह देखना कि समाज और तंत्र एक समझ के साथ कुपोषण पर अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करे और उसे निभाए।

राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत बाल विकास परियोजना को मिशन के रूप में आगे ले जाए जाने की बात एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम है। हम सब को यह देखना होगा कि यह नया नीतिगत नजरिया बच्चों के पोषण की जरूरत को एक अधिकार के रूप में परिभाषित करे और उसे विकास के सूचक के रूप में मान्यता दे। आज बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम अनेक ढांचागत कमियों से जूझ रहे हैं। इन कमियों को एक निश्चित समयावधि में पूरा किया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश में अटल बिहारी वाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की स्थापना की जा चुकी है। भारत सरकार के स्तर पर भी यह कहा जा चुका है कि एकीकृत बाल विकास परियोजना को एक मिशन के रूप में चलाया जाएगा। अब यह सुनिश्चित करना होगा कि यह मिशन नीतिगत और व्यावहारिक कमियों को पूरा करे। राजनीतिक इच्छाशक्ति के फलस्वरूप उभरे इस मिशन को कई चुनौतियों का सामना करना है। एक तरफ तो संसाधनों का आवंटन कम है और कार्यप्रणाली में गैर जवाबदेहिता है तो वहीं दूसरी तरफ समाज में बच्चों के प्रति उपेक्षा और भेदभाव का माहौल भी है।

इस मिशन के तहत राज्य से लेकर जिलों तक कई समूह बनाए गए हैं। अतएव यह विश्लेषण करना जरूरी होगा कि उन समूहों में किन्हें और किस मकसद से क्या जिम्मेदारी दी गई है? हम अक्सर विभागों और कार्यक्रमों की समीक्षा पर जोर देते हैं, लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी होगा कि इन मिशनों के तहत बनाई गई समितियों और समूहों के काम और उनके प्रयासों की भी एक निश्चित अवधि में समीक्षा की जाए।

समुदाय आधारित पहल का मतलब है समाज कुपोषण को समझते हुए उसके कारणों और संभावित उपायों पर स्वयं निर्णय ले। आज सरकार को, विशेषज्ञों को और एक हद तक संस्था वालों को इसके बारे में पता है, परन्तु जिस समुदाय में यह समस्या बनी हुई है, वह अभी इससे थोड़ा दूर है। यही कारण है कि समुदाय आंगनवाड़ी के सामने से हर रोज गुजरेगा तो, पर उसके बारे में बात नहीं करेगा।

महत्वपूर्ण यह है कि कुपोषण के मामले में समाज केन्द्रीय भूमिका ले। समुदाय महज एक मुहावरा भर नहीं है, अतएव उसके द्वारा भूमिका लिए बिना कृछ भी बदलने वाला नहीं है, यह भूमिका रास्ता तय करने की भी होगी, उस रास्ते पर चलने की भी और समीक्षा करने की भी। इस दस्तावेज में समुदाय और सरकार की भूमिकाओं को एक—दूसरे के सन्दर्भ में परखने की कोशिश की गई है।

पंचायत को भी यह पता होना चाहिए कि कुपोषित बच्चों के परिवार की रोजगार, आजीविका और भोजन की कमी को किस तरह पूरा किया जाएगा। मनरेगा में रोजगार न मिलने या मजदूरी का भुगतान न होने का मतलब है कुपोषण के बने रहने में पंचायत का योगदान। यदि पंचायत मनरेगा सरीखी योजनाओं का सही क्रियान्वयन करवाती है तो उसका यह योगदान होगा कुपोषण को कम करने में।

हमें यह मान लेना होगा कि कुपोषण बहुपक्षीय घटनाओं का परिणाम है। कोई एक सतही पहल इसे खत्म न कर सकेगी।

समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)

यह योजना 1975 में शुरू की गई थी। शुरुआत में बहुत ही कम जगहों पर इसकी पहल की गई, लेकिन बाद में फिर यह सभी देश में सभी जगह शुरू की गई। समेकित बाल विकास सेवाएं एकमात्र राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जरूरतें पूरी करता है। यह छोटे बच्चों को पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य सुविधा और स्कूल पूर्व शिक्षा जैसी सुविधायें एकीकृत रूप से पहुंचाता है। बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतें अपनी माँ से अलग पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए कार्यक्रम में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को भी सम्मिलित किया गया है।

इस परियोजना के निम्न उद्देश्य थे –

1. 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
2. समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना।
3. मृत्यु, बीमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना।
4. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीतियों और क्रियान्वयन का प्रभावशाली समन्वयन प्राप्त करना।
5. उचित समुदायिक शिक्षण द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण और विकास की जरूरत की देखरेख के लिए माताओं की दक्षता विकसित करना।

इस योजनार्त्तगत निम्न सेवाएं दी जाती हैं –

1. **पूरक पोषणाहार** – प्रत्येक बच्चे के लिए पोषण आहार दिया जाना अनिवार्य है। 6 माह तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए टेक होम राशन दिया जाना है जबकि 2 से 5 साल तक के बच्चों को गर्म एवं पका पोषणाहार प्रतिदिन वितरित किया जाना है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे शानुसार वर्ष भर में 300 दिन पूरक पोषणाहार का वितरण दिया जाना है।
2. **स्वास्थ्य जांच** – अनिवार्य रूप से प्रत्येक बच्चे की, किशोरी बालिकाओं का व गर्भवतीधात्री माताओं की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है।
3. **टीकाकारण** – प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य रूप से टीकाकरण होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण होना चाहिए।
4. **संदर्भ सेवा** – गंभीर कुपोषण की स्थिति में और प्रसव के दौरान उत्पन्न हो रही जटिलताओं को लेकर गर्भवती महिलाओं को संदर्भित किया जाता है।
5. **स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा** – आंगनवाड़ी केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों का शारीरिक विकास करने के साथ-साथ मानसिक, शैक्षणिक व भावनात्मक विकास करना भी है। इसलिए आंगनवाड़ियों में स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा यानि जो कि औपचारिक शिक्षा से अलग हो क्योंकि वैसी शिक्षा तो स्कूलों में होती ही है। यानी

आसपास के वातावरण से परिचित कराना, पक्षियों, जानवरों, फलों, रंगों आदि से परिचित करना।

6. **पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा** – यह घर-घर जाकर और गर्भवती माताओं और धात्री माताओं व किशोरियों को केंद्र में दी जाती है। इसमें मुख्य रूप से साफ-सफाई, पोषण व्यवहार आदि पर चर्चा कर जानकारी दिया जाना प्रमुख है।

झूँ अब देश के हर गांव, झुग्गी बस्ती और बसाहट में एक आंगनवाड़ी केन्द्र होना अनिवार्य है।

झूँ गांव में आंगनवाड़ी खोलने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक बसाहटों को प्राथमिकता दी जाएगी।

झूँ इस योजना में गरीबी की रेखा या अन्य किसी भी मापदण्ड का पालन नहीं किया जाएगा बल्कि हर बच्चा, हर गर्भवती-धात्री महिला और हर किशोरी बालिका आंगनवाड़ी की सेवाएं प्राप्त करने की हकदार है।

झूँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 18 से 44 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। साथ ही कार्यकर्ता जिस गांव में आंगनवाड़ी है उसी गांव की निवासी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के चयन में अनुसूचित जाति और अन्य वंचित समुदाय की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी (महिला बाल विकास मंत्रालय विभागीय आदेश क्र.-1-13 / 2010—सीडीआई, अक्टूबर 18, 2010)

आंगनवाड़ी केन्द्र में क्या-क्या होना चाहिए ?

1. आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए पर्याप्त हवादार भवन जहां पर 40 बच्चे आराम से बैठ सकें। कम से कम 600 वर्गफीट जगह।
2. यह भवन ऐसी जगह पर हो जहां पर बच्चे आसानी से पहुंच सकें। यह ज्यादा यातायात वाले स्थानों, नदी-तालाब आदि से दूर रहे, लेकिन ध्यान रहे कि भवन ऐसी जगह अवश्य होना चाहिए जहां कमजोर तबके के बच्चे आसानी से पहुंच सकें।
3. खेल के लिए पर्याप्त जगह और संसाधन, खेल सामग्री।
4. भोजन पकाने और भंडारण (रखने) का अलग-अलग स्थान।
5. स्वच्छ पेयजल और शौच की सुविधा।
6. सामग्री रखने/भण्डारण की व्यवस्था।

सामान्य उपयोग में काम में आने वाली वस्तुएं

- एक छोटा मैट/दरी
- एक बंद हो सकने वाली अलमारी जिसमें उपकरण रखे जा सकें।
- एक/दो लकड़ी के रैक
- एक कुर्सी और एक टेबल (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बैठने के (लिए)
- तीन वजन मशीन (साल्टर स्केल, बेबी स्केल और बाथरूम स्केल)
- प्रारंभिक चिकित्सा बॉक्स और दवाईयां (फर्स्ट एड बाक्स)

- स्वच्छ पेयजल के लिए बर्टन
- एक राष्ट्रीय ध्वज
- फाइल / रजिस्टर और रिकार्ड्स
- मातृ शिशु रक्षा कार्ड
- वृद्धि चार्ट रजिस्टर

रसोईघर

- बर्टन (प्रत्येक बच्चे के लिए प्लेट, चम्मच और गिलास)
- दो बड़े बर्टन (ढक्कन के साथ) खाना पकाने के लिए
- स्टोव (केरोसिन / मिट्टी तेल के साथ)

बाथरूम

- दो बाल्टी / दो टब पानी भर कर रखने के लिए
- दो मग
- दो साबुनदानी
- चार तौलिए
- कीटाणुनाशक तरल पदार्थ (हाथ धोने के लिए)
- झाड़ू / ब्रश और अन्य सामान साफ-सफाई के लिए

आंगनवाड़ी के अंदर खेले जाने वाले खेल

- अलग-अलग आकार के लकड़ी के ब्लाक या गुटके
- गिनती के फ्रेम
- पेंट / ब्रश और रंगीन चाक
- एक ढोलक
- तीन कैंचियां

खेल सामग्री (आंगनवाड़ी के अंदर खेलने के लिए)

- पपेट या कठपुतलियां
- गुड़िया घर
- कहानी के लिए फलेश कार्ड
- जानवरों / पशु / पक्षियों / फलों / रंगों के संबंध में कार्ड
- कार्डबोर्ड के ब्लाक / गुटके
- चार्ट
- गुड़िया (जिसके अंदर कुछ भरा हो !)
- रंग / अंक और वर्णमाला के संबंध कार्ड बाहर खेलने के लिए
- रससी / साईकिल चक्का आदि

- रेत का गङ्गा
- पौधे उगाने के लिए जगह
- अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां
- स्कूल पूर्व शिक्षा की किट
- राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- मेडीसिन किट
- राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

आकर्षक आंगनवाड़ी और झूलाघर

समुदाय के स्तर पर आंगनवाड़ी ही एक ऐसी संस्था और ढांचा है जो हर बच्चे को उसकी जरूरत के मुताबिक सेवाएं देने के लिए बनाया गया है। हम जानते हैं कि हर 400 से 800 की जनसंख्या पर गांवों में और आदिवासी बहुल गांवों/पहाड़ी क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का प्रावधान है।

यह एक सच्चाई है कि समाज ने आंगनवाड़ी केंद्र को उस तरह से स्वीकार नहीं किया, जिस तरह से स्कूल को स्वीकार किया जाने लगा है। हमें कोशिश करनी है कि समाज के स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र की स्वीकार्यता बढ़े। बच्चे इस केंद्र में आने के लिए तत्पर हों। ऐसे में –

- समुदाय आधारित प्रयास का महत्व इसलिए है ताकि बच्चों के साथ तकनीकी व्यवहार के बजाए ज्यादा अपनेपन के व्यवहार का माहौल मिल सके। यह नहीं भूलना चाहिए कि आंगनवाड़ी केंद्र में 3 या 4 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे ज्यादा समय केंद्र में बिताएं। इसके लिए आंगनवाड़ी को बहुत रुचिकर और घरेलू बनाना होगा। वहां रंग हों, खुलापन हो और अपनापन भी।
- केंद्र में ऐसी चीजें और हिस्से नहीं होने चाहिए जो खतरनाक हों और जिससे बच्चों को चोट लगने की संभावना हो। साफसफाई और खुशबू होनी भी जरूरी है। पीने के साफ पानी के स्रोत हैं या नहीं, यदि नहीं तो पंचायत और ग्रामसभा को इसके लिए पहल करनी होगी।
- व्यवहार और खिलौने, ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को आंगनवाड़ी से जोड़ने का काम करती हैं। उनके साथ का व्यवहार ठीक उसी तरह का होना चाहिए, जैसा उनके दोस्त और सबसे प्रिय सम्बन्धी उनके साथ करेंगे। बिना दोस्त बने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में रोका नहीं जा सकेगा। अब तक यह माना जाता रहा है कि उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार हो, भोजन और खाने के लिए तो वे आएंगे ही। हमें इस नजरिए को तोड़ना है। हमें याद रखना होगा कि बच्चों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।
- उन्हें सिर्फ रटे-रटाये पाठ नहीं चाहिए बल्कि कहानियां, गाने, खिलखिलाने के अवसर चाहिए।
- वे शायद खिलौनों को बहुत सभाल कर नहीं रखेंगे, वे उन्हे तोड़ कर देखना चाहते हैं। फिर बहुत दिनों तक टूटे हुए खिलौनों से खेलते रहते हैं। इस आदत को हमें स्वीकार करना होगा।

- आंगनवाड़ी का खुला और सहज माहौल ही उनके माता—पिता को भी आत्मविश्वास देगा कि इस केंद्र में उनके बच्चे सुरक्षित हैं।
- समुदाय यह देखता रहे कि अपने केंद्र की देखभाल और रख—रखाव सही ढंग से हो रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में खिलौने तो भेजे जाते हैं, पर ये पैकेट में बंद रखे रहते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता को यह निर्देश दे दिए जाते हैं कि ये खिलौने टूटने नहीं चाहिए, अतएव कार्यकर्ता को सबसे अच्छा विकल्प यही लगता है कि उन्हें डिब्बे में ही रखे रहने दिया जाए।
- बच्चों को अपनेपन और सम्मान के साथ खाना मिले, समुदाय को इस बात की निगरानी करनी होगी। उन्हें घर से बर्तन न लाना पड़े, केंद्र में बर्तन न धोना पड़े और जिन बर्तनों में भोजन पकता है और खाया जाता है, वे सभी बर्तन साफ रहें।
- वहां लड़के—लड़कियों और विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव न हो, इसके लिए भी समुदाय के लोगों को पहल करनी होगी।
- वृद्धि निगरानी के लिए आंगनवाड़ी में कुछ खांस दस्तावेज और उपकरण होने चाहिए। समुदाय यह देखे कि केंद्र में वजन मशीनें ठीक स्थिति में हैं और ऊपरी मध्य बांह नापने वाला टेप उपलब्ध है या नहीं। वह कटा—फटा या मुड़ा—तुड़ा नहीं होना चाहिए। केंद्र में वृद्धि निगरानी रजिस्टर होना चाहिए और यह देखा जाए कि उसमें हर बच्चे की जानकारी दर्ज की जा रही है। वहां विटामिन ए व, बच्चों के लिए पेट के कृमि मारने की दवाएं भी हैं या नहीं।
- केंद्र में जानकारियां देने वाले पोस्टर ऐसे स्थान पर नहीं लगे होने चाहिए, जहाँ तक बच्चों या महिलाओं की नजर ही न जा सके।
- हर केंद्र के अंदर और बाहर ये सूचनाएं छपी होनी चाहिए कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की खास देखभाल क्यों जरूरी है, आंगनवाड़ी से क्या सेवाएँ मिलती हैं, टीकाकरण कब होता है, यदि कोई समस्या है तो शिकायत कहाँ की जा सकती है और लोग आंगनवाड़ी केंद्र से कैसे जुड़ सकते हैं। जिस तरह से स्कूलों में बच्चों के पालकों की बैठक होती है, बेहतर होगा कि उसी तरह महीने में एक बार आंगनवाड़ी के बच्चों के पालकों की भी बैठक हो।

प्रायोगिक / मैदानी कार्य

प्रायोगिक / मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें ?
हमारे गांव/समुदाय में आमतौर पर भोजन का व्यवहार क्या है, यानी लोगों के खाने की थाली में क्या होता है? माना जाता है कि हमारे खाने में अनाज, दालें, सब्जियां, फल, दूध से जुड़ी कोई चीज, अंडे—मांस (यदि खाते हों तो) होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो विविधता होना चाहिए।	समुदाय के साथ समूह में बैठ कर यह पता लगाया जा सकता है कि आपका भोजन कितना पौष्टिक और विविधता से भरा हुआ है। इसी चर्चा के आधार पर उन्हें बता सकते हैं कि यदि हमारे खाने में प्रोटीन या वसा या विटामिन नहीं होंगे, तो हमें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
अब यह देखेंगे कि गांव/समुदाय में कम वजन के बच्चे कितने हैं? वे किन परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं? उनकी पारिवारिक आर्थिक—सामाजिक स्थिति क्या है?	इसके लिए हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से समन्वय स्थापित करें और वृद्धि निगरानी के काम में (जो हर महीने होती है) उनके साथ जुड़ें।
गांव/बस्ती में आंगनवाड़ी केंद्र है? उसमें कितने बच्चे दर्ज हैं? कितने बच्चे वास्तव में केंद्र आते हैं?	
आंगनवाड़ी केंद्र में हर महीने बच्चों के वृद्धि निगरानी होना चाहिए।	वृद्धि निगरानी के साथ जुड़ें और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद करते हुए समुदाय को बताएं कि कौन सा बच्चा किस स्थिति में है? और उसकी स्थिति में यदि सुधार की जरूरत है, तो इसके लिए क्या किया जाए?
अपने गांव/समुदाय में यह सुनिश्चित करना कि एक भी बच्चा कम वजन का न हो।	लगातार वृद्धि निगरानी से जुड़ना, और इससे पता चलने पर हर कम वजन के बच्चे के परिवार से संपर्क करके, कृपोषण के कारणों का पता लगाना। उन कारणों के मुताबिक पहल करना।
गर्भवती महिला की देखरेख और स्वास्थ्य	यह पता करें कि गांव/समुदाय में कितनी महिलाएं गर्भवती हैं? क्या आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उनसे पोषण—स्वास्थ्य—व्यवहार सम्बन्धी संवाद किए हैं? यदि नहीं, तो संवाद करवाएं।

	<p>हर गर्भवती महिला के पास मातृ-शिशु रक्षा कार्ड हो और उन्हें उसके बारे में बताएं।</p> <p>हर गर्भवती महिला को आराम और पूरे खाने का अवसर मिले।</p> <p>किसी भी जटिलता की स्थिति में उन्हें तत्काल स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले।</p> <p>उन्हें आयरन-फोलिक एसिड की गोलियाँ खाने और टीकाकरण के लिए तैयार करें।</p>
आंगनबाड़ी केंद्र का पोषण आहार कार्यक्रम – गर्भवती और धात्री महिला	<p>साप्ताहिक आधार पर गर्भवती और धात्री महिलाओं को घर ले जाए जाने के लिए पैकेट बंद पोषण आहार मिलता है। यह देखें कि क्या यह नियमित रूप से मिलता है? समुदाय/व्यक्तिगत चर्चा से यह जानना भी जरूरी है कि उस पोषण आहार का उपयोग कैसे होता है? गर्भवती और धात्री महिला को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, क्या वह पूरी हो पा रही है?</p>
आंगनबाड़ी केंद्र का पोषण आहार कार्यक्रम— 6 महीने से 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए	<p>साप्ताहिक आधार पर 6 महीने से 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए घर ले जाए जाने के लिए पैकेट बंद पोषण आहार मिलता है। यह देखें कि क्या यह नियमित रूप से मिलता है? समुदाय/व्यक्तिगत चर्चा से यह जानना भी जरूरी है कि उस पोषण आहार का उपयोग कैसे होता है? बच्चों को पोषण आहार कैसे मिल पाए, यह सुनिश्चित करना है।</p>
टीकाकरण	<p>यह एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो बच्चों को बीमार होने से बचाता है। हमें यह देखना है कि नियमित रूप से टीकाकरण हो और सभी बच्चों को सभी तरह के टीके लगें।</p>
माध्यम कम वजन, अति कम वजन और अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका उपचार	<p>जब नियमित रूप से वृद्धि निगरानी होगी, तब यह भी पता चलेगा कि बच्चे किस श्रेणी में हैं? जो बच्चे कम वजन के हैं या अति गंभीर कुपोषित हैं,</p>

	<p>हमें उन पर विशेष ध्यान देना होगा। सुनिश्चित करें कि उन बच्चों की देखभाल हो, वे बीमार न पड़ें, उनकी स्वास्थ्य जांच हो और उनके बेहतर पोषण वाला भोजन मिले। कोशिश करें कि उन्हें दालें, फल, अंडे और खाने का तेल जरूरी मात्रा में मिले।</p> <p>यदि किसी बच्चे को कोई बीमारी है या वह कुछ खा नहीं रहा है या उसके शरीर पर सूजन है, तो उसे पोषण पुनर्वास केंद्र भेजना होगा।</p>
आंगनवाड़ी केंद्र को बच्चों की रुचि के अनुकूल बनाना	<p>अपने गांव/बस्ती के आंगनवाड़ी केंद्र को ऐसा बनाए कि वहां बच्चों को आना अच्छा लगे, वे सुरक्षित रहें, हवा और रोशनी हो, रंग हों, खिलौने हों। जहाँ बच्चे खेल सकें और आराम कर सकें। स्वच्छता और पीने के साफ पानी की व्यवस्था हो। यह काम समुदाय के नेतृत्व में किया जा सकता है।</p>

नवजात शिशु का जीवन और सामुदायिक पहल

जन्म के तत्काल बाद की जिंदगी बहुत संवेदनशील होती है। मध्यप्रदेश में जब 1000 जीवित जन्म होते हैं, उतने समय में 28 दिन से कम उम्र के 42 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। टिकाऊ विकास लक्ष्यों में यह कहा गया है कि हमें बाल मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाना है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में से सबसे बड़ी संख्या एक महीने से कम उम्र के बच्चों की होती है। हम यदि नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना चाहते हैं तब बहुत जरूरी है कि –

- कम उम्र में शादी न हो,
- लड़कियां कम उम्र में गर्भवती न हों,
- गर्भावस्था के दौरान प्रसवपूर्व जांच हो,
- गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार मिले,
- आयरन-फोलिक एसिड गोलियों का उपयोग हो,
- सुरक्षित प्रसव हो,
- सभी तरह की जानकारियां और परामर्श मिले,
- नवजात शिशु को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान मिले,
- संक्रमण से सुरक्षा जरूरी है,

वास्तव में समुदाय के स्तर पर कई कोशिशें की जा सकती हैं, जिनके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। इस प्रायोगिक कार्य पुस्तिका में आपको नवजात शिशु स्वास्थ्य और उनके भोजन से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। यह याद रखें कि गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महत्वपूर्ण योजनाएं और व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। हर जिले में बीमार नवजात शिशुओं के लिए विशेष इकाई संचालित हैं।

बिंदु	संकेत और व्यवहार	क्या मानते हैं ?
		सही है / सही नहीं है
1.	जन्म से 28 दिन की अवधि तक के बच्चे नवजात शिशु कहलाते हैं।	सही
2.	बच्चों की सबसे ज्यादा मृत्यु जन्म के बाद के पहले दिन में और पहले सप्ताह में होती हैं।	सही
3.	जन्म के बाद बच्चे को दो से तीन दिन नहलाना नहीं चाहिए।	सही
4.	जन्म के तुरंत बाद और एक घंटे के अंदर स्तनपान (खीस / चीका पिलाना) करना जरूरी है।	सही
5.	सबसे पहले स्तनपान के पहले स्तन का पीला—गाढ़ा दूध फेंक देना चाहिए।	नहीं।
6.	दस्त होने पर माँ का दूध / स्तनपान बंद करवा देना।	नहीं।
7.	दस्त होने पर छह महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे को दही—चावल, चावल का माड़ खिलाना उचित है।	सही है। बच्चे को दस्त होने पर थोड़ा—थोड़ा खिलाते—पिलाते रहना चाहिए।
8.	छह महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे के खाने में एक या दो चम्मच खाने का तेल मिला देने से उसका वजन बढ़ता है।	सही है।
9.	नवजात शिशु को माँ की छाती / पेट से दूर रखना सही है।	नहीं, नवजात बच्चे को माँ से सटा कर ही रखना चाहिए।
10.	नवजात शिशु के कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए।	सही है।

11.	जिस बच्चे का जन्म के समय वजन 1800 ग्राम से कम होता है, वह खतरे में होता है।	सही है।
12.	जन्म के समय बच्चे के शरीर पर जो सफेद तरल / गीला पदार्थ लगा होता है, वह बच्चे को सुरक्षित रखता है और उसे धोना नहीं चाहिए।	सही है।
13.	यदि मौसम बहुत गरम हो तब भी बच्चे को मोटे कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए।	नहीं। तब बच्चे को कम कपड़ों में लपेटना या सुलाना चाहिए।
14.	जब बच्चे को स्तनपान करना हो, तब माँ को अपने हाथ धोने की जरूरत नहीं होती है।	स्तनपान कराने से पहले माँ को भी हाथ धोना चाहिए।
15.	यदि शिशु बहुत कमजोर है और स्तनपान न कर पा रहा हो तो उसे माँ से स्तन से कटोरी में दूध निकाल कर पिलाना चाहिए।	हाँ, यह सही है।
16.	यदि नवजात बच्चे का वजन दो किलो से कम हो तो भी बच्चे को नहला देना चाहिए।	नहीं, जब तक बच्चे का वजन दो किलो न हो जाए, तब तक उसे नहीं नहलाना चाहिए। जन्म के बाद बच्चे को वैसे भी दो से तीन दिन नहीं नहलाना चाहिए।
17.	नवजात बच्चों को दूध तभी पिलाना चाहिए, जब बच्चा रोए अन्यथा नहीं।	छोटे बच्चों को नींद बहुत अच्छी लगती है। वे बीस घंटे तक सोते हैं। ऐसे में उन्हें सोते हुए उठा कर दूध पिलाना चाहिए। दूध पिला कर अपने कंधे पर लेकर डकार दिलाना चाहिए ताकि वह असहज न हो और उसे उलटी न हो।
18.	यदि बच्चे को बुखार हो तो उसे लेकर माँ को आग के पास बैठना चाहिए।	नहीं
19.	यदि बच्चे को बुखार हो तो उसे अच्छे से ओढ़ाकर बंद कमरे में रखना चाहिए।	नहीं, ऐसे में बच्चे को कम कपड़े ओढ़ाना चाहिए और कमरे की खिड़की से सामान्य हवा आने देना चाहिए।

20.	यदि बहुत गर्मी हो तो छह माह से कम उम्र के बच्चे को भी पानी पीला देना चाहिए।	नहीं, छह महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए। माँ के दूध में तीन-चौथाई हिस्सा तो पानी ही होता है। यदि ऐसा लगे कि बच्चे को प्यास लगी है, तब भी उसे माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए।
21.	नवजात शिशु को मच्छरदानी में सुलाना चाहिए।	हां
22.	नवजात शिशु को बीमार लोगों के पास रख सकते हैं।	नहीं, नवजात बच्चे को बीमार लोगों से दूर रखें।
23.	छोटे बच्चे को हवा में उछाल कर खेलना चाहिए। इससे बच्चा बहादुर बनता है।	छोटे बच्चों को यूँ हवा में नहीं उछालना चाहिए, न ही ऐसे हिलाना चाहिए जिससे उनकी गर्दन तेजी से आगे पीछे हो। यह बहुत खतरनाक है।
24.	किसी भी स्थिति में नवजात शिशु को शहद या गुड़ का पानी नहीं देना चाहिए।	बिलकुल सही। छह महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए।
25.	यदि बच्चा सांस खींच कर रो रहा है और उसकी मुष्टी भिंची हुई है, तो इसका मतलब है उसे कोई तकलीफ है।	यह सही है।
26.	दो महीने के बच्चे से बातें नहीं की जा सकती हैं।	बिलकुल की जा सकती है।
27.	यदि माँ बीमार है और कोई दवा खा रही है तो उसे स्तनपान नहीं कराना चाहिए।	ऐसा नहीं है। सामान्य उपचार ए बीमारी की स्थिति में इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी गंभीर बीमारी (एचआईवी या कैंसर या टीबी) की स्थिति में डाक्टर से सलाह लेना चाहिए।
28.	नवजात शिशु की नाल/नराध्नाल पर शुद्ध धी लगा देना चाहिए।	नहीं, कुछ नहीं लगाना चाहिए।

29.	गर्भवती महिला को सामान्य महिला की तुलना में एक चौथाई ज्यादा भोजन खाना चाहिए।	आमतौर पर आखिरी तिमाही में इतना भोजन जरूरी होता है। पहली तिमाही में भोजन की मात्रा 10 से 15 फीसदी बढ़ना चाहिए।
30.	प्रसव के बाद गर्भाशय में थोड़ा दर्द महसूस होता है। खासकर बच्चे को दूध पिलाने पर यह दर्द शुरू होता है, क्योंकि इससे गर्भाशय सिकुड़ने लगता है।	महत्वपूर्ण यह भी है कि गर्भवती महिला की स्थिति क्या है, उन्हें क्या और कितना खाने की इच्छा है? बेहतर होगा कि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बार-बार खाया जाए।
31.	यदि नवजात शिशु माँ का दूध न पी पाए, रोये नहीं, उसके शरीर पर पीलापन हो, उसकी टट्टी में खून दिखे या वह बहुत सुस्त लगे तो उसे उपचार के लिए ले जाना जरूरी है। ये कुछ खतरे के निशान हैं।	सही
32.	गर्भ में बच्चा हमारी—आपकी बातें सुनता है।	सही
33.	छह महीने की उम्र से खाना खिलाना शुरू कर देने से बच्चे का पेट बड़ा हो जाता है।	सही
34.	बच्चे को डीपीटी का टीका लगाने पर बुखार आ सकता है, इसीलिए टीके के बाद बुखार कम करने के लिए दवा दी जाती है। यह दवा नवजात शिशु को पानी से दी जा सकती है।	नहीं
35.	प्रसव के बाद माँ को देखभाल और संवेदनापूर्ण व्यवहार की बहुत जरूरत होती है ताकि वह तनाव में न आएं।	सही
36.	अगर नवजात शिशु को ताप हो या उसे सांस लेने में जोर लगाना पड़ रहा हो, तो तो उसकी सिकाई करना चाहिे।	नहीं, उसे तत्काल बिना देरी किए अस्पताल या चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए।
37.	नवजात शिशु की देखभाल में पुरुषों की कोई भूमिका नहीं होती है।	नहीं, नवजात शिशुओं की देखभाल में पुरुषों की बहुत सक्रीय, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे

		परिवार का वातावरण सहज बनाये रख सकते हैं। उन्हें बच्चे और माँ की सेहत पर नजर रखना चाहिए ताकि जरुरत पड़ने पर सही सहयोग किया जा सके। पुरुषों की अच्छी भूमिका से से बच्चे के भावनात्मक विकास में मदद मिलती है।
38.	नवजात शिशु के घर में धूप्रपान या शराब का उपयोग न किया जाना बेहतर होता है।	सही
39.	बेहतर होता है यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा पहले, तीसरे और सातवें दिन नवजात शिशु को घर जाकर देखें। इसके बाद सप्ताह में कम से कम एक बार धात्री महिला और बच्चे को देखना चाहिए।	सही
40.	शुरू में माँ के स्तनों में दूध इतना कम होता है कि वह बच्चे की भूख नहीं मिटा पाता है, इसलिए बच्चा रोता है।	यह सही नहीं है। माँ जितना स्तनपान बच्चे को करवाएंगी, उसके स्तनों में उतना दूध उतरता जाएगा। वास्तव में जितनी जरुरत बच्चे को होती है, उसे उतना दूध मिल जाता है। यह देखना जरूरी है कि बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाया जा रहा है या उसे कोई और तकलीफ तो नहीं है।
41.	प्रसव के बाद स्तनों में जो द्रव या दूध आता है, वह तो नौ महीने की जमी हुई गंदगी रही है, इसीलिए उसका रंग पीला होता है और वह गाढ़ा गर्व होता है।	यह सही सोच नहीं है। सबसे पहले जो दूध माँ के स्तनों में आता है, उसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जिनके कारण उसका रंग पीला होता है। यह शुरू के दो-तीन दिन के लिए ऐसा दिखता है। फिर सफेद दूध आने लगता है।
42.	जन्म के बाद का पहला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए औषधि का काम भी करता है।	जन्म के तुरंत बाद दूध पिलाने से बच्चे को पहले काली-हरी टट्टी आती है। वास्तव में माँ का वह दूध उसकी आँतों की सफाई करता है।

<p>43. जिन महिलाओं के स्तन छोटे होते हैं, उनमें दूध कम बनता है।</p>	<p>यह सही नहीं है। स्तनों के आकार से दूध बनने का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। दूध तो स्तनों की दुग्ध ग्रंथियों से बनता है। ये ग्रंथियां सबमें एक समान होती हैं। बच्चा जब तक दूध पीता है, तब तक दूध बनता है। जब वह दूध पीना बंद कर देता है, तब स्तनों में दूध बनना बंद हो जाता है।</p>
--	--

छोटे बच्चों का भोजन (आईवायसीएफ)

- जन्म के समय बच्चे का वजन कम से कम ढाई किलोग्राम होना चाहिए।
- बच्चे को जन्म के 48 से 72 घंटे तक बिलकुल नहीं नहलाना चाहिए। इससे उसे ठण्ड लग सकती है और तापमान में उतार-चढ़ाव से उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके शरीर पर जन्म के समय सफेद तरल पदार्थ लगा होता है, वह बच्चे की सुरक्षा के लिए कवच का काम करता है। उसे गंदगी न मानें।
- प्रसव चाहे सामान्य हो, चाहे आपरेशन से; हर स्थिति में जन्म के एक घंटे के भीतर नवजात शिशु को माँ का दूध (स्तनपान) मिलना चाहिए।
- नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसे माँ के सीने से लगाकर रखना चाहिए, इससे माँ को प्रसव जनित रक्त स्राव बंद हो जाएगा। साथ ही आंवल भी जल्दी बाहर आ जाता है। रक्त स्राव जल्दी बंद होने से प्रसूता के शरीर में अगर खून की कमी हो तो वह भी जल्दी दूर होगी।
- छह महीने की उम्र तक बच्चों को माँ के दूध के अलावा सामने पानी, गुड़ मिला पानी, शहद या ऊपरी दूध नहीं देना चाहिए। इससे बच्चा बीमार और कमजोर होता है। हर माह शिशु का वजन लेकर उसकी वृद्धि निगरानी भी करवाते रहें।
- छह महीने का होने तक एक दिन में बच्चे को 8 से 10 बार स्तनपान कराया जाना चाहिए।
- एक बार में शिशु को एक तरफ के स्तन से ही तब तक दूध पिलाएं, जब तक उसका पेट पूरा न भर जाए और वह दूध पीना छोड़ न दे। दोनों स्तनों से एक बार में स्तनपान कभी न कराएं। स्तनपान के दौरान आखिर के दूध में वसा की मात्रा शामिल होती है, जिससे शिशु का वजन बढ़ता है। इसीलिए शिशु को एक बार में एक स्तनपान से पूरा दूध पिलाना चाहिए। दूसरी बार का स्तनपान दूसरे स्तन से कराएं। इससे बच्चे को पूरा पोषण मिलता है और उसे पेट दर्द-गैस की समस्या का कम से कम सामना करना पड़ेगा।
- यह देखें कि बच्चा केवल निपल/चुचुक (स्तन का अगला भाग) ही तो उसके मुंह में नहीं है। स्तनपान कराते समय स्तन का आगे वाला काले या गहरे रंग का पूरा हिस्सा बच्चे के मुंह में होना चाहिए।

- स्तनपान कराते समय भी पूरी साफ सफाई जरूरी है। माँ के स्तन, हाथ, कपड़े और बैठने की जगह साफ और स्वच्छ होना चाहिए।
- माँ से अच्छा व्यवहार हो, उन्हें खुश और चिंतामुक्त रखना परिवार की जिम्मेदारी है। यदि माँ तनाव में रहेगी, तो बच्चे से उसका रिश्ता प्रभावित होगा और वह सही ढंग से पूरा स्तनपान नहीं करा पाएगी।
- नवजात शिशु को हमेशा माँ के करीब रखा जाना चाहिए। छोटा बच्चा माँ के बिलकुल करीब रहकर सुरक्षित और अपनापन महसूस करता है।
- यदि छह माह से छोटे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा हो या फिर वह कम वजन की श्रेणी में आ गया हो तो उसे अस्पताल या पोषण पुनर्वास केंद्र ले जाना चाहिए।
- नवजात शिशु को पीलिया हो जाए तो उसके पंजे और तलवे का रंग पीला दिखेगा। इसके साथ ही अगर वह मां का दूध पीने में असमर्थ हो, यदि वह रो न रहा हो, सांस तेज चल रही हो, बुखार-सर्दी-जुकाम हो, आँखों से पानी या कीच आ रहा हो या उलटी-दस्त हों, तो उसे तत्काल डाक्टर को दिखाना चाहिए। देरी बिलकुल न करें।
- बच्चा कम वजन का हो, या बीमार हो, तब भी उसे माँ का दूध मिलते रहना चाहिए।
- यदि माँ को सर्दी-जुकाम-बुखार की सामान्य स्थिति वाली बीमारी हो, तब भी माँ को बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए।
- सही स्तनपान होने से बच्चा बीमार नहीं पड़ता है और आगे भी उसके एक स्वस्थ व्यक्ति बनने की ज्यादा संभावना ज्यादा होती है।
- छह माह का होने तक बच्चे को सरकारी कार्यक्रम के मुताबिक बीसीजी, डीपीटी, हेपेटाइटिस-बी के टीके लग जाने चाहिए। इसके साथ ही पोलियो की दवा भी जरूरी है।
- जन्म के बाद जल्दी-से-जल्दी बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवा लेना चाहिए और जन्म प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए।
- बच्चों को बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद बाल आहार, बोलतबंद दूध और चूसनी बिलकुल नहीं देनी चाहिए। इससे बच्चे हमारे घरों में उपलब्ध भोजन में रुचि खो देते हैं। सबसे बेहतर है माँ का दूध और घर में घुटी हुई खीर या खिचड़ी।
- छह माह की उम्र का होते ही बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यह बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। इसमें देरी न करें।
- बच्चे को एक दिन में 4 से 5 बार एक-एक कटोरी खाना खिलाना चाहिए। खाना इतना नरम और पतला हो कि वह प्लेट में डालने से "फैले" पर "बहे" नहीं।
- ऊपरी आहार में तेल-घी, मौसम में मिलने वाली सब्जियां, स्थानीय रूप से उपलब्धर मौसमी फल, कंद, फलियाँ, मूंगफली जैसे दाने, दूध, अंडे जैसी सामग्री का इस्तेमाल अच्छा होता है। बच्चों के विकास के लिए अच्छा और सही भोजन जरूरी है।
- ऊपरी आहार के साथ स्तनपान तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक बच्चा "दो साल" का न हो जाए।

- बच्चों को गोद में लेने या खाना खिलाते समय, हर बार साफ पानी से हाथ जरूर धोना चाहिए। इससे बच्चे को संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है।
- छह माह से ज्यादा उम्र के बच्चे को यदि दस्त हों, तो उसे ओआरएस का घोल पिलाते रहना चाहिए। ओआरएस का पैकेट आशा के पास उपलब्ध होता है।

ध्यान रखने वाली बातें –

1. जन्म के एक घंटे के भीतर नवजात शिशु को मां का दूध मिलना चाहिए।
2. छह माह या 180 दिन का होने तक नवजात शिशु को पानी भी न दें। उसे केवल मां का दूध ही पिलाएं।
3. नवजात के 180 दिन का होने के बाद मां के दूध के साथ अर्द्ध ठोस आहार और साफ पेयजल उपलब्धप कराएं।
4. बच्चे के दो साल की उम्र का होने तक मां का दूध और ऊपरी आहार देते रहें।
5. बच्चे या मां को मामूली बीमारी होने पर बच्चेम को स्तनपान बंद न कराएं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जन्म के बाद 30 दिनों की अवधि में नवजात शिशुओं को निम्न स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान किये जाने का प्रावधान है –

- मुफ्त उपचार
- बिना किसी शुल्क के दवाएं
- बिना किसी शुल्क के जांचें
- बिना किसी शुल्क के रक्त
- कोई उपभोक्ता शुल्क नहीं
- उपचार के लिए घर से स्वास्थ्य केंद्र तक के लिए बिना किसी शुल्क के परिवहन
- यदि उपचार के लिए किसी अन्य स्वास्थ्य केंद्र/अस्पताल तक भेजा जाना हो, तो उसके लिए बिना किसी शुल्क परिवहन

नवजात शिशु स्वास्थ्य और सामुदायिक पहल

प्रायोगिक / मैदानी कार्य

प्रायोगिक / मैदानी कार्य कुछ बिन्दु	क्या कार्यवाही करें ?
कुछ बुनियादी पहलुओं पर गाँव/समुदाय की स्थिति को समझने की कोशिश	शिशु स्वास्थ्य और उसके जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है कि कम उम्र में शादी न हो और कम उम्र में गर्भ न ठहरे। अपने कार्य क्षेत्र में यह पता करें कि वहां शादी की उम्र क्या है ? इसके बाद उस पर चर्चा भी करें।
यह जानना कि गाँव/समुदाय में प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल से सम्बंधित व्यवहार कौन—कौन से हैं?	यह एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। सबसे पहले यह जानने की कोशिश कीजिए कि आपके कार्यक्षेत्र में प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल (जैसे मां से दूर रखा जाना, मां को अलग रखा जाना, जन्म के तत्काल बाद माँ का दूध न पिलाया जाना, स्तनपान के स्थान पर पानी, शहद, गुड़ का पानी, ऊपरी दूध दिया जाना या कोई और व्यवहार) से सम्बंधित व्यवहार कौन—कौन से हैं ? फिर यह सूची बनाइये कि कौन से व्यवहार बदले जाने की जरूरत है और उनके लिए चर्चा को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा।
गर्भावस्था के दौरान महिला को स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार मिलना जरूरी है।	हर गर्भवती महिला का पंजीयन हो, मातृ—शिशु रक्षा कार्ड बने और उनकी नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच जांच हो। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र से उन्हें नियमित रूप से पोषण आहार मिलना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना है कि हर महिला का मातृ—शिशु रक्षा कार्ड बने और उनकी स्वास्थ्य जांच हो। उन्हें उनकी स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में विस्तार के जानकारी दी जाना चाहिए।
गर्भावस्था के दौरान महिला को पर्याप्त खाना और आराम का अवसर मिलना चाहिए।	आपको यह देखना है कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, जिनके कारण आपके कार्यक्षेत्र में उन्हें पर्याप्त पोषण युक्त भोजन और आराम नहीं मिल पाता है। पंचायत और समुदाय के साथ मिल कर यह सुनिश्चित करें कि वह परिवार अभाव में न रहे।

सुरक्षित प्रसव	मातृ-शिशु रक्षा कार्ड और नियमित स्वास्थ्य जांच से यह पता चल जाता है कि प्रसव सामान्य होगा या जटिल होगा। इसके मुताबिक सुरक्षित प्रसव के लिए पहले से तैयारी रखना जरूरी होगा।
प्रसव के बाद एक घंटे के अंदर माँ का दूध मिलना	यह एक अनिवार्यता है कि जन्म के एक घंटे के भीतर शिशु को माँ का पहला गाढ़ा दूध मिले। प्रसव सामान्य हुआ हो, चाहे आपरेशन से, जल्दी स्तनपान करवाना जरूरी है।
नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए हमने इस पुस्तिका में कई बिंदुओं पर चर्चा की है, उनके मुताबिक बच्चे के देखभाल सुनिश्चित करना चाहिए।	सभी बिंदुओं, जैसे जन्म के बाद कम से कम 2–3 दिन बच्चे को नहलाया नहीं जाना चाहिए, पर ध्यान दें।

बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण

भारत सरकार के प्रेस सूचना व्यूरो द्वारा मार्च 2015 में जारी एक आधिकारिक आलेख के मुताबिक भारत में हर वर्ष 2.7 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। इनमें से लगभग 18.3 लाख बच्चे 5 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। भारत 5 लाख बच्चों की मृत्यु ऐसी बीमारियों से होती हैं, जिनसे सम्पूर्ण टीकाकरण करके बचा जा सकता है। डॉ. एच आर केशवामूर्ति के लिखे इस आलेख में बताया गया है कि भारत में अब भी लगभग 30 प्रतिशत यानी 89 लाख बच्चे या तो टीकाकरण से वंचित हैं, या उनका पूरा टीकाकरण नहीं होता है।

इसी सन्दर्भ में सम्पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के साथ अब 25 दिसम्बर 2014 से भारत में सम्पूर्ण टीकाकरण का एक अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम है – मिशन इन्ड्रधनुष। इसमें सबसे कमजोर 201 जिलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाना तय किया गया है, ताकि जो बच्चे टीकाकरण से वंचित हैं, उनका सम्पूर्ण टीकाकरण हो सके।

टीकाकरण समय सारणी

कब	कौन सा टीका लगना है?	कुछ अहम बातें
जन्म के समय	बीसीजी (पहला टीका)+ पोलियो की दवा पिलाना (पहली खुराक)+ जन्म के 24 घंटों में हेपेटाईटिस-बी (पहला टीका)	गर्भवती होने का पता चलते ही महिला को टींस का पहला टीका और एक महीने में दूसरा टीका लगना चाहिए।
6 सप्ताह या डेढ़ माह का होने पर	डीपीटी (पहला टीका)+पोलियो (दूसरी खुराक)+ हेपेटाईटिस-बी (दूसरा टीका)	टीकाकरण कार्यक्रम अगर सही ढंग से लागू हो तो यह बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचा सकता है – डिथीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस, तपेदिक, खसरा और हेपेटाईटिस-बी।
10 सप्ताह या ढाई माह का होने पर	डीपीटी (दूसरा टीका). पोलियो (तीसरी खुराक) + हेपेटाईटिस-बी (तीसरा टीका)	इसके साथ ही चुने हुए जिलों में जापानीज एन्सिफिलाईटिस (मस्तिष्क ज्वर) और हेमोफीलस इन्फ्यूएंजा – टाइप बी को नियंत्रित करने वाले टीके भी नये कार्यक्रम में जोड़े गए हैं।
14 सप्ताह या साढ़े तीन माह का होने पर	डीपीटी (तीसरा टीका). पोलियो (चौथी खुराक)+ हेपेटाईटिस-बी (चौथा टीका)	इसके साथ ही 16 महीने, 24
9 से 12 महीने का होने पर	खसरा रोकने वाला टीका (पहला टीका)	

5 साल का होने पर	डीपीटी बूस्टर (चौथा टीका)	
16 से 24 महीने का होने पर	खसरा रोकने वाला टीका (दूसरा टीका) + डीपीटी बूस्टर (पांचवा टीका). पोलियो बूस्टर (पांचवीं खुराक)	
10 साल का होने पर	टिटनेस (पहला टीका)	
16 साल का होने पर	टिटनेस (दूसरा टीका)	
जापानीज एन्सिफिलाईटिस	वर्ष 2006 से 2010 तक या टीका देश के चुने हुए 112 जिलों में लगाया जाता था, अब इसे नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।	<p>महीने, 30 महीने और 36 महीने की उम्र में बच्चों को विटामिन-ए की खुराक भी दी जाना है।</p> <p>सलाह दिए जाने पर निगरानी में 6 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चों को आयरन-फोलिक एसिड सिरप और 1 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चों को पेट के कीड़े हटाने वाली दवा दिए जाने की व्यवस्था है।</p> <p>ये सभी टीके और दवाएं सरकारी व्यवस्था के तहत निःशुल्क उपलब्ध हैं।</p>

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति

देश और दुनिया में बदलाव का एक महत्वपूर्ण पैमाना है सभी के लिए स्वास्थ्य के बायदे को पूरा करना। स्वास्थ्य का मतलब केवल यह नहीं है कि बीमारी का इलाज मिले, दवाएं हों और अस्पताल खुलें। मूल बात यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बना सकें और ऐसा व्यवहार करें, जिससे लोग बीमार न पड़ें। आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज्यादा बीमारियाँ जीवन जीने के बेतरतीब तरीके के कारण बढ़ रही हैं। तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इनके लिए हमें अपने गांव में जीवन शैली, पर्यावरण, पीने के पानी की व्यवस्था, खेल के मैदान और सामाजिक-आर्थिक बराबरी पर बात करना ज्यादा जरूरी है। एक स्तर पर सभी इस विचार से सहमति होते हैं, पर उसे लागू करना असंभव मानते हैं। हमारा ज्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि अस्पताल, डॉक्टर, दवाएं आदि से जुड़े हालात क्या हैं? बीमारी के कारणों पर आप बहुत महत्वपूर्ण पहल कर सकते हैं। इसके लिए आपके सामने एक विकल्प है ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति को सुदृढ़ बनाने का काम कर सकते हैं।

राष्ट्रीय (ग्रामीण) स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति का गठन किया गया है। इसका मुख्य मकसद है मैदानी स्थितियों के मुताबिक स्थानीय समुदाय और जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में समुदाय को स्वस्थ बनाना। हमें यह जानना होगा कि बीमारी का कारण केवल कोई विषाणु ही नहीं होता है। कई सामाजिक पहलू अस्वस्थ बनाने का काम करते हैं। जैसे महिलाओं के खिलाफ घरेलु हिंसा, किशोरी बालिकाओं को उनकी समस्याओं पर बात करने का अवसर न मिलना, जातिगत भेदभाव के कारण हक्कों और सेवाओं से वंचित रह जाना।

यह समिति विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था यानी पंचायती राज-ग्रामसभा की व्यवस्था के तहत उपसमिति के रूप में काम करती है। यह जानकारी की कई योजनाएं बन जाने के बाद भी लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, यह समिति बनायी गयी। अपेक्षा की जाती है कि यह समिति स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण से सम्बंधित अधिकारों और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाएगी। इन्हें गांव में स्वास्थ्य और कुपोषण की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए और उसके मुताबिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। यह समिति बेहतर पोषक तत्वों से युक्ती उपलब्ध स्थानीय भोजन के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति के मुताबिक (पारंपरिक बुद्धिमता) व्यवहार को बढ़ावा देना। गांव में हर महीने ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन करे ताकि बच्चों की वृद्धि निगरानी, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण से सम्बंधित बातचीत हो सके और कार्यक्रम का सही क्रियान्वयन हो सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा तैयार सामुदायिक प्रक्रियाओं के लिए प्रशिक्षण माड्यूल में इस समिति और इसके कामों का विस्तार से उल्लेख किया है। इसी तरह के सरकारी सन्दर्भों का उपयोग करके जानकारियां यहां दी जा रही हैं।

यह समिति

स्वास्थ्य सुविधा देने वाले सेवा प्रदाताओं (जैसे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि) के साथ समुदाय का तालमेल बनाकर सभी तक सुविधाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से गठित की गई है।

यह समिति गांव की जरूरतों और समस्याओं को देखते हुए समुदाय की भागीदारी से गांव की स्वास्थ्य योजना बनाएगी और उसे लागू करने में मदद करेगी।

गांव में सभी लोग स्वस्थ रहें। इसके लिए समय—समय पर जरूरी कार्यक्रमों गतिविधियों में मदद करेगी।

गंदगी से कई बीमारियां होती हैं, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता के विषय में जनभागीदारी और जागरूकता करेगी।

समिति का गठन

ग्राम सभा की एक तदर्थ समिति होगी जो ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के नाम से जानी जाएगी। सुविधा के लिए इसे ग्राम स्वस्थ समिति कहेंगे।

1. समिति में कम से कम बारह एवं अधिकतम बीस सदस्य विषय के संबंध में हित रखने वाले होंगे। इसमें 50 प्रतिशत महिला सदस्य रहेंगी।
2. कोई व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो तथा विषय के संबंध में हित रखता हो, इस समिति में सदस्य रह सकेगा।
3. समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से कम से कम एक सदस्य होगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से कम से कम एक महिला समिति में होगी।
5. समिति में गांव की सभी महिला पंच, आशा कार्यकर्ता, स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम, मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष और क्षेत्र का हैण्डपम्प मैकेनिक/सहायक मैकेनिक समिति के पदेन सदस्य होंगे।
6. समिति के सदस्यों को पारस्परिक सहमति से ग्रामसभा द्वारा नामांकित किया जाएगा।
7. महिला सदस्य समिति की सभापति होगी। समिति के विभिन्न खातों के लिए अलग-अलग कोषाध्यक्ष होंगी। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के लिए कोषाध्यक्ष आशा कार्यकर्ता होगी। सभापति और कोषाध्यक्ष का नामांकन समिति के सदस्यों द्वारा आम सहमति से किया जाएगा।

समिति में कौन – कौन होंगे ?

1. गांव की सभी महिला पंच
2. आशा कार्यकर्ता
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
4. एएनएम
5. मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्षता, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम चलाने वाले स्व सहायता समूह की अध्यक्ष और हेण्डपम्प सहायक मैकेनिक, समिति के सदस्य होंगे
6. गांव में काम कर रहे एनजीओ /स्व सहायता समूह के सदस्य समिति की बैठक में आमंत्रित किए जा सकेंगे ।

पदाधिकारी

अध्यक्ष – समिति की अध्यक्ष महिला सदस्य ही होगी । वह कोई भी महिला हो सकती है । जरुरी नहीं है कि वह पंच या कोई पदाधिकारी हो ।

समिति का सचिव – ग्राम पंचायत का सचिव, समिति का सचिव होगा । समिति के सभी काम समिति के सचिव द्वारा किए जाएंगे । समिति का प्रबंध निम्नलिखित रूप से होगा –

- ❖ स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अधीन आशा कार्यकर्ता, सहायक सचिव होगी ।
- ❖ वह समिति के सचिव को प्रशासनिक कार्यों में सहायता करेगी और सचिव द्वारा उनकी अनुपस्थिति के दौरान सौंपे गए काम करेगी ।
- ❖ यदि गांव में एक से अधिक आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं तो जो आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ता में से ज्यादा पढ़े लिखा हो, सहायक सचिव होगा ।
- ❖ समान योग्यता होने की दशा में कम आयु के कार्यकर्ता का चयन इस पद के लिए किया जाएगा ।

कोषाध्यक्ष – समिति के अलग–अलग खाते होंगे । लोक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के लिए कोषाध्यक्ष आशा कार्यकर्ता होगी । कोषाध्यक्ष का नामांकन समिति के सदस्यों द्वारा आम सहमति से किया जाएगा ।

ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक

समिति का काम अच्छी तरह से चले, इसके लिए सदस्यों को बैठकें करनी होंगी । ये बैठकें जितनी असरदार और व्यवस्थित होंगी समिति का काम उतना ही अच्छा होगा । इसलिए बैठक के बारे में कुछ बातें समझना जरुरी हैं –

- समिति की बैठक एक माह में कम से कम एक बार जरूर हो। जरूरत पड़ने पर विशेष बैठक भी बीच में बुलाई जा सकती है।
- बैठक की सूचना और उसकी कार्य सूची (एजेंडा) समिति सचिव के माध्यम से की जाएगी।
- पहले से तय गतिविधियों की समीक्षा सिलसिलेवार होना चाहिए।
- मुक्त राशि के व्यय का लेखा—जोखा बैठक में रखना चाहिए और आगामी कार्य योजना बनाना चाहिए। अन्य माध्यमों से प्राप्त आय को भी योजना बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए।
- बैठक की तारीख, समय, स्थान और कार्य सूची समिति के सदस्यों की सलाह से सचिव द्वारा निश्चित की जाएगी।
- समिति के कुल सदस्यों के आधे उपस्थित होने पर ही कोरम पूरा होगा।
- कोरम पूरा न हो तो, बैठक एक घंटे के लिए रोककर फिर से बैठक की जा सकती है। इसमें कोरम की जरूरत नहीं होगी।
- बैठक में सबसे पहले, पिछली बैठक की कार्रवाई को पढ़कर सुनाया जाए। चर्चा के बाद उसकी मंजूरी जरूरी है।
- पिछली बैठक में तय किए गए काम कितने हुए इनका व्यौरा, पेश किया जाए। जो काम नहीं हुए, उनकी स्थिति और पूरे न होने के कारण बताए जाएं।
- बैठक में सभी सदस्यों को बोलने का बराबर मौका मिलना चाहिए। महिलाओं और गरीब तबके के लोगों की बात जरूर सुनी जाए।

बैठक की तैयारी

- बैठक ऐसी जगह हो जहां सभी सदस्य आसानी से आ सकें।
- ग्राम आरोग्य केन्द्र की स्थापना हो गयी हो तो वहां बैठक करना उचित होगा।
- बैठक की सूचना सभी को समय रहते जरूर पहुंच जाए।
- समिति के सचिव को चाहिए कि वह बैठक से पहले पूरी जानकारी जैसे – खर्च का अब तक का व्यौरा, की गतिविधियां, सरकार से आई जानकारियां आदि की पूरी तैयारी करके आएं।
- बैठक का एजेंडा और प्राथमिकताएं स्पष्ट हों।
- बैठक में सभी जरूरी दस्तावेज, नियम/सरकार से आये प्रपत्र बैंक पास बुक, आय-व्यय का रजिस्टर जरूर उपलब्ध हो।
- नई सूचनाओं जानकारियों को सचिव द्वारा सदस्यों के बीच पढ़कर सुनाया जाए।
- समिति की बैठकों में सदस्यों के अलावा ग्राम पंचायत के सरपंच, सक्रिय गैर सरकारी संस्था के प्रतिनिधि, एनजीओ, स्वसहायता समूह, स्वर सहायता समूह अध्यक्षों/सदस्यों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए।

कार्यवाही रजिस्टर

- समिति की बैठकों का एक कार्यवाही रजिस्टर होगा, जिसमें बैठक में हुई चर्चा का विवरण और लिए गये फैसले सिलसिलेवार सचिव द्वारा दर्ज किए जाएंगे।
- रजिस्टर में समिति के सभी उपस्थित सदस्य, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सभी हस्ताक्षर करेंगे।
- सचिव द्वारा बैठक का विवरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, आंगनवाड़ी केन्द्र और उप स्वारक्ष्य केन्द्र को भी भेजा जाएगा। यदि कुछ सदस्य पढ़े-लिखे न हों तो रजिस्टर में लिखा हुआ विवरण पढ़कर सुनाएं और उसका मतलब समझाएंगे।

समिति के काम करने का तरीका

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वारक्ष्य मिशन के उद्देश्यों के अनुसार गांव में स्वारक्ष्य सेवाओं का लाभ तभी मिल सकेगा, जब ग्रामसभा की स्वारक्ष्य ग्राम तदर्थ समिति अच्छी तरह काम करेगी। इसलिए यहां समिति के काम करने का तरीका स्पष्ट जरूरी है –
- यदि समिति का कोरम पूरा न हो तो बैठक स्थगित कर एक घण्टे बाद फिर से बैठक की जा सकती है जिसमें कोरम की जरूरत नहीं होगी। फिर भी पूरी कोशिश यह होनी चाहिए कि समिति की बैठक में न केवल कोरम हो, बल्कि बैठक में अधिक से अधिक सदस्य शामिल हों।
- कोरम के अभाव में जहां तक संभव हो, बैठकें नहीं होना चाहिए। बिना कोरम के स्थगित बैठक का नियम होते हुये भी इसका उपयोग न करना पड़े, वह भी एक अच्छी समिति की पहचान होगी।
- समिति की बैठक के पहले सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सलाह से बैठक का एजेण्डा स्पष्ट रूप से तैयार कर लिया जाए और समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना के साथ ही एजेण्डा भी जरूर भेजा जाए।
- बैठक में सभी सदस्य आ सकें, इसके लिए सचिव यह सुनिश्चित करें कि बैठक की सूचना कम से कम 4–5 दिन पहले सदस्यों को जरूर मिल जाए।
- जहां तक संभव हो, समिति के फैसले सर्वसम्मति से हों।
- समिति के द्वारा लिए गये फैसलों को लागू करवाने के लिए समिति के सदस्यों को कोशिश करनी चाहिए।
- समिति के फैसले हो जाने पर सभी सदस्यों की यह सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वे उस फैसले के विरुद्ध न कुछ कहें और न कोई काम होने दें।
- यदि समिति की जानकारी में यह आता है कि ऐसा कोई काम हो रहा है, जिसका समिति में फैसला नहीं हुआ है तो वे समिति सभी सदस्यों की जानकारी में यह बात लाये और बैठक में भी चर्चा करें।
- समिति की बैठक में उपस्थिति के दस्तखत किए जाएं।
- समिति की बैठक की कार्रवाही वाले रजिस्टर में कार्रवाई के बाद समिति सदस्यों के दस्तखत हो जाने के बाद ही उसे समिति की कार्रवाई माना जाए।

- समिति में लिए गये फैसलों को ग्रामसभा और ग्राम पंचायतों के साथ—साथ संबंधित पक्षों को भेजना चाहिए।
- समिति के ऐसे सदस्य जो पढ़ना—लिखना नहीं जानते, उनके लिए कार्यवाही पढ़कर जरूर सुनाई जाए, इसके बाद ही उनके दस्तखत कराए जाएं।
- समिति की कार्यवाही लिखते समय शासन के नियमों, परिपत्रों का उल्लेख करना जरूरी है।
- विभागीय सरकारी कर्मचारियों पर समिति का नियंत्रण होगा। यह एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है इसलिए कर्मचारियों के वेतन आदि मामलों के फैसले नियमों के अनुसार ही किए जाएं।
- वित्तीय लाभ प्राप्त करने वाला हितग्राही अगर निकटतम संबंधी हो तो समिति सदस्य को उस फैसले के समय बैठक में शामिल न हो।
- अक्सर देखने में आता है कि कुछ सदस्य बिना पढ़े ही हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा देते हैं। यह गैर जिम्मेदारी है। जहां किसी के दस्तखत/अंगूठा निशान होते हैं वह उसमें लिखी हर बात के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए दस्तखत या अंगूठा लगाने से पहले उसे पढ़वा लें, समझ लें फिर बाद में दस्तखत/अंगूठा लगाएं।

समिति की अवधि

1. समिति का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के समान होगा। नई ग्राम पंचायत के गठन के बाद ग्राम सभा, समिति के सदस्यों को फिर से नामांकित करेगी।
2. यदि कोई सदस्य बगैर उचित कारण के लगातार तीन बैठकों में गैरहाजिर रहता है तो उसकी सदस्यता कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन से समाप्त कर दी जाएगी। ग्राम पंचायत (या ग्राम सभा) दूसरे सदस्य के नामांकन से खाली जगह भरेगी।
3. जब ग्राम स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिशन तथा पोषाहार कार्यक्रम अभियान सभी पहलुओं से पूरे हो जाते हैं, तो संबंधित तदर्थ समिति अपने आप भंग हो जाएगी।

शक्तियां, कार्य तथा समिति की जिम्मेदारी

समिति को शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का पुनर्विलोकन, पर्यवेक्षण, मॉनीटर तथा समन्वयन की भूमिका और जिम्मेदारियां उसे सौंपी गई हैं। जैसे—समग्र स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा पोषाहार कार्यक्रम को चलाने के लिए सशक्त किया गया है। संबंधित विभाग, योजना को लागू करने में सदस्यों की भूमिका और समिति की जिम्मेदारियों के लिए अलग तथा संयुक्त रूप से प्रशासनिक निर्देश जारी करेंगे।

समिति का नियंत्रण

ग्राम स्वास्थ्य समिति के द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों, योजनाओं में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं पर नियंत्रण होगा। कार्यक्रमों के अलावा आशा कार्यकर्ता, एनएम, सुपरवाइजर एवं गांव के स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों पर भी उसका नियंत्रण होगा।

कर्मचारियों पर नियंत्रण

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 (B) के अनुसार ग्राम सभा को ग्राम स्तर के सभी शासकीय कर्मचारियों पर नियंत्रण करने की शक्ति दी गयी है जिसके अनुसार ग्राम सभा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन रोकने, आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने, कार्य करने का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की शक्ति होगी।

ग्रामसभा को उप धारा 1 (एक) में दिये गये सरकारी कर्मचारियों के अपचार एवं कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दण्ड देने के संबंध में सिफारिश सक्षम अधिकारी को करने की शक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग में इसका पालन ग्राम स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाएगा। समिति आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम, सुपरवाइजर एवं ग्राम स्तर के स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेगी।

कर्मचारियों का मुख्यालय

स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण सेवा में पदस्थ कर्मचारियों का मुख्यालय निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित किए गए मुख्यालय की सूचना ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम स्वरक्ष्य समिति को लिखित में देंगे। कर्मचारियों का मुख्यालय ग्राम सभा ग्राम समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में अनिवार्य रूप से लिखा जाए।

कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र

जिन कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र एक से अधिक ग्राम सभाओं में फैला हो, ऐसे अधिकारी कर्मचारी अपने प्रभार के प्रत्येक गांव में जाने के लिए दिन तय करेंगे। तय दिन की सूचना संबंधित ग्राम सभा की ग्राम स्वरक्ष्य समिति को लिखित में देंगे। समिति अपने कार्यवाही विवरण में कर्मचारियों के गांव में आने के दिन लिखेगी।

भ्रमण / दौरा

संबंधित कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी है कि व निर्धारित दिनांक को अनिवार्य रूप से तयशुदा गांव का भ्रमण करें और समिति के अध्यक्ष व सदस्यों से मिलें। अपनी टूर डायरी में वह समिति के अध्यक्ष व सदस्यों से वह यह प्रमाण—पत्र प्राप्त करें कि उनके द्वारा निर्धारित गांव का दौरा उसने किया है और गांव में जो काम किया है, उसे भी इस डायरी में लिखें।

वेतन का आहरण

शासकीय कर्मचारियों का वेतन तब तक नहीं निकाला जाएगा, जब तक वे अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित ग्राम स्वरक्ष्य समिति से यह प्रमाण—पत्र प्राप्त नहीं कर लेते कि उनके द्वारा पूरे माह में आपके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया गया है। यह प्रमाण—पत्र प्राप्त कर वेतन देयक में संलग्न करना होगा। जिसकी जांच करने के बाद ही उनका वेतन देयक पास किया जाएगा। इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समिति द्वारा किया जाएगा।

मानदेय का भुगतान

जिन कर्मचारियों को मानदेय मिलता है, उन्हें भी इसी तरह का प्रमाण—पत्र देने पर ही भुगतान किया जाएगा कि उन्होंने सौंपा गया काम पूरा कर लिया है।

टूर डायरी (भ्रमण दैनंदिनी)

जिन कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र एक से अधिक गांवों में फैला है, उन्हें टूर डायरी बनाना जरूरी है। उन्हें इसी टूर डायरी में हर गांव की ग्राम स्वास्थ्य समिति से प्रमाण—पत्र लाना होगा। टूर डायरी को मुख्यालय की समिति को पेश करना होगा। इस टूर डायरी को देखकर ही समिति वेतन आहरण के लिए प्रमाण—पत्र जारी करेगी।

आकस्मिक अवकाश (छुट्टी की मंजूरी)

गांव में काम करने वाले कर्मचारियों का अवकाश मंजूर करने का अधिकार कर्मचारी के मुख्यालय की ग्राम स्वस्थ्य समिति के अध्यक्ष को होगा। अध्यक्ष नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत करेगा तथा समिति की आगामी बैठक के कार्यवाही विवरण में इसकी जानकारी दर्ज की जाएगी।

कार्यों का निरीक्षण

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि पूरे माह में उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण समिति की कार्यवाही में दर्ज कराएं। समिति के सदस्यों को यह अधिकार होगा कि वे काम का निरीक्षण करते समय कर्मचारियों के काम संबंधी दस्तावेज देख सकेंगे और मौखिक रूप से भी काम की जानकारी ले सकेंगे।

ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस पर होता क्या है?	
किशोरी बालिकाओं में एनीमिया की रोकथाम हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण	पोषाहार वितरण
शिशु स्वास्थ्य संबंधित सेवा	संक्रामक रोगों की जानकारी एवं सेवाएं
मातृ स्वास्थ्य संबंधित सेवा	परामर्श सामग्री तथा
परिवार नियोजन सेवा	शासकीय योजनाओं की जानकारी का प्रचार—प्रसार
किशोरी बालिका स्वास्थ्य संबंधित सेवा	

पर्यवेक्षण

ग्राम स्वास्थ्य समिति कर्मचारियों के कार्यालयों तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का मौके पर पर्यवेक्षण कर सकेंगी। कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि मांगे जाने पर सभी तरह की जानकारी और अभिलेख आदि समिति के सदस्यों के सामने पेश करें। समिति के सदस्य पर्यवेक्षण करने के बाद दस्तावेजों में अपनी टीप भी लिख सकते हैं।

कर्तव्य की उपेक्षा

सरकारी कर्मचारी यदि अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा और निर्धारित कार्यक्रम या निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करेगा, निर्धारित मुख्यालय में निवास नहीं करेगा तो समिति को यह अधिकार है कि वह ऐसे कर्मचारियों को दण्डित करने का प्रस्ताव अपनी बैठक में पास करें और कर्मचारी के अपचार तथा कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दण्ड देने के संबंध में सिफारिश सक्षम विभागीय अधिकारी को भेजें। सक्षम अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राम स्वास्थ्य समिति से प्राप्त कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिवेदन पर शासन द्वारा निर्धारित समय में दोषी सरकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही करें और उसकी सूचना लिखित रूप में संबंधित समिति को करें। समिति इसे अपने कार्यवाही विवरण में अवश्य लिखें।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में प्रत्येक माह में एक निश्चित दिन को स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। इस दिन को (ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस) का नाम दिया गया है। इस दिन सम्बंधित उपस्वास्थ्य केन्द्र की नर्स (एएनएम) गांव में आएंगी और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस अत्यन्त आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का मंच है, क्योंकि इस दिन गांव स्तर पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होती है जिनका उपयोग गांव वाले विशेषकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमज़ोर परिवार बिना किसी खर्चे के प्राप्त कर सकते हैं।

कहाँ होना चाहिए ?

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन प्रत्येक माह तय दिन को हर गांव के आंगनवाड़ी केन्द्र में होना है।
- प्रत्येक गांव में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए पूरे वर्ष में प्रत्येक माह के लिए दिन समय एवं स्थान पूर्णतः पहले से ही निश्चित कर लेना आवश्यक है और इसकी जानकारी ग्रामवासियों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।
- पोषण दिवस की जानकारी प्रमुख रूप से गांव के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए उपलब्ध करवाने की जरूरत है।

स्वास्थ्य और पोषण दिवस – विभिन्न सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी

1. आशा

- सभी घरों में जाकर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सूचना देना।
- महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से सभी गर्भवती महिलाओं की एक सूची तैयार करना।
- ऐसी महिलाओं की सूची तैयार करना, जिन्हें पहली बार/दोबारा प्रसव पूर्व जांच के लिए आना हो।

- ऐसे बच्चों की सूची तैयार करना जिनको टीके नहीं लग पाए और जिनको टीके लगने हैं, उन बच्चों को बुलाना।
- ऐसे बच्चों की सूची तैयार करना, जिन्हें कुपोषण के लिए देखभाल की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों, विशेषकर लड़कियों की सूची तैयार करना, जिन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धित विशेष ध्यान की जरूरत है।
- टीबी रोगियों की सूची तैयार करना, जिन्हें टीबी रोधक दवा दी जानी है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम के साथ समन्वय करना

- यह सुनिश्चित करना कि सूची में दर्ज सभी महिलाएं व बच्चे सेवाएं लेने आएं।
- कुपोषित बच्चों को एएनएम से परामर्श मिले।
- जिन बच्चों को पूरक पोषण की जरूरत है, उन्हें म पोषण आहार मिले।
- मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड मौके पर मौजूद हो।
- एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सहयोग देना।

2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की सूचना देना।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रसव पूर्व जांच के लिए एकान्त स्थान तथा उपकरण जैसे—वजन लेने की मशीन उपलब्ध कराना।
- आशा और एएनएम के साथ समन्वय बनाकर काम करना।
- पोषण आहार बांटना।
- बच्चों की पोषण की स्थिति (वजन, लम्बाई, म्युएक माप आदि) की जानकारी साझा करना।

3. आंगनवाड़ी सहायिका

- आंगनवाड़ी केन्द्र की सफाई और बैठने की व्यवस्था।
- पीने के साफ पानी की उपलब्धता हो।
- लाभार्थियों में पोषाहार बांटना।

4. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता

- यदि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्थित न हो तो वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- पोषण दिवस से पहले टीके निर्धारित स्थान पर पहुंच जाएं।
- सभी आवश्यक उपकरण, दवाइयां एवं अन्य सामग्री उपलब्ध हों।
- गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की जांच और परामर्श (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता)
- गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए सुरक्षित और एकांत जगह का इंतजाम करना।
- बच्चों का टीकाकरण और उन्हें विटामिन ए पिलाना।
- मलेरिया की स्लाइड बनाना और इस बीमारी से बचाव के उपाय बताना।

- डॉट्स की दवा बांटना और यह सुनिश्चित करना कि टीबी के मरीज नियमित दवाएं खाएं।
- कार्ड एवं रजिस्टर में जानकारी भरना।
- गर्भ निरोधक साधनों का वितरण करना एवं आवश्यक परामर्श देना।
- सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री के साथ लोगों को परामर्श।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की रिपोर्ट देना।
- आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय बनाना।

5. पंचायतीराज प्रतिनिधि

- छूटे हुए लाभार्थियों के परिवारों से बात कराना एवं सेवा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- पीने के साफ पानी की व्यवस्था, साफ-सफाई और आंगनवाड़ी केन्द्र तक पहुंच को आसान बनाने के लिए समुचित इंतजाम।

6. स्वास्थ्य—महिला / पुरुष सुपरवाइजर

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के कामकाज और व्यवस्था का पर्यवेक्षण।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों से चर्चा और सहयोग।

7. सुपरवाइजर महिला बाल विकास

- कार्य एवं व्यवस्था का सहयोग की सोच के साथ पर्यवेक्षण करना।
- ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्यों से चर्चा और सहयोग।

8. खण्ड चिकित्सा अधिकारी तथा कार्यक्रम ब्लॉक प्रबंधक

1. खण्ड चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक को गांव में जाकर सेवाओं का मूल्यांकन करना है।
2. आवश्यकता पड़ने पर रेफर की सलाह देना।
3. उन्हें व्यवस्था, उपकरण एवं दवा की उपलब्धता के साथ-साथ यह भी देखना होगा कि सभी लाभार्थी सेवा लेने आए हैं या नहीं। वे हितधारकों को दी जा रहीं सेवाओं की गुणवत्ता भी जांचेंगे।
4. बाद में वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी से चर्चा कर जरूरी निर्णय और कार्यवाही करेंगे।

9. मेन्टरिंग ग्रुप फॉर कम्युनिटी एक्शन

1. कार्य का निरीक्षण करना।
2. आंकलन प्रपत्र के आधार पर मूल्यांकन करना।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए आवश्यक सामग्री	
सेवाएं	आवश्यक सामग्री
स्थान	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन तय स्थान साफ हो एवं बैठने हेतु दरी, हाथ धोने और पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था हो
शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सेवा	जन्म पंजीयन, कैरियर, टीके, विटामिन एएडी सिरींज, हब कटर, पेरासिटामोल, आयरन की गोलियां (बच्चों के लिए), आयरन सीरप, ओरआरएस, एल बैन्डाजोल, जिंक टेबलेट, कॉटन, बच्चों की वजन मशीन, कचरा डालने हेतु बैग, नुकीले अवशेष जैसे-सिरींज आदि को एकत्रित करने के लिए न फटने वाले बैग
मातृ स्वास्थ्य संबंधित सेवा	गर्भावस्था जांच फिटोस्कोप, यूरीरिटक्स, टी.टी. वैक्सीन, आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियां, कैल्शियम साईट्रेट, एलबैन्डाजोल, गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु टेबल, गोपनीयता हेतु पर्दा, स्टेपस्युबल रबर के दस्ताने/ग्लब्ज, मेकनटोस, मेट्रीन, वजन जांचने की मशीन, मलेरिया की जांच करने हेतु स्लाइड, लेनसेट, हीमोग्लोबिन जांच के लिए स्ट्रिप्स, बी.पी. मशीन, स्टेथोस्कोप, कॉटन, हब कटर, कचरा डालने हेतु थैली, पंक्वर बैग नुकीले अवशेष जैसे सिरींज आदि एकत्रित करने के लिए बैग
परिवार नियोजन सेवा	परिवार नियोजन के अस्थाई साधन
किशोरी बालिका स्वास्थ्य संबंधित सेवा	टिटेनस टीका, वजन मशीन (वयस्क), आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियां, एलबैन्डाजोल, हीमोग्लोबिन जांच के लिए स्ट्रिप्स (पट्टियां)
संक्रामक रोगों की जानकारी एवं सेवाएं	दवाईयां-क्लोरोविवन, टीबी मरीजों के लिए डॉट्स, पैरासिटेमोल की दवा, मलेरिया की स्लाइड बनाना
पोषणाहार वितरण	पोषाहार का वितरण टेक होम राशन तथा सांझा चूल्हे से बने पोषाहार के वितरण के लिए साफ बर्तन
रिकार्ड दर्ज करना	संबंधित रजिस्टर, वजन तालिका, मातृ शिशु रक्षा कार्ड, डिफाल्टर टेकिंग चार्ट, टीकाकरण रजिस्टर
परामर्श सामग्री तथा शासकीय योजनाओं की जानकारी का प्रचार-प्रसार	परामर्श के लिए सन्दर्भ सामग्री, उपलब्ध पत्र/निर्देश राज्य में सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देना शासकीय विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री

प्रायोगिक / मैदानी कार्य

प्रायोगिक / मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
सबसे पहले यह पता करें कि अपने गांव/समुदाय में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति बनी हुई है? उसके सदस्य कौन हैं?	हमें पंचायत से जानकारी मिल जाएगी। समिति के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से भी बात करें और समूह में भी।
क्या समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण हुआ है? किन-किन विषयों पर प्रशिक्षण हुआ है?	यदि जरूरत पड़ती है तो उनसे अलग-अलग विषयों पर संवाद करें। स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से मिलकर उनके लिए विषय आधारित संवाद/प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं बनवाएं।
हो सकता है कि हमें समिति के सदस्यों को ज्यादा जानकारी देने की जरूरत हो।	यह चर्चा करना जरूरी है कि इस समिति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उनके पास कई अधिकार भी हैं। उनके उपयोग के लिए समुदाय को प्रेरित करें।
इस समिति की भूमिका को केंद्र में रखते हुए अध्ययन करने कि समिति कौन-कौन सी भूमिका निभा रही है? क्या सीमाएं हैं?	गर्भवती महिलाओं, कुपोषित बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य से सम्बंधित पहल के लिए समिति को प्रेरित करें।
क्या समिति आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी करती है?	यह समिति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं।
ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस के बारे में जानकारी हासिल करें, अध्ययन करें।	आपको यह सुनिश्चित करना है कि नियमित रूप से ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन हो और समुदाय की उसमें सहभागिता हो।
बाकी अन्य कई पहलू जिन्हें आप इसमें शामिल कर सकते हैं।	समुदाय के अनुभवों के आधार पर।

बच्चों का उत्तरजीविता का अधिकार

मैदानी / प्रायोगिक कार्य

अब तक यह स्पष्ट हो चुका होगा कि बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उनके लिए कुछ अहम् कानून भी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने कार्यक्षेत्र में इसे समुचित रूप में लागू करवाएं तथा प्रायोगिक / मैदानी कार्य पर एक रिपोर्ट तैयार करें जिसका प्रारूप गतिविधियों के रूप में दिया गया है।

कानून और विषय—मुद्दे से सम्बंधित योजना का नाम	आपके मैदानी कार्य की शुरुआत में स्थिति क्या थी?	आपकी पहल का लाभ	इस योजना पर / के लिए काम करते हुए आपके क्या अनुभव रहे?
डिब्बाबंद शिशु आहार का निषेध और कानूनी प्रावधान			
किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण			
किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित योजनाएं			
मध्यान्ह भोजन योजना और सामुदायिक पहल			
समेकित बाल विकास सेवाएं और कुपोषण का समुदाय आधारित प्रबंधन			
नवजात शिशु का जीवन और सामुदायिक पहल			
ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति			

समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व)

सतत विकास लक्ष्य पर केंद्रित मैदानी / प्रायोगिक
कार्य

**बच्चों के विकास का अधिकार
कानून और योजनाएं**

भाग चार - बच्चों के विकास का अधिकार

शिक्षा का अधिकार कानून, शाला प्रबंधन समिति और समुदाय

स्कूल चलें हम अभियान और सामुदायिक नेतृत्व

शिक्षा के अधिकार के लिए योजनाएं – साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति और छात्रवास

खेल का अधिकार और बच्चों का विकास

निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए योजनाएं

हमारी पहल और भूमिका

ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं ?

मैदानी / प्रायोगिक कार्य की रिपोर्ट

शिक्षा का अधिकार कानून, शाला प्रबंधन समिति और समुदाय

यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (A) के परिपालन हेतु बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है।

ऐसे बच्चे जिनकी उम्र अधिक हो गयी हो और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से कक्षा 8) में दाखिला नहीं लिया तो भी धारा 4 के अंतर्गत दाखिला ले सकते हैं और उन्हें विशेष प्रावधान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराई जाएगी चाहे उनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो गयी हो।

धारा 6 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार की यह जिम्मेदारी है कि जहां भी स्कूल नहीं हो और उसकी जरूरत हो वहां स्कूल का निर्माण करें। मध्यप्रदेश द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार यह सीमा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए निकट का गाँव या वार्ड है और कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए 3 किमी है।

सम्बंधित सरकारों का दायित्व

1. सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
2. जरूरत के अनुसार बच्चों हेतु नजदीकी स्कूल का निर्माण।
3. शिक्षा में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने देना।
4. सभी जरूरत सुविधाएं प्रदान करना।
5. समय—समय पर निरीक्षण करते रहना।
6. अध्यापकों के लिए अभ्यास सत्र करना।

मध्यप्रदेश के नियमों के अनुसार सम्बंधित सरकारों के अन्य दायित्व

1. हर इलाके में रहे रहे बच्चों का वर्गीकरण कर आंकड़े तैयार करना।
2. विकलांग बच्चों एवं कमजोर तबकों से आए बच्चों के अलग से आंकड़े रखना।
3. किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो।
4. कक्षा में हो रहे भेदभाव को रोकना एवं मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था करना।
5. लड़कियों, अनुसूचित—जाति एवं जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से आए बच्चों को मुफ्त गणवेश देना।

पालकों के कर्तव्य

धारा 10 के अनुसार सभी पालकों या संरक्षकों का यह कर्तृतव्य है कि वह अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल में भर्ती कराएं।

अर्धसरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल

समाज का हिस्सा होने के नाते अर्धसरकारी एवं गैरसरकारी स्कूलों का भी यह दायित्व है कि वह भी मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। इस हेतु कानून के अनुसार उन्हें भी अपने स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे कुल बच्चों में से 25 प्रतिशत बच्चों को बिना फीस के दाखिला देना होगा, ऐसे बच्चों को जो समाज के कमजोर, उपेक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की श्रेणी में आते हैं। ऐसे सभी बच्चों की शिक्षा में हुआ खर्च सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

राज्य शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के प्रपत्र क्रमांक/राशि के /140/आरटीई/2015/6037 दिनांक 03/08/15 के अनुसार वंचित वर्ग से आए बच्चों के सत्यापन हेतु दो दस्तावेजों का होना आवश्यक है

1. बच्चे के वंचित समूह और कमजोर वर्ग से होने का प्रमाण—पत्र।
2. पड़ोस की सीमा में निवास करने का प्रमाण—पत्र।

शारीरिक दंड का निषेध

अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना देना इस अधिनियम का उल्लंघन है और ऐसा करने वालों पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है।

स्कूल प्रबंधन समिति

गैर सरकारी स्कूल के अलावा हर स्कूल में इस अधिनियम के अंतर्गत स्कूल प्रबंधन समिति का गठन होना आवश्यक है जिसके कम से कम 75 सदस्य वहां पढ़ रहे बच्चों के पालक होना आवश्यक है। कुल सदस्यों का 50 महिलाएं होना भी आवश्यक है। साथ ही समाज के कमजोर, उपेक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबकों से आए बच्चों के पालकों का होना भी आवश्यक है।

कर्तव्य

1. स्कूल का निरीक्षण करते रहना।
2. स्कूल के विकास हेतु विकास योजनाएं बनाना।
3. स्कूल में आ रहे अनुदान के उपयोग को परखना।
4. अन्य कोई काम जो कि स्कूल एवं बच्चों के हित में हों।

इसके अलावा यह अधिनियम अध्यापकों की नियुक्ति और गुणवत्ता को भी वर्णित करता है। साथ ही स्कूल के पाठ्यक्रम निर्माण आदि के बारे में भी जानकारी देता है।

पृष्ठभूमि

बेहतर समाज के निर्माण के लिए समाज के हर सदस्य को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अधिकार मिलना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि परतंत्रता के दौर में देश की शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर किया गया और उसके बाद शिक्षा के अधिकार को लैंगिक, जातिगत और आर्थिक गरीबी की चुनौतियों के बीच फंसा दिया गया। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, समान और अबाध तरीके से शिक्षा का अधिकार मिल सके, इसके लिए कई दशकों से संघर्ष चल रहा है। परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का का दर्जा दिया गया।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। सन् 2002 में भारत सरकार द्वारा इस अनुच्छेद (21 [क]) में शिक्षा का अधिकार भी शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार दिया गया है। इसके बावजूद बहुत से बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए एक मजबूत व महत्वपूर्ण प्रयास 'शिक्षा अधिकार कानून' है, इसे शिक्षा जगत में एक बड़ी उम्मीद के रूप में पूरा देश और दुनिया देख रही है।

बच्चों को भय मुक्त वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए स्कूल तय मानकों पर खरा उतरे, बच्चे बाल केन्द्रित पद्धति से सीखें और आगे बढ़ें। ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी और पालकों का कर्तव्य (अनुच्छेद 50 [क]) है।

हमारे मध्यप्रदेश और पूरे देश में दिनांक 1 अप्रैल 2010 को यह कानून लागू किया गया, और दिनांक 26 मार्च 2011 को मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के नियम लागू किए थे। इन नियमों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 कहा जाता है।

शिक्षा का अधिकार मतलब ?

शिक्षा के अधिकार कानून में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई जरूरी और महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मकसद है हर बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना।

हर बच्चा, चाहे वह लड़की हो या लड़का, वह किसी भी जाति या धर्म का हो, या वह किसी भी प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हो, यह कानून सभी बच्चों को कम से कम प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा आठ तक) उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। यानी हर बच्चे का शाला में प्रवेश लेने और अपनी (कक्षा आठ तक) शिक्षा पूरी करने का अधिकार है।

किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है।

इस शिक्षा अवधि में किसी बच्चे को किसी कक्षा में किसी कारण से रोका या अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता और न ही किसी कारण से किसी बच्चे को स्कूल से निकाला जा सकता है। जब तक कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी न हो जाए।

शाला प्रबंधन समिति

हमें यह याद रखना चाहिए कि केवल कानून बन जाने से हमारे बच्चों को अच्छी, सच्ची, गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता है। शिक्षा के अधिकार का यह सपना तभी साकार हो सकता है, जब समुदाय इस हक को मान्यता देगा और शिक्षा व्यवस्था की निगरानी करने की जिम्मेदारी खुद संभालेगा। खेत में जब बीज पड़ा होता है, तब किसान अक्सर खेत की तरफ जाता है और देखता है कि सबकुछ ठीक-ठाक है कि नहीं लेकिन जब बीज नहीं भी पड़ा होता है और फसल कट चुकी होती है, तब भी वह खेत की तरफ जाता है, उसे देखता है। वह अपनी आंखों से देख कर सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जितना सुन्दर और उपजाऊ किसान के लिए अपना खेत होता है, उतनी ही सुन्दर और उपजाऊ अपनी पाठशाला भी तो है, लेकिन लोग अक्सर उसे देखने, उसके हाल-चाल जानने नहीं जाते हैं। जैसे खेत किसान का अपना होता है, उसी तरह क्या वह पाठशाला लोगों की अपनी संस्था नहीं है, जिसमें उनके बच्चों का भविष्य और समाज के मूल्य गढ़े जा रहे हैं। इसी सोच के आधार पर शिक्षा के अधिकार कानून में शाला प्रबंधन समिति की व्यवस्था बनायी गयी है और उसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गयी है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और नियम 2011 के मुताबिक राज्य की सभी सरकारी और सरकार से अनुदान/सहायता पाने वाली प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति गठन करने का प्रावधान किया गया है। शालाओं में गठित यह एक वैधानिक समिति है, जो शिक्षा व्यवस्था यानी स्कूल में समुदाय और पंचायत की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करती है।

शाला प्रबंधन समिति शाला के विकास के लिए योजना बनाने, वित्तीय प्रबंधन, शाला के संचालन और नियमित देखरेख का काम करती है। इस समिति के गठन का उद्देश्यन है कि शालाओं में ज्यादा से ज्यादा समुदाय की भागीदारी बढ़े ताकि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा आसानी से अपने पड़ोस की शाला में सुलभ हो सके। इसके साथ ही शाला के प्रबंधन और अकादमिक गतिविधियों में भी समुदाय की भागीदारी बढ़े ताकि बच्चों का शिक्षण स्थानीय भाषा और परिस्थितियों के अनुरूप हो सके।

स्पष्ट रूप से देखा जाए तो शिक्षा अधिकार कानून के तहत बने प्रावधानों की निगरानी करने और व्यवस्था को सही रूप देने के लिए हर पहलू से शाला प्रबंधन समिति का सक्रिय जुड़ाव होता है।

शिक्षा अधिकार कानून के प्रमुख प्रावधान

- 6 साल से 14 साल उम्र के हर बच्चे (बालक-बालिका) को अपनी 8 वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस हेतु शाला द्वारा बच्चों से कोई फीस/शुल्क या खर्च नहीं लिया जाएगा। (कानून की धारा 3)
- जहां कोई बच्चा (बालक/बालिका) जिसकी उम्र 6 वर्ष से अधिक है, और वह कभी शाला नहीं गया, या शाला त्यागी हो गया था या पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उसे उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि बच्चा 10 साल का है तो उसे चौथी कक्षा में

प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार दर्ज किए गए बच्चों (बालक/बालिकाओं) को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि कक्षा में दर्ज अन्य बच्चों के समान स्तर पर आ सकें, और जब वे उस स्तर को प्राप्त कर लेंगे तो उन्हें अपनी कक्षा में शामिल कर दिया जाएगा। (कानून की धारा 4)

- पड़ोसी शाला (घर के नजदीक शाला) उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय (नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत) की है। इस कानून के लागू होने के तीन वर्ष के अंदर सभी बस्तियों के नजदीक यानी 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 3 किमी के अंदर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। (कानून की धारा 6)
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत द्वारा पलायन पर आने वाले परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, ऐसे परिवारों की सूची बनाई जाएगी और इन परिवारों के बच्चों को शाला में दर्ज कराया जाएगा और बच्चों के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी।
- प्रवासी परिवार (ऐसे परिवार जो मजदूरी आदि के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं) के बच्चों के शाला प्रवेश को सुनिश्चित करना।
- विकलांग बच्चों (बालक-बालिकाओं) को भी अपने नजदीक की शाला में भर्ती किया जाएगा। इन बच्चों को शिक्षा और सीखने से संबंधित विशेष सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि शाला दूर है या विकलांग बच्चे को शाला तक आने में दिक्कत है तो ऐसे बच्चों (बालक-बालिकाओं) के शाला तक आने-जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। हर शाला में रैम्प (आने-जाने के लिए ढालू रास्ता) बनाया जाएगा ताकि विकलांग बच्चों को शाला के अंदर आने में असुविधा न हो।
- किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, बालिकाएं और विकलांग बच्चों के साथ किसी शाला में किसी तरह का भेदभाव न हो और न ही कोई ऐसी बात हो जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने से रोके।
- राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. परिवार, और विकलांग बच्चों के साथ-कक्षा में, मध्यान्ह भोजन के दौरान, खेल में, पीने के पानी और शौचालय के उपयोग में किसी तरह का भेदभाव न किया जाए और शौचालय या कक्षा की सफाई करने में भी किसी तरह का भेदभाव न किया जाए।
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, निजी शालाओं में और केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विशिष्ट श्रेणी के स्कूल जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय आदि में 25 प्रतिशत सीट स्कूल के नजदीक रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चों (बालक-बालिकाओं) के लिए आरक्षित की गई हैं। (कानून की धारा 12)

- जिन शालाओं में शाला पूर्व शिक्षा की व्यवस्था है, यानी जो शालाएं नर्सरी कक्षा से शुरू होती हैं, उन शालाओं की शुरूआती कक्षा में 25 प्रतिशत स्थान पर उपरोक्त के अनुसार ही आसपास के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
- बालक या बालिका को किसी शाला में प्रवेश देते समय कोई शुल्क जैसे दान, चंदा, व्यय आदि नहीं लिया जाएगा।
- शाला में प्रवेश देने हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या अनुबीक्षण प्रक्रिया नहीं की जाएगी। किसी बालक-बालिका, माता-पिता या संरक्षक का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- हर बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा चाहे उसके पास आयु का सबूत है या नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र न होने पर बच्चे को शाला में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। (कानून की धारा 14 {2})
- 6 से 14 वर्ष उम्र के किसी बच्चे (बालक-बालिका) को शाला में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के समय जुलाई में या इसके बाद कभी भी बच्चे को स्कूल में दाखिला/प्रवेश दिलाया जा सकता है। (कानून की धारा 15 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 (मध्यप्रदेश) का नियम 10)
- जिन बच्चों को शाला में प्रवेश दिया गया है उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा यानी फेल नहीं किया जाएगा और किसी कारणवश शाला से उनका नाम भी नहीं काटा जाएगा। (कानून की धारा 16)
- **बच्चों को दंड** – किसी बच्चे को किसी तरह का शारीरिक दण्ड जैसे (मार-पीट, मुर्गा बनाना, बेंच पर खड़ा करना आदि) और मानसिक उत्पीड़न (जैसे जाति, धर्म, सूचक शब्द, शारीरिक विकलांगता के शब्द का प्रयोग या किसी अन्य तरह से) नहीं किया जा सकता है। यदि किसी शिक्षक के द्वारा किसी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न किया जाता है तो ऐसे शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। (कानून की धारा 17)

शिक्षा अधिकार कानून में शाला प्रबंधन समिति की भूमिका

शाला प्रबंधन समिति

स्कूल शिक्षा को बेहतर करने में शिक्षक, समुदाय, और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है, ये लोग बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और आपस में एक दूसरे को सहयोग करें तो हर गांव/बस्ती का स्कूल बेहतर परिणाम दे सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूल में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित और सरकार से सहायता प्राप्त सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति गठन करने का प्रावधान है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 (1) एवं दिनांक 26 मई 2014 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 (मध्यप्रदेश) में नियम 12 में किए गए संशोधन के अनुसार, माह जुलाई 2015 में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक

शालाओं में हर शाला स्तर पर शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में शाला में दर्ज बच्चों के माता-पिता या संरक्षक, चुने हुए जनप्रतिनिधि और शिक्षक शामिल हैं।

शाला प्रबंधन समिति की सदस्यता

इसमें प्राथमिक शाला के लिए 18 सदस्य और माध्यमिक शाला के लिए 16 सदस्यों का चुनाव किया गया है। समिति में तीन चौथाई सदस्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माताधिता या अभिभावक में से चुने गए हैं। समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं। इस समिति में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष हैं जो समिति के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुने गए हैं। इसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से एक पद महिला के लिए है।

उपरोक्त सदस्यों के अलावा 2 मनोनीत सदस्य स्थानीय निकाय से पंच या पार्षद होते हैं इनमें एक महिला होना जरूरी है एवं 2 मनोनीत सदस्य स्कूल के शिक्षक होते हैं इनमें शाला के हेडमास्टर या वरिष्ठ शिक्षक या शिक्षिका इस समिति के सचिव होते हैं। इसके अलावा एक शिक्षकधिकारिका सदस्य होते हैं।

शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल

शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का है यानी हर दो वर्ष के बाद इस समिति का पुर्णगठन करने का प्रावधान है। इस वर्ष जुलाई 2015 में समिति का पुर्णगठन किया गया है, यह समिति 2017 तक कार्य करेगी।

शाला प्रबंधन समिति की बैठक

शाला प्रबंधन समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी, इस बैठक की कार्यवाही और निर्णयों को रजिस्टर में लिखा जाएगा। समिति द्वारा लिए गए निर्णय और मीटिंग के कार्यवाही जनता के लिए उपलब्ध होंगे।

यह समिति शाला की देखरेख और निगरानी (मानिटरिंग), प्रबंधन से संबंधित कार्य, वित्तीय प्रबंधन एवं शाला विकास योजना बनाने का काम करेगी।

शाला प्रबंधन समिति के काम और जिम्मेदारियां

भूमिका

- विद्यालय के कामकाज की देखरेख करना— यानी विद्यालय समय पर खुले, समय पर बंद हो, बच्चे नियमित स्कूल आएं, शाला में पढ़ाई हो और बच्चे अपने स्तर के अनुसार सीखें।
- विद्यालय के लिए विकास की योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना।
- सरकार से, शिक्षा विभाग से या अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान (आर्थिक सहयोग / वित्तीय संसाधन) एवं उसके उपयोग की देखरेख करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना जो विहित किए जाएं।

इन कामों के क्रियान्वयन के लिए समिति द्वारा अपने सदस्यों के बीच से छोटी-छोटी उप-समितियां भी बनाई जा सकेंगी।

कार्य और जिम्मेदारियां

- क. शाला के आसपास की सीमा में रह रहे जन समुदाय (लोगों) को अधिनियम में तय किए गए बच्चों के अधिकारों और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी यानी ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय, शाला, एवं माता-पिता और अभिभावक के कर्तव्य के बारे में आसान और रचनात्मक तरीके से जानकारी देना।
- ख. समिति निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करेगी कि –
- सभी शिक्षक नियमित और समय पर शाला में उपस्थित हों। (धारा 24 क)
 - माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें हो जिनमें कि हर बच्चे की शाला में उपस्थिति और नियमितता, उसके सीखने के स्तर, सीखने की प्रगति एवं अन्य बातों के बारे में माता-पिता और अभिभावकों को जानकारी दी जाए। (धारा 24 ड)
 - कोई शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्य न करे। (धारा 28)
- ग. यह समिति देखेगी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए। 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव और विभीषिका राहत कार्य के अलावा शिक्षक को अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। (धारा 27)
- घ. यह समिति सुनिश्चित करेगी कि शाला के आसपास क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे (बालक-बालिका) शाला में दर्ज किए गए हैं और वे रोज शाला आ रहे हैं।
- ड. अधिनियम में शाला हेतु तय किए गए मान और मानकों के रख-रखाव हेतु देख-रेख (मानीटरिंग) करना।
- च. बच्चों के अधिकारों की निगरानी रखना – बच्चों के अधिकारों का किसी तरह से हनन होने पर जैसे- मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, शाला में प्रवेश देने से इंकार करना, या धारा 3 (2) में बताए अनुसार छात्र से किसी तरह का फीस, शुल्क, व्यय या प्रभार मांगे जाने पर यह समिति इस विषय में स्थानीय प्राधिकारी यानी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम को इस बारे में जानकारी देगी।
- छ. 6 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को विशेष प्रशिक्षण, आवासीय या गैर आवासीय ब्रिज कोर्स में प्रवेश दिए जाने पर यह समिति उनकी जरूरतों को पहचानेगी, उसके अनुसार कार्ययोजना तैयार करेगी और क्रियान्वयन की देखरेख (मॉनीटरिंग) करेगी। (धारा 4)
- ज. यह समिति दिव्यांग बालक-बालिकाओं की पहचान कर उनका शाला में नामांकन कराएगी। दिव्यांग बच्चों को उनकी शिक्षा हेतु प्राप्त होने वाली सुविधाओं को मानीटर करेगी और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी।

- झ. यह समिति शाला में चलाए जा रहे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की देखरेख (मानीटरिंग) करेगी।
- ज. यह समिति शाला को प्राप्त हुए धन एवं उसके व्यय का वार्षिक लेखा—जोखा तैयार करेगी।
- ट. समिति द्वारा प्राप्त धन समिति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यह खाता समिति के अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त नाम से खोला जाएगा। जब भी जरूरत हो इस खाते को आडिट के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

शाला विकास योजना

हर स्कूल को व्यवस्था और संचालन के लिए मानवीय, आर्थिक और वित्तीय संसाधन मिलते हैं। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, शाला के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को अधिनियम में तय मान और मानकों के अनुसार पूरा करने के लिए शाला प्रबंधन समिति द्वारा शाला विकास योजना तैयार की जाएगी। यह योजना तीन साल के लिए तैयार की जाएगी। पहले तीन वार्षिक उप-योजनाएं तैयार की जाएंगी, फिर इन तीनों वार्षिक उप-योजनाओं को मिलाकर शाला विकास योजना बनाई जाएगी।

इसके अंतर्गत किसी भी शाला में दर्ज बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की आवश्यकता और अतिरिक्त शिक्षकों की मांग, भौतिक अधोसंरचना जैसे अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, हर कक्षा के लिए सहायक शिक्षण सामग्री, खेल के सामान, एवं शाला की जरूरत के हिसाब से बजट का अनुमान भी शाला विकास योजना में किया जाएगा यह योजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी।

शाला के मान और मानक

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई अनुसूची के अनुसार शाला के लिए निम्नलिखित मान और मानक तय किए गए हैं।

1. छात्र एवं शिक्षक अनुपात:

पहली से पांचवीं कक्षा के लिए

बालक / बालिकाओं की संख्या	शिक्षकों की संख्या
60 बालक / बालिकाओं तक	2 शिक्षक
61 से 90 बालक / बालिकाओं हेतु	3 शिक्षक
91 से 120 बालक / बालिकाओं हेतु	4 शिक्षक
121 से 200 बालक / बालिकाओं हेतु	5 शिक्षक
200 बालक / बालिकाओं से ऊपर	5 शिक्षक एवं 1 प्रधानाध्यापक
200 बालक / बालिकाओं से अधिक बच्चे होने पर छात्र-शिक्षक अनुपात -40:1 होगा यानी 40 बच्चों पर एक शिक्षक से अधिक नहीं होगा।	

छठी से आठवीं कक्षा के लिए

विवरण	शिक्षक संख्या
हर कक्षा के लिए निम्नलिखित विषयों के लिए शिक्षक होना चाहिए।	
विज्ञान एवं गणित के लिए	एक शिक्षक
सामाजिक अध्ययन के लिए	एक शिक्षक
भाषा के लिए	एक शिक्षक
जिस शाला में 100 से अधिक बच्चे दर्ज हैं।	1 पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होना जरूरी है।
छात्र शिक्षक अनुपात	35:1 यानी 35 बच्चों पर 1 शिक्षक से अधिक नहीं

इसके अलावा कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा विषयों के लिए अंशकालिक शिक्षक भी नियुक्त किए जा सकते हैं।

शिक्षा अधिकार कानून के लागू होने से 6 महीने के अंदर सभी स्कूलों में उपरोक्त सूची के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण किया जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के लिए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित (अटैचमेंट) नहीं किया जाएगा।

2. शाला भवन के लिए तय मानक

- शाला में हर शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष होना जरूरी है एवं प्रधानाध्यापक के लिए एक कक्ष होना चाहिए यही कक्ष कार्यालय होगा एवं स्टोर रूम (भण्डार गृह) के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पहुंचने में दिक्कत न हो यानी सभी बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच सकें।
- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग—अलग शौचालय की व्यवस्था हो।
- बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी उपलब्ध हो।
- विद्यालय में रसोई घर हो, जहां बच्चों के लिए दोपहर का भोजन पकाया जा सके।
- खेल का मैदान हो जहां बच्चे खेल सकें। हर शाला को कक्षा के अनुसार खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- शाला भवन की सुरक्षा के लिए चारों ओर तार फेंसिंग या चार दीवारी हो।
- हर शाला में एक पुस्तकालय होना जरूरी है। इस पुस्तकालय में अखबार/समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सभी विषयों की किताबें और कहानी की किताबें भी उपलब्ध रहेंगी।

3. कार्य दिवस

शाला के लिए कार्य दिवस एवं कार्य के घंटे निम्नानुसार तय किए गए हैं—

- पहली से पांचवीं तक कक्षा के लिए वर्ष में 200 कार्य दिवस तय किए गए हैं यानी 200 दिन शाला में पढ़ाई की जाएगी, इस प्रकार वर्ष में कम से कम 800 घंटे शाला में पढ़ाई होगी।

- छठीं से आठवीं तक की कक्षा के लिए वर्ष में 220 कार्य दिवस तय किए गए हैं। यानी 220 दिन शाला में पढ़ाई होगी, इस प्रकार वर्ष में कम से कम 1000 घंटे पढ़ाई की जाएगी।

4. शिक्षकों के काम के घंटे और शैक्षणिक समय

शिक्षक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे पढ़ाई का कार्य करेंगे। इसमें पढ़ाने हेतु तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। यानी कम से कम साढ़े सात घंटे प्रतिदिन शिक्षक शाला में रहेंगे और शैक्षणिक कार्य या तैयारी करेंगे।

5. अध्यापन शिक्षण उपकरण

अध्यापन शिक्षण उपकरण (सामग्री) जरूरत के अनुसार हर कक्षा को शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

6. पुस्तकालय

हर विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, इस पुस्तकालय में अखबार/समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सभी विषयों की किताबें और कहानी की किताबें भी उपलब्ध होंगी।

7. खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपकरण

खेल-कूद के समान हर कक्षा को जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।

नोट : उपरोक्त मानक सभी शासकीय और निजी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं पर लागू होते हैं।

शाला के मान और मानक

स्कूल का नाम :

गांव / बस्ती

ब्लाक:

जिला :

दिनांक :

आयाम	मनक	आंकलन का तरीका	स्तर हरा, पीला, लाल	बदलाव / सुधार के लिए प्लान क्या, कब, कौन, कैसे
Infrastructure 1. (अधो संरचना) संसाधन	<ul style="list-style-type: none"> ● कमरे पर्याप्त हैं या नहीं (हर शिक्षक के लिए एक कक्षा) ● जगह-कमरों में पर्याप्त जगह है। ● विद्यालय सुरक्षित और आसान पहुंच में है। ● चार दीवारी / तार फेंसिंग है। ● लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की उपलब्धता और उपयोग की स्थिति, ● सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी ● खेल का मैटान 	<ul style="list-style-type: none"> ● स्कूल जाकर देखना ● कक्षा अवलोकन ● जाकर देखना / बच्चों से चर्चा करना ● स्कूल जाकर देखना ● स्कूल जाकर देखना ● जाकर देखना एवं शिक्षक एवं बच्चों से चर्चा करना जाकर देखना 		

2. शिक्षक	<ul style="list-style-type: none"> ● छात्र एवं शिक्षक अनुपात ● समय पर आना एवं जाना (साढे सात घंटे स्कूल में रहना) ● शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन पढ़ाई कराना 	<ul style="list-style-type: none"> ● जाकर देखना एवं जानकारी लेना 		
3. विद्यार्थी	<ul style="list-style-type: none"> ● दर्ज संख्या ● बच्चों की नियमित उपस्थिति ● सीखने का स्तर (गुणवत्ता) 	<ul style="list-style-type: none"> ● स्कूल रजिस्टर से जानकारी लेना। ● अवलोकन एवं शिक्षक से पता करना / बच्चों से पूछना ● बच्चों से प्रश्न पूछना / किताब पढ़ाना इत्यादि 		
4. पढ़ाई का वातावरण (तरीका)	<ul style="list-style-type: none"> ● शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और उपयोग हर कक्षा अनुसार ● पढ़ाने और सिखाने के तरीके ● पुस्तकालय की उपलब्धता और उपयोग 	<ul style="list-style-type: none"> ● अवलोकन / जानकारी लेना ● अवलोकन / जानकारी लेना 		

5. एसएमसी और समुदाय	<ul style="list-style-type: none"> ● एसएमसी की हर महीने मीटिंग ● निर्णय में भागीदारी ● लिए गये निर्णयों पर काम ● समुदाय, पंच / सरपंच / पार्षद का स्कूल से जुड़ाव ● 	<ul style="list-style-type: none"> ● एसएमसी सदस्यों से जानकारी लेना ● मीटिंग एवं मीटिंग रजिस्टर का अवलोकन / जानकारी लेना 		
6. समावेशी वातावरण	<ul style="list-style-type: none"> ● भेदभाव रहित (जाति / धर्म / जेंडर / भिन्न क्षमता वाले) ● मानसिक एवं शारीरिक दंड ● खेलकूद एवं खेल सामग्री ● सांस्कृतिक गतिविधियां जानकारी लेना / अवलोकन 	<ul style="list-style-type: none"> ● जानकारी लेना / अवलोकन ● जानकारी लेना / अवलोकन ● जानकारी लेना / अवलोकन 		
	●	●		

आंकलनकर्ता टीम के नाम :

प्रायोगिक कार्य में क्या करना है ?

प्रायोगिक मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें
शिक्षा के अधिकार के कानून की स्थिति और समुदाय से संवाद	शिक्षा के अधिकार के कानून के क्रियान्वयन की स्थिति का आंकलन/अध्ययन करना और समुदाय से इस पर संघन चर्चा करना। हमें यह जानना होगा कि गांव/बस्ती/स्थानीय समुदाय में शिक्षा के अधिकार (जिन बिंदुओं का उल्लेख ऊपर के अध्यायों में हुआ है) के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है ? शाला, शिक्षक, शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी सुविधाओं आदि के बारे में समुदाय क्या सोचता है और क्या वह सामुदायिक पहल के लिए तैयार है ?
शाला प्रबंधन समिति	सहज तरीकों से यह जानना कि क्या शाला प्रबंधन समिति बनी हुई है ? यदि बनी हुई है तो उसमें कौन—कौन सदस्य हैं ? क्या सदस्यों को समिति के बारे में और समिति की भूमिका के बारे में जानकारी है ?
गांव/बस्ती स्तर पर शाला एवं शिक्षा व्यवस्था में समुदाय की सहभागिता को समझना। शाला प्रबंधन समिति की सक्रियता को समझना। क्या समिति के सदस्य, नियमित मीटिंगों में आते हैं, वहां चर्चा में अपनी बात रखते हैं, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं, या सिर्फ दस्तखत करके आते हैं।	निम्नलिखित बिंदुओं को अवलोकन एवं चर्चा के द्वारा समझने का प्रयास करें – <ul style="list-style-type: none"> ● सदस्यों को मीटिंग की सूचना कैसे और कब प्राप्त होती है ? ● बैठक में देखना कि कौन—कौन सदस्य आते हैं और कौन—नहीं आते हैं ? ● जो सदस्य आते हैं क्या वे चर्चा में और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं ? ● जो सदस्य मीटिंग में नहीं आते हैं, उनके मीटिंग में न आने के क्या कारण हैं ? ● क्या शाला प्रबंधन समिति के सदस्य मीटिंग के अलावा भी कभी—कभी स्कूल आते हैं ? वे कब—कब स्कूल आते हैं ? स्कूल में आकर वे क्या करते हैं? ● क्या समुदाय के सदस्य स्कूल आते हैं, यदि हां तो क्यों आते हैं, क्या बुलाने पर आते हैं या अपनी मर्जी से आते हैं, समुदाय के सदस्य स्कूल को क्या सहयोग करते हैं ? ● क्या समुदाय के सदस्यों द्वारा स्कूल/शिक्षा के मुद्दों को ग्रामसभा में ले जाया गया है, या ग्रामसभा में स्कूल/शिक्षा के मुद्दों पर बात की गई है?

<p>स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत के सदस्यों की भूमिका और भागीदारी :</p> <p>स्कूल और शिक्षा के मुद्दों पर स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत और ग्रामसभा की मीटिंग में बात होना।</p>	<p>निम्नलिखित बिंदुओं को अवलोकन एवं चर्चा के द्वारा समझने का प्रयास करें।</p> <p>क्या स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि पंच/पार्षद, शाला प्रबंधन समिति की मीटिंग में आते हैं –</p> <ul style="list-style-type: none"> ● वे स्कूल के कार्यों और जरूरतों में क्या सहयोग करते हैं। ● स्कूल की जरूरत/मुद्दों को क्या वे अपने निकाय/ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की मीटिंग में रखते हैं,
<p>बच्चों के शिक्षा के अधिकार की स्थिति</p>	<p>गांव/बस्ती में 6 से 14 साल के कुल कितने बच्चे हैं ?</p> <p>क्या ये सभी बच्चे शाला में दर्ज हैं और नियमित स्कूल जा रहे हैं ?</p> <p>क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नियमित स्कूल नहीं जा पाते हैं ? स्कूल न जाने वाले या अनियमित जाने वाले कुल कितने बच्चे हैं ? इन बच्चों के नियमित /स्कूल न जाने के क्या कारण हैं ?</p> <p>बच्चों की हकदारियां</p> <p>क्या सभी बच्चों को स्कूल से उनकी हकदारियां जैसे पुस्तकें, गणवेश, साइकिल, स्कालरशिप, आदि समय पर प्राप्त होती हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।</p>
	<p>बच्चों के अधिकार :</p> <p>स्कूल में किसी बच्चे बालक–बालिका, के साथ जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता या किसी अन्य आधार पर– कक्षा में, खेल के मैदान में, मध्यान्ह भोजन में, पानी पीने के दौरान, सफाई में या किसी अन्य गतिविधि में किसी तरह का भेद–भाव तो नहीं किया जाता है। किन–किन बातों में किस–किस तरह का भेदभाव किया जाता है ?</p> <p>बच्चे अपने कक्षा स्तर के अनुसार सीख रहे हैं या नहीं, क्या समुदाय, पंचायत, या समिति द्वारा इसका आंकलन किया जाता है ? यदि नहीं तो क्या व्यवस्था है ?</p>
<p>शाला प्रबंधन समिति को सक्रिय करना स्कूल से प्राप्त की गई समिति</p>	<p>एसएमसी सदस्यों की मीटिंग हेतु सदस्यों को स्कूल के बाहर किसी स्थान पर या स्कूल में उनके समय और सुविधा के अनुसार इकट्ठा करना।</p>

सदस्यों की सूची के आधार पर सदस्यों से संपर्क करना।

सदस्यों के साथ चर्चा :

गांव/बस्ती के –बच्चों की शिक्षा की स्थिति के बारे में बात करना। कितने बच्चे नियमित स्कूल जाते हैं, वे क्या सीख रहे हैं कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? क्या दिक्कतें हैं?

स्कूल के बारे में बात करना। क्या अच्छा है? क्या दिक्कतें और चुनौतियां हैं, स्कूल को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है।

इसी तरह अगली मीटिंग में शाला प्रबंधन समिति के काम जिम्मेदारियां और अधिकारों के बारे में बात करना।

इस तरह की मीटिंग का उद्देश्या लोगों को और समिति के सदस्यों को स्कूल में नियमित मासिक मीटिंग में आने हेतु प्रेरित करना है। ताकि अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर शाला प्रबंधन समिति के सदस्य स्कूल में आयोजित होने वाली मासिक मीटिंग में सक्रिय भागीदारी कर सकें।

प्रायोगिक/मैदानी काम की रिपोर्ट

अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हक आधारित कानून है। और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए शालाओं में गठित शाला प्रबंधन समिति की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने गांव, पंचायत और समुदाय में इसे सही रूप में लागू करवाएं। इन्हीं बातों के आधार पर आप अपने प्रायोगिक/मैदानी काम पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।

स्कूल चलें हम अभियान और शाला प्रबंधन समिति

भारत का संविधान हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है। इसी सोच के तहत हमारे यहां शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 लागू है। इसका मकसद है 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाना। हम देखते हैं कि कई समस्याओं, बाधाओं और स्थितियों के चलते शिक्षा का अधिकार कानून होने के बाद भी कई बच्चे स्कूल और शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं यानी शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं।

सभी बच्चे स्कूल में हों और उन्हें अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए मध्यप्रदेश में हर साल शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले से ही एक पहल, एक अभियान शुरू चलाया जाता है, जिसे “स्कूल चले हम अभियान” कहते हैं। इस अभियान का नेतृत्व आमतौर पर सरकार और शिक्षा प्रशासन करते रहे हैं, किन्तु सामुदायिक नेतृत्व की सोच के तहत हमारी भूमिका है कि हम यह सुनिश्चित करें कि स्कूल चलें हम अभियान का नेतृत्व समुदाय करे। जिस वक्त हम ऐसा कर पाएंगे हर बच्चा स्कूल में न केवल दर्ज होगा, बल्कि वह निरंतर उपस्थिति दर्ज करवाएगा, स्कूल का संचालन व्यवस्थित होगा, शिक्षकों का समुदाय से सामंजस्य स्थापित होगा और व्यवस्था उन कारणों को अच्छे से महसूस कर पाएगी कि आखिर बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हो जाते हैं ?

हम सबके अनुभवों से यह साबित हो चुका है कि केवल समस्या उठाने और शिकायत का आवेदन पत्र लिखने या शिकायतों की जांच होते रहने से बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल पाएगा, इसमें कई शंकाएं हैं। वास्तव में अब समुदाय को ऐसी पहल करना है, जिससे शिक्षा प्रशासन उन मूल कारणों को समझ पाएं, जिनसे समस्याएं पैदा होती हैं और जड़ें जमाती हैं। अब तो शिक्षा पर बड़ी नीतियां हैं, कई आयोगों ने समझा दिया है कि कैसे समान शिक्षा व्यवस्था स्थापित होगी ?

संविधान में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दर्ज है यानी सरकारें बाध्य हैं कि वे हर एक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ें और हर समस्या को दूर करें। संवैधानिक प्रावधान और कानून के प्रावधान लागू हों, इसके लिए हम समुदाय से बाहर की व्यवस्था पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। हमें यह मानना कि सरकार ही सबकुछ नियंत्रित करेगी, एक सही सोच नहीं है। ग्रामसभा, पंचायत और समुदाय की भूमिका अब सबसे अहम है। यह सही है कि मौजूदा व्यवस्था इन सबकी भूमिका को खुलकर स्वीकार नहीं करती है; किन्तु संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का उपयोग करके हमें सुनिश्चित करना है कि शिक्षा के अधिकार के मामले में समुदाय मुख्य भूमिका ले। इसे दो तरह से लागू किया जा सकता है— स्कूल चलें हम अभियान का सामुदायिक संचालन करके और शाला प्रबंधन समिति को सशक्त करके।

शाला प्रबंधन समिति शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सहभागिता और सामुदायिक निगरानी के लिए बनी हुई व्यवस्था है। जबकि स्कूल चलो अभियान को एक सामुदायिक पहल माना जाना चाहिए, जिसमें समाज के हर तबके और हर सदस्य के जुड़ाव की बात शामिल है। स्कूल चलो अभियान उस अनुभव के आधार पर शुरू हुई पहल है, जिसमें यह सीख निकली कि आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक, भौगोलिक

और व्यवस्थागत कारणों से बच्चे स्कूल से भार हैं और उनका शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाता है। कानून बन जाने के बाद भी बच्चे स्कूल में दर्ज नहीं नहीं हैं, दर्ज हैं तो अनुपस्थित रहते हैं ! इसके कई कारण हैं, जिन्हें बदलने की जरूरत है। शिक्षा का अधिकार कानून संविधान के सबको शिक्षा के अधिकार के लक्ष्य को हासिल कर सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की अवधारणा लागू की गई।

शाला प्रबंधन समिति और सामुदायिक नेतृत्व

स्कूल चलें हम अभियान और सामुदायिक नेतृत्व

स्कूल चलें हम अभियान शिक्षा सत्र के शुरू होने के पहले चलाया जाता है। इसके कुछ बहुत अहम मकसद हैं –

उद्देश्य

उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है?

बस्ती, गांव, वार्ड
समेत हर बसाहट में
रहने वाले 6 से 14
साल की उम्र के
बच्चे को स्कूल में
प्रवेश दिलवाना।

इसके लिए दो स्तरों पर काम करना होगा –

1. हर आंगनवाड़ी केंद्र के पास 6 साल तक के बच्चों की जानकारी होती है। उस जानकारी को लेकर हर बच्चे के परिवार से संपर्क करके यह जानना कि बच्चे का नाम स्कूल में दर्ज करवाया गया है या नहीं, यदि नहीं करवाया तो क्यों ? हमें उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करना होगी। संक्षेप में आंगनवाड़ी केन्द्रों से सम्पर्क कर 6 से 14 आयु समूह के समस्त बच्चों को कक्षा—एक में प्रवेश दिलाना।
2. अब भी कुछ बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज नहीं हैं या कुछ बसाहटें ऐसी हैं, जहां आंगनवाड़ी केंद्र नहीं हैं, वहां हमें पूरी बसाहट का घर—घर जाकर अध्ययन करना होगा ताकि हमें इस आयु वर्ग के हर एक बच्चे की जानकारी मिल सके और हम उन्हें स्कूल—शिक्षा से जोड़ सकें।

शत प्रतिशत बच्चों
का नामांकन

पहले चरण में आंगनवाड़ी के रिकार्ड और घर—घर सर्वेक्षण करके हमें बसाहट/गांव/वार्ड के हर बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेना है। उस जानकारी के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर बच्चे का स्कूल में नामांकन हो जाए। नामांकन होने पर स्कूल प्रशासन—पंचायत—ग्रामसभा—समुदाय की संयुक्त जिम्मेदारी हो जाती है कि कोई भी बच्चा शिक्षा के संवैधानिक मौलिक अधिकार से बंचित न रहे। इसके लिए हम ग्राम/वार्ड शिक्षा पंजी के लिए इकट्ठा की जा रही जानकारी से भी जुड़ सकते हैं।

हर बच्चे की स्कूल
में नियमित
उपस्थिति सुनिश्चित
करवाना।

विशेष रूप से यह देखिएगा कि लड़कियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हो और उनका प्राथमिकता के साथ नामांकन हो।

नामांकन तो हो गया, यानी स्कूल के रिकार्ड में हर बच्चे का नाम दर्ज करवाना है। हमें यही अपनी भूमिका को खत्म नहीं समझ लेना है। वास्तव में इसके बाद कुछ बड़ी चुनौतियां सामने आती हैं। नाम दर्ज हो जाने के बाद भी कई जगहों पर आधे बच्चे स्कूल ही नहीं आते हैं। हमें स्कूल के साथ नियमित संपर्क रखना है ताकि यह पता चलता रहे कि कौन से बच्चे स्कूल से अनुपस्थित हैं और क्यों?

हर अनुपस्थिति बच्चे की जानकारी इकट्ठा करना है।

हर बच्चे से और उनके परिजनों से संपर्क करके जानना होगा कि वह स्कूल से अनुपस्थित क्यों है? उनकी समस्या क्या है?

हो सकता है कि ये कारण हों –

बच्चे को शिक्षा में रुचि न बन पा रही है क्योंकि उसे किताब समझ न आ रहे हों –

हो सकता है कि भाषा की दिक्कत हों –

1. हो सकता है कि उन्हें पूरी शिक्षा ही अपने परिवेश से बिलकुल अलग लगती हो और वे किताबों की बातों से बिलकुल न जुड़ पाते हों। ऐसे बच्चे जो, प्रकृति पर निर्भर समुदायों से आते हैं, उनके लिए यह शिक्षा बहुत कठिन होती है। हमारा शिक्षा प्रशासन उनकी बात को महसूस ही कर पाता है और कई बार इसी आधार पर उन्हें “पिछड़ा” करार दिया जाता है।
2. जातिगत या लैंगिक भेदभाव भी कारण हो सकता है।
3. स्कूल में शारीरिक या भावनात्मक दंड/सजा का डर हो।
4. आर्थिक सुरक्षा नहीं होने के कारण परिवार को पलायन पर जाना पड़ता हो।
5. बच्चे को भी ऐसा काम करना पड़ता हो, जिससे उसके पास स्कूल जाने का समय ही न बचता हो।
6. हो सकता है कि परिवार ने कर्ज ले रखा हो, जिसे चुकाने के लिए बच्चे को भी काम करना पड़ता हो।
7. स्कूल दूर हो या स्कूल तक पहुंचने में नदी, सड़क आदि की समस्या हो।
8. परिवार को लगता हो कि बच्चा पढ़कर क्या करेगा? मजदूरी ही तो करना है।

9. बाल विवाह हो रहा हो या हुआ हो।
10. भेदभाव के कारण
11. संभव है कि स्कूल जाने योग्य बच्चे परिवार में छोटे बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी निभा रहे होंगे। ज्यादातर लड़कियों को ऐसी भूमिका दे दी जाती है, जिससे वे शिक्षा से बाहर हो जाती हैं।
12. बच्चे को कोई गंभीर या स्थायी बीमारी ही।
13. विकलांगता भी एक बड़ी बाधा होती है।
14. कोई अन्य कारण।

हर बच्चे को पूरी स्कूली शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था करनाय यानी बच्चों की शिक्षा केवल कक्षा 8 तक ही न हो, बल्कि उन्हें कक्षा 12 तक की पूरी शिक्षा दिलवाना।

शाला त्यागी बच्चों को पुनः शाला में लाना

स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता

1. कक्षा-5वीं उत्तीर्ण होने वाले समस्त बच्चों को माध्यमिक शाला में कक्षा-6वीं में प्रवेश दिलाना।
2. कक्षा-8वीं उत्तीर्ण होने वाले समस्त बच्चों को माध्यमिक शाला में कक्षा-9वीं में प्रवेश दिलाना।
3. इन दोनों ही सन्दर्भों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और लड़कियों के ऊँची कक्षा में प्रवेश पर खास ध्यान देना होगा।
4. हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे बीच में स्कूल न छोड़ें।

जब हम सघन रूप से गांव में परिवारों और बच्चों से संपर्क करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कई बच्चों के नाम स्कूल में दर्ज हुए हैं और वे कुछ दिन स्कूल भी गए किन्तु फिर कुछ कारणों से उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया।

हम उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। यह ध्यान रखिएगा कि हर बच्चे के स्कूल छोड़ देने के कारण अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए हमें हर बच्चे से बात करके उन कारणों को जानना होगा, जिनके चलते उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया।

शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी स्कूल चलो अभियान का एक महत्वपूर्ण भाग है।

शिक्षा की गुणवत्ता – स्कूल में पर्याप्त शिक्षक हों, स्कूल नियमित रूप से लगे, हर शिक्षक प्रशिक्षित हो, स्कूल में पढ़ाई के लिए बोर्ड हो, पुस्तकालय, बैठने की साफ और अच्छी व्यवस्था, गतिविधि आधारित पढ़ाई की व्यवस्था हो, यह सब सुनिश्चित किया जाना है। साथ ही जरूरी है कि हर बच्चे को उसकी पुस्तकों सही समय पर मिल जाएं।

<p>बच्चों के स्वास्थ्य, स्वस्थ बुअङ्कार और स्वच्छता के लिए हाथ धुलाई पर विशेष ध्यान</p>	<p>हम पाएंगे कि शिक्षकों को बच्चों को पढाने के अलावा भी कई दूसरे सरकारी काम करने पड़ रहे हैं, सामुदायिक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमें ऐसी चुनौतियों को जानना—समझना और दूर करना है; ताकि शिक्षकों की स्कूल में नियमित उपस्थिति बने। वास्तव में शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण भी बच्चे स्कूल से दूर हो जाते हैं।</p> <p>अच्छी शिक्षा से स्वस्थ व्यवहार और स्वस्थ व्यवहार से अच्छी शिक्षा का दो तरफा आपसी जुड़ाव है। मध्यप्रदेश में बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमण के शिकार होते हैं और उन्हें अतिसार, निमोनिया, पेट के संक्रमण आदि का सामना करना पड़ता है। इससे वे कमजोर भी पड़ते हैं और शिक्षा में बाधा उत्पन्न तो होती ही है। स्वाभाविक है कि इलाज पर आर्थिक व्यय भी होता है। ऐसे में बच्चों की स्वास्थ्य जांच, उनकी आँखों की जांच, अच्छे स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वस्थ व्यवहार, हाथ धुलाई के महत्व पर समुदाय और बच्चों के समूह में लगातार बात की जाना चाहिए।</p> <p>बेहतर होगा कि हर 15 दिन या एक महीने में स्कूलों के साथ साथ गांव में सामूहिक चर्चा आयोजित करके स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं और स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रख कर चर्चाएं की जाएं।</p>
--	--

7. स्कूल चलें हम अभियान की रूपरेखा

1. स्कूल चलें हम अभियान चार चरणों में संचालित होना है।
2. पहले चरण में ग्राम/वार्ड शिक्षा पंजी (विलेज एजुकेशन रजिस्टर), समग्र शिक्षा पोर्टल और डाइस के तहत जानकारी दर्ज करके उन्हें एकीकृत किया जाएगा।
3. हमारी भूमिका है कि हम ग्राम/वार्ड शिक्षा पंजी में जानकारी दर्ज किये जाने की प्रक्रिया से जुड़े।
4. गांव/वार्ड में हर बच्चे की जानकारी इकट्ठा करने के लिए समग्र शिक्षा पोर्टल पर ग्राम और वार्ड शिक्षा पंजी का प्रपत्र रखा गया है। इस प्रपत्र में परिवार और परिवार के सदस्यों की जानकारी पहले से अंकित है क्योंकि प्रदेश के सभी लोगों को समग्र पहचान क्रमांक देने के लिए वेबसाइट पर डाटा इकट्ठा किया जा चुका है।
5. पहले चरण में समग्र पोर्टल पर दर्ज जानकारियों का सत्यापन होगा और उसमें नयी जानकारी जोड़ी-घटाई जाएगी।
6. जानकारी इकट्ठा करने के लिए गांव/वार्ड का सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण समूह में होंगे –
 - गांव/वार्ड के स्कूल में प्रधान पाठ/प्रधान अध्यापक/हाई स्कूल—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक – दल प्रभारी
 - गांव/वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता—सदस्य
 - स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता—सदस्य
 - स्कूल चलें हम/साक्षर अभियान में पंजीकृत प्रेरक—सदस्य

- ग्राम पंचायत सचिव/नगरीय निकाय द्वारा नामांकित अधिकार— सदस्य
7. सर्वेक्षण दल हर परिवार से संपर्क करके जानकारी इकट्ठा करेगा/जानकारी का सत्यापन और नवीनीकरण करेगा। इसमें 0 से 18 वर्ष की उम्र के किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ा या हटाया जा सकेगा।
8. 5 साल से कम उम्र के बच्चे की जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा विशेष रूप से ली जाएगी।
9. गांव/वार्ड की जानकारी इकट्ठा करके समग्र शिक्षा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
10. यह काम पूरा करने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक की होगी।
11. स्कूल चलो अभियान के तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के सर्वेक्षण और उनके नामांकन करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

शिक्षा के अधिकार के लिए योजनाएं – साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति और छात्रावास

अक्सर घर से स्कूल की दूरी के कारण बच्चे, खास तौर पर लड़कियों को शिक्षा बीच में ही छोड़ देना पड़ती है। इस बाधा को दूर करने के लिए बच्चों को साइकिल दी जाती है। इसी तरह से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे को गणवेश यानी यूनीफार्म भी उपलब्ध करवाई जाती है ताकि उनके ऊपर आर्थिक बोझ न पड़े। साइकिल और गणवेश के लिए बच्चों के खाते में नकद राशि जमा कराई जाती है। इसी तरह से आर्थिक समस्याएं शिक्षा के अधिकार के मार्ग में बाधा न बनें, इसके लिए बच्चों के लिए छात्रावास और छात्रवृत्ति के प्रावधान हैं। इन योजनाओं का संचालन मुख्य रूप से आदिवासी विकास विभाग करता है।

1. निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना

नवमी कक्षा में पहुंचने वाले ऐसे लड़के/लड़कियों को निःशुल्क साइकिल दी जाती है, जिनके गांव में हाई स्कूल नहीं है। यह योजना सभी वर्गों के बच्चों के लिए है।

जिम्मेदारी – सरकारी हाई स्कूल के प्राचार्य।

2. विकलांग बच्चों की समावेशित शिक्षा सेकेंडरी स्तर पर

विकलांग बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक सामान्य विद्यालयों में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। इसमें उनकी जरूरतों के मुताबिक पुस्तकें, भत्ता, उपकरण, गणवेश, बाधा मुक्त विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

जिम्मेदारी – जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य या सम्बंधित विद्यालय के प्राचार्य।

3. छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं

सुदामा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना – 54 हजार रुपए से कम आय वाले परिवार के गरीब वर्ग के बच्चों (नवमी और दसवीं में अध्ययनरत) को (छात्र को 300 रुपए और छात्र को 400 रुपए प्रतिवर्ष) छात्रवृत्ति दी जाती है।

जिम्मेदारी – जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य या सम्बंधित विद्यालय के प्राचार्य।

स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्र वृत्ति – 54 हजार रुपए से कम आय वाले परिवार के गरीब वर्ग के बच्चों (दसवीं में प्रथम श्रेणी पाकर ग्यारहवीं में जाने वाले और ग्यारहवीं में प्रथम श्रेणी पाकर बारहवीं में जाने वाले) को (छात्र को 500 रुपए और छात्र को 550 रुपए प्रतिवर्ष) छात्रवृत्ति दी जाती है।

जिम्मेदारी – जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य या सम्बंधित विद्यालय के प्राचार्य।

सुदामा शिष्य वृत्ति योजना – सरकारी उत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रावास में रहने वाले सामान्य निर्धन वर्ग के (54 हजार रुपए से कम आय वाले परिवार) बच्चों (छात्र को 500 रुपए और छात्रा को 525 : रुपए प्रतिमाह 10 माह के लिए) छात्रवृत्ति।

जिम्मेदारी – जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य या सम्बंधित विद्यालय के प्राचार्य।

4. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और गणवेश योजना

कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और हर साल दो स्कूल ड्रेस के लिए 500 रुपए दिए का प्रावधान है।

जिम्मेदारी – जिला परियोजना समन्वयक / विकासखंड स्रोत समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान।

5. गांव की बेटी योजना

हर गांव से बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए किसी उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम, तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा में छात्रा ने प्रवेश किया हो, उन्हें 5 हजार रुपए सालाना की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

जिम्मेदारी – सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य

6. अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रावास और आश्रम शालाएं

इनका मकसद है आवासीय और शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाना। इसमें प्री-मैट्रिक छात्रावास, आश्रम शालाएं, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास शामिल हैं।

इन आश्रमों/छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को शिष्यवृत्ति दी जाती है।

जिम्मेदारी – जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण

7. बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ अभियान

मध्यप्रदेश शासन द्वारा बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ योजना शासन सरकार की मंशा अनुसार राज्य के चार जिलों क्रमशः ग्वालियर दतिया, मुरैना एवं भिण्ड में संचालित की जा रही है। बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ योजना बालिकाओं की देखरेख, सुरक्षा, शिक्षा तथा लिंगानुपात में सुधार हेतु 22 जनवरी 2015 में आरंभ की गई। इस संबंध में म.प्र, शासन पूर्व से ही बालिकाओं के लिए अनेक अनूठी योजनाओं का संचालन

कर रहा है, जो भारत सरकार की बेटी बचाओ—बेटी पढ़ाओ योजना को सृदृढ़ करती है।

हमारी भूमिका

स्कूल चलें हम अभियान के तहत सामुदायिक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारी भूमिका है कि गांवधबस्ती के हर व्यक्ति, हर परिवार और हर जनप्रतिनिधि को शिक्षा के अधिकार से सम्बंधित इन योजनाओं – गणवेश, साइकिल, छात्रवृत्ति, छात्रावास के बारे बताए और इन पर गहरी चर्चा करें। हम सबको पता है कि शिक्षा के अधिकार को हासिल करने में कुछ बाधाएं हैं, ये प्रावधान और योजनाएं मार्ग में आने वाली बाधाओं को एक हद तक कम करने में मदद कर सकती हैं।

- हम यह पता करें कि कौन से बच्चे इन योजनाओं के पात्र हैं और उन्हें योजना का लाभ दिलाने में मदद करें।
- हर बच्चे का समग्र पोर्टल पर पंजीयन हो, यह सुनिश्चित करना होगा।
- आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का समुदाय के साथ भ्रमण करना और उनके बारे में जानना।
- स्कूल और छात्रावासों की सुविधाओं/व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में मदद करना।

8. सामुदायिक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारी भूमिका

मुख्य बिंदु

कैसे करें?

पूर्वाग्रही न हों	हम पूर्वाग्रहों से से मुक्त हों, किसी समुदाय की छवि बना कर, अगड़ा-पिछड़ा वर्गीकरण बनाकर पहल न करें।
बात सब तक पहुंचे	गांव/बस्ती/वार्ड में एक ऐसा अभियान चले कि समुदाय के हर व्यक्ति तक बच्चों के शिक्षा के अधिकार का सन्देश पहुंचे। आपको खुद यह जांचना है कि शिक्षा के अधिकार, स्कूल चलो अभियान और स्थानीय शाला के बारे में सभी जानकारियां हर एक व्यक्ति तक पहुंच गयी हैं।
पालकों से संवाद	बच्चों के माता-पिता और पालकों से संवाद करके यह सुनिश्चित करना कि हर पालक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हो।
शालात्यागी बच्चों के पहचान और उन्हें सहयोग करना	जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य हुए हैं, उनके कुछ बड़े कारण होंगे, उन कारणों को जानें और उन परिवारों की मदद करें।
शिक्षा से जुड़ने का उत्सव	शाला में प्रवेश उत्सव के आयोजन में जिम्मेदारी जरूर लें ताकि समाज के हर वर्ग की पूरी सहभागिता हो, शिक्षकों को सभी लोग पहचान लें, स्कूल में यदि कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है, तो उसके बारे में एक व्यवहारिक कार्य योजना बन जाए।
सबको स्कूल दिखाना और जोड़ना	शाला में प्रवेश योग्य बच्चे को शाला में लाना। उसके साथ उसके माता-पिता-पालक भी हों। उन्हें स्कूल दिखाया जाए और बताया जाए कि वहां क्या-क्या होता है और कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
दूरी के कारण शाला त्याग करने वालों के लिए योजना	यह देखना कि कहीं पांचवीं और आठवीं कक्षा के बाद बच्चे स्कूल तो नहीं छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि माध्यमिक, और उच्चतर माध्यमिक स्कूल दूर होने के कारण बच्चे स्कूल छोड़ रहे होंय ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें मध्यप्रदेश सरकार की साइकिल प्रदाय योजना के तहत बिना परेशान हुए साइकिल मिले।
सबसे वंचित पर	यह जरूर देखें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से गरीब

सबसे ज्यादा ध्यान

हर बच्चे और उसके परिवार से गहरा परिचय

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

समुदाय में हर एक को छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताना

आजीविका की असुरक्षा, पलायन और शिक्षा का अधिकार

लड़कियों की शिक्षा

और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित तो नहीं हैं!

अपने को गांव, बस्ती, बसाहट के हर बच्चे के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना है, जैसे – आर्थिक, सामाजिक स्थिति, रोजगार, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति आदि।

सरल भाव से हर परिवार से जुड़ते हुए हम यह भी जानें कि कोई बच्चा किसी भी तरह की विकलांगता से प्रभावित तो नहीं है या विशेष आवश्यकता वाला बच्चा तो नहीं है ? विकलांगता के कारण वह शिक्षा के अधिकार से वंचित तो नहीं है आदि। ऐसे बच्चों के लिए हमें थोड़े ज्यादा सघन प्रयास करने होंगे।

सभी बच्चों को शिक्षा का हक मिले इसके लिए कई तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हैं। अपने गांव, बस्ती, वार्ड में हम यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चे को उसकी पात्रता के मुताबिक छात्रवृत्ति का लाभ मिले। यह लाभ उसके शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है।

हमें ऐसे परिवारों की पहचान करना है, जो साल के कुछ महीने रोजगार के लिए पलायन करते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार का अक्सर हनन होता है। यदि गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का सही क्रियान्वयन हो, हर आदिवासी परिवार को वन अधिकार कानून के प्रावधानों के तहत वन अधिकार मिलें, गुणवत्तापूर्ण लोक-स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और कृषि की स्थानीय व्यवस्था बन सके, तो बहुत हद तक पलायन रुक सकता है। इससे बच्चों के शिक्षा का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस सन्दर्भ में कोशिशें करना होंगी।

गांव/बस्ती/समुदाय की हर बच्ची स्कूल में दर्ज है और नियमित रूप से स्कूल जा रही है।

9. मैदानी कार्य को मापना

स्थिति/विषय/चुनौती

कैसे कर सकते हैं और कैसे जांच सकते हैं?

स्कूल चलो अभियान से जुड़ना

स्कूल चलो अभियान के बारे में गांव/बस्ती/समुदाय में चर्चा करना

गांव/बसाहट में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की कुल संख्या कितनी है?

गांव शिक्षा पंजी और सर्वे के द्वारा

6 से 14 वर्ष की उम्र के कितने बच्चे स्कूल में नामांकित हुए?

स्कूल के रिकॉर्ड के द्वारा

6 से 14 वर्ष की उम्र के कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं?

गांव शिक्षा पंजी, स्कूल के रिकार्ड और हमारे सर्वे के द्वारा

6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं?

गांव शिक्षा पंजी, स्कूल के रिकार्ड और हमारे सर्वे के द्वारा

शाला प्रबंधन समिति का गठन हुआ और सभी सदस्यों को उनकी भूमिका और अधिकारों के बारे में स्पष्ट जानकारी है?

शाला प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों का प्रशिक्षण और निरंतर संवाद। समिति से शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों पर बार-बार बात करना।

स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चे

यह जानकारी इकट्ठा करना कि कौन से बच्चे स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं और उनकी अनुपस्थिति के क्या कारण है? इसके आधार पर उन परिवारों को प्रेरित करना और समस्याओं को दूर करने में मदद करना।

गांव/बस्ती में पलायन करने वाले परिवार कौन से हैं?

उनसे संवाद करना और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायत और स्कूल-शिक्षा प्रशासन से संवाद करना।

स्कूल की ढांचागत व्यवस्थाओं को अच्छा और सौन्दर्यपूर्ण बनाना

स्कूल की स्थिति का एक सर्वे करके देखना कि वहां –

1. कमरों की स्थिति क्या है ? कमरे पर्याप्त हैं कि नहीं ?
2. शौचालय की स्थिति क्या है ? लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं ?
3. कहीं कोई टूट-फूट तो नहीं है?

4. खेल का मैदान है और अच्छी स्थिति में है?
5. बाउंड्री वाल है और अच्छी है ?
6. पीने के साफ पानी की व्यवस्था है ?
7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पंहुच आसान है?
8. मध्यान्ह भोजन योजना के तहत रसोईघर बना है तथा अच्छी स्थिति में है ?
9. कोई अन्य बिंदु

किसी भी तरह के सुधार के लिए शाला विकास योजना बनाना और उसके तहत कार्यवाही करने के लिए समुदाय-प्रशासन को प्रेरित करना।

हर रोज स्कूल का खुलना, शिक्षकों का स्कूल भ्रमण करके, बच्चों से बातचीत और रिकार्ड समय पर आना, 7 घंटे पढ़ाई होना, छात्र देखकर।
और शिक्षक अनुपात सही होनाय

शिक्षण सामग्री की उपलब्धता है या नहीं? शिक्षकों और बच्चों से संवाद करके और स्कूल का अवलोकन करके।

अपने काम और अनुभवों के आधार पर आप अपने मैदानी काम की दस पृष्ठों की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।

इसमें आप यह बता सकेंगे कि स्कूल चलें हम अभियान में –

- आपने क्या भूमिका निभाई, आपके सामने क्या चुनौतियां आयीं ?
- आप उनसे कैसे निपटे, आपने क्या सीखा ?
- आपने समुदाय को बच्चों के शिक्षा के अधिकार के पक्ष में कैसे एकजुट और लामबंद किया?
- और आपकी इस पहल के परिणाम क्या रहे?

खेल का अधिकार और बच्चों का विकास

टिकाऊ विकास लक्ष्य के मुताबिक हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी है, जिसके जरिए सबको, बिना भेदभाव के न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा का मतलब यह भी है कि जीवन भर सीखने का अवसर मिलता रहे। हम सोचते हैं कि शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में खेलों का कितना महत्व है? क्या शिक्षा और सीखने की बात करते समय खेलों की व्यवस्था की बात नहीं होना चाहिए? चार दीवारी के भीतर केंद्रित शिक्षा व्यवस्था बच्चों को रचनात्मक नहीं बना सकती है। इसके लिए उन्हें मैदानों, पहाड़ों, नदियों, पगड़ियों, संस्कृति के केन्द्रों, जंगलों के बीच भी जाना होगा। अपने परिवेश से मेल—मुलाकात शिक्षा और विकास का अभिन्न अंग है।

बचपन विकास की उम्र होती है। इस उम्र में शरीर, दिमाग और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमने बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए अक्सर बात की है, पर क्या उनके खेल के अधिकार के लिए बात नहीं की जाना चाहिए। क्या खेल मानसिक और शारीरिक विकास की सबसे बुनियादी जरूरत नहीं हैं? क्या खेलों से भी बच्चों का समाजीकरण नहीं होता है। वास्तव में खेलों से बच्चों के विकास और जाति—लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने की गुंजाइश बनती है।

बच्चों के खेल का अधिकार एक उपेक्षित विषय है। जब तक यह उपेक्षित है, तब तक बच्चों के विकास के अधिकार का हनन होना जारी रहेगा। जब हमने समाजों में परंपरा से चले आ रहे खेलों, जैसे खो—खो, कबड्डी, रस्सी कूद, पेड़ पर चढ़ना, लकड़ी की मचान को आधार बना कर ऊँचाई पर चलना, कुश्ती, दौड़, चौसर, अष्टा—चंगा, पीठ—कुटाई, छुपन—छुपाई आदि की उपेक्षा की तो खेलों में भी एकाधिकार स्थापित हो गया। आज जब हम खेलों की व्यवस्था की बात करते हैं तो क्रिकेट जैसे खेलों का ज्यादा जिक्र आता है। हमें सोचना चाहिए कि अपने समुदाय की विशेषताओं की पहचान करें और देखें कि हमारे यहां बच्चों—युवाओं के कौन से खेल उल्लेखनीय हैं? और उन्हें बच्चों के जीवन का हिस्सा बनाएं।

बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने, उनके शरीर के अंगों को सही विकास, चुनौतियों से निपटने और सामंजस्य का कौशल विकसित करने के लिए खेल अनिवार्य हैं।

इस प्रायोगिक/मैदानी कार्य का मकसद है कि हम अपने गांव/परिवेश और समुदाय में बच्चों के खेल के अधिकार पर बात करें और सुनिश्चित करें कि खेलों के लिए बुनियादी और सुरक्षित ढांचा गांव में उपलब्ध हो। जहां खेल के मैदान नहीं हैं, वहां खेल के मैदान बनें, जहां रखरखाव या सुधार की जरूरत हैं, वहां सुधार हो और खेल का अधिकार बच्चों के जीवन का बुनियादी अंग बने।

सन्दर्भ

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित “बाल अधिकार समझौतों” को स्वीकार किया है और उन्हें लागू करने का वायदा किया है। इस समझौते के अनुच्छेद 31 के मुताबिक बच्चों को बच्चों को आराम करने, खेलने, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार है। उन्हें अधिकार है कि वे वृहद सांस्कृतिक, कलात्मक और रचनात्मक कामों में शामिल हो सकें।

अब शिक्षा का अधिकार हमारे संसाधन के मौलिक अधिकारों का अहम हिस्सा है। इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए भारत में शिक्षा का अधिकार कानून-2009 बना है। यह कहता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार है।

यह कानून भी कहता है कि –

1. हर स्कूल में खेल का मैदान होगा।
2. हर कक्षा की जरूरत के मुताबिक खेलों की सामग्री, खिलौने-खेल और खेल उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे।

स्पष्ट प्रावधान

इस सन्दर्भ में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2012 को और मध्यप्रदेश सरकार के राज्य शिक्षा केंद्र ने 16 सितम्बर 2013 को निर्देश जारी करके स्पष्ट किया है कि “निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 में वर्णित अनुसूची के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए स्कूल संचालन के मान एवं मानक तय किए गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रत्येक स्कूल के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था होना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र में इस सम्बन्ध में यह लेख किया गया है कि प्रतेयक स्कूल के बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान उपलब्ध हो। यह स्कूल से लगा हुआ खेल मैदान/नगरीय क्षेत्र में पार्क आदि हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि स्कूल परिसर में ही खेल मैदान हो।”

व्यवस्थाएं

स्कूलों में खेल के मैदान और खेल सामग्री {शिक्षा का अधिकार कानून, शाला प्रबंधन समिति, शाला विकास योजना}

इसका मतलब यह है कि सभी स्कूलों में खेल के मैदान का नीतिगत और कानूनी प्रावधान उपलब्ध है। अब यह साफ करना है कि जहां मैदान नहीं हैं, ये मैदान कैसे बन सकते हैं ?

जहां तक स्कूलों में खेल के मैदान होने का प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत हर स्कूल में “शाला प्रबंधन समिति” का गठन किया जाना है। स्कूलों और शिक्षा के विकास के लिए इन समितियों को बहुत महत्वपूर्ण अधिकार और जिम्मेदारियां दी हैं। इनमें से एक है – शिक्षा का अधिकार कानून द्वारा स्कूलों के लिए तय किए गए मान और मानकों को सुनिश्चित करना और उनकी निगरानी करना।

शाला प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी है कि वह तीन साल के लिए शाला विकास योजना बनाए। शाला विकास योजना को लागू करने के लिए आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि समुदाय से कौन सा सहयोग/संसाधन मिल सकते हैं ? इस योजना में खेल के मैदान का विकास और खेल के सामान की उपलब्धता के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं।

हमें यह देखना है कि बच्चों के हित में इन कानूनी प्रावधानों का उपयोग जरूर हो।

गांव/बस्ती में खेल के मैदान का विकास – मनरेगा ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना

स्कूली व्यवस्था से इतर भी यह व्यवस्था है कि गांव/बस्ती में बच्चों के लिए खेल का मैदान हो। मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एक उपयोजना बनायी गयी है। इस उपयोजना का नाम है – मनरेगा ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना।

आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून/योजना का मकसद है सभी ग्रामीण परिवारों को रोजगार का हक उपलब्ध करवाना। इस सोच को लागू करने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र चुने गए हैं, जिनसे उपयोगी और स्थायी जरूरी परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके। इन में बच्चों के लिए खेल के मैदान को भी शामिल किया गया है। जितनी खेती महत्वपूर्ण है, जितना पर्यावरण और प्रानी महत्वपूर्ण है, उतना ही खेल का मैदान भी जरूरी है।

मनरेगा ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना का मकसद लोगों को रोजगार का अधिकार दिलाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। इससे खेल के मैदान विकसित किए जाने हैं। सोच यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में खेलों के प्रति उत्साह बना रहे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

महत्वपूर्ण बातें

जब हम खेल के मैदान और खेल के अधिकार की बात करने हैं, तब हमें ध्यान रखना होगा कि

1. लड़कियों को खेलों में समान स्थान मिले, उनकी अभिरुचियों को महत्व मिले।
2. जो बच्चे या युवा किसी किस्म की विकलांगता से प्रभावित हैं, उनके लिए भी खेलों की व्यवस्था हो। इसका मतलब यह कर्तर्झ नहीं है कि विकलांगता से प्रभावित लोगों के लिए कोई नए खेल लाए जाएँ, बल्कि जरूरी यह है कि ढांचागत व्यवस्थाएं उनके अनुरूप हों और उन्हें भी बराबरी से भागीदारी का स्थान दिया जाए।

प्रायोगिक / मैदानी कार्य

इस प्रायोगिक / मैदानी कार्य का मकसद बच्चों के खेल के अधिकार को सुनिश्चित करना है। इसके लिए जरूरी है कि समुदाय को एकजुट करते हुए सहभागी प्रक्रिया से हम इस लक्ष्य को हासिल करें।

प्रायोगिक / मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें?
हम समुदाय के साथ बार-बार संवाद करके यह जानें कि अपने समुदाय में कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं ? और अभी उनकी क्या स्थिति है ?	इसके लिए हम गांव/समुदाय के बुजुर्गों से आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ समूह चर्चा कर सकते हैं। इसमें भी हमें देखना होगा कि महिलाओं से भी चर्चा हो।
समुदाय के स्थानीय और पारंपरिक खेल कौन से थे ? क्या वे खेल अब भी खेले जाते हैं ?	क्या अच्छे पारंपरिक खेलों को फिर से खेलना शुरू किया जा सकता है ?
अभी की स्थिति में बच्चे और युवा कौन से खेल खेलते हैं ? क्या वास्तव में इस मामले में पर्याप्त अवसर और मौके उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या इससे बच्चों और युवाओं पर कोई असर पड़ता दिखता है ?	इसके लिए हमें बच्चों और युवाओं के साथ समूह में चर्चा करना होगी। कुछ मामलों में समुदाय के बड़े-बुजुर्गों से भी बात करना होगी ताकि यह पता चल सके कि खेलों के अवसर का अभाव कहीं बच्चों, किशोरावस्था के बच्चों और युवाओं को बुरी आदतों की तरफ नहीं धकेलता है ? इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी बात की जा सकती है।
खेल के मैदानों-सुविधाओं की मौजूदा स्थिति क्या है ?	यह आंकलन करना कि वर्तमान में गांव/बस्ती में खेलों की कौन-कौन सी सुविधाएं/मैदान उपलब्ध हैं ? इसमें हमें लड़कियों और विकलांगता से प्रभावित समूह को खास नजरिए से देखना चाहिए। इस पर गांव में ग्राम सभा में भी व्यवस्थित रूप से चर्चा हो।
शाला प्रबंधन समिति के साथ प्रक्रिया चलाना	गांव के स्कूल/स्कूलों में खेल के मैदान के विकास/निर्माण के लिए शाला विकास समिति के साथ जुड़ कर प्रक्रिया चलाना। साथ ही यह भी देखने कि शिक्षा के अधिकार कानून के मुताबिक हर कक्षा के लिए खेल का सामान लिया गया या नहीं ? किस तरह का समान किया गया ? उस सामान तक बच्चों की पहुंच

	है या नहीं? क्या बच्चे उसका उपयोग करते हैं? उनके रखरखाव की क्या व्यवस्था है आदि ? इसके साथ ही जहाँ जरूरत पड़ती है, वहां शाला विकास योजना में प्रावधान किए जाएं।
मनरेगा ग्रामीण क्रीड़ागांग उपयोजना	गांव में खेलों के लिए मैदान बनाने के लिए इस उपयोजना का उपयोग किया जाए। ग्राम सभा में चर्चा करके इसे व्यवस्थित ढंग से मनरेगा के प्राथमिक कामों की सूची में लाया जाए और व्यवस्था का विकास किया जाए।
बाकी अन्य कई पहलू जिन्हें आप इसमें शामिल कर सकते हैं।	समुदाय के अनुभवों के आधार पर।

निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए योजनाएं

विशेष बिंदु - आप जानते ही हैं कि पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में मैदानी/प्रायोगिक कार्य के सन्दर्भ में एक समग्र पुस्तिक महत्वपूर्ण श्रम कानून और मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल एवं विभिन्न विभागों की योजनाएं शामिल की गयी हैं। उस पुस्तिका में श्रमिकों के अधिकारों और उनके लिए चल रही योजनाओं का विस्तार से उल्लेख है। इस पुस्तिक में हमें उन विशेष योजनाओं का उल्लेख किया है, जो बच्चों के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं। इसे केवल दोहराव नहीं माना जाए। हमें लगभग हर कानून और योजना को बच्चों के नज़रिए से देखने-महसूसने की कोशिश भी करना होगी।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। अपने मैदानी कार्य के दौरान हमें यह देखना चाहिए कि क्या वास्तव में इन योजनाओं का भी क्रियान्वयन हो रहा है?

योजना	लाभ	पात्रता / शर्तें	जिम्मेदार अधिकारी और स्तर	हमारी भूमिका
शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना—2004	5 00 रुपए से 10,000 रुपए तक	कक्षा 1 से पीएचडी करने तक की सहायता	प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने वाले अधिकारी I. शासकीय माध्यमिक शाला और पास की संबद्ध की गई शासकीय प्राथमिक शालाओं में प्रधान अध्यापक। II. शासकीय हाईस्कूलध्याच्चतर माध्यमिक शाला में प्राचार्य। III. अशासकीय शालाओं में (कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक) संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं ? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ मिले ? ग्राम सभा और सामुदायिक बैठकों में

			महाविद्यालयों के प्रकरण में संस्था प्रमुख	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना के बारे में बताएं।
			निजी महाविद्यालयों के प्रकरण में संबद्ध अग्रणी महाविद्यालय पदाभिहित अधिकारी/आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय / जनपद पंचायत द्वारा छात्र-छात्राओं के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से।	
मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना – 2004	2000 रुपए से 12,000 रुपए ¹	कक्षा 5 से स्नातकोत्तर स्तर तक	शासकीय विद्यालयों के प्रकरण की स्थिति में संबंधित शाला के प्राचार्य	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं ?
			निजी विद्यालय में प्राचार्य की अनुशंसा पर संकुल शाला के प्राचार्य पदाभिहित अधिकारी, आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय/जनपद पंचायत द्वारा छात्र-छात्राओं के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से।	जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं।
				यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को मेधावी छात्रछात्राओं को नगद पुरस्कार योजना का लाभ मिले ? स्कूलों में इसके बारे में जानकारी दी जाए।
				ग्राम सभा और सामुदायिक बैठकों में मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना के बारे में बताएं।

कौशल	निर्माण श्रमिकों	16 से 45 वर्ष के	सहायक श्रमायुक्त/श्रम	यह देखें कि क्या सभी
प्रशिक्षण	तथा आश्रितजनों	आश्रितजनों तथा 18	पदाधिकारी/ सहायक श्रम	निर्माण और अन्य संनिर्माण
योजना –	हेतु भारत	से 45 वर्ष के निर्माण	पदाधिकारी	श्रमिक मण्डल में पंजीकृत
2012	सरकार अथवा	श्रमिकों हेतु शुल्क		हैं कि नहीं ?
	राज्य शासन द्वारा	का भुगतान मण्डल		
	मान्यता प्राप्त	द्वारा		जो पंजीकृत नहीं हैं,
	संस्थाओं के			उनका पंजीयन करवाएं।
	माध्यम से			
	निःशुल्क कौशल			
	प्रशिक्षण			

यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को कौशल प्रशिक्षण योजना का लाभ मिले ?

राज्य लोक सेवा आयोग वं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरुस्कार – 2013	राज्य लोक सेवा आयोग – प्रारंभिक परीक्षा – 15 हजार मुख्य परीक्षा – 25 हजार रूपए संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा – 25 हजार रूपए मुख्य परीक्षा – 5 0 हजार रूपए	निर्माण श्रमिक के पुत्र–पुत्रियों हेतु प्रारंभिक परीक्षा – 15 हजार रूपए	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी	ग्रामसभा/वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में कौशल प्रशिक्षण योजना के बारे में बताएं।
				यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं, उनका पंजीयन करवाएं।

यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरुस्कार का

ग्रामसभाध्वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार के बारे में बताएं।

सुपर 5000 (कक्षा 10 वीं) — 2013	25 हजार रुपए	राज्य की मेरिट में आने की स्थिति में दृमध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम 5 हजार बच्चों में शामिल पंजीकृत हितग्राही की संतानों को।	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं ? जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं।
सुपर 5 000 (कक्षा 12वीं) — 2013	25 हजार रुपए	राज्य की मेरिट में आने की स्थिति में — मध्यप्रदेश	सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी	यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को सुपर 5000 (कक्षा 10वीं) — 2013 का लाभ मिले ?

ग्रामसभाध्वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में सुपर 5000 (कक्षा 10वीं) — 2013 के बारे में बताएं।

यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं ?

यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं ?

माध्यमिक शिक्षा

हैं कि नहीं?

मण्डल द्वारा

आयोजित 12वीं की
परीक्षा में प्रथम 5
हजार बच्चों में

जो पंजीकृत नहीं हैं,
उनका पंजीयन करवाएं।

शामिल पंजीकृत
हितग्राही की संतानों
को।

यह सुनिश्चित करें कि
पंजीकृत हितधारक को
सुपर 5000 (कक्षा 12वीं)
— 2013 का लाभ मिले?

ग्रामसभा/वार्ड सभा और
बस्ती की सामुदायिक
बैठकों में सुपर 5000
(कक्षा 12वीं) — 2013 के
बारे में बताएं।

व्यवसायिक	वैध पंजीकृत	निम्न पाठ्यक्रमों हेतु	सहायक श्रमायुक्त/श्रम	यह देखें कि क्या सभी
पाठ्यक्रम हेतु	निर्माण श्रमिक की	अनुदान देय है —	पदाधिकारी/सहायक श्रम	निर्माण और अन्य
अध्ययन	आश्रित संतानों के	फिजियोथेरेपी डिग्री	पदाधिकारी	संनिर्माण श्रमिक मण्डल
अनुदान —	किसी मान्यता	कोर्स,		में पंजीकृत हैं कि नहीं?
2013	प्राप्त शैक्षणिक	नर्सिंग कालेज,		
	संस्थान में प्रवेश	पेरामेडिकल कोर्स,		जो पंजीकृत नहीं हैं,
	लेने/प्रथम वर्ष में	इंजीनियरिंग		उनका पंजीयन करवाएं।
	उर्त्तीण होने पर	डिप्लोमा,		
	अध्ययन अनुदान	आई.टी.आई.,	यह सुनिश्चित करें कि	
	के रूप में 5		पंजीकृत हितधारक को	
	000 रुपए से	एमबीबीएस एवं	व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु	
	20,000 रुपए		अध्ययन अनुदान —	
	तक एकमुश्त	बीडीएस पाठ्यक्रम	2013 का लाभ मिले?	
	राशि की			
	सहायता/अनुदान			
	देय है।			

ग्रामसभाध्वार्ड सभा और

बस्ती की सामुदायिक बैठकों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान – 2013 के बारे में बताएं।

खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, 2014	5 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक	जिला/संभाग/राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिता में चयनित होने/मण्डल द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता में विजेता होने पर 5 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि।	ग्रामीण क्षेत्र– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र– आयुक्त, नगर निगममधुख्य नगरपालिका अधिकारीधनगर पालिकाधनगर परिषद मण्डल द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में श्रम विभागीय अधिकारी	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं?
				यह सुनिश्चित करें कि पंजीकृत हितधारक को खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, 2014 का लाभ मिले?

ग्रामसभा/वार्ड सभा और बस्ती की सामुदायिक बैठकों में खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, 2014 के बारे में बताएं।

व्यावसायिक (यूजी/ पीजी) प्रवेश कोचिंग कोचिंग हेतु अनुदान योजना, 2014	20 हजार रुपए अथवा कोचिंग शुल्क का 75 प्रतिशत (दोनों में से जो कम हो) अनुदान देय होगा।	पात्रता– न्यूनतम 3 वर्ष तक सतत वैध परिचय पत्रधारी प्रतिवार के आश्रित सदस्य पात्र होंगे।	ग्रामीण क्षेत्र– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र– आयुक्त, नगर निगममधुख्य नगरपालिका अधिकारीधनगर पालिकाधनगर परिषद	यह देखें कि क्या सभी निर्माण और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत हैं कि नहीं?
				जो पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीयन करवाएं।

कम से कम 3 वर्ष

से कार्यरत हों।

न्यूनतम 300

विद्यार्थियों को

कोचिंग प्रदान की

गई हों,

कम से कम 3 वर्ष

से सेवा शुल्क दे रहा

हो।

परीक्षार्थी द्वारा

अहतादायी परीक्षा में

कम से कम 60

प्रतिशत अंक प्राप्त

किये गये हों।

कोचिंग संस्थान जहां स्थित

हैं, वहां के स्थानीय निकाय

(जनपद पंचायत/नगरीय

निकाय) द्वारा हितलाभ

भुगतान किया जाएगा।

यह सुनिश्चित करें कि

पंजीकृत हितधारक को

व्यावसायिक

(यूजी/पीजी) पाठ्यक्रम

की प्रवेश परीक्षाओं की

कोचिंग हेतु अनुदान

योजना, 2014 का लाभ

मिले?

ग्रामसभा/वार्ड सभा और

बस्ती की सामुदायिक

बैठकों में व्यावसायिक

(यूजी/पीजी) पाठ्यक्रम

की प्रवेश परीक्षाओं की

कोचिंग हेतु अनुदान

योजना, 2014 के बारे में

बताएं।

बच्चों के विकास का अधिकार

मैदानी / प्रायोगिक कार्य

यह स्पष्ट हो चुका होगा कि बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उनके लिए कुछ अहम् कानून भी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने कार्यक्षेत्र में इसे समुचित रूप में लागू करवाएं तथा प्रायोगिक / मैदानी कार्य पर एक रिपोर्ट तैयार करें जिसका प्रारूप गतिविधियों के रूप में दिया गया है।

कानून और विषय—मुद्दे से सम्बंधित योजना का नाम	आपके मैदानी कार्य की शुरुआत में स्थिति क्या थी	आपकी पहल का लाभ ?	इस योजना पर / के लिए काम करते हुए आपके क्या अनुभव रहे ?
शिक्षा का अधिकार कानून, शाला प्रबंधन समिति और समुदाय			
स्कूल चलें हम अभियान और सामुदायिक नेतृत्व			
शिक्षा के अधिकार के लिए योजनाएं – साइकिल वितरण, छात्रवृत्ति और छात्रवास			
खेल का अधिकार और बच्चों का विकास			
निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए योजनाएं			